वार्षिक रिपोर्ट

2015-2016

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
भारत

वार्षिक रिपोर्ट
2015-2016

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
भारत

विषय–वस्तु

अध्याय–1	परिचय	1
अध्याय–2	मुख्य बिन्दु	5
अध्याय–3	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग : संगठन तथा कार्य	27
अध्याय–4	नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार	35
	क. आतंकवाद एवं उग्रवाद	37
	ख. हिरासत में हिंसा एवं प्रताड़ना	38
	ग. महत्वपूर्ण दृष्टांत मामले	39
	क) हिरासत में मौत	39
	न्यायिक हिरासत	39
	1. केन्द्रीय कारागार, सिवान, बिहार में विचाराधीन कैदी राम अवतार बैठा की मृत्यु (मामला सं. 1679/4/37/2012–जेसीडी)	39
	2. केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में विचाराधीन कैदी की मृत्यु (मामला सं. 764/30/9/2012–जेसीडी)	40
	पुलिस अभिरक्षा	43
	3. पुदुचेरी पुलिस की अभिरक्षा में देवु सत्तबाबू की मृत्यु (मामला सं. 56/32/4/2011– पीसीडी)	43

4.	सेंट्रल जेल, दुमका, झारखण्ड में कारावास प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण दिनेष्वर प्रसाद यादव की मृत्यु (मामला सं. 164/34/5/2013)	44
ख)	**विधिविरुद्ध गिरफ्तारी, गैर–कानूनी नजरबंदी तथा प्रताड़ना**	47
5.	पुलिस स्टेषन कैंट, आगरा, उत्तर प्रदेष के कांस्टेबलों द्वारा ग्राम मधका के विजय सिंह और उनके भतीजे जीतेन्द्र सिंह की गैर कानूनी रूप से नजरबंदी और प्रताड़ना। (मामला सं. 18400/24/1/2013)	47
6.	पुलिस द्वारा नई मंडी, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेष में मौजवीर सिंह की गैर कानूनी रूप से नजरबंदी। (मामला सं. 15083/24/54/2013)	49
ग)	**पुलिस द्वारा अत्याचार**	51
7.	पुलिस स्टेषन जनकपुरी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेष में पुलिस द्वारा आरिफ के साथ अत्याचार। (मामला सं. 18702/24/64/2012)	51
8.	एस. बी. एस. नगर जिला पुलिस, पंजाब में पुलिस द्वारा वाहन दुर्घटना संबंधी मामला दर्ज नहीं किया गया। (मामला सं. 250/19/0/2014)	52
9.	एक 19 वर्षीय संदिग्ध और तीन अन्य 17 वर्षीय किषोरों को चेन्नई, तमिलनाडु में पुलिस अभिरक्षा में एक दूसरे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए बाध्य किया गया (मामला सं. 134/22/13/2015)	52
10.	ग्राम बरारा के निकट पुलिस द्वारा एक पत्रकार की बेरहमी से पिटाई की गई और फिर पुलिस स्टेषन बरारा, अम्बाला, हरियाणा लाया गया (मामला सं. 6028/7/1/2012)	53

11.	एक चौदह वर्षीय चोरी के आरोपी ने विरुधुनगर, तमिलनाडु में तथाकथित पुलिस प्रताड़ना के कारण अपनी आंख गंवाई (मामला सं. 2861/22/45/2012)	54
12.	मथुरा, उत्तर प्रदेष में एक लड़के की पुलिस द्वारा तथाकथित पिटाई और बाद में गोली मार कर हत्या (मामला सं. 10704/24/52/2013)	57
13.	पुलिस द्वारा गलत मामले में फंसा कर व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन (मामला सं. 4499/4/3/2014)	59
घ)	**पुलिस द्वारा गोलीबारी और मुठभेड़**	62
14.	आंध्र प्रदेष के चित्तूर जिले के सेषाचलम जंगलों में स्पेषल पुलिस और फोरेस्ट पर्सनल की संयुक्त टीम के साथ हुई तथाकथित मुठभेड़ में 20 रेड सेण्ड्र्स तस्करों की मृत्यु (मामला सं. 475/1/3/2015–ए.एफ.ई.)	62
15.	श्रीनगर, जम्मू एवं कष्मीर में सीमा सुरक्षा बल के जवान द्वारा नकली मुठभेड़ में एक सोलह वर्ष के लड़के की मृत्यु (मामला संख्या 35/9/13/2010–पी.एफ.)	69
16.	चेरियाथूरा जंक्षन, केरल में मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच हुए संघर्ष के दौरान पुलिस फायरिंग में छः व्यक्तियों की मौत (मामला संख्या 115/11/2010)	73
ङ)	**इलैक्ट्रोक्यूशन (बिजली से हुई मौत) के मामले**	76
17.	उत्तर प्रदेष सरकार के विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण युवक की मृत्यु (मामला सं. 26993/24/13/2014)	76
18.	उड़ीसा के भद्रक जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक गरीब किसान की मृत्यु (मामला संख्यो 1179/18/18/2014)	78

19.	रायापीठ, चेन्नई, तमिलनाडु में करंट लगने से फुटपाथ पर रहने वाले की मृत्यु (मामला संख्या 3175/22/13/2012)	79
20.	मलकानगिरी, ओडिषा के स्कूल के छात्रावास में कक्षा–IV की छात्रा लड़की की करंट से मृत्यु (मामला सं0 3072/18/29/2014)	81
च)	**प्रदूषण एवं पर्यावरण मामले**	83
21.	उत्तरप्रदेष के चित्रकूट जिले में मन्दाकिनी नदी के साथ लगती भूमि पर अधिग्रहण के कारण गम्भीर जल प्रदूषण (मामला संख्या 8488/24/20/2016)	83
22.	ज्योति नगर, दिल्ली के सीमेन्ट गोदामों द्वारा वायु प्रदूषण (मामला संख्या 708/30/2/2016)	84
छ)	**अन्य महत्वपूर्ण मामले**	85
23.	चिकित्सा लापरवाही से एक अर्ध–सैनिक कर्मचारी की उसके कार्य–स्थल पर मृत्यु (मामला सं. 12025/24/69/2014)	85
24.	खलीलाबाद जिला, उत्तर प्रदेष के ब्लॉक षिक्षा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और गन्दी भाषा का प्रयोग करने के आरोप (मामला संख्या 15666/24/65/2014)	86
25.	पीलीभीत, उत्तर प्रदेष में श्री जगदीष चन्द्र पर तेजाब से हमला (मामला संख्या 20006/24/60/2015)	88
ज)	**कारागारों में हालात**	88
	क) कारागारों के दौरे	88
	ख) कारागार प्रदूषण का विष्लेषण	91

झ) **कारागार सुधार** 92

क) कारागार अधिनियम, 1894 में संषोधन के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में विषेषज्ञ समिति का गठन

ञ) **उत्तर प्रदेश में विचारणाधीन कैदियों पर प्रायोगिक अध्ययन** 92

अध्याय– 5 **विस्तार क्षेत्र** 93

क. आयोग की बैठकें 93

ख. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कैम्प बैठकें और खुली सुनवाई 94

ग. सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक 95

घ. विषेष संपर्ककर्त्ता 97

ङ. कोर एवं विषेषज्ञ समूह 98

अध्याय– 6 **स्वास्थ्य का अधिकार** 101

क. सिलिकोसिस 104

ख. एन.एच.आर.सी. के कार्यवाहक अध्यक्ष ने व्यवसायिक स्वास्थ्य पर एक समारोह में भाग लिया 105

ग. स्वास्थ्य परिचर्या अधिकार पर एन.एच.आर.सी. की पष्चिमी क्षेत्र जन सुनवाई 106

घ. एन.एच.आर.सी. द्वारा निपटाए गए स्वास्थ्य संबंधी दृष्टांत स्वरूप मामले 108

1 सरकारी सब–डिवीजन अस्पताल, अमरपुर, त्रिपुरा में सहायकों द्वारा मृतजात षिषु की प्रसूति की रिपोर्ट से संबंधित समाचार पर स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 1691/23/3/2013) 108

2 जमषेदपुर, झारखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जुगसलाई में चिकित्सीय लापरवाही के कारण षिषुओं की मौत (मामला संख्या 130/34/6/2014) 110

	3	उपजिला अस्पताल, इंदापुर तालुका, पुणे जिला, महाराष्ट्र द्वारा गलत एच.आई.वी. रिपोर्ट दिए जाने के कारण एक महिला रोगी को गंभीर कठिनाई और मानसिक पीड़ा हुई (मामला संख्या 2839/13/23/2015)	111
	4	जिला अस्पताल नंदुरबार, महाराष्ट्र में चिकित्सकों की लापरवाही के कारण सुरेष धर्मदास नाइक का दांया पैर कटा (मामला संख्या 2851/13/36/2016)	112
	5	बाड़मेर जिला, राजस्थान के सरकारी अस्पताल में एक वर्षीय बच्चे ने उंगली गंवाई (मामला संख्या 791/20/4/2013)	112
	6	जिला अस्पताल बलिया, उत्तर प्रदेष में एक षिषु की मौत (मामला सं. 25612/24/10/2013)	114
	7	किषनगर जिले, ओडिषा में स्कूल के छात्रावास में पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल से वंचित होने पर कक्षा–3 के एक छात्र की मौत और पांच अन्य छात्रों की तबीयत बिगड़ी। (मामला सं. 4724/18/7/2014)	116
अध्याय– 7	**भोजन का अधिकार**		119
	क.	भोजन के अधिकार पर एन.एच.आर.सी. द्वारा पुनर्गठित सलाहकार समूह की बैठक	123
	ख.	बिहार और उत्तर प्रदेष में बी.पी.एल. परिवारों के लिए लागू भोजन के अधिकार की स्थिति का अध्ययन	129
	ग.	एन.एच.आर.सी. द्वारा निपटाए गए भोजन के अधिकार पर व्याख्यात्मक मामले	129
	1	पर्याप्त आजीविका नहीं होने के कारण कटक जिले, ओडिषा के चौद्वार में भुखमरी की कगार पर बैठे तीन दृष्टिबाधितों सहित पाँच व्यक्तियों के एक परिवार ने चुनौती दी । (मामला सं. 2681/18/3/2014)	129

	2	एक वृद्ध महिला और उसकी आश्रिता विकलांग बेटी को कोई बीपीएल या अंत्योदय कार्ड नहीं (मामला संख्या 4417/18/24/2014)	131
अध्याय– 8		**शिक्षा का अधिकार**	133
	क.	केरल में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के षिक्षा के अधिकार से संबंधित मानव अधिकार के मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन	134
	ख.	एन.एच.आर.सी. द्वारा षिक्षा के अधिकार से संबंधित निपटाए गए दृष्टांत मामले	135
	1	बालसोर जिला, ओडिषा में बोनसापाल यूजीएमई स्कूल के सात छात्र जेएनवी टेस्ट के लिए उपस्थित होने से वंचित किया (मामला सं. 2014.1115/18/1/2014)	135
	2	ओडिषा के एंजूल में कॉलेज पाड़ा अपर प्राइमरी स्कूल में स्कूल परिसर के खराब रखरखाव के कारण लकड़ी की बीम गिरने से दो छात्र गंभीर रूप से घायल (मामला संख्या 973/18/16/2014)	136
	3	सरकार द्वारा संचालित बाबूराम मुर्मू छात्रावास, कुसुमाला, मयूरभंज जिला, ओडिषा में सांप काटने के कारण मृत्यु (मामला सं. 2974/18/9/2014)	137
	4	पटपड़ नोडल प्राइमरी स्कूल, निमपाडा टाउन, ओडिषा में लापरवाही के कारण एक छात्र के सिर पर गंभीर चोट (मामला सं. 2350/18/12/2014)	139
अध्याय– 9		**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के अधिकार**	141
	क.	दलितों के खिलाफ अत्याचार पर शोध अध्ययनः तमिलनाडु में विषेष न्यायालयों के प्रदर्षन पर एक अनुभवजन्य अध्ययन	142

ख. बंधुआ मजदूरी प्रणाली 143

बंधुआ मजदूरी पर कार्यशालाएं 143

बंधुआ मजदूरी पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोर ग्रुप का पुनर्गठन 144

ग. एन.एच.आर.सी. द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित दृष्टांत मामले 144

1 हाथरस पुलिस स्टेषन, उत्तर प्रदेष के पुलिसकर्मियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की अवैध हिरासत और अत्याचार (मामला सं. 49639/24/37/2014) 144

2 धार, मध्य प्रदेष में छात्रावास के वार्डन की ओर से समय पर स्वास्थ्य देखभाल नहीं होने पर जनजातीय छात्रा की मौत (मामला संख्या 544/12/15/2015) 146

3 सफाई के लिए बच्चे को गड्ढे में उल्टा लटकाने के कारण उसकी मृत्यु (केस सं. 2100/12/17/2014) 147

4 दक्षिण कन्नड़ जिला, मंगलौर में ईसाइयों के धार्मिक स्थलों पर हमलों के खिलाफ उनके द्वारा विरोध प्रदर्षन करने पर पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग (मामला सं. 266/10/1/08–09) 149

5 हाषिमपुरा, मेरठ जिला, उत्तर प्रदेष में निर्दोष मुसलमानों की हत्या (मामला सं. 11623/24/54/2015) 151

6 पुलिस थाना रोहनिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेष के अंतर्गत एक ईंट भट्ठा के बंधुआ मजदूरों की पहचान, बचाव, रिहाई और पुनर्वास (मामला सं 9344/24/72/2012) 154

7 बस्ती जिला, उत्तर प्रदेष में ईंट भट्ठे से बंधुआ मजदूरों के रिहाई और पुनर्वास (मामला सं. 25510/24/15/2011–बीएल; एल.एफ. 5685/24/65/ 2012–बीएल) 155

अध्याय– 10 महिलाओं और बच्चों के अधिकार 161

क. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की अन्य पहलू से पड़ताल : अपराधियों की दुनिया का अन्वेषणात्मक अध्ययन। 162

ख. भारत में मानव तस्करी पर राष्ट्रीय अनुसंधान 163

ग. तीसरे लिंग के रुप में ट्रांसजेंडर के मानव अधिकारों का अध्ययन 164

घ. यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा कल्याण के संदर्भ में मानव अधिकारों पर देषीय आकलन/राष्ट्रीय विष्लेषण 165

ङ एन.एच.आर.सी. द्वारा द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित निपटाए गए 165

1 पुडुचेरी में पुलिस के प्रषय में कथित बाल यौन गुलामी (मामला सं. 67/32/0/2014–डब्ल्यूसी) 165

2 हरियाणा में सत्तर वर्षीय व्यक्ति ने विवाह के लिए बिहार की एक 12 साल की लड़की को खरीदा (केस संख्या 612/7/19/2010) 167

3 पुणे, महाराष्ट्र के स्वराज गार्डन में राजपूताना राइफल्स के कार्मिक द्वारा एक किषोरी का बलात्कार (मामला संख्या 778/13/23/2010–ए.एफ.) 168

4 कक्षा पांच की एक नाबालिग छात्रा ने बच्ची को जन्म दिया (मामला सं. 226/18/14/2013–डब्ल्यू.सी.) 170

5 एक 10 वर्षीय दृष्टिहीन छात्रा का उसके षिक्षक और दो छात्रों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न (मामला सं. 69/12/8/2014) 173

6 ग्राम सिलपुरी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेष में आंगनवाड़ी केंद्र के पच्चीस बच्चे भोजन करने के बाद बीमार हुए (मामला सं. 2695/12/33/2014) 173

	7	हरियाणा के एक स्कूल में एक षिक्षक द्वारा कथित रूप से छात्रा का यौन उत्पीड़न (मामला सं. क्रमांक 1438/7/15/2012)	174
	8	पांडवपुरा तालुका, मंड्या जिला, कर्नाटक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में छठी कक्षा की छात्रा का उसके 55 वर्षीय षिक्षक द्वारा यौन उत्पीड़न (मामला सं.538/10/14/2013–डब्ल्यूसी)	177
	9	राजस्थान के कोटा में राजकीय प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा छठी कक्षा की जनजातीय छात्रा का कथित बलात्कार (मामला सं.2664/20/21/2013–डब्ल्यूसी)	178
अध्याय– 11		**बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार**	181
	क.	बुजुर्ग व्यक्तियों के मानव अधिकार कानून : नीतियां और कार्यान्वयन – केरल के विषेष संदर्भ में एक अध्ययन	185
	ख.	एन.एच.आर.सी. द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित निपटाए गए दृष्टांत मामले	186
	1	जिला बीड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अपने पति की मृत्यु के बाद एक विधवा को परिवार पेंषन की मंजूरी में देरी (मामला संख्या 2500/13/21/2013)	186
	2	पचास वरिष्ठ नागरिक और विधवाएं जीवन के न्यूनतम भरण पोषण से वंचित (मामला सं. 2479/18/7/2013)	189
	3	हिंडोल अधिसूचित क्षेत्र परिषद, धेनकनाल में वार्ड संख्या 16 के 109 लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंषन राषि का दुरूपयोग (मामला सं. 2041/18/4/2014)	190
	4	आंध्र प्रदेष राज्य में बुजुर्ग और निराश्रितों की दयनीय स्थिति (मामला संख्या 837/1/8/2013)	192

अध्याय– 12 दिव्यांग जनों के अधिकार 195

क. मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोर ग्रुप की बैठक 196

ख. मानसिक स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों के कार्यों में सुधार के लिए एन.एच. आर.सी. की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देष 203

ग. कुष्ठ रोग पर राष्ट्रीय कार्यषाला 210

घ. मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख पर राज्य स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक 215

ङ़ एन.एच.आर.सी. द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों से संबंधित उदाहरणार्थ मामले 216

1 अस्पताल परिचालक एवं प्रभारी द्वारा ग्वालियर मानसिक अस्पताल में एक मानसिक रूप से बीमार लड़की को नज़रबंद करना (मामला संख्या 2450/12/18/2014) 216

अध्याय– 13 मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जागरूकता 221

क. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रषिक्षण कार्यक्रम 221

ख. ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अंतः षिक्षुता कार्यक्रम 222

ग. अल्पकालीन अंतः षिक्षुता कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दौरा 222

घ. मानव अधिकारों पर हिंदी में राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन 222

ङ. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हिंदी पखवाड़े का आयोजन 223

च. न्यायिक अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रषिक्षण कार्यक्रम 223

छ. मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण पर जागरूकता कार्यक्रम 224

ज. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं भारतीय विधि संस्थान की मीडिया कार्यषाला 224

झ. विभिन्न मानव अधिकार विषयों पर पुस्तिकाओं का सृजन 224

ञ. बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता 225

ट.	एन. एच. आर. सी. ने अपनी 22वां स्थापना दिवस मनाया	225
ठ.	मानव अधिकार दिवस का पालन एवं एन.एच.आर.सी. प्रकाषनों का विमोचन	226
ड़	अखिल भारतीय अंतर केंद्रीय सषस्त्र पुलिस बल वाद–विवाद प्रतियोगिता, 2015	227
ढ़	पुलिस बल के लिए अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में वाद विवाद प्रतियोगिता	228
अध्याय– 14	**मानव अधिकार समर्थक**	229
क.	एन.एच.आर.सी. में मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल प्वाइंट	231
ख.	मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य	232
ग.	मानव अधिकार समर्थकों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सुने गए मामले।	233
1	श्री रामपुर, हुगली में मासूम एन.जी.ओ. के सदस्यों एवं कृति रॉय, एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता को अवैध धमकी तथा उत्पीड़न (मामला संख्या 1063/25/6/2016)	233
2	माओवादी गतिविधियों के बारे में पुलिस का संदेषवाहक बनने से इन्कार करने पर पुलिस द्वारा एक मानव अधिकार समर्थक को धमकी देना (मामला संख्या 362/18/24/2012)	234
3	एक बलात्कार के मामले की वकालत करने के लिए पुलिस द्वारा मानव अधिकार कार्यकर्त्ता को धमकी देना (मामला संख्या 20903/24/72/2011)	235

4	पुरी, ओड़िषा में स्थानीय राजनेता द्वारा मानव अधिकार समर्थक पर हमला (मामला संख्या 1972/18/17/2015)	236
5	डाक प्राधिकारियों द्वारा मानव अधिकार कार्यकर्त्ता को डाक बांटने से इंकार (मामला संख्या 3021/18/12/2014)	236
6	भुवनेष्वर, ओड़िषा में दलित विरोधियों पर अवैध लाठी चार्ज एवं महिला मानव अधिकार समर्थक पर हमला (मामला संख्या 3494/18/28/2015)	237
घ.	वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट में किए गए मामलों पर अनुवर्त्ती कार्रवाई	238
1	केरल में मानव अधिकार समर्थकों की गिरफ्तारी (मामला संख्या 74/11/8/2015)	238
2	जिला अधिकारियों के खिलाफ षिकायतों के लिए आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता का उत्पीड़न (मामला संख्या 12054/24/31/2014)	238
3	पुणे में आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता का आत्महत्या करना (मामला संख्या 816/12/23/2014)	239
4	आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता के मानव अधिकारों का उल्लंघन (मामला संख्या 2280/18/27/2014)	239
5	अस्सी वर्षीय मानव अधिकार कार्यकर्त्ता पर हमला (मामला संख्या 530/13/14/2015)	240
6	महिला मानव अधिकार समर्थक की गिरफ़्तारी (मामला संख्या 1062/12/2/2013)	240
7	मानव अधिकार समर्थकों की अवैध गिरफ़्तारी एवं उत्पीड़न (मामला संख्या 31/14/12/2013)	241

अध्याय– 15		अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	243
	क.	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के एषिया पेसिफिक फोरम के साथ सहयोग	244
	ख.	राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान के वैष्विक गठबंधन के साथ सहयोग	245
	ग.	सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा	247
	घ.	अन्य अंतरराष्ट्रीय बैठकों में एन.एच.आर.सी की भागीदारी	248
	ङ	एन.एच.आर.सी. में विदेषी प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार विमर्ष	250
अध्याय– 16		राज्य मानव अधिकार आयोग	253
अध्याय– 17		प्रशासन एवं संभारकीय सहयोग	257
	क.	कर्मचारी	257
	ख.	राजभाषा का संवर्द्धन	257
	ग.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पुस्तकालय	258
	घ.	सूचना का अधिकार	260
अध्याय– 18		राज्य सरकारों द्वारा एन.एच.आर.सी. की संस्तुतियों को स्वीकार न करना	261
अध्याय– 19		एन.एच.आर.सी. के प्रभावी कार्यान्वयन में हो रही समस्याएं	263
अध्याय– 20		प्रमुख अनुशंसाओं एवं टिप्पणियों का सारांश	269

अनुलग्नक

1	दिनांक 01/04/2015 से 31/03/2016 तक पंजीकृत मामलों की संख्या दर्शाने वाली तालिका	289
2	वर्ष 2015–16 के दौरान निपटाए गए मामलों को दर्शाने वाली तालिका	291
3	31.03.2016 तक लंबित मामलों की संख्या को दर्शाने वाली तालिका	293
4	वर्ष 2015–16 के दौरान वित्तीय राहत के लिए रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत मामलों की कुल संख्या	295
5	वर्ष 2015–16 के दौरान वित्तीय राहत के लिए रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत मामलों की कुल संख्या	297
6	वित्तीय राहत के भुगतान हेतु वर्ष 2014–15 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण	321
7	वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन के लिए वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2013–14 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण	325
8	स्वास्थ्य देख–रेख के अधिकार पर पश्चिम क्षेत्रीय जन सुनवाई स्वास्थ्य देखरेख के अधिकार पर प्रणालीगत मुद्दों एवं मामला अध्ययनों के संबंध में दिनांक 7 जनवरी, 2016 को विभिन्न सत्रों से गुजरात सरकार के लिए की गई संस्तुति	335

9	स्वास्थ्य देख–रेख के अधिकार पर पश्चिम क्षेत्रीय जन सुनवाई स्वास्थ्य देखरेख के अधिकार पर प्रणालीगत मुद्दों एवं मामला अध्ययनों के संबंध में दिनांक 7 जनवरी, 2016 को विभिन्न सत्रों से महाराष्ट्र सरकार के लिए की गई संस्तुति	339
10	स्वास्थ्य देख–रेख के अधिकार पर पश्चिम क्षेत्रीय जन सुनवाई स्वास्थ्य देखरेख के अधिकार पर प्रणालीगत मुद्दों एवं मामला अध्ययनों के संबंध में दिनांक 7 जनवरी, 2016 को विभिन्न सत्रों से राजस्थान सरकार के लिए की गई संस्तुति	344
11	एन.एच.आर.सी. ने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए उपयुक्त निर्देशों की मांग के उद्देश्य से 13 प्रमुख मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की जिससे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में मौजूदा स्थिति में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।	349
12	नई दिल्ली में 4 सितंबर 2015 को आयोजित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पर राज्य स्वास्थ्य सचिवों की बैठक की सिफारिशें	352
13	वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति	358
14	मानव अधिकार समर्थकों के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करने हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र	369
15	मानव अधिकार समर्थकों के लिए सहायता जारी रखने हेतु दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 (मानव अधिकार समर्थक दिवस) को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का संदेश	370

चार्ट एवं ग्राफ

1	वर्ष 2015–16 के दौरान रा.मा.अ.आ. में पंजीकृत राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार मामलों की संख्या का ग्राफ	377
2	वर्ष 2015–16 के दौरान रा.मा.अ.आ. में पंजीकृत राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार मामलों की संख्या की तालिका	378
3	वर्ष 2015–16 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा स्वतः संज्ञान के रूप में राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार पंजीकृत मामलों की संख्या का ग्राफ	379
4	वर्ष 2015–16 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा स्वतः संज्ञान के रूप में राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार पंजीकृत मामलों की संख्या की तालिका	380
5	वर्ष 2015–16 के दौरान हिरासतीय मौत/बलात्कार के संबंध में रा.मा.अ.आ. में पंजीकृत सूचना पर राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ग्राफ	381
6	वर्ष 2015–16 के दौरान हिरासतीय मौत/बलात्कार (न्यायिक) के संबंध में रा.मा.अ.आ. में पंजीकृत सूचना पर राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार तालिका	382
7	वर्ष 2015–16 के दौरान हिरासतीय मौत/बलात्कार (पुलिस) के संबंध में रा.मा.अ.आ. में पंजीकृत सूचना पर राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार तालिका	383

8	वर्ष 2015–16 के दौरान एन.एच.आर.सी. द्वारा एस.एच.आर.सी को हस्तांतरित मामले	384
9	वर्ष 2015–16 के दौरान एन.एच.आर.सी. द्वारा निपटान किए गए मामलों की संख्या का राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रवार ग्राफ	385
10	वर्ष 2015–16 के दौरान एन.एच.आर.सी. द्वारा प्रथम दृष्टया खारिज़ मामले	386
11	वर्ष 2015–16 के दौरान एन.एच.आर.सी. निर्देशों के साथ निपटान किए गए मामले	387
12	वर्ष 2015–16 के दौरान एन.एच.आर.सी. द्वारा एस.एच.आर.सी को हस्तांतरित मामले	388
13	वर्ष 2015–16 के दौरान एन.एच.आर.सी. द्वारा निपटान किए गए मामले	389
14	कुल पंजीकृत मामले (2013–2014 से 2015–2016)	390
15	वर्ष 2015–16 के दौरान हिरासतीय मौत/बलात्कार (पुलिस) के संबंध में पंजीकृत और निपटाए गए मामलों की संख्या	391

संक्षिप्तियाँ 393

अध्याय - 1

परिचय

1.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की यह रिपोर्ट 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि की है। यह आयोग की तेइसवीं वार्षिक रिपोर्ट है।

1.2 आयोग की बाईसवीं वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 की अवधि शामिल है, को की गई कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन तैयार करने तथा ''मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993'' की धारा 20 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करने के लिए 8 मई, 2016 को केंद्र सरकार को सौंपी गई थी।

1.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दिनांक 11 मई, 2015 को आयोग का कार्यालय छोड़ा। दिनांक 13 मई, 2015 को आयोग के वरिष्ठतम सदस्य न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष का पद ग्रहण किया और वे दिनांक 28 फरवरी, 2016 तक इस पद पर बने रहे। दिनांक 29 फरवरी, 2016 को न्यायमूर्ति श्री एच.एल. दत्तू ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। आयोग में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति श्री दत्तू दिनांक 28 सितम्बर, 2014 से 2 दिसम्बर, 2015 तक भारत के मुख्य न्यायाधीष के पद पर रहे थे। न्यायमूर्ति श्री डी मुरूगेसन और श्री एस.सी. सिन्हा ने आयोग के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं देना जारी रखा।

1.4 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3(3) में प्रावधान है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष उन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य माने जाएंगे जो पी.एच.आर.ए. की धारा 12 के खंड (ख) से (ञ) में निर्दिष्ट किए गए हैं। तदनुसार पी. एल. पुनिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, डॉ. रामेष्वर ओरांव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष तथा श्री नसीम अहमद, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सुश्री ललिता कुमारमंगलम, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मानद सदस्य के रूप में बने रहे।

1.5 श्री सत्य नारायण. मोहंती, आई.ए.एस. (1980: आंध्र प्रदेष कैडर तथा बाद में तेलंगाना कैडर) जो इससे पहले सचिव, उच्चतर षिक्षा विभाग, मानव संसाधन विभाग के पद पर कार्यरत थे, ने श्री राजेष किषोर (1980: गुजरात कैडर) के स्थान पर दिनांक 3 जून, 2015 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद ग्रहण किया। श्री जे.एस. कोचर तथा डॉ. रंजीत सिंह ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में क्रमषः संयुक्त सचिव (प्रषिक्षण एवं अनुसंधान) और संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रषासन) के पद पर कार्य करना जारी रखा। दिल्ली उच्च न्यायिक सेवाओं के एक अधिकारी श्री सी.के. चतुर्वेदी जिन्होंने जिला न्यायाधीष के पद पर कार्य किया, ने दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 को रजिस्ट्रार (विधि) के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कार्यभार ग्रहण किया।

1.6 वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत परिकल्पित विविध कार्यों के अनुरूप व्यापक गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। आयोग ने देष के विभिन्न भागों में पुलिस कार्मिकों द्वारा प्रयोग किए गए अत्यधिक बल जिसके कारण कई लोगों की जान गई; पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बलात्कार और मृत्यु; जेलों में कैदियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन; अवैध रूप से बंदी बनाना और प्रताड़ना; मुठभेड़ में मौत; बिजली के करंट के कारण मृत्यु; सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंषन भुगतान में विलम्ब; स्कूलों में षिक्षण तथा मूलभूत सुविधाओं जैसे कि पीने का पानी, शौचालय, सुरक्षित भवन एवं अवसंरचना का अभाव; स्कूलों में मिड–डे–मील खाने

के बाद बच्चों का बीमार होना; आई.वी.एफ. क्लीनिक्स की संदिग्ध गतिविधियां; बच्चों एवं महिलाओं का यौन उत्पीड़न, बलात्कार तथा अवैध व्यापार; काला जादू करने का आरोप लगाकर व्यक्तियों की हत्या; किसानों द्वारा आत्महत्या; बच्चों को भीख मांगने के लिए बाध्य करना; आवारा कुत्तों का आतंक; सब्जियों एवं फलों में कीटनाषक; मोतियाबिंद की गलत सर्जरी; दलित बच्चों के लिए पृथक आंगनवाड़ी; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निम्नस्तरीय सुविधाएं जिनके चलते नवजात षिषुओं की मृत्यु; बच्चों के गुमषुदा होने की घटनाओं में वृद्धि; और कमजोर वर्गों जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़ा वर्ग, बच्चे, महिलाएं, अषक्त एवं वृद्धों के प्रति क्रूरता से संबंधित मीडिया रिपोर्टों के साथ–साथ इनके संबंध में प्राप्त षिकायतों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया। इन सभी मामलों में संबंधित राज्य सरकारों को दिषानिर्देष जारी करने और स्थल जांच करने के लिए अन्वेषण प्रभाग से अपनी टीम भेजने के अलावा आयोग ने अधिकार उल्लंघन के पीडितों या उनके निकटतम संबंधियों को मौद्रिक राहत का भुगतान करने और किए गए भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने की भी सिफारिष की।

1.7 आयोग ने आंध्र प्रदेष, तेलंगाना और पुदुचेरी में षिविर बैठकों और खुली सुनवाई का आयोजन किया; मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग के बीच सहयोग और समन्वय के क्षेत्रों का पता लगाया; कुष्ठ रोग; बंधुआ एवं बाल श्रमिकों का बचाव, रिहाई और पुनर्वास; मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार; भोजन का अधिकार; षिक्षा का अधिकार; यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और कल्याण जैसे मुद्दों का समाधान किया और वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा शुरू किए गए भारत के सार्वभौम आवधिक समीक्षा के दूसरे चक्र में उठाए गए मुद्दों, जिनके संबंध में भारत सरकार की सहमति है, पर ध्यान केन्द्रित किया, का समाधान करने में लगा रहा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग महसूस करता है कि यह सब चीजें वर्ष 2017 में होने वाली आवधिक पुनरीक्षा के तीसरे चक्र के लिए स्वतंत्र रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेंगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने प्रषिक्षण एवं इंटर्नषिप कार्यक्रमों, प्रकाषनों, सेमिनारों, कार्यषालाओं, परामर्षों तथा अन्य उपलब्ध माध्यमों से न्यायिक अधिकारियों, पुलिस कार्मिकों, सरकारी कर्मचारियों, मीडिया के लोगों, गैर–सरकारी एवं सभ्य समाज के

संगठनों के प्रतिनिधियों तथा यूनीवर्सिटी एवं कॉलेज के छात्रों जैसे महत्वपूर्ण हितधारियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता के प्रसार को जारी रखा।

1.8 इन मामलों के संबंध में रिपोर्ट के आगे दिए खंडों में और अधिक विस्तार से टिप्पणी की गई है।

(एच.एल. दत्तु)
अध्यक्ष

13/6

(डी. मुरूगेसन)	**(एस.सी. सिंहा)**	**(ज्योतिका कालरा)** 13/6/17
सदस्य	सदस्य	सदस्य

13 जून, 2017
नई दिल्ली

अध्याय - 2

प्रमुख बातें

2.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। आयोग का अधिदेष, मानव अधिकार संरक्षण (संषोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंषोधित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में निहित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यषाला में अंगीकृत किया गया था तथा दिसम्बर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था। यह आयोग, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति भारत की चिंता का प्रतीक है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयोग की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं।

नया अध्यक्ष

2.2 भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति श्री एच.एल. दत्तू ने दिनांक 29 फरवरी, 2016 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सातवें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। आपने न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन, जिन्होंने दिनांक 11 मई, 2015 को कार्यालय छोड़ा था, के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया। जाने–माने विधिक विद्वान न्यायमूर्ति श्री दत्तू कई महत्वपूर्ण निर्णय देने के लिए पहचाने जाते हैं। अपने शानदार कैरियर में आपको दिनांक 21 से 23 मार्च, 2016 तक जिनीवा में आयोजित की गई 29 वार्षिक महासभा के दौरान ग्लोबल एलाईंस ऑफ नेषनल ह्यूमन राईट्स इंस्टीट्यूषन्स (जी.ए.एन.एच.आर.

आई.) के सदस्य के रूप में आम सहमति से चुना गया। जी.ए.एन.एच.आर.आई. को इससे पहले मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में जाना जाता था।

2.3 जी.ए.एन.एच.आर.आई. में न्यायमूर्ति श्री दत्तू की उपस्थिति से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगों को राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों का कार्यान्वयन करने के साथ–साथ महत्वपूर्ण संरक्षण मुद्दों जैसे कि प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहारों, मनमानी गिरफ्तारी और गुमषुदगी की रोकथाम तथा मानव अधिकारों के संरक्षकों की सुरक्षा में सुविधा होगी।

शिकायत प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन

2.4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की तकनीकी मदद से षिकायत प्रबंधन प्रणाली के एक वेब–आधारित स्वरूप का कार्यान्वयन करते हुए अपनी षिकायत प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन किया है। इसके चलते अन्य मॉड्यूल्स में बढ़ावा होने के साथ–साथ सॉफ्टवेयर के वर्तमान मॉड्यूल में सुधार हुआ है, जिससे समग्र रूप से षिकायतों के निपटान में आयोग को काफी सुविधा हुई है। इस साफ्टवेयर में नवीनतम सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग से षिकायतकर्ताओं को अब उनकी षिकायतों के बारे में एस.एम.एस. और ई–मेल के माध्यम से लगातार अद्यतन जानकारी दी जा सकती है।

वास्तविक समय प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

2.5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने वास्तविक समय प्रबंधन प्रणाली को डिजाइन और विकसित किया है जो प्राप्त रिपोर्टों, निपटाई गई और लंबित षिकायतों की एक डैषबोर्ड के माध्यम से आयोग द्वारा कार्रवाई करने हेतु मिनट दर मिनट स्थिति उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंधित अधिकारियों को ई–मेल और एस.एम.एस. के माध्यम से अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु पंजीकृत मामलों के संबंध में लंबित कार्रवाई की संख्या, प्राधिकारियों को भेजे जाने वाले अनुस्मारकों की संख्या तथा प्राधिकारियों या षिकायतकर्ताओं से प्राप्त रिपोर्टों या टिप्पणियों की संख्या की जानकारी भेजी जाती है।

स्थापना दिवस समारोह

2.6 दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि नई दिल्ली में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाष सत्यार्थी थे। न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उदघाटन भाषण दिया। समारोह के दौरान दिल्ली में मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के लिए सरकार द्वारा संचालित आषा–किरन आलय के 10 विषेष बच्चों, जिन्होंने वर्ष 2015 में लॉस एंजेलिस, युनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आयोजित स्पेषल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में पदक जीत का भारत का नाम रोषन किया था, को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए विषेष रूप से आयोजित की गई पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों से संबंधित लेखकों को 'सुषासन, सामाजिक न्याय और मानव अधिकार' विषय पर हिन्दी में सर्वोत्तम निबंध लिखने के लिए पुरस्कार दिए गए। स्थापना दिवस समारोह का समापन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से किया गया जिसमें आषा किरन के विषेष बच्चों ने प्रदर्षन किया।

दृष्टि बाधित बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता

2.7 मानव अधिकार दिवस समारोह के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिनांक 30 नवम्बर, 2015 को नेषनल एसोसिएषन फॉर ब्लाईंड के सहयोग से दृष्टि बाधित बच्चों के लिए ऑन दि स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का आयोजन दो आयु वर्गों के लिए किया गया अर्थात 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए और 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। दोनों वर्गों में दिए गए पुरकार में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान के लिए प्रमाणपत्र सहित क्रमषः 10,000/–रु., 8,000/–रु. और 6,000/–रु. की राषि प्रदान की गई।

मानव अधिकार पुरस्कार के लिए लघु फिल्मों की प्रतियोगिता

2.8 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पहली बार विविध मानव अधिकार मुद्दों पर अंग्रेजी और किसी भी भारतीय भाषा में अधिकतम 10 मिनट की अवधि की लघु फिल्मों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की थीं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को कुल मिला कर 44 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं जिसमें से छः सदस्यों वाले न्यायमंडल ने तीन लघु फिल्मों को क्रमषः 1,00,000/– रु., 75,000/– रु. और 50,000/– रु. के पुरस्कार के लिए चुना। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए चुनी गई तीन लघु फिल्मों के नाम क्रमषः 'दि राइस मिल स्टोरी (तमिल)', 'सपनों का बसर (हिन्दी)' और 'कुल्फी'(तमिल) है जो क्रमषः चेन्नई के श्री ए. कृष्णन, कोलकाता के श्री आदित्य कपूर और पलक्कद के श्री विवेक के.आर. द्वारा बनाई गई थीं। यह पुरस्कार मानव अधिकार दिवस पर प्रदान किए गए थे।

मानव अधिकार दिवस समारोह और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रकाशन जारी करना

2.9 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 को डी.आर.डी.ओ. ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में मानव अधिकार दिवस समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति श्री टी.एस. ठाकुर थे। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिज्जू विषिष्ट अतिथि थे। न्यायमूर्ति श्री ठाकुर ने फोटो प्रदर्षनी के साथ–साथ बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की प्रदर्षनी का उदघाटन किया जिसमें दृष्टि बाधित बच्चों द्वारा बनाई गई चित्रकला शामिल थी और उन्होंने आयोग के छः प्रकाषन भी जारी किए। न्यायपूर्ति श्री सिरियक जोसफ, तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष ने इस अवसर पर उदघाटन भाषण दिया। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में चुनिन्दा लघु फिल्मों का एक फैस्टिवल भी आयोजित किया गया।

2.10 पहली बार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मानव अधिकार दिवस कार्यक्रम का दूरदर्षन पर सीधा प्रसारण किया गया। मानव अधिकार दिवस की पूर्वसंध्या पर न्यायपूर्ति श्री सिरियक जोसफ ने भी जनता को संबोधित किया।

राष्ट्रीय आयोगों की पहली सचिव स्तरीय बैठक

2.11 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के खंड (ख) से (ञ) में विनिर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों के रूप में मानित राष्ट्रीय आयोगों की पहली सचिव स्तरीय बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2016 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव श्री सत्य एन. मोहंती की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को राष्ट्रीय आयोगों के साथ सी.एम.आई.एस. के माध्यम से आपस में जोड़ना, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संमिलन को सुदृढ़ बनाना, वर्ष 2012 में जिनीवा में हुई द्वितीय सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई 67 सिफारिषों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा ढांचा तैयार करना, महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के मामलों को जारी रखने और दांडिक विधि (संषोधन) अधिनियम, 2013 को प्रभावी बनाना आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

आयोग की बैठकें

2.12 पूर्ण आयोग ने अपनी 49 बैठकों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के 493 मामलों पर चर्चा की और निर्णय दिया। इसके अतिरिक्त, दो विभागीय पीठों ने 45 बैठकों में 496 मामलों पर विचार किया। आयोग की खुली अदालतों में कष्मीरी विस्थापितों के आठ मामलों पर आगे विचार किया गया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शिविर बैठकें

2.13 आयोग, लंबित षिकातयों के तीव्र निपटान और राज्य के पदाधिकारियों को विषिष्ट महत्व के मानव अधिकारों के प्रति सुग्राही बनाने के लिए राज्यों की राजधानियों में षिविर बैठकों का आयोजन करता रहता है। इस वर्ष आयोग ने केरल के थिरुवनंतपुरम (8–10 अप्रैल, 2015) में और आंध्र प्रदेष और तेलंगाना राज्यों के हैदराबाद (22–24 अप्रैल, 2015) में षिविर बैठकों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेषन ने दिनांक 28 से 30 अप्रैल, 2015 तक पुदूचेरी में एकल पीठ षिविर बैठक का आयोजन किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जन सुनवाइयां

2.14 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने थिरुवनंतपुरम, केरल (8 अप्रैल, 2015) में और आंध्र प्रदेष एवं तेलंगाना राज्यों के लिए हैदराबाद (22 अप्रैल, 2015) में अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचार के संबंध में जन सुनवाई का आयोजन किया।

तृतीय सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा 2017 – यू.पी.आर.–2 की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा क्षेत्रीय परामर्शी का संगठन

2.15 वर्ष 2017 में तृतीय सार्वभौमिक आवधिक पुनरीक्षा की ओर भारत की मानव अधिकार परिस्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद को एक स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देष्य से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई प्रत्येक 67 सिफारिषों पर निगरानी योग्य परिणामों सहित अपेक्षित कार्रवाई को इंगित करते हुए एक ढांचा विकसित किया। इस ढांचे को भारत सरकार के 16 संबंधित मंत्रालयों के साथ साझा किया गया और उन मंत्रालयों के संबंधित सचिवों/संयुक्त सचिवों के साथ बैठक में अनुवर्ती कार्रवाई की गई। इसके बाद, भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई 67 सिफारिषों के संबंध में बुनियादी स्तर पर मानव अधिकार संबंधी परिस्थिति को जानने के लिए अक्टूबर, 2015 में भारत के उत्तरी राज्यों के लिए पंजाब विष्वविद्यालय के सहयोग से चंडीगण में और दूसरा फरवरी, 2016 में वेस्ट बंगाल नेषनल यूनीवर्सिटी ऑफ ज्यूरीडिकल साईंसिज के सहयोग से पूर्वी एवं मध्य राज्यों के लिए कोलकाता में – दो क्षेत्रीय परामर्ष आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सूचना का प्रचार–प्रसार और मीडिया के साथ संवाद

2.16 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपनी मीडिया एवं कम्यूनीकेषन (एम. एंड सी.) यूनिट के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्रियाकलापों के बारे में विभिन्न तरीकों से सूचना का प्रचार–प्रसार किया। इसमें प्रेस रिलीज़ और वक्तव्य, मीडिया ब्रीफ, प्रेस कांफ्रेंस और आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साक्षात्कार शामिल हैं। एम. एंड सी.

यूनिट, प्रेस क्लिपिंग्स के माध्यम से मीडिया में रिपोर्ट किए गए महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों के बारे में आयोग को फीडबैक उपलब्ध कराता है, जो देष में मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेने का आधार बनता है।

2.17 रिपोर्ट की अवधि के दौरान एम. एंड सी. यूनिट ने आयोग के विभिन्न हस्तक्षेपों एवं क्रियाकलापों के बारे में लगभग 196 प्रेस रिलीज और वक्तव्य तैयार किए और जारी किए। स्वतः संज्ञान लेने के लिए आयोग के समक्ष लगभग कुल 286 समाचार कतरनों को रखा गया। मीडिया में रिपोर्ट किए गए मुद्दों, विषेषतः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका और उसके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के बारे में समग्र ब्यौरा देने के लिए, समाचार पत्रों की कतरनों को दिन प्रतिदिन आधार पर आयोग की वेबसाईट पर डाला गया। इन समाचार पत्रों की कतरनों के मासिक संग्रह को तैयार किया गया और अन्य पुस्तकालयों को प्रचार–प्रसार के प्रयोजनार्थ और पुस्तकालय में आने वाले अन्य सभी के संदर्भ हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पुस्तकालय में भेजा गया।

2.18 समग्र रूप से 10 प्रेस कांफ्रेस और आकाषवाणी, दूरदर्षन तथा अन्य मीडिया संगठनों के साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के 19 साक्षात्कार का आयोजन किया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान देष के विभिन्न भागों में जनवरी, 2016 में मुम्बई में ''वेस्टर्न रीजन पब्लिक हीयरिंग ऑन राईट टू हैल्थकेयर'' और भुवनेष्वर, ओडिषा और राजस्थान में ''बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन'' विषय पर तीन कार्यषाला जैसे कार्यक्रम आयोजित अन्य गतिविधियों के अलावा आयोग की सभी षिविर बैठकों और खुली सुनवाइयों के लिए प्रेस कांफ्रेंस और दिन प्रति दिन मीडिया ब्रीफिंग आयोजितकरने के विषेष प्रयास किए गए।

2.19 इसके अलावा, यूनिट द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मासिक न्यूज़लैटर प्रकाषित किए जाते हैं, जो केन्द्र एवं राज्य स्तर पर सरकार के सभी हितधारकों को, अकादमी/तकनीकी संस्थानों, मीडिया, गैर सरकारी संगठनों और सभ्य समाज के संगठनों आदि को मानव अधिकार मुद्दों के संबंध में और आयोग द्वारा समय–समय पर किए जाने वाले हस्तक्षेपों एवं सिफारिषों के बारे जागरुकता फैलाने हेतु उन्हें निःषुल्क परिचालित किए जाते हैं। इन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वेबसाईट पर भी पोस्ट

किया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्वागत कक्ष आने वाले आगंतुकों को इन न्यूज़लैटर की प्रतियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

2.20 इसके अलावा आयोग के फीडबैक के लिए मीडिया में रिपोर्ट किए गए मानव अधिकार मुद्दों पर एक 'साप्ताहिक न्यूज़ डाइजेस्ट' तैयार किया जाता है, जिसकी एक प्रति मासिक संग्रह के साथ सभी मुख्य पुस्तकालयों को सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है।

शिकायतों की संख्या और प्रकृति

2.21 आयोग को देष के विभिन्न भागों से व्यापक मामलों पर षिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें लागों के अधिकारों का हनन हुआ था अथवा ऐसे हनन को रोकने में किसी लोक सेवक ने लापरवाही दिखाई थी। इन षिकाययतों में कमोबेष हिरासतीय हिंसा, यातना, फर्जी मुठभेड़ पुलिस की बर्बरता, सुरक्षा बलों द्वारा किए गए हनन जेलों से संबंधित स्थिति, महिलाओं एवं बच्चों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर किए गए अत्याचार, सांप्रदायिक हिंसा, बंधुआ एवं बाल मजदूरी, पुनः सुनवाई के लाभों का भुगतान नहीं करना, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही आदि के आरोप वाले मामले शामिल थे। आयोग ने इसके अतिरिक्त पुलिस मुठभेड़ एवं पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत तथा रक्षा/ अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का संज्ञन लिया। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर कई घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया गया, जिनमें वे मामले भी शामिल थे, जो देष के विभिन्न भागों में दौरे के दौरान अध्यक्ष, सदस्यों, विषेष प्रतिवेदकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में आए।

मानव अधिकार हनन के मामले

2.22 वर्ष 2015–2016 के दौरान कुल 1,17,808 मालले आयोग में दर्ज किए गए **(अनुलग्नक–1)**। आयोग ने 1,18,254 मामलों का निपटान किया, जिसमें पिछले वर्षों के मामले भी शामिल थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए कुल मामलों में से 65,220 मामलों को आरंभ में ही खारिज कर दिया गया जबकि 15,975

मामलों का निपटान उचित प्राधिकरणों को उपचारात्मक उपाय के निर्देष के साथ किया गया। कुल 24,622 मामलों को राज्य मानव अधिकार आयोगों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटान के लिए भेजा गया। वर्ष 2015–2016 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा निपटाए गए मामलों के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण के लिए **अनुलग्नक–2** देखें। सूचना की अवधि के अंत में, अर्थात, 31 मार्च, 2016 को आयोग के पास लंबित मामलों की कुल संख्या 40,766 थी। इन मामलों में 2,001 मामले ऐसे थे जिन पर प्रारंभिक विचार होना था तथा 38,765 मामले या तो संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट न मिलने के कारण अथवा आयोग द्वारा विचार न किए जाने के कारण लंबित थे **(अनुलग्नक –3)**।

2.23 नीचे दिए गए ग्राफ में वर्ष 2013–14 से 2015–16 में रा.मा.अ.आ. में दर्ज किए मामलों की कुल संख्या का एक तुलनात्मक विष्लेषण दिया गया है।

दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या
(2013–2014 से 2015–2016)

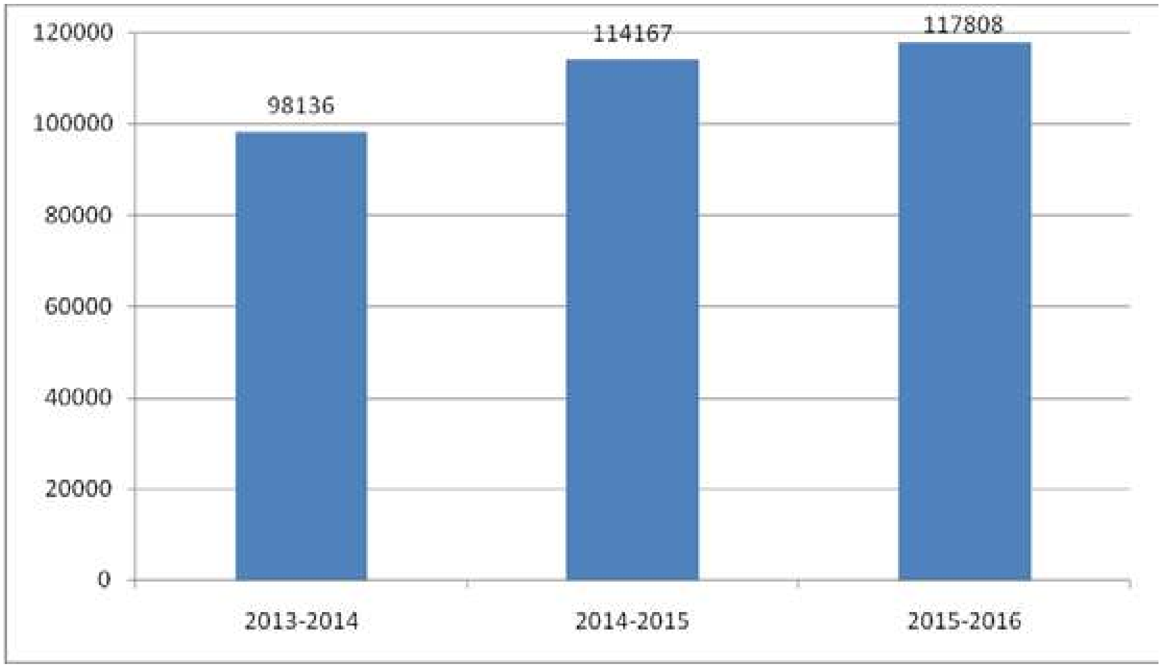

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार

हिरासतीय हिंसा की रोकथाम

2.24 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को वर्ष 2015–2016 के दौरान न्यायिक हिरासत[1] में 1,670 मौत, पुलिस अभिरक्षा में 152 मौत तथा अर्ध सैनिक/रक्षा बलों की हिरासत में 1 मौत की सूचना प्राप्त हुई। आयोग ने हिरासत में मौत के 1,218, न्यायिक हिरासत में मौत के 1,080, पुलिस हिरासत में मौत के 131 तथा अर्ध सैनिक/रक्षा बलों की हिरासत में मौत के 7 मामलों का निपटान किया। इन आंकड़ों में पिछले वर्षों के मामले भी शामिल हैं। पूर्ण विवरण के लिए नीचे दिया गया ग्राफ देखें :–

वर्ष 2015–2016 के दौरान दर्ज एवं निपटाए गए हिरासतीय मौत/बलात्कार की घटनाओं की संख्या

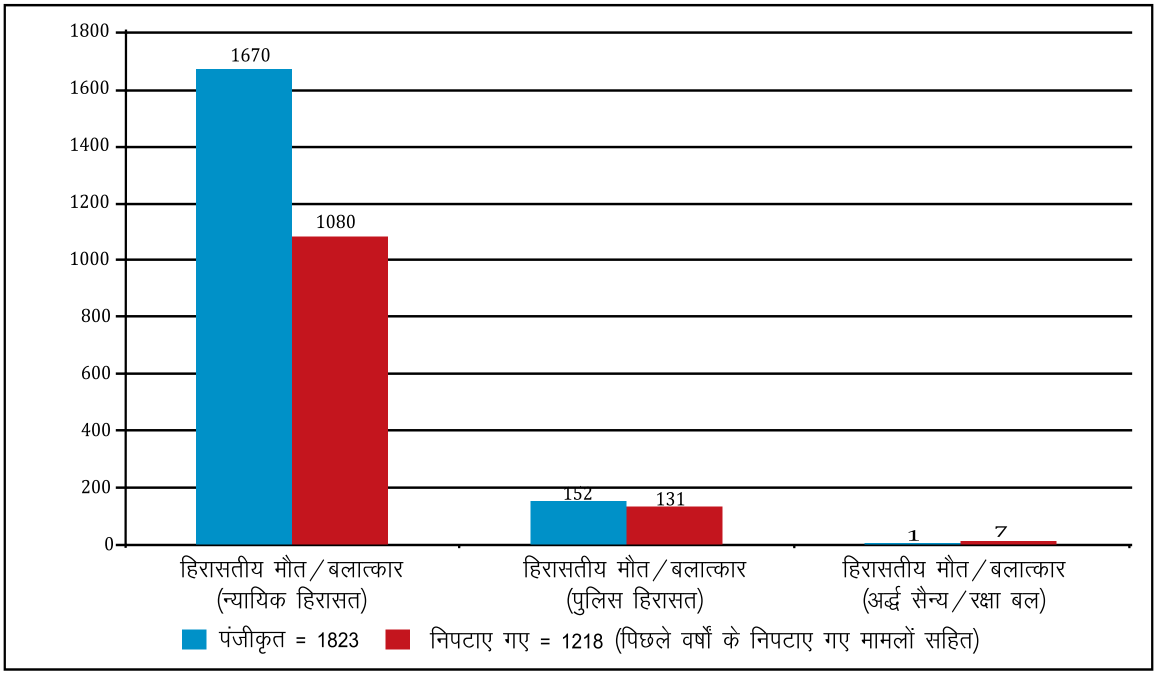

आर्थिक राहत के लिए रा.मा.अ.आ. की सिफारिशें एवं उसका अनुपालन

2.25 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने 332 मामलों में पीड़ितों/मृतकों के निकट संबंधी को मौद्रिक राहत/मुआवजे के भुगतान के रूप में 6,05,60,000/–रु. की सिफारिष

[1] वार्षिक रिपोर्ट में न्यायिक हिरासत का अर्थ न्यायालय के आदेशानुसार जेलों में बंद व्यक्तियों से है।

की। इन 332 मामलों में से जितने मामलों में आर्थिक सहायता की सिफारिष की गई थी, उनमें से केवल 33 मामलों में ही अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई जबकि कुल 50,55,000/–रु. की राषि का भुगतान पीड़ितों/मृतकों के निकट संबंधी को किया गया। इन मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक–4** पर दिया गया है।

2.26 दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान रा.मा.अ.आ. को ऐसे 299 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जिनमें 5,55,05,000 रूपये की मौद्रिक राहत की अनुषंसा की गई थी। इन मामलों में से आयोग ने मामला सं. 984/34/15/08–09 (**अनुलग्नक–5** के क्रम सं. 94 पर उल्लिखित) में रेलवे बोर्ड से सिफारिष की थी कि वो मृतक श्री संजय कुमार अग्रवाल की विधवा श्रीमती संगीता देवी को 5,00,000/–रु. (पांच लाख रु.) का भुगतान करें जिसे भारत संघ द्वारा मध्य–पूर्व रेलवे के सहायक सुरक्षा आयुक्त के माध्यम से रांची के उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) सं0 5974/2015 दर्ज करके चुनौती दी गई। मामला उच्च न्यायालय में लंबित पड़ा है। इसके अलावा, मध्य प्रदेष सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने क्रमषः मामला सं0 2214/12/28/2013 और 2838/13/28/2012 (**अनुलग्नक–5** के क्रमांक 105 और 115 देखें) में पीडित को या मृतक के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत का भुगतान करने संबंधी आयोग की सिफारिष का अनुपालन करने में अपनी अनिच्छा जाहिर की। इसके जवाब में आयोग ने प्रेक्षण किया कि अब इन सिफारिषों का अनुपालन सुनिष्चित करने के लिए पीडित व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना पड़ेगा और इसके बाद आयोग ने मामलों को बंद कर दिया।

2.27 मौद्रिक राहत के संबंध में की गई सिफारिष के अलावा आयोग ने 30 मामलों में दोषी लोक सेवकों के खिलाफ अनुषासनात्मक/विभागीय कार्रवाई की अनुषंसा भी की। श्रीमती निषा सिंह, काउंसलर, वार्ड सं0 30, गुडगांव, हरियाणा को झूठे मामले में फंसाने और हिरासत में प्रताडित करने संबंधी मामला सं. 5888/7/5/2015 को दोषी पुलिस अधिकारी की पत्नी रानी देवी द्वारा चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका सं. 24079/2016 दायर करके चुनौती दी गई। शेष 29 मामलों को अनुपालन संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आयोग द्वारा बंद कर दिया गया। आयोग ने एक बार फिर उन सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों, विषेषतः उत्तर प्रदेष सरकार से उनके यहां लंबित पड़े मामलों पर अनुपालन से संबंधित त्वरित कार्रवाई करने की सिफारिष की ताकि प्रत्येक मामले में पीडितों/निकटतम संबंधी को संस्तुत मौद्रिक

राहत तत्काल ही दी जा सके। अनुलग्नक से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान उत्तर प्रदेष सरकार के पास 94, ओडिषा सरकार के पास 19 तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और झारखण्ड, दोनों के पास 17–17 मामले अनुपालन के संबंध में लंबित थे जिसमें आयोग द्वारा मौद्रिक राहत के रूप में क्रमषः ₹ 1,31,45,000/–, ₹ 30,60,000/–, ₹ 22,30,000/– और ₹ 60,30,000/– की राशि की संस्तुति की गई थी। अवरोही क्रम में बिहार (16/23,45,000), मध्य प्रदेश (14/22,70,000), हरियाणा (13/29,25,000), छत्तीसगढ़ (12/18,60,000), राजस्थान (12/14,45,000), महाराष्ट्र (10/35,00,000), मणिपुर (10/61,00,000), पश्चिम बंगाल (9/18,75,000), और तेलंगाना (8/16,00,000), आंध्र प्रदेश (7/8,30,000), तमिलनाडु (6/9,25,000), गुजरात (5/11,25,000), पंजाब (5/7,25,000), उत्तराखण्ड (5/4,35,000), त्रिपुरा (4/1,30,000), असम (3/4,50,000), कर्नाटक (3/2,50,000), पुदुचेरी (3/8,00,000), हिमाचल प्रदेश (2/2,00,000), केरल (2/1,50,000), अरुणाचल प्रदेश (1/1,00,000), जम्मू एवं कश्मीर (1/5,00,000), मेघालय (1/5,00,000) जैसे कुछ अन्य राज्य अवरोही क्रम में थे जहां पर मामले लंबित थे।

2.28 पिछले वर्ष से संबंधित मामलों की अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में 138 (66 + 72) मामले लंबित थे, ब्यौरे के लिए **अनुलग्नक–6 और 7** देखें।

2.29 **अनुलग्नक–6** में मौद्रिक राहत के भुगतान के संबंध में वर्ष 2014–15 के अनुपालन संबंधी लंबित मामलों का विवरण दिया गया है। जैसा कि स्पष्ट है इस सूची में भी उत्तर प्रदेष राज्य एक बार फिर सबसे ऊपर है क्योंकि आयोग को आज की तारीख तक 24 मामलों, जिनमें से अधिकतर सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं, में भुगतान का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जिन अन्य राज्यों को अभी इस संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट अग्रेषित करना शेष है वे इस प्रकार हैं– बिहार (6), राजस्थान (6), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (5), ओडिषा (5), केरल (3), पष्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2), गुजरात (2), झारखंड (2), मध्य प्रदेष (2), महाराष्ट्र (2), आंध्र प्रदेष (1), असम (1), तमिलनाडु (1), तेलंगाना (1)। इन राज्यों से जुड़े हुए सभी मामले प्रमुखतः सिविल और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं, कुछेक मामले सेना/अर्धसैनिक बल के कार्मिकों सहित महिलाओं के यौन शोषण से, महिलाओं के अनादर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सरकारी अस्पतालों में अनियमितताओं/दुराचारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं सहित महिलाओं के अपरहरण/बलात्कार तथा पेंषन का भुगतान न किए जाने से संबंधित हैं। इन मामलों का विवरण रा.मा.अ.आ. के पहले की वार्षिक रिपोर्टों में दिया

गया है। आयोग एक बार फिर उपरोक्त सभी राज्य सरकारों का आह्वान करता है कि वे आयोगको अपनी अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए ततकाल कदम उठाएं साथ ही हिंसा की घटनाओं को रोकने तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंध रखने वाली महिलाओं सहित महिलाओं के प्रतिभेद भाव को रोकने के लिए विषेष उपाय करने सहित नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों की रक्षा एवं उसकी बहाली के लिए व्यापक कदम उठाएं।

2.30 **अनुलग्नक–7** में वर्ष 2008–09 से 2013–2014 की अवधि के लिए आयोग द्वारा आर्थिक सहायता के भुगतान, अनुषासनिक कार्रवाई एवं अभियोजन के लिए की गई सिफारिषों पर लंबित अनुपालन के मामलों का विवरण दिया गया है। निर्दिष्ट अनुलग्नक में उद्धृत 72 मामलों में से चार मामलों में संबंधित राज्य सरकारों ने अपने–अपने उच्च न्यायालयों में आयोग की सिफारिषों को चुनौती दी है तथा इनमें से अधिकांष मामलों में अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। ये राज्य हैं जम्मू एवं कष्मीर (2), ओडिषा (1) और केरल (1)। आयोग इन सभी राज्य सरकारों से अपील करता है कि वे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इसके अतिरिक्त, आयोग को यह विष्वास है कि **अनुलग्नक–7** में सूचीबद्ध अन्य राज्य आयोग द्वारा की गई सिफारिषों का पालन करेंगे तथा पीड़ितों एवं उनके निकट संबंधी को तत्काल राहत प्रदान करेंगे।

मौके पर जांच

2.31 दिनांक 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 की अवधि के दौरान अन्वेषण प्रभाग ने सिविल, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन संबंधी 108 मामलों के बारे में मौके पर जांच की। यह मामले हिरासत में हुई मौतों/बलात्कारों; पुलिस कार्मिकों द्वारा यौन शोषण; हिरासतीय प्रताड़ना; झूठे मामले में फंसाना, गैर–कानूनी रूप से गिरफ्तार करना; बंधुआ एवं बाल श्रम; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों पर अत्याचार; सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय लापरवाही तथा उचित चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव; राज्य के विभिन्न प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण मृत्यु; कारवासों तथा बच्चों के सुधार गृहों की अमानवीय परिस्थितियों आदि से संबंधित थे।

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार

स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार के संबंध में क्षेत्रीय सार्वजनिक सुनवाई

2.32 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अनुसंधान प्रभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, पब्लिक हैल्थ रिसोर्स सोसाइटी, नई दिल्ली तथा जन स्वास्थ्य अभियान के सहयोग से मुम्बई में दिनांक 6 और 7 जनवरी, 2016 को स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार के संबंध में दो दिवसीय पष्चिम श्रेत्रीय सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया। जन स्वास्थ्य अभियान 20 से अधिक नेटवर्क तथा 1000 संगठनों के साथ–साथ देष भर में लोगों के स्वास्थ्य अधिकारों के लिए बहुत बड़ी संख्या में कार्य कर रहे व्यक्तियों से बना हुआ एक सभ्य समाज का गठबंधन है। क्षेत्रीय सुनवाई में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों ने भाग लिया। गैर–सरकारी संगठनों और सभ्य समाज के संगठनों के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में ऐसे षिकायतकर्ताओं जिनके स्वास्थ्य अधिकारों का उल्लंघन हुआ था के साथ–साथ इन राज्यों के सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों ने क्षेत्रीय सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के खाद्य संबंधी कोर समूह का पुनर्गठन

2.33 आयोग ने भारत में भोजन के अधिकार से संबंधित मुद्दों पर आयोग को सुझाव देने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2015 को अपने भोजन के अधिकार संबंधी कोर परामर्षी समूह का पुनर्गठन किया। कोर समूह में सरकार, विष्वविद्यालयों, गैर–सरकारी संगठनों तथा देष भर के सभ्य समाज संगठनों से भोजन के अधिकार के क्षेत्र से 13 विषिष्ट विषेषज्ञ हैं। पुनर्गठित समूह ने दिनांक 14 मार्च, 2016 को अपनी पहली बैठक की।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में स्वच्छ भारत अभियान

2.34 भारत सरकार द्वारा पूरे देष में चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान के भाग के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने वर्ष के दौरान अपने भवन के महत्वपूर्ण स्थानों पर बैनर दर्षाते हुए, कर्मचारियों द्वारा भवन और आसपास के क्षेत्र की आवधिक सफाई, सभी

प्रभागों द्वारा पुरानी फाईलों को नष्ट करने और आयोग की वेबसाईट तथा न्यूजलैटर में इन गतिविधियों के स्नैपशॉट्स पोस्ट करके वर्ष के दौरान सार्थक कदम उठाए। प्राधिकृत नोडल अधिकारियों ने सभी प्रभागीय अध्यक्षों को यह अनुरोध करते हुए परिपत्र भी जारी किए कि वे आयोग द्वारा समय–समय पर चलाए जाने वाले स्वच्छता अभियान में अपना और अपने स्टॉफ की भागीदारी सुनिष्चित करें।

बुजुर्ग व्यक्तियों के मानव अधिकार: कानून, नीतियां और कार्यान्वयन– विशेषत: केरल के संदर्भ में एक अध्ययन

2.35 उपर्युक्त शोध अध्ययन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा फरवरी 2016 में मानवाधिकार केंद्र, उन्नत कानूनी अध्ययन के राष्ट्रीय विष्वविद्यालय, कोच्चि में शुरू किया गया था। अनुसंधान 18 महीनों के अंतराल के भीतर पूरा किया जाना है। इसका मुख्य उद्देष्य सरकार द्वारा उनके लिए विकसित सामाजिक वास्तविकताओं, कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि में बुजुर्ग व्यक्तियों के मानवाधिकारों का आकलन करना है।

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में मानव अधिकारों का देशीय आकलन/राष्ट्रीय अन्वेषण और कल्याण

2.36 उपर्युक्त शोध परियोजना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा महिला एवं स्वास्थ्य सामा–स्रोत समूह, नई दिल्ली और विकास में विधि के साझेदार, नई दिल्ली के सहयोग से मार्च 2016 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देष्य मौजूदा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों के प्रकाष में भारत में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा कल्याण का आकलन करना है। परियोजना की अवधि 12 महीने की है।

मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कोर ग्रुप की बैठक

2.37 दिनांक 15 अप्रैल 2015 को आयोग में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी एन.एच.आर.सी. कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। इसके उद्देष्य देष में मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति में सुधार के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आयोग

द्वारा दायर की गई याचिकाओं के संबंध में की जाने वाली भावी कार्रवाईयों के साथ—साथ आयोग द्वारा अब तक की गई पहल के बारे में चर्चा करना था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री एस0 सी0 सिन्हा ने उपरोक्त बैठक की अध्यक्षता की थी।

कुष्ठ रोग संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

2.38 रा.मा.अ.आ. द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में कुष्ठ रोग संबंधी एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके दो—सूत्रीय उद्देष्य थे : (i) दिनांक 18 सितम्बर, 2012 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कुष्ठरोग सम्मेलन के सुझावों/सिफारिषों का अनुपालन; और (ii) कुष्ठरोग से जुड़ी चिंताओं के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना और उनसे निपटने के लिए यथोचित रणनीति सुझाना। सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन द्वारा किया गया। सम्मेलन के उदघाटन सत्र में बोलते हुए श्री भानु प्रताप शर्मा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने देष में कुष्ठ रोग की समस्या को नियंत्रित करने में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाष डाला।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में राज्य स्वास्थ्य सचिवों की बैठक

2.39 रा.मा.अ.आ. द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2015 को इंडिया इंटरनेषनल सेंटर, नई दिल्ली में राज्य के स्वास्थ्य सचिवों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के उद्देष्यों में (i) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.एम.एच.पी.) विषेषतः जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने के तरीकों पर विचार—विमर्ष किया गया, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक तथा मानवषक्ति विकास; (ii) एन.एम.एच.पी. के विभिन्न घटकों के लिए भारत सरकार द्वारा आबंटित की गई निधियों के बेहतर उपयोग के बारे में रणनीति तैयार करना; (iii) राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्वास सहित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी बेहतर कार्यप्रणालियों का आदान प्रदान करना; और (iv) समुदाय में उपचारित मरीजों के यथोचित पुनर्वास के तरीको

पर विचार करना आदि शामिल है। बैठक का शुभारंभ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ द्वारा किया गया था और बैठक में आयोग के सभी सदस्यों, विषेष प्रतिवेदकों और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों, स्वास्थ्य सचिवों या सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से उनके प्रतिनिधि अधिकारियों; मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के विषेषज्ञों; और मानसिक देखभाल अस्पतालों के अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम

2.40 आयोग ने वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान मानव अधिकारों एवं संबंधित मुद्दों के 70 संस्थानों के 90 कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की जिनमें से 59 संस्थानों द्वारा 71 कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014–15 के दौरान आयाजित किए जाने वाले 09 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे कार्यक्रमों की कुल संख्या 80 हो गई।

लिंग संवेदीकरण पर प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम

2.41 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कर्नाटक पुलिस अकादमी, यू.एन. वूमिन मल्टी कंट्री ऑफिस और सेंटर फॉर सोषल रिसर्च, नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 5 से 7 मई, 2015 तक कर्नाटक पुलिस अकादमी, मैसूर में लिंग संवेदीकरण पर तीन दिवसीय प्रषिक्षु प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन द्वारा किया गया था। इस अवसर पर डॉ. रेबेका रिचमैन टावारेस, यू.एन. मल्टी कंट्री ऑफिस और श्रीमती मीरा सी. सक्सेना, सदस्य, कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग भी उपस्थित थे।

न्यायिक अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

2.42 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 3 से 4 अक्टूबर, 2015 तक जिला स्तर के न्यायिक अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ रा.मा.अ.आ. के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ द्वारा किया गया और न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेसन, सदस्य, रा.मा.अ.आ. ने मुख्य अतिथि के रूप में समापन सत्र को संबोधित किया।

नशीली दवाओं की रोकथाम संबंधी जागरुकता कार्यक्रम

2.43 आयोग ने दिनांक 18 फरवरी, 2016 को डी.एम. कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेषन, इम्फाल में मणिपुर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी एवं उच्चतर षिक्षा विभाग, मणिपुर सरकार द्वारा नषीली दवाओं की रोकथाम के संबंध में संयुक्त रूप से एक दिवसीय राज्य स्तरीय जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जागरुकता कार्यक्रम में इम्फाल और मणिपुर के आसपास के जिलों में स्थित मणिपुर यूनिवर्सिटी के भिन्न–भिन्न कॉलेजों के 450 छात्रों ने हिस्सा लिया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– आई.एल.आई. मीडिया कार्यशाला

2.44 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 12 मार्च, 2016 को संस्थान के परिसर में मीडिया और मानव अधिकारः मुद्दे और चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रषिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री एस.सी. सिन्हा द्वारा किया गया। प्रतिभागियों में मीडियाकर्मी, केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर मीडिया कम्यूनीकेषन के लिए कार्य करने वाले अधिकारी, तथा विधि एवं पत्रकारिता के छात्र शामिल थे।

मानव अधिकारों संबंधी राष्ट्रीय विवाद न्यायालय प्रतियोगिता

2.45 दिल्ली विष्वविद्यालय के विधि संकाय–1 के सहयोग से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 18 से 20 मार्च, 2016 तक मानव अधिकारों पर चौथी राष्ट्रीय विवाद

न्यायालय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ द्वारा किया गया और इसका समापन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेसन द्वारा किया गया। भारत के विभिन्न विधि कॉलेजों और विष्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाली कुल 48 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। विवाद न्यायालय प्रतियोगिता ''किराए की कोख और मानव अधिकार'' पर केन्द्रित थी।

अंतर्राष्ट्रीय

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों ने ए.पी.एफ. के विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में भाग लिया

2.46 श्रीमती सुमेधा द्विवेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक; श्री टी. रवीन्द्रन, अनुभाग अधिकारी और श्रीमती मोनिया उप्पल, निरीक्षक ने दिनांक 13 से 17 अप्रैल, 2015 तक काठमांडू, नेपाल में आयोजित की गई महिलाओं एवं लड़कियों के मानव अधिकार संबंधी कार्यषाला में भाग लिया। इससे पहले, प्रतिभागियों को महिलाओं एवं लड़कियों के मानव अधिकारों के संबंध में पांच सप्ताह का ऑनलाइन प्रक्षिषण दिया गया था।

2.48 श्री डी.एम. त्रिपाठी, अंडर सेक्रेटरी (जनरल एडमिनिस्ट्रेषन) और श्री मुकेष कुमार, सहायक रजिस्ट्रार (विधि) ने दिनांक 4 से 8 मई 2015 तक बांग्लादेष में ढाका में आयोजित युनाईटेड नेषन्स डेकलेरेषन ऑन दि राईट्स ऑफ इंडीजीनियस पीपल (यूएनडीआरआईपी) संबंधी क्षेत्रीय कार्यषाला में भाग लिया।

2.49 डॉ. रंजीत सिंह, संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रषासन) ने दिनांक 5 से 7 मई, 2015 तक थाईलैण्ड के बैंकॉक शहर में व्यापार एवं मानव अधिकार संबंधी प्रषिक्षण में भाग लिया।

2.50 डॉ. संजय दूबे, निदेषक (प्रषासन) ने दिनांक 7 से 8 दिसम्बर, 2015 तक वियनतियाने, लाओ पी.डी.आर. में आयोजित मानव अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय तंत्र संबंधी सेमिनार में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

एशिया पेसेफिक फोरम की ए.जी.एम. तथा द्विवार्षिक सम्मेलन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भागीदारी

2.51 कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायविद श्री सिरियक जोसफ; श्री जी.सी. सिन्हा, सदस्य तथा श्री सत्य एन. मोहंती, महासचिव से गठित एक तीन सदस्यों के षिष्टमंडल ने दिनांक 26 से 28 अगस्त, 2015 तक उलानबातर, मंगोलिया में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की 20वीं वार्षिक महासभा और एषिया पेसेफिक फोरम के द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लिया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के 12वें आई.सी.सी. सम्मेलन में भागीदारी

2.52 तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ और श्री एस.सी. सिन्हा, सदस्य के दो सदस्यों वाले एक षिष्टमंडल ने दिनांक 6 से 10 अक्टूबर, 2015 तक मेरिदा, युकातन, मैक्सिको में हुई आई.सी.सी. ब्यूरो मीटिंग तथा रीजनल एषिया पेसेफिक फोरम मीटिंग सहित मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय के 12वें अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति सम्मेलन में भाग लिया। मैक्सिको के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ओ.एच.सी.एच.आर. तथा आई.सी.सी. के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को प्राप्त करने में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका पर विचार–विमर्ष किया गया।

2.53 दिनांक 8 अक्टूबर, 2015 को न्यायविद सिरियक जोसफ ने ''एस.डी.जी., राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान, गैर–भेदभाव और कमजोर वर्ग'' विषय पर चौथे सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन की समाप्ति पर मेरिडा घोषणापत्र को अंगीकार किया गया जो सभी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा को पूरा करने की दिषा में पेरिस घोषणापत्र के तहत दिए गए अधिदेषों के अनुरूप पारस्परिक क्षमता निर्माण एवं अनुभवों के आदान प्रदान में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के विशेष सत्र में भागीदारी

2.54 कार्यवाहक अध्यक्ष श्री सिरियक जोसफ और श्री जे.एस. कोचर, संयुक्त सचिव (प्रषिक्षण एवं अनुसंधान) ने दिनांक 26 से 28 अक्टूबर, 2015 तक सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के विषेष सत्र में और ग्लोबल एजिंग एण्ड ह्यूमन राईट्स ऑफ ओल्डर पीपल से संबंधित ए.एस.ई.एम. के सम्मेलन में भाग लिया। न्यायविद श्री सिरियक जोसफ ने इस विषेष सत्र में एक शोधपत्र भी प्रस्तुत किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के कॉमनवेल्थ फोरम की द्विवार्षिक बैठक

2.55 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दो सदस्यों वाले षिष्टमंडल जिसमें कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायविद श्री सिरियक जोसफ और डॉ. सविता भाखरी, संयुक्त निदेषक (अनुसंधान) शामिल थे, ने दिनांक 23 से 25 नवम्बर, 2015 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के कॉमनवेल्थ फोरम की द्विवार्षिक बैठक, 2015 में भाग लेने के लिए मालटा का दौरा किया। बैठक के दौरान न्यायविद श्री जोसफ ने भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना, न्यायपालिका और कार्यषैली के बारे में एक प्रस्तुति की। अंत में द्विवार्षिकी बैठक के सी.एफ.एन.एच.आर.आई. परिणामी वकतव्यों को प्रतिभागी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों ने आम सहमति से अंगीकार किया। ये परिणामी वकतव्य बच्चों के जल्दी विवाह और किगाली घोषणापत्र को आगे बढ़ाते हुए बलात् विवाह; अभिव्यक्ति, संघ तथा शांतिपूर्वक एकत्रीकरण की स्वतंत्रता; शासकीय संस्थानों के बीच सहयोग का सुदृढ़ीकरण; और विस्थापन सहित विद्यमान एवं उभरती हुई चिन्ताओं पर आधारित थे। बैठक ने वातावरण परिवर्तन संबंधी वर्ष 1992 के संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के पक्षकारों के 21वें सम्मेलन की प्रतिक्रिया में कॉमनवैल्थ एन.एच.आर.आई. की ओर से वातावरण न्याय संबंधी संत जूलियन की घोषणा को भी अंगीकार किया।

ए.पी.एफ. की क्षेत्रीय बैठक, सी.एफ.एन.एच.आर.आई. की वार्षिक बैठक तथा आई.सी.सी. की 29वीं बैठक में भागीदारी

2.56 आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच.एल. दत्तू ने श्री एस.एन. मोहन्ती, महासचिव; डॉ0 रंजीत सिंह, संयुक्त सचिव (पी. एंड ए.) के साथ मिलकर दिनांक 21 से 23 मार्च, 2016 तक जिनीवा, स्विट्जरलैण्ड में हुई एषिया पेसेफिक फोरम की क्षेत्रीय बैठक, कॉमनवैल्थ फोरम ऑफ नेषनल ह्यूमन राईट्स इंस्टीट्यूषन (सी.एफ.एन.एच.आर.आई.) की वार्षिक बैठक और मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (आई.सी.सी.) की 29वीं बैठक में भाग लिया। 29वीं वार्षिक बैठक महत्वपूर्ण थी क्योंकि आई.सी.सी. का नाम बदल कर ग्लोबल अलाईंस ऑफ नेषनल ह्यूमन राईट्स इंस्टीट्यूषन (जी.ए.एन.एच.आर.आई.) किया गया। जिनीवा में जी.ए.एन.एच.आर.आई. के ब्यूरो के सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति श्री दत्तू का नाम आम सहमति से चुने जाने के लिए उभर कर आया। अब भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मंगोलिया, कतर और ऑस्ट्रेलिया के साथ एषिया पेसेफिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के संबंध में जागरुकता का सृजन और प्रसार करने की दिषा में आयोग के कार्यों पर सूक्ष्म दृष्टि डालते हुए पहली बार एक 'नॉलिज फेयर' का आयोजन किया।

अध्याय - 3

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगः संगठन तथा कार्य

3.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को संसद के एक अधिनियम, नामतः मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के द्वारा हुआ था। इस अधिनियम को अधिनियमित करने का कारण 'मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण एवं संवर्धन' था। यह एक ऐसा संस्थान है जो न्यायपालिका का अनुपूरक है और देष में लोगों के सांविधिक रूप से निहित मानव अधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन में लगा हुआ है।

3.2 अधिनियम के अनुसार 'मानव अधिकार' का अर्थ है 'संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाओं में सन्निहित और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति विषेष की गरिमा संबंधी अधिकार'। ''अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाओं'' का अर्थ है सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाएं; आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाएं; महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय; बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय और हर प्रकार के जातीय भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय। भारत सरकार ने वर्ष 1979 में सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा को स्वीकार किया था। भारत सरकार ने वर्ष 1993 में महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय, वर्ष 1991 में बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय और वर्ष 1968 में हर प्रकार के जातीय भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय की अभिपुष्टि की। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि भारतीय संविधान उन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखता है जिनका उल्लेख

उपरोक्त संविदाओं में किया गया है। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा में उल्लिखित कई अधिकार भारतीय नागरिकों को उसी समय उपलब्ध हो गए थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था क्योंकि यह अधिकार प्रमुख रुप से संविधान के भाग III और भाग IV में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देषक सिद्धांत जैसे शीर्ष के तहत दिए गए हैं।

3.3 आयोग को 'स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वायत्ता और व्यापक अधिदेष' उपलब्ध कराना निर्विवादित रूप से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की सबसे बड़ी ताकत रही है, जो कि पेरित सिद्धांतों के अनुरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के गठन और उचित कार्यकरण के लिए आवष्यक है। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के संबंध में भारत की चिंता का मूर्त रूप है।

3.4 अपने अस्तित्व में आने से लेकर अब तक भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अनुभव ने यह दर्षाया है कि इसकी संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, अन्वेषण संबंधी शक्तियां, कार्यों का व्यापक विस्तार तथा विषेषज्ञ प्रभाग एवं स्टॉफ से संबंधित स्वतंत्रता और मजबूती, सांविधिक अपेक्षताओं द्वारा गारंटीकृत हैं।

संगठन

3.5 आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्ण कालिक सदस्य तथा चार मनोनीत सदस्य हैं। संविधि में आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएं निर्धारित की गई हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का संगठन

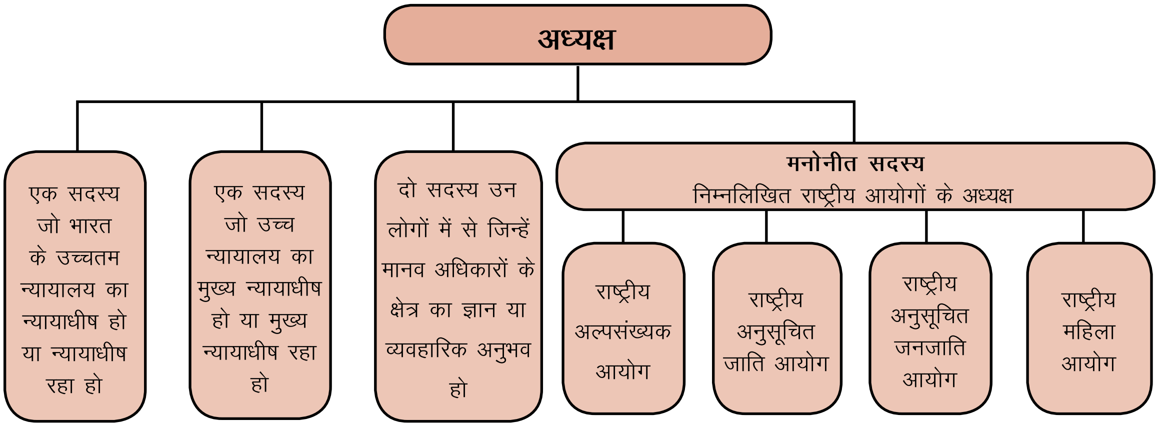

3.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, लोकसभा तथा राज्य सभा में विपक्ष के नेता तथा राज्य सभा के उपसभापति से गठित एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति

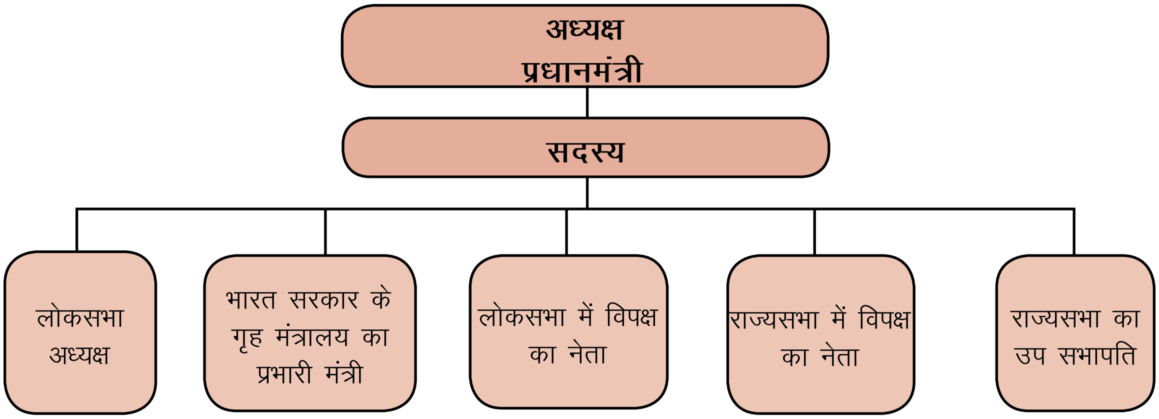

3.7 आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की अर्हताओं से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं के साथ–साथ एक उच्च स्तरीय एवं राजनीतिक रूप से संतुलित समिति द्वारा उनके चयन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यप्रणाली को एक उच्च स्तरीय स्वतंत्रता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

3.8 आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव होता है जो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। आयोग का सचिवालय, महासचिव के समग्र दिशानिर्देशों के तहत कार्य करता है।

जांच से संबधित शक्तियां

3.9 आयोग को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो सिविल कोर्ट किसी वाद के विचारण के समय अपनाता है, विशेषरूप से गवाहों की उपस्थिति हेतु समन करने तथा हाजिर करने तथा शपथ पर उनकी जांच करने; हलफनामे

पर साक्ष्य प्राप्त करने; किसी पब्लिक रिकॉर्ड को मांगने अथवा किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से उनकी प्रति मांगने; तथा निर्धारित किए गए किसी अन्य मामले के संबंध में।

3.10 गंभीर मामलों में स्वतः संज्ञान लेना एक ऐसी अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जिसका यह ईष्टतम उपयोग करता है, ऐसा यह समाचार पत्रों तथा मीडिया की रिपोर्टों के आधार पर करता है।

कार्यों का वृहत दायरा

3.11 आयोग का अधिदेश बहुत व्यापक हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में दिए गए आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं:—

- स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी न्यायालय के निदेश पर आयोग को प्रस्तुत की गई याचिका पर (1) मानव अधिकारों का अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की; या (2) ऐसे अतिक्रमण के रोकने में किसी लोकसेवक द्वारा की गई उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना।
- किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में, जिसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन का कोई आरोप शामिल है, उस न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप करना।
- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने हेतु और इस संबंध में सरकार को सिफारिश करने हेतु वहां का दौरा करना।
- मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।

- आतंकवाद के कारनामे सहित ऐसे कारकों की पुनरीक्षा करना जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना।
- मानव अधिकारों से संबंधित संधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।
- मानव अधिकारेां के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना।
- समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरुकता का संवर्धन करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- ऐसे अन्य कार्य करना, जो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए इसके द्वारा आवश्यक समझा जाए।

विशेषज्ञ प्रभाग तथा स्टॉफ

3.12 आयोग के पांच प्रभाग हैं, वे हैं– (i) विधि प्रभाग, (ii) अन्वेषण प्रभाग, (iii) नीति अनुसंधान, परियोजना तथा कार्यक्रम प्रभाग, (iv) प्रशिक्षण प्रभाग, तथा (v) प्रशासनिक प्रभाग।

3.13 आयोग का विधि प्रभाग पीड़ित अथवा उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों पर अथवा हिरासतीय मृत्यु, हिरासत में बलात्कार, पुलिस कार्रवाई में मौत के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त होने पर दर्ज लगभग 1 लाख मामलों का पंजीकरण तथा निपटारा करता है। प्रभाग को पुलिस/न्यायिक हिरासत में मौत, रक्षा/अर्द्ध सैनिक बलों की हिरासत में मौत के संबंध में भी सूचना प्राप्त होती है। वर्ष 2015–16 के दौरान 1,17,808 शिकायतें आयोग में प्राप्त हुई। आयोग में प्राप्त सभी शिकायतों को एक डायरी सं. दी जाती है तथा उसके बाद

शिकायत प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) सॉफ्टवेयर, जिसे विशेषरूप से इसी उद्देश्य के लिए बनया गया है, का प्रयोग करके उनकी छान–बीन की जाती है तथा प्रक्रिया शुरू की जाती है। शिकायत का पंजीकरण करने के पश्चात् उन्हें आयोग के समक्ष उसके निर्देशों के लिए रखा जाता है तथा उसके अनुसार, प्रभाग द्वारा उन मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है, जब तक उनका अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता। महत्वपूर्ण प्रकृति के मामलों को पूर्ण आयोग द्वारा उठाया जाता है तथा पुलिस हिरासत अथवा पुलिस कार्रवाई में मौत से संबंधित मामलों पर खंड पीठों द्वारा विचार किया जाता है। कुछ मामलों पर खुली अदालती सुनवाई में आयोग की बैठकों में विचार किया जाता है। यह प्रभाग लंबित शिकायतों के निपटान में तेजी लाने तथा मानव अधिकार के मुद्दों पर राज्य प्राधिकारियों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से राज्य की राजधानियों में शिविर बैठकों का भी आयोजन करता रहा है। आयोग देश में अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार के संबंध में खुली सुनवाई भी आयोजित कर रहा है ताकि अनुसूचित जातियों के प्रभावित व्यक्तियों से सीधे सम्पर्क स्थापित हो सके। आयोग मानव अधिकारों की बेहतर सुरक्षा और संवर्द्धन के लिए उसे संदर्भित विभिन्न विधेयकों/प्रारूप विधानों पर भी अपनी राय/ विचार देता है। विधि प्रभाग ने ''एनएचआरसी एण्ड एचआरडी'' 'बढ़ता समन्वय' नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। इस प्रकाशन को समाज के विभिन्न वर्गों से उत्साहबर्द्धक फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं। मानव अधिकार संरक्षक जो एचआरडी से सम्पर्क करते हैं, उनके लिए एचआरडी (i) मोबाइल न. 9810298900, (ii) फैक्स न. 24651334 तथा (iii) ई–मेलः hrd-nhrc@nic.in के जरिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं।

3.14 इस प्रभाग का मुख्य अधिकारी रजिस्ट्रार (विधि) है, जिसकी सहायता के लिए प्रजेंटिंग अधिकारी, एक संयुक्त रजिस्ट्रार तथा कई उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य सचिवालय स्टाफ होते हैं।

3.15 अन्वेषण प्रभाग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से पूरे देश में स्थल निरीक्षण करता है। इसके अलावा यह आयोग को की गई विविध शिकायतों के संबंध में तथ्यों को एकत्रित करने, पुलिस तथा अन्य अन्वेषण एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों की जांच करने तथा हिरासतीय हिंसा या अन्य दुराचारों की रिपोर्टों की जांच–पड़ताल में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग पुलिस तथा न्यायिक अभिरक्षा में मौत के साथ–साथ

पुलिस मुठभेड़ों में हुई मौतों के संबंध में राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं तथा रिपोर्टों का विश्लेषण करता है। यह प्रभाग, पुलिस या सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी मामलों में भी विशेषज्ञ परामर्श देता है। प्रभाग ने तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता वाली शिकायतों के लिए एक रेपिड एक्शन सैल का गठन किया है। इसके अलावा, यह प्रभाग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12(एच) में परिकल्पित मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करने में प्रशिक्षण प्रभाग की मदद करता है। अन्वेषण प्रभाग की अध्यक्षता, पुलिस महानिदेशक के स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है और उनकी सहायता के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक, कांस्टेबल तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ होता है।

3.16 नीति अनुसंधान, परियोजना तथा कार्यक्रम (पी.आर.पी. एंड पी.) प्रभाग, मानव अधिकारों पर अनुसंधान करता है तथा उनका प्रचार करता है तथा महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों पर सम्मेलन, सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित करता है। जब कभी भी आयोग, अपनी सुनवाई, कार्रवाईयों या अन्यथा इस निर्णय पर पहुंचता है कि कोई विशेष विषय महत्वपूर्ण है, तो उसे पी.आर.पी. एंड पी. प्रभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले एक परियोजना/कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रचलित नीतियों, कानूनों, संधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों की पुनरीक्षा करता है। यह प्रभाग, केन्द्र, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही आयोग की सिफारिशों की मॉनीटरिंग में सहायता करता है। यह प्रभाग, मानव अधिकार साक्षरता के विस्तार तथा मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों के बारे में जागरुकता का प्रसार करने में भी प्रशिक्षण प्रभाग की सहायता करता है। प्रभाग का कार्य संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) तथा संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रशासन), एक निदेशक/संयुक्त निदेशक, एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान परामर्श, अनुसंधान एसोसिएट, अनुसंधान सहायक तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ द्वारा देखा जाता है।

3.17 प्रशिक्षण प्रभाग, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता का विस्तार करने के लिए उत्तरदायी है। अतः यह प्रभाग मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों के बारे में राज्य के विभिन्न सरकारी अधिकारियों तथा कार्यकर्त्ताओं तथा राज्य की एजेंसियों,

गैर सरकारी अधिकारियों, सिविल सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देता है और उन्हें सुग्राही बनाता है। इसके लिए यह प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों/पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के साथ सहयोग करता है। इसके अलावा यह प्रभाग, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए इन्टर्नशिप प्रोग्राम भी आयोजित करता है। प्रभाग का अध्यक्ष एक संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) होता है जिसकी सहायता के लिए वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशि.), एक सहायक तथा अन्य सचिवालयीय स्टाफ होता है।

3.18 प्रशासनिक प्रभाग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की स्थापना, प्रशासनिक एवं संबंधित जरूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा, यह प्रभाग कार्मिकों, लेखों, पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों तथा स्टाफ के सदस्यों की अन्य जरूरतों को भी पूरा करता है। प्रभाग का अध्यक्ष एक संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रशासन) होता है तथा उसकी सहायता के लिए एक निदेशक/उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ होते हैं।

3.19 प्रशासनिक प्रभाग के तहत मीडिया एण्ड कम्यूनिकेशन यूनिट का कार्य प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की गतिविधियों से संबंधित जानकारी का प्रचार करना है। यह प्रभाग 'मानव अधिकार' नामक एक द्विभाषीय मासिक न्यूज़लैटर तथा आयोग के अन्य प्रकाशनों का प्रकाशन करता है। इसके अलावा, यह प्रभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों तथा अपीलों को भी देखता है।

विशेष बिन्दु

3.20 विशेष प्रतिवेदकों की नियुक्ति तथा कोर एवं विशेषज्ञ समूहों के गठन द्वारा आयोग की पहुंच में काफी विस्तार हुआ है। आयोग ने अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए पारदर्शी प्रणाली तथा प्रक्रियाएं तैयार की है। आयोग ने विनियम तैयार करते हुए अपने काम–काज के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं तैयार की हैं।

Satya N. Mohanty
Justice D. Murugesan
Kailash Satyarthi
Justice Cyriac Joseph
S.C. Sinha

National Human Rights Commission
FOUNDATION DAY FUNCTIO
Satya N. Mohanty
Justice D. Murugesan
Kailash Satyarthi
Justice Cyriac Joseph
S.C. Sinha

NHRC AT A GLANCE

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
मानव अधिकार दिवस
HUMAN RIGHTS DAY
10 दिसम्बर 2015
10 DECEMBER 2015

अध्याय - 4

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार

क. आतंकवाद एवं उग्रवाद

4.1 भारत आज आतंकवाद एवं उग्रवाद से लड़ते हुए मानव अधिकारों की रक्षा की भयावह चुनौती का सामना कर रहा है। निर्दोष, निहत्थे एवं अरक्षित लोगों को निशाना बना कर जारी आतंकवाद के भयावह परिदृश्य में मानव अधिकारों की रक्षा का काम और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।

4.2 एक शांत समाज न्याय एवं राज्य के उत्तरदायित्व के खंभों पर टिका होता है। आतंकवाद जैसे विवादित मुद्दे से निपटते समय न्याय की चिंता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आंतकवाद से जुड़े अधिकांश त्रासदियों में ज्यादातर आम लोगों के अधिकारों का हनन होता है।

4.3 आतंकवादियों एवं नक्सलवादियों की गतिविधियों में बढोत्तरी से सुरक्षा बलों की भूमिका और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। उनको घरेलू अशांति को रोकने, महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जब कभी जरूरत हो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलाया जाने लगा है।

4.4 आयोग का यह दृढ़ मत है कि मानव अधिकारों का समुचित पालन करने से शांति एवं सुरक्षा बहाल करने में कोई बाधा नहीं आती है, बल्कि, शांति एवं सुरक्षा कायम रखने तथा आंतकवाद को पराजित करने की किसी भी सार्थक रणनीति में यह एक आवश्यक

घटक है। इसलिए आतंकवाद वरोधी उपायों का उद्देश्य प्रजातंत्र, विधि का शासन एवं मानव अधिकारां की रक्षा होनी चाहिए जो हमारे समाज के मौलिक मूल्य हैं एवं संविधान के मुख्य मूल्य।

4.5 आयोग ने समय–समय पर इस बात को दोहराया है कि आतंकवाद एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जो लोगों को भय से मुक्त रहने के अधिकार को नष्ट कर देता है। आतंकवाद का उद्देश्य लोकतंत्र के ढ़ांचे को ही खत्म करना है। आज के समय में यह मानवता के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर सामने आया है। आतंकवाद के विरूद्ध वैश्विक लड़ाई में भारत महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह लगभग 50 वर्षों से आतंकवाद से लड़ता आया है तथा अपनी सफलता एवं असफलता से इसने काफी कुछ सीखा है। आयोग की कोशिश आतंकवाद से लड़ने में सहयोग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का आह्वान करना है। साथ ही, आयोग ने इस बात पर हमेशा जोर दिया है कि ऐसा करते समय हमारा दृष्टिकोण मानवीय, तार्किक एवं धर्मनिरपेक्ष हो।

(ख) हिरासत में हिंसा एव प्रताड़ना

4.6 देश में हिरासतीय हिंसा और प्रताड़ना अनियंत्रित रूप से जारी है। यह उन लोक सेवकों, जिनके ऊपर कानून को लागू करने की जिम्मेवारी है, के द्वारा किए जाने वाले ज्यादती के बदतर रूप को प्रस्तुत करता है। आयोग बलात्कार, छेड़–छाड़, यातना, पुलिस हिरासत में फर्जी मुठभेड़ जैसे अपराधों को पीडितों के कमजोर एवं मूक वर्गों के मानव अधिकारों की रक्षा करने में व्यवस्थाजनिक असफलता का परिचायक मानता है। इसलिए आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस तरह के अवैध व्यवहारों को रोका जाए तथा सभी मामलों में मानव गरिमा का सम्मान हो। पीड़ितों अथवा उनके निकट संबंधी को मुआवजे की सिफारिश के अतिरिक्त आयोग का प्रयास उस माहौल को खत्म करने की दिशा में भी जारी है, जिसमें पुलिसवाले, लॉकअप एवं जेल की चारदिवारी के अंदर, जहां पीड़ित असहाय होता है, ''यूनिफार्म'' एवं ''अधिकार'' के आवरण तले मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है।

4.7 आयोग ने इस संबध में विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए हैं। ऐसा ही एक दिशानिर्देश यह है कि हिरासत में होने वाली मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर आयोग को देनी होती है। हालांकि हिरासत में होने वाली सभी मौतें अपराध अथवा हिरासत में हिंसा अथवा चिकित्सा लापरवाही का परिणाम नहीं हो सकती है, यह महत्वपूर्ण है कि बिना गहन जांच तथा जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट, मजिस्ट्रेरियल जांच रिपोर्ट आदि जैसी रिपोर्टों के विश्लेषण के कोई धारणा न बनाई जाए। इसलिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन हिरासत में होने वाली मौतों की घटनाओं पर नियंत्रणरखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहरहाल यह पाया गया कि कुछ मौतों की सूचना काफी विलंब से की जाती है तथा कई मामलों में संबंधित प्राधिकारियों को सशर्त समन जारी करने के बाद ही आयोग को रिपोर्ट भेजी जाती है।

4.8 वर्ष 2015–16 में जांच प्रभाग ने हिरासत में मौत के कुल 3848 मामलों का निपटारा किया है, जिनमें न्यायिक हिरासत में मौत के 3606 मामले तथा पुलिस हिरासत में मौत के 242 मामले शामिल हैं। प्रभाग ने सुरक्षा बलों एवं पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत के 156 मामलों का भी निपटारा किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ पैनल में फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने हिरासत में मौत एवं मुठभेड़ में मृत्यु के 204 मामलों में विशिष्ट राय दी है। अन्वेषण प्रभाग ने फर्जी मुठभेड़, झूठे मुकदमें में फंसाने, अवैध रूप से बंदी बनाने, हिरासत में यातना तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन की अन्य शिकायतों में जान के खतरे के आरोपों से संबंधित शिकायतों के संबंध में 1827 मामलों में रिपोर्ट एकत्रित की है तथा इसका विश्लेषण किया है।

ग. महत्वपूर्ण दृष्टांत मामले

क) हिरासत में मौत

न्यायिक हिरासत

1. *केन्द्रीय कारागार, सिवान, बिहार में विचाराधीन कैदी राम अवतार बैठा की मृत्यु (मामला सं. 1679/4/37/2012– जेसीडी)*

4.9 आयोग ने 10 जून 2012 को अधीक्षक, केंद्रीय जेल, सिवान से प्राप्त सूचना कि दिनांक 19 मई, 2012 को एक विचाराधीन कैदी राम अवतार बैठा की मृत्यु हो गई है, के आधार पर मामला संज्ञान लिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपेक्षित रिपोर्टों की मांग की और जांच रिपोर्ट का महसूस किया कि मृतक के मुंह और कंधे से रक्त बाहर आ रहा था इसके अलावा, दाहिने हाथ पर खरोंच के निशान थे, पोस्टमार्टम परीक्षा में नाक, होंठ और माथे पर बाहरी चोटें थीं। डॉक्टरों के अनुसार शॉक और "सिर की चोट" के रक्तस्राव के कारण मृत्यु हुई थी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवान, बिहार ने मजिस्ट्रेरियल जांच कराई और यह पाया गया कि मृत विचाराधीन कैदी राम अवतार बैठा की मृत्यु 19 मई 2012 को जमीन पर गिरने के कारण सिर पर चोट लगने से हुई थी। गिरने के बाद वह सांस ले रहा था और अपने पैरों को इधर–उधर फेंक रहा था जो यह दर्शाता है कि वो गिरने के बाद भी जीवित था। सिवान जेल अस्पताल के डॉक्टर और कम्पाउडर ने स्वीकार किया कि वे घटना के समय जेल में मौजूद नहीं थे। मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जेल अस्पताल के मेडिकल स्टाफ की लापरवाही नजर आ रही है। कैदियों के लिए चौबीस घंटे चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित करना जेल अधिकारियों का यह कर्तव्य था।

4.10 रिकार्ड पर उपलब्ध रिपोर्टों की जांच करने के बाद आयोग ने यह नोट किया कि मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट ने यह पाया था कि जेल प्राधिकारी प्रथम चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने में की गई देरी के लिए जवाबदेह हैं। स्पष्टतः इंगित होता है कि यह मृतक के मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला है। तदनुसार, आयोग ने दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(क)(i) के तहत मृतक के निकट संबंधी को मुआवजे के रूप में 1,00,000/–रु. (केवल एक लाख रु.) की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की।

2. केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में विचाराधीन कैदी की मृत्यु
(मामला सं. 764/30/9/2012– जेसीडी)

4.11 केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली के अधीक्षक ने दिनांक 31 जनवरी, 2012 को आयोग को सूचित किया कि लगभग 25 वर्ष के नईम उर्फ नदीम नामक एक विचाराधीन कैदी जिसे पुलिस स्टेशन सब्जी मंडी, दिल्ली के मामला एफ.आई.आर. संख्या 185/2011 के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 506 के तहत दिनांक 28 जनवरी, 2012 को तिहाड़ जेल में डाला गया था, मृत पाया गया। तिहाड़ जेल में दाखिल किए जाने के समय की गई लिखित कार्रवाई के अनुसार नईम उर्फ नदीम मानसिक बीमारी का मरीज था। दिनांक 29 जनवरी, 2012 को उसने हाईपर एसिडिटी और दाहिने कंधे में दर्द के लिए जेल की डिस्पेंसरी से दवा ली थी लेकिन इसके बाद 30 जनवरी, 2012 की सुबह वह मृत पाया गया।

4.12 आयोग ने दिनांक 21 फरवरी, 2012 को मामले का संज्ञान लिया और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महानिदेशक (अन्वेषण) के माध्यम से अपेक्षित रिपोर्टें प्राप्त कीं। दिनांक 7 मई, 2012 की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट में यह बताया गया कि निःसंदेह ही मृतक को जेल के नियमों के अनुसार उसकी मृत्यु के समय जेल सं. 8/9 में रखा गया। कैदियों को उनके जेल में रहने के दौरान या न्यायालय सुनवाई के दौरान हिरासत में रहते हुए चरस, निकोटीन आदि जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने की अनुमति नहीं होगी है। मृतक के शरीर पर निकोटीन और चरस के तीन पैकेट का मिलना और उसके बाद डॉक्टर की राय कि मृतक विचाराधीन कैदी की मृत्यु निकोटीन जहर के कारण हुई, ने उन परिस्थितियों के बारे में गंभीर प्रश्न उठाया और इसलिए मृतक की मृत्यु वाले दिन जेल सं. 8/9 में किसी अवांछनीय घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, एक अन्य कैदी द्वारा दिए गए बयान, कि उसने दिनांक 28 जनवरी, 2012 को मृतक के होठों के आसपास सफेद झाग देखा, के आलोक में ऐसी संभावना है कि हिरासत से न्यायालय ले जाने या हिरासत में मृतक के साथ कोई अवांछनीय बात हुई होगी। न्यायिक अभिरक्षा के दौरान आरोपी की मृत्यु के पीछे का सत्य जानने के लिए कैदियों, दिनांक 28 जनवरी, 2012 को न्यायालय जाने के दौरान मृतक से मिलने वाले व्यक्तियों की सहायता से एक विशेषज्ञ जांच की आवश्यकता होगी और मृतक के पास मौजूद निकोटीन के संबंध में जेल के अधिकारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

4.13 मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने दिनांक 21 अप्रैल, 2013 को महसूस किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी को ले जाने वाले अधिकारी या कारावास में उस पर नजर रखने वाले अधिकारी लापरवाह थे जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। राज्य, कारावास के कैदियों की सुरक्षा के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार है और कारावास में नईम उर्फ नदीम की मृत्यु– निःसंदेह ही मानव अधिकारों का उल्लंघन था।

4.14 इसके मद्देनजर, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(क)(i) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि मृतक के निकटम संबंधी के लिए मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को भी मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देने का निदेश दिया गया।

4.15 आयोग के निदेशों के अनुपालन में विधि अधिकारी (कारावास), तिहाड़, नई दिल्ली, ने दिनांक 17 जुलाई, 2014 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें यह दावा किया गया कि कारावास प्राधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्योंकि मृतक को दिनांक 28 जनवरी, 2012 को डी.ए.पी., III, बी.एन. की अभिरक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया था और उसमें कहा गया कि आरोपी बिलकुल सही सलामत था। रिपोर्ट में आगे खुलासा किया गया कि मामले को थाना प्रभारी, हरी नगर, नई दिल्ली को सौंपा गया था और पुलिस स्टेशन हरि नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत एफ.आई.आर. संख्या 185/12 दर्ज की गई थी और पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। अतः कारावास प्राधिकारियों पर शास्ति लगाने का कोई मामला नहीं बनता है।

4.16 आयोग ने दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को रिपोर्ट पर विचार किया और महसूस किया कि यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि पोस्ट मार्टम जांच में मृतक के पेट में 03 प्लास्टिक के पैकेट मिले थे और मृतक द्वारा की गई उलटी के नमूनों की जांच में कोन्टीनीन, निकोटीन, चरस और गैर–धातु जहर आदि पाया गया था। डॉक्टर से बाद में मिली जानकारी से पता चला कि विचाराधीन मृतक की मौत निकोटीन जहर के कारण हुई थी। इससे उन परिस्थितियों के बारे में गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है जिसमें मृतक के पास निकोटीन

कोन्टीनीन और चरस पहुंचे, जो उसकी उलटी के नमूनों में पाए गए। मृतक, लगातार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक सेवकों और दिल्ली पुलिस की अभिरक्षा में था। यह तथ्य कि वो न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए भी नशीले पदार्थों का सेवन करता था और उनकी अधिप्राप्ति में भी सक्षम था, यह साबित करने के लिए काफी है कि उक्त प्राधिकारी अपनी ड्यूटी के निर्वहन में लापरवाह थे। जिस दिन उसे तीस हजारी कोर्ट ले जाया जा रहा था अर्थात दिनांक 28 जनवरी, 2012 को शुरूआत में वह कारावास प्राधिकारियों की अभिरक्षा में था और बाद में उसे डी.ए.पी. के सुपुर्द किया गया था। इसके बाद तिहाड़ जेल से तीस हजारी कोर्ट तक के सफर में, तीस हजारी कोर्ट में उपस्थिति के दौरान और तीस हजारी कोर्ट से वापिस तिहाड़ जेल के सफर के दौरान वह डी.ए.पी. की अभिरक्षा में रहा। और, उसके बाद उसे कारावास प्राधिकारियों के सुपुर्द किया गया। इस कारण से इस निर्णय पर पहुंचना काफी है कि कारावास प्राधिकारी और दिल्ली पुलिस, आरोपी विचाराधीन नईम उर्फ नदीम की मौत के मामले में संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं।

4.17 चूंकि उपरोक्त दोनो प्राधिकारियों की लापरवाही सिद्ध हो गई थी, आयोग को इस मामले में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(ग) के तहत मृतक के निकटतम संबंधी को अंतरिम राहत की सिफारिश करने का यह सही मामला लगा। आयोग ने दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को एक सिफारिश की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय, भारत सरकार जो दिल्ली पुलिस से संबंधित मंत्रालय है, द्वारा मृतक के निकटतम संबंधी को 50:50 के अनुपात में 1,00,000/–रु. (एक लाख रुपए केवल) का भुगतान किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव तथा सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को लगातार निदेश दिए गए कि वो आयोग को छः महीने के भीतर भुगतान के साक्ष्य के साथ–साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

पुलिस अभिरक्षा

3. पुदुचेरी पुलिस की अभिरक्षा में देवु सत्तबाबू की मृत्यु
(मामला सं. 56/32/4/2011– पीसीडी)

4.18 आयोग को देवू चंन्द्र काला से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पति देवू सत्तबाबू को पुलिस दिनांक 10 नवम्बर, 2011 को ले गई थी और दिनांक 11 नवम्बर, 2011 को पुलिस अभिरक्षा में उसकी मृत्यु हो गई। महिला द्वारा बाद में यह आरोप भी लगाया गया कि उसे उसके पति से मिलने के अधिकार से भी वंचित रखा गया। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने उसके पति की मृत्यु के संबंध में कोई एफ.आई. आर. दर्ज नहीं की। अतः उसने ड्यूटी पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ–साथ उसके अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे की प्रार्थना की। आयोग को इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, पुदुचेरी से सूचना भी प्राप्त हुई।

4.19 आयोग ने दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 को शिकायत पर संज्ञान लिया और आयोग के निदेशों के अनुसरण में पुलिस उपमहानिदेशक, पुदुचेरी से दिनांक 2 फरवरी, 2015 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें यह कहा गया कि देवू सत्तबाबू की मृत्यु जहर खाने के कारण हुई, यह तथ्य पांच पुलिस अधिकारियों को पता था और इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है। जांच पूरी होने के बाद इस मामले में एक चार्जशीट भी फाईल की गई है।

4.20 रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने दिनांक 28 अप्रैल, 2015 को महसूस किया कि रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया गया है कि मृत्यु पुलिस अभिरक्षा के दौरान हुई थी और अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई थी, अतः मृतक के निकटतम संबंधी को मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। इसलिए आयोग ने शिकायतकर्ता को अर्थात मृतक देवु सत्तबाबू की पत्नी को 3,00,000/– रु. (तीन लाख रुपये केवल) का मुआवजा स्वीकृत किया और पुदुचेरी सरकार के मुख्य सचिव को आठ सप्ताह के अंदर–अंदर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

4.21 अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसमें मृतक के निकटतम संबंधी को 3,00,000/– रु. (तीन लाख रुपये केवल) का भुगतान करने की सूचना दी गई है। आयोग द्वारा मामले को बंद कर दिया गया है।

4. सेंट्रल जेल, दुमका, झारखण्ड में कारावास प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण दिनेश्वर प्रसाद यादव की मृत्यु
(मामला सं. 164/34/5/2013)

4.22 आयोग को बिनय सिन्हा और सेंट्रल जेल, दुमका, झारखण्ड के कई अन्य कैदियों से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिनेश्वर प्रसाद यादव सुपुत्र रामू मेहतो को पुलिस द्वारा झूठे आरोप लगाकर चंदो मेहतो प्रमाणित करते हुए गिरफ्तार किया गया। बाद में यह आरोप भी लगाया गया कि चंदो मेहतो की पहले ही मृत्यु हो गई है लेकिन दिनेश्वर प्रसाद यादव को चंदो मेहतो के नाम से आरोपी बनाया गया और उसे जेल में जेलर और पीडित के विरोधियों की मदद से प्रताडित किया गया। यह आरोप भी लगाया गया कि दिनांक 4 जनवरी, 2013 को जेलर ने उक्त कैदी को बुरी तरह से पीटा था जिसके परिणामस्वरूप वह लगभग 72 घंटे तक बेहोश रहा था। इसके बाद दिनांक 8 जनवरी, 2013 को उसे जेल से देवगढ़ में न्यायालय में पेश होने के लिए ले जाया गया उसके बाद से उक्त कैदी जेल में वापिस नहीं लौटा। शिकायतकर्ताओं को शक है कि न्यायालय ले जाते समय रास्ते में कहीं उसकी हत्या कर दी गई है। उन सभी ने सेंट्रल जेल, दुमका के जेलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

4.23 इस दौरान मेडिकल सुपरइंडेट, आर.आई.एन.पी.ए.एस., कांके, रांची से दिनांक 11 मार्च, 2013 को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि सेंट्रल जेल, दुमका के दिनेश्वर प्रसाद यादव सुपुत्र स्व. श्री मुंदल मेहतो नामक कैदी जिसे दिनांक 9 जनवरी, 2013 को उपचार के लिए रांची इंस्टीट्यूट ऑफ साईकिएटरी एण्ड एलाईड साईंसिस (आर.आई.एन.पी.ए.एस.), कांके में भर्ती किया गया था, ने दिनांक 10 मार्च, 2013 को अस्पताल के शौचालय में आत्महत्या कर ली थी। उक्त सूचना, मामला सं. 377/34/16/2013–जे.सी.डी. के रूप में दर्ज थी। किसी श्याम सुंदर ने भी एक शिकायत भेजी थी जिसमें उसने अपने अंकल दिनेश्वर प्रसाद यादव की मृत्यु के संबंध में सेंट्रल जेल, दुमका के जेलर के खिलाफ यथोचित जांच एवं कार्रवाई की गुहार की गई थी और आरोप लगाया गया था कि जेलर ने किसी भोला पांडेय के माध्यम से दिनेश्वर यादव को गोली से मरवाया है।

श्याम सुंदर की उक्त शिकायत को मामला संख्या 189/34/5/2013 के रूप में पंजीकृत किया गया और बिनय सिन्हा तथा अन्य की शिकायत के साथ मिला दिया गया।

4.24 इसके जवाब में पुलिस अधीक्षक, दुमका ने दिनांक 1 मई, 2013 की रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया कि पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की गई जांच की रपोर्ट से पता चला है कि दिनांक 8 जनवरी, 2013 को सिविल अस्पताल, दुमका के विशेषज्ञ डॉक्टर की सिफारिश पर कैदी डी.पी. यादव उर्फ चंदो मेहतो, जो बीमार था, को पुलिस उपाधीक्षक की अनुमति से उपचार के RINPAS और उसके बाद न्यायालय जाने के लिए जेल से रवाना किया गया था। दिनांक 9 जनवरी से 10 मार्च, 2013 तक उसका उपचार चलता रहा। दिनांक 10 मार्च, 2013 को कैदी ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस उपाधीक्षक, रांची ने अपने दिनांक 11 जुलाई, 2013 के पत्र के माध्यम से कहा कि जांच रिपोर्ट के अनुसार चंदो मेहता उर्फ डी.पी. यादव एक ही व्यक्ति था। मानसिक रूप से बीमार होने के कारण उसे किसी जेल अधिकारी द्वारा प्रताडित या पीटा नहीं गया था और उपायुक्त के साथ–साथ अपर सत्र न्यायाधीश, देवगढ़ ने जेल अधीक्षक को अनुमति दी थी कि उसे उचित उपचार हेतु आर.आई.एन.पी.ए.एस., रांची भेजा जाए।

4.25 कार्यकारी मजिस्ट्रेट, दुमका जिसने उपरोक्त कैदी की मौत के कारण की जांच की थी, ने भी अपनी दिनांक 16 अप्रैल, 2013 की रिपोर्ट में कहा था कि उसने आत्महत्या की थी क्योंकि वह पैरेनॉइड शिजोफ्रेनिआ का मरीज था और उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था।

4.26 अधीक्षक, सेंट्रल जेल, दुमका की दिनांक 22 अप्रैल, 2013 की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि कैदी चंदो मेहता उर्फ डी.पी. यादव, उम्र लगभग 77 वर्ष को दिनांक 3 जुलाई, 2011 को जिला कारागार, देवगढ़ से सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया था। वह असामान्य व्यवहार और अनिद्रा से पीडित था। उसे इलाज के लिए दिनांक 30 दिसम्बर, 2012 को जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में, दिनांक 8 जनवरी, 2013 को उसे बेहतर इलाज के लिए आर.आई.एन.पी.ए.एस., कांके, रांची भेजा गया था जहां उसने 10 मार्च, 2013 को आत्महत्या कर ली थी। कानूनी जांच रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है कि मृतक ने आत्महत्या की थी।

4.27 आयोग ने उपरोक्त रिपोर्टों पर विचार किया जिसमें इंगित किया गया कि मृतक कैदी चंदो मेहतो उर्फ दिनेश्वर पी. यादव, जो कि एक मनोरोगी था, का आर.आई.एन.पी.ए.एस. में इलाज चल रहा था। वह सेंट्रल जेल, दुमका के गार्ड्स की देखभाल और अभिरक्षा में था लेकिन उनकी लापरवाही और कैदी की उचित देखभाल न करने के कारण कैदी को शौचालय के भीतर अपने आपको लटका कर आत्महत्या करने का मौका मिला जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। अतः झारखंड राज्य सरकार, सेंट्रल जेल, दुमका के अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही के संबंध में मृतक कैदी चंदो मेहतो के निकटतम संबंधी/कानूनी हकदारों को मुआवजा देने के लिए प्रथम दृष्टतया जिम्मेदार है।

4.28 अतः आयोग ने दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को निदेश दिया कि झारखंड राज्य सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से छः सप्ताह के अंदर–अंदर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि आयोग द्वारा राज्य सरकार को मृतक कैदी चंदो मेहता उर्फ डी.पी. यादव सुपुत्र मंडल मेहतो के निकटतम संबंधी/कानूनी उत्तराधिकारी को यथोचित मुआवजे के रूप में 1,00,000/– रु. (एक लाख रुपये केवल) का भुगतान करने की सिफारिश क्यों न की जाए। मामले से संबंधित रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

ख) विधिविरुद्ध गिरफ्तारी, गैर–कानूनी नजरबंदी तथा प्रताड़ना

5. पुलिस स्टेशन कैंट, आगरा, उत्तर प्रदेश के कांस्टेबलों द्वारा ग्राम मधका के विजय सिंह और उनके भतीजे जीतेन्द्र सिंह की गैर कानूनी रूप से नजरबंदी और प्रताड़ना।

(मामला सं. 18400/24/1/2013)

4.29 संदर्भित मामला पुलिस स्टेशन कैंट, आगरा के पुलिस कार्मिकों द्वारा दिनांक 6 मई, 2013 को एफ.आई.आर. दर्ज किए बिना गैर कानूनी नजरबंदी और प्रताड़ना से संबंधित है। ग्राम मधका, पुलिस स्टेशन सादाबाद, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश के शिकायतकर्ता विजय सिंह सुपुत्र रामसिंह ने अपनी दिनांक 11 मई, 2013 की शिकायत में कहा है कि दिनांक 6 मई, 2013 को प्रातः 6:45 बजे वह अपने भतीजे के साथ आगरा गए थे। जैसे ही वह आगरा कैंट के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो जीतेन्द्र के ससुर राजवीर सिंह ने गाली–गलौज

करना शुरू कर दिया और पुलिस स्टेशन कैंट के पुलिस कार्मिकों को निदेश दिया कि उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। दोनों शिकायतकर्ताओं अर्थात विजय सिंह एवं जीतेन्द्र सिंह को बिना कोई एफ.आई.आर. दर्ज किए पुलिस स्टेशन कैंट के कारागार में रखा गया और पुलिस कार्मिकों द्वारा प्रताडित किया गया। शिकायतकर्ताओं ने जीतेन्द्र के ससुर तथा शिकायतकर्ता के साथ–साथ उसके भतीजे जीतेन्द्र को प्रताडित करने वाले पुलिस कार्मिकों के खिलाफ यथोचित कार्रवाई करने की अपील की।

4.30 आयोग के निदेशों के अनुसरण में अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण ने पुलिस अधीक्षक, आगरा शहर, जिसने जांच के दौरान विजय सिंह, राजवीर सिंह, दलबीर सिंह, जीतेन्द्र और कांस्टेबल क्लर्क रवीन्द्र सिंह के बयान दर्ज किए थे, की रिपोर्ट को अग्रेषित किया और बताया कि शिकायतकर्ता जीतेन्द्र सिंह के भतीजे का विवाह रजनी से हुआ था। विवाह के बाद दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ। परिणामस्वरूप, रजनी ने महिला पुलिस स्टेशन आगरा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498क/323/504/50/307/406 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के तहत अपराध मामला सं. 135/13 के रूप में दर्ज है। यह मामला सुलह केन्द्र में लंबित था। पुलिस कांस्टेबल रवीन्द्र सिंह ने पीडित जीतेन्द्र सिंह और शिकायतकर्ता विजय सिंह को पुलिस स्टेशन कैंट से उठाया था। उसने इन दोनों के हाथ बांध दिए और आगरा कैंट पुलिस स्टेशन ले गया। अतः पुलिस कांस्टेबल रवीन्द्र सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति/निर्देश के बिना और बिना किसी दर्ज शिकायत के पीडितों को बंदी बनाया जो निर्विवाद रूप से उनके मानव अधिकारों का हनन है। अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के अनुसार विभागीय जांच के दौरान कांस्टेबल रवीन्द्र सिंह दोषी पाया गया और दिनांक 5 सितम्बर, 2013 को उसे तीन दिन के शारीरिक श्रम की सजा दी गई थी।

4.31 आयोग ने मामले पर विचार करने के बाद दिनांक 1 सितम्बर, 2014 को निर्णय दिया कि यह कांस्टेबल रवीन्द्र सिंह द्वारा शिकायतकर्ता और उसके भतीजे के मानव अधिकारों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है और आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को कारण

बताओ नोटिस जारी किया कि पीडितों को मौद्रिक राहत का भुगतान क्यों नहीं किया जाए।

4.32 आयोग दिनांक 29 अगस्त, 2015 को मामले पर पुनः विचार किया और महसूस किया कि दिनांक 9 सितम्बर, 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने आयोग द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। अतः यह मान लिया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य के पास इस मामले में कहने के लिए कुछ और नहीं है। जैसे ही आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि कैंट पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल रवीन्द्र सिंह ने शिकायतकर्ता विजय सिंह और जीतेन्द्र सिंह के हाथ बांधे थे, वह दोषी था और विभागीय जांच के दौरान भी यह सिद्ध हो गया था और बाद में दिनांक 5 सितम्बर, 2013 को उसे तीन दिन के शारीरिक श्रम से दंडित किया गया था। शिकायतकर्ता विजय सिंह और जीतेन्द्र सिंह के मानव अधिकारों का उल्लंघन का मामला होने के कारण आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत दोनों पीडितों अर्थात विजय सिंह और जीतेन्द्र सिंह को मुआवजे के रूप में 50,000/–रु. (प्रत्येक को) की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भुगतान के साक्ष्य के साथ–साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। आयोग को अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद मामले को बंद कर दिया गया।

6. पुलिस द्वारा नई मंडी, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश में मौजवीर सिंह की गैर कानूनी रूप से नजरबंदी।
(मामला सं. 15083/24/54/2013)

4.33 उपरोक्त मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसके पति को पुलिस स्टेशन नई मंडी में गैर–कानूनी रूप से नजरबंद किया गया था। आयोग, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फर नगर द्वारा दिनांक 2 जनवरी, 2014 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था। इसलिए, डी.आई.जी., मेरठ रेंज (उत्तर प्रदेश) से एक निष्पक्ष जांच रिपोर्ट मांगी गई। तदनुसार, डी.आई.जी., मेरठ की दिनांक 12 सितम्बर, 2014 में बताया

गया कि शिकायतकर्ता का पुत्र नितिन, तीन अन्य के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 392/411 के तहत अपराध मामला सं. 280/13 में शामिल है। शिकायतकर्ता के पुत्र ने दिनांक 17 जून, 2013 को न्यायालय में समर्पण किया और इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। जांच अधिकारी को पुलिस स्टेशन नई मंडी की जनरल डायरी में पुलिस स्टेशन नई मंडी के पुलिस कार्मिकों द्वारा दिनांक 22/23 अप्रैल, 2013 को मौजवीर सिंह को उठाने और 6 दिनों तक पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं मिली। जांच अधिकारी द्वारा अन्य संबंधित पुलिस अधिकारियों के बयान रिकार्ड नहीं किए जा सके क्योंकि वे जांच अधिकारी के सामने प्रस्तुत नहीं हो सके थे। लेकिन हैड कांस्टेबल रमेश चंदर (पुलिस स्टेशन नई मंडी के हैड राईटर) के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत और जनरल डॉयरी (जी.डी.), एफ.आई.आर. की जांच के अनुसार जांच अधिकारी इस निर्णय पर पहुंचे कि मामला सं. 280/13 के जांच अधिकारी उप–निरीक्षक रफीक परवेज और पुलिस स्टेशन नई मंडी के एस.एच.ओ. ने मौजवीर सिह के पुत्र नितिन की मामला सं. 392/411 में गिरफ्तारी पर दबाव देने के लिए मौजवीर सिंह को उठाया होगा और उन्हें पुलिस अभिरक्षा में रखा होगा लेकिन पुलिस स्टेशन नई मंडी की जनरल डायरी में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया। अतः निरीक्षक विनोद सिरोही, पुलिस स्टेशन नई मंडी के एस.एच.ओ. और उप–निरीक्षक रफीक परवेज, मामला सं. 280/13 के जांच अधिकारी को शिकायतकर्ता के पति को गैर–कानूनी रूप से पुलिस अभिरक्षा में रखने का जिम्मेदार माना गया।

4.34 आयोग ने पुलिस रिपोर्ट की जांच करने के बाद महसूस किया कि शिकायतकर्ता के पति मौजवीर सिंह को पुलिस स्टेशन नई मंडी की पुलिस द्वारा दिनांक 22/23 अप्रैल, 2013 को उठा लिया गया था और गैर–कानूनी तरीके से 6 दिनों तक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था जिसके लिए निरीक्षक विनोद सिरोही और उपनिरीक्षक रफीक परवेज को जिम्मेदार ठहराया गया था और यह कि निरीक्षक विनोद सिरोही और उपनिरीक्षक रफीक परवेज के कृत्य से शिकायतकर्ता के पति के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निदेश दिया गया कि वो कारण

बताएं कि पीडित मौजवीर को 25,000/– रु. का नकद मुआवजे का भुगतान किए जाने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। इसके जवाब में संयुक्त सचिव, गृह (मानव अधिकार) विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक 19 मई, 2016 को प्राप्त हुए पत्र के माध्यम से बताया कि पीडित मौजवीर को दिनांक 18 अप्रैल, 2016 को 25,000/– रु. की राशि का भुगतान किया जा चुका है। चूंकि, भुगतान का साक्ष्य संलग्न था इसलिए आयोग ने यह निदेश देते हुए मामले को बंद कर दिया कि पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन, उत्तर प्रदेश ओर संयुक्त सचिव, गृह (मानव अधिकार) विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिला पुलिस के निरीक्षक विनोद सिरोही और उपनिरीक्षक रफीक परवेज के खिलाफ आरंभ की गई विभागीय कार्रवाई शीघ्र की पूरी की जाए।

ग) पुलिस द्वारा अत्याचार

7. पुलिस स्टेशन जनकपुरी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा आरिफ के साथ अत्याचार।

(मामला सं. 18702/24/64/2012)

4.35 इस मामले में शिकायतकर्ता का आरोप है कि दिनांक 3 जून, 2012 को प्रातः 10 बजे उनके 17 वर्षीय पुत्र आरिफ को पुलिस स्टेशन जनकपुरी, सहारनपुर के पुलिस कर्मियों ने कुछेक व्यक्तियों, जिन्होंने शिकायतकर्ता के पुत्र से कुछ पैसे वापिस लेने थे, के कहने पर उसकी दुकान से उठा लिया था और पुलिस द्वारा उसकी पिटाई की गई थी। आगे यह आरोप भी लगाया गया कि शिकायतकर्ता ने अपने पुत्र को छोड़ने के लिए थाना प्रभारी से भी गुहार लगाई थी लेकिन उसने भी पैसा मांगने वाले लोगों का पैसा लौटाने पर ही उसे छोड़ने की बात कही। यहां तक कि थाना प्रभारी ने शिकायतकर्ता को यह भी धमकी दी कि वो उसके पुत्र को गलत मामले में फंसा देगा।

4.36 आयोग ने मामले और रिकार्ड पर रखी सामग्री पर विचार करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को निदेश दिया कि शिकायतकर्ता श्रीमती वासिम अख्तर को मुआवजे के रूप में 25,000/–रु. (पच्चीस हजार रुपये केवल) का भुगतान किया जाए।

4.37 इसके जवाब में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) और नोडल अधिकारी (मानव अधिकार), सहारनपुर, उत्तर प्रदेश ने अपने दिनांक 8 जुलाई, 2016 के पत्र के माध्यम से और संयुक्त सचिव, गृह (मानव अधिकार) विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ने अपने दिनांक 21 जुलाई, 2016 के पत्र के माध्यम से भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस तथ्य के मद्देनजर कि पीडित को गैर–कानूनी रूप से गिरफ्तार करने के लिए दोषी इंस्पेक्टर/एस.एच.ओ. के खिलाफ पहले ही विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है, आयोग ने इस मामले को बंद कर दिया।

8. एस.बी.एस. नगर जिला पुलिस, पंजाब में पुलिस द्वारा वाहन दुर्घटना संबंधी मामला दर्ज नहीं किया गया
(मामला सं. 250/19/0/2014)

4.38 यह मामला एक वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के 22 माह तक एस.बी.एस. नगर जिला पुलिस, पंजाब द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज न किए जाने से संबंधित है। आयोग ने अंतरिम राहत के रूप में 25,000/– रु. (पच्चीस हजार रुपये केवल) के भुगतान और दोषी पुलिस कार्मिकों के खिलाफ कानूनी/विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की। इसके जवाब में पुलिस अपर महानिदेशक, मानव अधिकार, पंजाब ने अपने दिनांक 4 मार्च, 2016 के पत्र के माध्यम से और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस.बी.एस. नगर, पंजाब ने अपने दिनांक 21 मार्च, 2016 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता, जो मृतक के पिता हैं, को दिनांक 21 मार्च, 2016 को 25,000/– रु. की संस्तुत राशि का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान का साक्ष्य भी संलग्न था। यह भी कहा गया कि मामला दर्ज न करने के लिए ए.एस.आई. हरदीप सिंह के खिलाफ दिनांक 26 फरवरी, 2016 को भारतीय दंड संहिता की धारा 166क के तहत एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी आरंभ कर दी गई है।

4.39 रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को इस मामले में आरंभ की गई विभागीय कार्रवाईयों का शीघ्र परिणाम सुनिश्चित करने का निदेश देते हुए मामले को बंद कर दिया।

9. *एक 19 वर्षीय संदिग्ध और तीन अन्य 17 वर्षीय किशोरों को चेन्नई, तमिलनाडु में पुलिस अभिरक्षा में एक दूसरे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए बाध्य किया गया।*
(मामला सं. 134/22/13/2015)

4.40 शिकायतकर्ता श्री जी. डिसूजा, जो एक मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, ने आरोप लगाया कि दो पुलिस कर्मियों ने 19 वर्षीय संदिग्ध और तीन अन्य 17 वर्षीय किशोरों को एक दूसरे के साथ अप्राकृतिक सेक्स करने के लिए मजबूर किया, जबकि वे चेन्नई में पुलिस हिरासत में थे। शिकायतकर्ता ने यह बताया कि हालांकि सीबी–सीआईडी ने दो पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः शिकायतकर्ता ने इस मामले में आयोग के हस्तक्षेप की मांग की थी।

4.41 आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, यह सूचित किया गया कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 10 और 12 और किशोर न्याय अधिनियम, की धारा 12 एवं 23 के साथ पठित आई.पी.सी. की धारा 323/330/355 के तहत आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ अपराध सं. 01/2015 मामला दर्ज किया गया जो जांच के अधीन था और दोषी पुलिस कर्मियों को सेवाओं से निलंबित भी कर दिया गया है।

4.42 आयोग ने इस मामले पर विचार किया और यह पाया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन पुलिस कर्मियों को नागरिकों की सुरक्षा का कार्य सौंपा गया था, वे युवा लड़कों को अस्वाभाविक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं जिससे इन युवाओं पर के मस्तिष्क पर चिरकालीन प्रभाव पड़ सकता है। पुलिस हिरासत में युवा लड़कों को ऐसा कृत्य करने के लिए मजबूर करना पीड़ितों के मानवाधिकारों का एक गंभीर उल्लंघन है। अतः तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(क)(i) के तहत कारण बताओ निदेश जारी किया गया कि प्रत्येक पीड़ित को मौद्रिक मुआवजे के रूप में 25,000 रुपये (केवल 25 रुपये प्रति हजार) की रुपये के भुगतान की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

10. ग्राम बरारा के निकट पुलिस द्वारा एक पत्रकार की बेरहमी से पिटाई की गई और फिर पुलिस स्टेशन बरारा, अम्बाला, हरियाणा लाया गया।
(मामला सं. 6028/7/1/2012)

4.43 शिकायतकर्ता श्री संदीप कुमार, जो एक पत्रकार हैं, ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई कि 17 अगस्त, 2012 की शाम जब उन्होंने ग्राम बरारा के निकट एक भीड़भाड़ वाले इलाके में पुलिस स्टेशन बरारा के एस.एच.ओ. और एक अन्य पुलिस कांस्टेबल द्वारा एक युवा को पीटते हुए फोटो लेनी चाही तो एस.एच.ओ. आगबबूला हो गए और उसे बेरहमी से पीटा। बाद में, उसे पुलिस स्टेशन, बरारा लाया गया और पुलिस स्टेशन में एक बार फिर बहुत बुरी तरह से पीटा गया।

4.44 पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करने के बाद आयोग ने महसूस किया कि मामले के तथ्य और परिस्थितियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि शिकायतकर्ता के शरीर पर लगे चोटों के निशान पुलिस की बर्बरता के कारण हैं। अतः आयोग ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि शिकायतकर्ता, जिसके मानव अधिकारों का हनन हरियाणा पुलिस द्वारा किया गया है, को मौद्रिक राहत के भुगतान की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

4.45 इसके जवाब में पुलिस आयुक्त ने केवल यह कहा कि शिकायतकर्ता को भीड़ ने धक्का दिया था और उसे पुलिस द्वारा नहीं पीटा गया। आयोग ने यह निर्णय लेते हुए कि आयोग की टिप्पणियों का सशक्त साक्ष्यों से खंडन नहीं किया गया है, आयोग ने पीडित को 1,00,000/– रु. (एक लाख रुपये केवल) का भुगतान करने की सिफारिश की।

4.46 चूंकि आयोग को भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी इसलिए आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

11. एक चौदह वर्षीय चोरी के आरोपी ने विरुधुनगर, तमिलनाडु में तथाकथित पुलिस प्रताड़ना के कारण अपनी आंख गंवाई
(मामला सं. 2861/22/45/2012)

4.47 श्री अनूप श्रीवास्तव, पीपल्स विजिलेंस कमेटी ऑन हयूमन राईट्स (पी.वी.सी.एच. आर.) के सदस्य ने अपनी दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 की ई–मेल के माध्यम से दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 के 'दि न्यू इंडिया एक्सप्रेस' नामक समाचारपत्र में ''तथाकथित पुलिस प्रताड़ना में एक कुरावार लड़के ने अपनी आंख गंवाई'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार रिपोर्ट अग्रेषित की। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कुरावार समुदाय के पथमप्रियन नामक एक 14 वर्षीय (9वीं कक्षा का छात्र) लड़के, जो विरुधुनगर में थिरुथंगल के निकट कन्नागी कॉलोनी का निवासी है, को विरुधुनगर जिला पुलिस द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2012 को चोरी झूठे आरोप में तथाकथित रूप से उठाया गया और पुलिस द्वारा तबक पीटा गया जब तक उसकी दायीं आंख की रोशन नहीं चली गई। रिपोर्ट में आगे यह उल्लेख किया गया कि पीडित का मुदरै में सरकारी राजाजी अस्पताल में उपचार कराया गया था। आयोग ने संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक और मदुरै के जिला मजिस्ट्रेट से मामले से संबंधित रिपोर्ट मांगी।

4.48 इसके जवाब में विरुधुनगर के जिला समाहर्ता ने टी.एम.टी. जी.परिपूर्णम धर्म पत्नी गणेशन, कन्नागी कॉलोनी, ग्राम तिरहूथंगल, शिवकाशी, जिला विरुधुनगर द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में दर्ज की गई रिट याचिका (एम.डी.) सं. 12783/2012 प्रस्तुत की जिसमें पुलिस द्वारा उनके पुत्र पथमप्रियन को प्रताडित करने की एवज में 5,00,000/–रु. (पांच लाख रुपये केवल) का मुआवजा मांगा गया था।

4.49 आयोग को शिवकाशी के राजस्व मंडल अधिकारी से भी एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई। शिवकाशी के आर.डी.ओ. की रिपोर्ट में कहा गया कि पथमप्रियन नामक पीडित लड़के को प्रताडित किया गया था और लड़के ने भी अपने बयान में बताया चेलिया नामक पुलिसकर्मी ने एक प्लास्टिक ट्यूब से कंधों के नीचे मारा था और फिर सुब्बुराम नामक एक अन्य पुलिसकर्मी उसे एक अलग कमरे में ले गया था और उसने एक छड़ी से पैरों, जांघों, पिछवाड़े और कंधों के नीचे पिटाई की। थिरुथंगल के पुलिस कांस्टेबलों ने भी उसकी पिटाई की थी। लड़के का उपचार करने वाले डॉक्टर ने पाया कि लड़के के शरीर पर चोट के निशान थे।

4.50 रिपोर्टों पर विचार करने के बाद आयोग ने पाया कि पुलिस ने लड़के को प्रताडित किया था। परिणामस्वरूप आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत तमिलनाडु सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पुलिस द्वारा प्रताडित किए गए लड़के को यथोचित मौद्रिक राहत का भुगतान क्यों नहीं किया जाए।

4.51 इसके जवाब में जिला समाहर्ता, विरुधुनगर ने राज्य सरकार की ओर से कहा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका था कि क्या मामले में पुलिस की ज्यादती थी या नहीं। उसे विशिष्ट टिप्पणी सहित एक विस्तृत अंतिम रिपोर्ट भेजने का निदेश हुआ। इसके बाद आर.डी.ओ., शिवकाशी ने दिनांक 29 मई, 2013 को अंतिम रिपोर्ट भेजी। अंतिम रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल के डीन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि दाहिनी आंख की रोशन जाने का कारण जटिल परिस्थितियों के कारण रेटिना का हिल जाना है और आंख में किसी प्रकार की चोट का कोई निशान नहीं है। जिला समाहर्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया में इस बात की ओर इंगित किया कि लड़के और उसके सहयोगियों के अतिरिक्त कोई अन्य चश्मदीद गवाह यह सिद्ध करने के लिए आगे नहीं आया है कि पुलिस द्वारा प्रताडित किया गया था। यह आरोप कि आंख की रोशनी हाल ही में पुलिस द्वारा की गई मारपीट के कारण गई है, सिद्ध नहीं हो सका है।

4.52 कारण बताओ नोटिस के जवाब और रिकार्ड पर रखी सामग्री पर विचार करने के बाद आयोग ने निम्नलिखित महसूस और निदेश दिया :

> *"आयोग ने जिला समाहर्ता, विरुधुनगर द्वारा दिए गए जवाब और आर.डी.ओ. शिवकाशी की अंतिम जांच रिपोर्ट की ध्यानपूर्वक जांच की। यह उल्लेखनीय है कि आर.डी.ओ. द्वारा प्रारंभिक जांच और अंतिम जांच के दौरान जांच किए जाने वाले गवाह एक ही थे। पथमप्रियन के साथ पुलिस स्टेशन में बुलाए गए चारों लड़कों ने दोनो चरणों में दिए गए बयान में बताया कि जब पथमप्रियन से कमरे में पूछताछ की जा रही थी तो उन्होंने पथमप्रियन की पिटाई और*

रोने की आवाज सुनी थी। चिकित्सा साक्ष्य से लड़कों के बयान की पुष्टि हुई। इसलिए, इस बात में कोई संशय नहीं है कि पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के दौरान पथमप्रियन को प्रताडित किया गया था।

जहां तक दायीं आंख की रोशनी चले जाने का संबंध है, मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल, जहां घटना के बाद लड़कों का उपचार किया गया था, के डीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दायीं आंख की रोशनी लंबे समय से मोतियाबिंद की शिकायत के कारण गई थी और आंख में हाल ही में किसी प्रकार की चोट का कोई संकेत नहीं है। आर.डी.ओ. द्वारा की गई जांच के दौरान गवाहों ने कहा कि जब पथमप्रियन की पिटाई की जा रही थी तो उसने अपने हाथों को सिर पर रख लिया था और पुलिस कांस्टेबल उसके हाथ पर ही मारे जा रहा था। डॉ. टी. अय्यनर ने भी जांच के दौरान बताया कि पथमप्रियन को दायीं आंख में लगी चोट के उपचार के लिए मदुरै के राजाजी अस्पताल ले जाया गया था। तथापि, आयोग इस पहलू पर मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल के डीन द्वारा व्यक्त विचारों की गहराई में नहीं जाएगा।

यदि आयोग इस विवाद को स्वीकार कर लेता है कि दायीं आंख की रोशनी पुलिस की पिटाई के कारण नहीं गई है, फिर भी विश्वसनीय सूत्रों से यह सिद्ध हो चुका है कि पूछताछ के दौरान पुलिस ने लड़के को प्रताडित किया था। इसलिए, आयोग ने तमिलनाडु सरकार से पीडित लड़के को मौद्रिक राहत के रूप में 50,000/– रु. (पचास हजार रुपये केवल) का भुगतान करने की सिफारिश की। यदि माननीय उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि लड़के की दायीं आंख की रोशनी पुलिस की पिटाई के कारण गई थी और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजे की राशि में इजाफा किया जाता है तो 50,000/– रु. की राशि को समायोजित कर दिया जाएगा। तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को आठ सप्ताह के अंदर–अंदर भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।''

4.53 अपनी सिफारिशों के अनुपालन के पश्चात् आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

12. मथुरा, उत्तर प्रदेश में एक लड़के की पुलिस द्वारा तथाकथित पिटाई और बाद में गोली मार कर हत्या
(मामला सं. 10704/24/52/2013)

4.54 आयोग ने दिनांक 20 मार्च, 2013 को आई.बी.एन.–7 पर मथुरा, उत्तर प्रदेश में शेरगढ़ कस्बे में रहने वाले 18 वर्षीय जितेन्द्र नामक निवासी की मथुरा में पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मौत के बारे में प्रसारित रिपोर्ट का संज्ञान लिया। रिपोर्ट में बताया गया कि जब जितेन्द्र अपने ट्रैक्टर में सामान बेचने के लिए जा रहा था तो पुलिस वालों ने उसे रोक कर घूस की मांग की। घूस न देन पर उसे बुरी तरह से पीटा गया और बाद में उसे गोली मार दी गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, स्थानीय पुलिस स्टेशन को तहस–नहस कर दिया और उसमें आग लगा दी। पुलिस ने विरोध कर रही भीड़ पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप पांच लोग घायल हुए। यह भी रिपोर्ट किया गया कि पुलिस महानिरीक्षक द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद शेरगढ़ पुलिस स्टेशन के एस.एच.ओ. और चार कांस्टेबलों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एक मामला दर्ज किया गया।

4.55 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव ने दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 के पत्राचार के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, सी.बी.–सी.आई.डी., उत्तर प्रदेश, लखनऊ की दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित की। रिपोर्ट के अध्ययन में यह नोटिस किया गया कि जितेन्द्र की मृत्यु के संबंध में शेरगढ़ पुलिस स्टेशन के पांच कांस्टेबलों और एक सब–इंस्पेक्टर के खिलाफ एक अपराध मामला संख्या 88/2013 दर्ज किया गया। सी.बी.–सी.आई.डी. जांच रिपोर्ट में जितेन्द्र की मृत्यु में पांच कांस्टेबलों के खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध हुए और यह जानकारी दी गई कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद न्यायालय में चार्जशीट भी दायर की गई। सी.बी.–सी.आई.डी. ने भी दोषी पुलिस कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की।

4.56 सी.बी.–सी.आई.डी. की जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग इस निर्णय पर पहुंचा कि राज्य, मृतक जितेन्द्र के शोकसंतप्त परिवार को मुआवजा देने के लिए बाध्य है और उत्तर प्रदेश सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक जितेन्द्र के निकटतम संबंधी को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मौद्रिक राहत देने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

4.57 कारण बताओ नोटिस के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव ने दिनांक 27 जून, 2015 के पत्राचार के माध्यम से पुलिस अधीक्षक (एच.आर.), लखनऊ का एक पत्र अग्रेषित किया जिसमें कहा गया था कि पांचों दोषी पुलिसकर्मियों के अभियोजन का प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है और तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक शील कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की भी सिफारिश की।

4.58 आयोग ने दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 को मामले पर विचार किया और निम्नानुसार महसूस एवं निदेश दिया:

> *"राज्य आयोग ने अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद भी मौद्रिक राहत के पहलू पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसलिए, यह समझा जा सकता है कि राज्य सरकार के पास मौद्रिक राहत प्रदान करने के खिलाफ कुछ नहीं कहना है। यहां तक कि सी.बी.–सी.आई.डी. की जांच रिपोर्ट में भी प्रथम दृष्टया दर्शाया गया है कि पांच पुलिसकर्मियों ने जानबूझ कर जितेन्द्र की हत्या की थी क्योंकि उसने घूस देने से इंकार कर दिया था। पुलिसकर्मियों का यह कृत्य मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। मृतक के परिवार को यथोचित रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसलिए, मामले के सभी तथ्य और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि मृतक जितेन्द्र के निकटतम संबंधी को 5.00 लाख रु. की राशि का भुगतान किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आठ सप्ताह के अंदर–अंदर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को आठ सप्ताह के अंदर यह भी बताना होगा कि क्या पांचों दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की गई है या नहीं।"*

4.59 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 21 मार्च, 2016 के पत्र के द्वारा सूचित किया कि आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में मृतक जितेन्द्र के निकटतम संबंधी को दिनांक 11 फरवरी, 2016 को 5,00,000/–रु. (पांच लाख रुपये केवल) की मौद्रिक राहत का भुगतान किया जा चुका है और भुगतान के साक्ष्य की एक प्रति भी अग्रेषित की।

4.60 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण के बाद मामले को बंद कर दिया गया।

13. पुलिस द्वारा गलत मामले में फंसा कर व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन (मामला सं. 4499/4/3/2014)

4.61 श्री अनिल कुमार ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट– प्रथम श्रेणी, बांका, भागलपुर, बिहार ने अपने दिनांक 26 अगस्त, 2014 के पत्र द्वारा आयोग को झूठे मामले में फंसाए गए व्यक्ति के एक मामले में स्वयं के द्वारा पारित एक निर्णय के बारे में सूचित किया। उक्त निर्णय में उन्होंने आरोपी गौतम कुमार सिंह सुपुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी कारसोप ग्राम, पुलिस स्टेशन शंभुगंज, जिला बांका, बिहार को गलत मामले में फंसाया गया था जिसके कारण उसे सात महीने तक जेल में रहना पड़ा। इससे उसके मूल संवैधानिक एवं मानव अधिकारों की अवहेलना हुई। अतः उन्होने अनुरोध किया कि मामले को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष रखा जाए।

4.62 आयोग ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को मामले का संज्ञान लिया।

4.63 मामले का तथ्य यह है कि पुलिस स्टेशन शंभुगंज के प्रभारी अधिकारी संजय कुमार पांडेय ने यह आरोप लगाते हुए कि दिनांक 24 अक्टूबर, 2007 को शाम लगभग 05:00 बजे उपरोक्त मामले की जांच के संबंध में अपने स्टॉफ के साथ ग्राम कारसोप गए थे, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 एवं 26 के तहत अपराध मामला संख्या 145/2007 दर्ज किया था। उसने दो निष्पक्ष गवाहों जय किशोर ठाकुर और सुनील कुमार सिंह के साथ राजेन्द्र सिंह के घर में प्रवेश किया। घर के अंदर पुलिस को आते देख कर एक लड़का घर से बाहर भागा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। लड़के के हाथ

से एक देसी कट्टा बरामद किया गया। दो निष्पक्ष गवाहों ने उसकी पहचान गौतम कुमार सिंह के रूप में की।

4.64 मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में एक चार्जशीट दायर की। श्री अनिल कुमार ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट– प्रथम श्रेणी द्वारा मामले की सुनवाई की गई। आरोपी को दिनांक 19 जुलाई, 2014 को छोड़ दिया गया। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मजिस्ट्रेट ने आरोपी को बरी करते हुए महसूस किया कि यह गलत तरीके से फंसाने का मामला था।

4.65 राज्य ने मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील की। यहां तक कि अपील दायर करने में हुए विलम्ब के संबंध में माफी का आवेदन भी किया। सत्र न्यायाधीश, बांका द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2015 को अपील दायर की गई थी लेकिन सीमितता के प्रश्न पर अपील की अंतिम सुनवाई के समय पर विचार किया जाना सोचा गया। ट्रायल कोर्ट के निर्णय को लागू करने को अपीलीय न्यायालय ने स्थगित नहीं किया।

4.66 निर्णय और प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2015 की कार्रवाईयों के द्वारा निम्नलिखित महसूस और निदेश दिए :

> *"आयोग ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2014 को दिए गए निर्णय की गहन जांच की। श्री संजय कुमार पांडेय ने एफ.आई.आर. में कहा कि वह अपने स्टॉफ के साथ अपराध मामला संख्या 144/2007 की जांच के संबंध में ग्राम कारसोप गए थे और जब उन्होने शाम को लगभग 5:00 बजे राजेन्द्र सिंह के घर में प्रवेश किया तो एक लड़का घर से बाहर की ओर भागा और उससे एक देसी कट्टा बरामद हुआ। मजिस्ट्रेट ने सही महसूस किया कि अपराध मामला संख्या 144/2007 की जांच करना मामले का आधार, कारण और अवसर था। उन्होने अपराध संख्या 144/2007 की केस डायरी मंगाई और उसका अध्ययन करने के बाद यह पाया गया कि संजय कुमार पांडेय दिनांक 24 अक्टूबर, 2007 को सांय 4:00 बजे से 5:30 बजे तक शंभुगंज बाजार में था और इसलिए कट्टे की बरामदगी की कहानी झूठी थी। मजिस्ट्रेट ने यह भी नोट*

किया कि जब न्यायालय में कट्टे को पेश किया गया तो वो बहुत बुरी हालत में था। उसकी फायरिंग बैरल एक रस्सी के बंधी हुई थी। उसका स्ट्राइकर और ट्रिगर टूटा हुआ था और एक सुतली से बंधा हुआ था। स्ट्राइकर को फायरिंग बैरल के साथ जोड़ने वाला पेंच मौजूद नहीं था। अतः कट्टा चालू हालत में नहीं था। मजिस्ट्रेट ने भी सार्जेंट मेजर उमेश कुमार, जिसने बरामद किए गए शस्त्र की जांच की थी, के बयानों पर विचार किया। उन्होनें नोट किया कि गवाह ने हथियार को चला कर परीक्षण नहीं किया था और अपनी जांच के आधार पर खुलासा न करते हुए ही निर्णय दे दिया था। उन्होंने यह भी नोट किया कि शस्त्र की तथाकथित बरामदगी के दो स्वतंत्र गवाहों ने न्यायालय में अभियोजन का समर्थन करने से इंकार कर दिया था। उन दोनों ने कहा था कि उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और पुलिस स्टेशन में जब्ती मीमो पर उनके हस्ताक्षर लिए गए थे। इन्हीं प्रेक्षणों के साथ मजिस्ट्रेट ने आरोपी को बरी कर दिया।

हमने पाया कि श्री अनिल कुमार ठाकुर, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांका ने आरोपी को बरी करते समय अपने फैसले के संबंध में ठोस और सही कारण दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मजिस्ट्रेट के निर्णय से संबंधित एक अपील लंबित है लेकिन अपील का लंबित होना हमे पूछताछ में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। इसके अलावा, चूंकि अपीलीय न्यायालय ने अध्यारोपित निर्णय के संचालन पर रोक नहीं लगाई है। मामले के सभी तथ्यों पर विचार करते हुए हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि गौतम कुमार सिंह को आपराधिक मामले में फंसाया गया था। यह मामला और भी गंभीर हो जाता है जब पीडित का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त न रहा हो। इसलिए बिहार सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि गौतम कुमार सिंह को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मौद्रिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश क्यों न की जाए। बिहार सरकार के मुख्य सचिव को छः सप्ताह के अंदर–अंदर कारण बताओ नोटिस का जवाब देना होगा।''

4.67 मामले को दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को पटना, बिहार में आयोग की शिविर बैठक में उठाने के लिए सूचीबद्ध किया गया।

घ) पुलिस द्वारा गोलीबारी और मुठभेड़

14. आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के सेशाचलम जंगलों में स्पेशल पुलिस और फोरेस्ट पर्सनल की संयुक्त टीम के साथ हुई तथाकथित मुठभेड़ में 20 रेड सेण्डर्स तस्करों की मृत्यु

(मामला सं. 475/1/3/2015–ए.एफ.ई.)

4.68 आयोग के समक्ष दिनांक 7 अप्रैल, 2015 के दि टाईम्स ऑफ इंडिया में ''पुलिस ने आंध्र प्रदेश में चंदन के 20 तस्करों को मारा'' शीर्षक से छपी एक मीडिया रिपोर्ट आई। उसमें कहा गया था कि मंगलवार, 7 अप्रैल, 2015 की सुबह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के सेशाचलम जंगल में स्पेशल पुलिस और फोरेस्ट पर्सनल की संयुक्त टीम के साथ हुई तथाकथित मुठभेड़ में 20 रेड सैण्डर्स तस्कर मारे गए। रिपोर्ट के अनुसार यह घटना चंद्रागिरी मंडल के गहन जंगलों में एटागुन्टा और वच्छीनोडू बांदा ग्राम में हुई। मीडिया रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि जैसे ही तस्करों ने पुलिस पर पत्थरों, कुल्हाड़ी और चाकू से हमला किया पुलिस और वन अधिकारियों ने गोली चलानी शुरू कर दी थी

4.69 मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए आयोग ने अपनी दिनांक 7 अप्रैल, 2015 की कार्रवाई में निम्नानुसार महसूस और निदेश दिए : –

> *''आयोग ने इस घटना को व्यक्तियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला माना है और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस एवं वन अधिकारियों के कृत्य की व्याख्या की जानी चाहिए। आयोग यह नोट करने के लिए भी बाध्य है कि यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब दिसम्बर, 2014 में कुछ ऐसी ही घटना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमांत जिलों में होने की रिपोर्ट आई थी जिसमें आंध्र प्रदेश के वन अधिकारियों द्वारा एक व्यक्ति को नग्न अवस्था में शारीरिक रूप से प्रताडित करते हुए और पीटते हुए नजर आए थे और संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट आना बाकी है और यह मामला आयोग के विचाराधीन है।*

आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और डी.जी.पी. को नोटिस जारी करना। दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगना। मामले को 23 अप्रैल, 2015 को हैदराबाद में होने वाली आयोग की शिविर बैठक में सुनवाई के लिए उठाना।''

4.70 आयोग को दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को उक्त घटना के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, चित्तूर से भी एक जानकारी प्राप्त हुई जिसे अलग से रजिस्टर किया गया था लेकिन मुख्य फाइल के साथ बांधा हुआ था।

4.71 दिनांक 13 अप्रैल, 2015 को दो ग्रामीण नामतः श्री शेखर और श्री बालचंद्रन आयोग के सामने उपस्थित हुए, श्री शेखर की पत्नी भी साथ थी और उन्होंने उपरोक्त घटना में 20 व्यक्तियों के मारे जाने की जानकारी दी। यह गवाह आयोग के समक्ष मौखिक साक्ष्य देना चाहते थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के तमिल जानने वाले एक अधिकारी की मदद से आयोग के रजिस्ट्रार (विधि) द्वारा उनके बयान दर्ज किए गए। जिन दो व्यक्तियों ने आयोग के समक्ष बयान दिए थे उन्हें अपनी और अपने परिवार के सदस्यों और संबंधियों की जान का खतरा था, आयोग ने निदेश दिया कि उन्हें तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराया जाए।

4.72 स्थिति की गंभीरता और घटना में शामिल व्यक्तियों की बड़ी संख्या पर विचार करते हुए आयोग ने दिनांक 13 अप्रैल, 2015 की सुनवाई के द्वारा निदेश दिया कि –

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176(1)(क) के तहत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा एक मजिस्ट्रेट जांच की जाए;

2. यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 22 अप्रैल, 2016 तक या उससे पहले आयोग के समक्ष उन सभी वन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के नाम प्रस्तुत किए जाएं जो ड्यूटी पर थे और स्पेशल टॉस्क फोर्स का भाग थे;

3. यदि किसी मृत व्यक्ति का पोस्ट मार्टम, यदि किया जाए तो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार किया जाए;

5. सुनिश्चित किया जाए कि एस.टी.एफ. और मृत व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाए गए तथाकथित हथियारों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए; और

5. घटना से संबंधित पुलिस रजिस्टर, लॉग बुक्स, जी.डी. प्रविष्टियां तथा अन्य दस्तावेजों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्रवाईयों के दौरान नष्ट न किया जाए, उनके साथ छेड़छाड़ न की जाए या खराब न किया जाए।

4.73 आयोग ने एक और गवाह, जो दि पीपल्स वॉच नामक एक गैर सरकारी संगठन की अभिरक्षा में था और जो इस घटना के बारे में जानकारी उजागर करने में समर्थ था लेकिन दिल्ली नहीं पहुंच पाया था, के बयान दर्ज करने के लिए अपने संयुक्त रजिस्ट्रार को नियुक्त किया। आयोग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसरण में श्री ए.के. पराशर, संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) ने दिनांक 15 अप्रैल, 2015 को पुदुचेरी में एक सरकारी गेस्ट हाउस में श्री एम. इलांगो का बयान दर्ज किया।

4.74 दक्षिणी राज्यों के लिए दिनांक 23 अप्रैल, 2015 को हैदराबाद में आयोजित किए गए आयोग के शिविर बैठक के दौरान इस मामले को उठाया गया। वहां पर आयोग ने पीपल्स वॉच के श्री हेनरी तिफागने; श्री चिल्का चन्द्रशेखर, अधिवक्ता और पी.यू.सी.एल., तेलंगाना; हयूमन राईट्स फोरम, हैदराबाद; और सोशल इनिशिएटिव फॉर लीगल रेमेडीज़ के प्रतिनिधियों को सुना। श्री लिंगराजू पणिग्रही, विशेष मुख्य सचिव और श्री विनय रंजन, ए.डी.जी.पी. (विधिक) भी आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। वर्ष 2015 की पी.आई.एल. संख्या 91 के संबंध में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिनांक 13 अप्रैल, 2015 को पारित अपने आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने आयोग के साथ किसी भी प्रकार की जानकारी का आदान प्रदान करने में अपनी अक्षमता जाहिर की। आयोग ने इंगित किया कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को केवल जांच के परिणाम उजागर न करने के लिए कहा है न कि सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घायल एस.टी.एफ. कार्मिकों की मेडिको–लीगल रिपोर्ट, एस.टी.एफ. द्वारा मृतक व्यक्तियों पर इस्तेमाल किए गए हथियार, पुलिस रजिस्टर, लॉग बुक, जी.डी. प्रविष्टियां, मोबाईल फोन का विवरण आदि से संबंधित जानकारी। आयोग ने राज्य सरकार के अधिकारियों से विशेषरूप से

कहा कि उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसे संविधानिक संस्था को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा प्रदत्त सांविधिक शक्तियों का प्रयोग करने से रोकने के लिए नहीं कहेगा। राज्य सरकार के अधिकारियों को कहा गया कि वे उच्च न्यायालय के आदेशों की व्याख्या उचित प्रकार से करें। आदेश का प्रयोजन निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करना था ताकि लोगों के मन में विश्वास जगाया जा सके और आदेश कभी भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जांच में बाधा नहीं बनेगा। जब राज्य सरकार के अधिकारियों को उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य के बारे में सही प्रकार से समझाया गया तो श्री विनय रंजन, ए.डी.जी.पी. (विधिक) ने इस बात को स्वीकार किया कि आयोग द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2015 को दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

4.75 दिनांक 23 अप्रैल, 2015 को हुई शिविर बैठक के दौरान श्री लिंगराजू पणिग्रहि, श्री विनय रंजन और श्री एम. नागाराजू को भी सूचित किया गया कि स्थल जांच के लिए एक टीम घटना स्थल का दौरा करेगी और जांच प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी राज्य सरकार से कहा गया। श्री पुपुल दत्ता, एस.एस.पी. के नेतृत्व में आयोग की एक टीम ने श्री एस. पी. त्रिपाठी, विशेष अन्वेषण टीम (एस.आई.टी.) के महानिरीक्षक; आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और छित्तूर के जिला समाहर्ता से संपर्क किया लेकिन उन सभी ने उदासीन जवाब दिया और किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। आंध्रप्रदेश सरकार के उपेक्षापूर्ण एवं असहयोग व्यवहार के बावजूद आयोग ने तत्समय उपलब्ध दस्तावेजों और जानकारियों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया।

4.76 पीडितों की पृष्ठभूमि, एफ.आई.आर. दर्ज कराने में हुई देरी; राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए सुधार; घटनास्थल से तथाकथित बरामद किए गए हथियारों की प्रकृति; श्री शेखर, श्री ए. बालचंद्रन, श्री एम. इलांगो के बयान और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ जानकारी साझा करने के संबंध में राज्य सरकार की उदासीनता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने महसूस किया कि :–

i) यह सोचने के बहुत से कारण हैं कि दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को छित्तूर जिले के शेशाचलम जंगलों में एस.टी.एफ. के कार्मिकों द्वारा मारे गए 20 व्यक्तियों के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ था।

ii) पीडित लोग बहुत ही गरीब थे और उनके परिवार वंचना के तहत पीड़ित हैं।

iii) इन परिवारों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई जांच या निष्पक्ष अन्वेषण एजेंसी द्वारा की गई जांच का परिणाम आने तक भूखे मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है।

4.77 आयोग ने महसूस किया कि निःसंदेह रूप से मृतकों के निकटतम संबंधियों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(ग) के तहत कुछ मौद्रिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश की जानी चाहिए। आयोग ने अपनी दिनांक 28 मई, 2015 की कार्रवाई के तहत निम्नलिखित दिशानिर्देश/सिफारिशें कीः

1. आंध्र प्रदेश सरकार दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को छित्तूर जिले के शेशाचेलम जंगल में मारे गए प्रत्येक 20 व्यक्तियों के आश्रितों को तत्काल अंतरिम राहत के रूप में 5,00,000/–रु. (पांच लाख रुपये केवल) का भुगतान करे। इसके साथ–साथ किए भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट भी आठ सप्ताह के अंदर–अंदर आयोग को प्रस्तुत करे।

2. जिला मजिस्ट्रेट, छित्तूर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचिज जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमों के अनुलग्नक I के साथ पठित नियम 12(4) के तहत उन 13 पीडितों जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्काल रूप से कदम उठाएं और आठ सप्ताह के अंदर आयोग को की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

3. भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस स्टेशन चंद्रागिरी में एफ.आई. आर. संख्या 42/15 और 43/15 और 46/15 दर्ज हैं जिनकी जांच आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद सी.बी.आई. द्वारा पूरी कर ली गई थी और उन्हें चार सप्ताह के अंदर–अंदर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

4. एफ.आई.आर. संख्या 42/15,43/15 और 46/15 के वर्तमान अन्वेषण अधिकारी जल्द से जल्द तमिलनाडु में एक सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत गवाहों के बयान दर्ज करें।

5. तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक गवाहों को अर्थात श्री शेखर, श्री ए. बालाचंद्रन और श्री एम. इल्लांगों को उनके परिवार को और जहां यह रहते हैं वहां की पंचायत के अध्यक्षों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराना जारी रखें।

6. आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, आयोग द्वारा अपनी दिनांक 13 अप्रैल, 2015 और 23 अप्रैल, 2015 को हुई कार्रवाई में दिए गए निदेशों के अनुरूप जानकारी और रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 9 जून, 2015 को प्रातः 11:00 बजे आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

4.78 आयोग को आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से एक फैक्स संदेश प्राप्त हुआ जिसमें रिट याचिका संख्या 15767/2015 के संबंध में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को पारित एक आदेश की प्रति अग्रेषित की गई थी। न्यायालय के आदेश में कहा गया था कि प्रतिवादी को एक नोटिस जारी किया गया था– राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग– दिनांक 3 जुलाई, 2015 को वापिसी और सुनवाई की अगली तारीख तक आयोग के दिनांक 29 मई, 2015 के आदेश में जारी निदेश स्थगित किए गए हैं।

4.79 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 9 जून, 2015 की कार्रवाई में निम्नानुसार महसूस एवं निदेश दिया :

> *"उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर आयोग इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं कर सकता है। चूंकि आयोग को रिट याचिका की प्रति और नोटिस अभी प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए मामले को दिनांक 16 जून, 2015 तक स्थगित किया जाता है।*

इसी दौरान, रजिस्ट्रार (विधि) से मामले की जांच करने और इस मामले में आयोग द्वारा भावी कदम उठाने में सुझाव देने का अनुरोध किया गया।

रजिस्टरी को आंध्र प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग से अनुरोध करने का निदेश दिया गया कि वो दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को आंध्र प्रदेश के छित्तूर जिले में शेशाचलम जंगल में 20 व्यक्तियों के मारे जाने संबंधी मामले में अपने संज्ञान लेने की तारीख के बारे में आयोग को सूचित करें। राज्य मानव अधिकार आयोग के सचिव से दिनांक 16 जून, 2015 से पहले जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए।''

4.80 आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव तथा दो अन्य द्वारा दर्ज वर्ष 2015 की रिट याचिका संख्या 15767, जिसमें आयोग के दिनांक 28 मई, 2015 को चुनौती दी गई थी और उपरोक्त रिट याचिका के संबंध में आयोग के दिनांक 28 मई, 2015 के आदेश को स्थगित करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 5 जून, 2015 के आदेश के संबंध में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा आयोग को जारी किए गए नोटिस पर विचार करने और वर्ष 2015 की उपरोक्त रिट याचिका संख्या 15767 के प्रतिवादी की ओर से दर्ज किए गए शपथपत्र का अध्ययन करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 22 जून, 2015 की कार्रवाई के तहत रजिस्ट्रार (विधि) को उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के संबंध में एक प्रति–शपथपत्र भरने के लिए आवश्यक प्रबंध करने और उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश का विरोध करने के लिए निदेश दिया और प्राधिकृत किया। आयोग की ओर से प्रति–शपथपत्र दायर किया गया और फिलहाल मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

15. श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल के जवान द्वारा नकली मुठभेड़ में एक सोलह वर्ष के लड़के की मृत्यु
(मामला संख्या 35/9/13/2010–पी.एफ.)

4.81 आयोग को ह्यूमन राईट्स ऑबजर्वर के मुख्य संपादक श्री आर.एच. बंसल से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि एक जाली मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल के

जवान द्वारा जाहिद फारुक अहमद शेख नामक लगभग सोलह वर्ष के एक मासूम लड़के की मृत्यु हो गई। इसी घटना के संबंध में श्री प्रबीर कुमार द्वारा एक और शिकायत की गई थी। दोनों ही मामले एक दूसरे से जुड़े थे।

4.82 आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली; जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर को इस घटना की जांच करने और आठ सप्ताह के अंदर–अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया।

4.83 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने अपने दिनांक 9 अप्रैल, 2010 के पत्र द्वारा सूचित किया कि पुलिस की जांच चल रही है। अपर उपायुक्त, श्रीनगर ने अपने दिनांक 1 अप्रैल, 2010 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि जम्मू एवं कश्मीर सरकार के दिनांक 20 मार्च, 2009 के आदेश के तहत जाहिद फारूख अहमद शेख सुपुत्र फारूख अहमद शेख के पक्ष में 1,00,000/– रु. (एक लाख रुपये केवल) की अनुग्रह राशि स्वीकृत कर दी गई है।

4.84 उपमहानिरीक्षक (ऑपरेशन), सीमा सुरक्षा बल ने दिनांक 21 जुलाई, 2010 को आयोग को सूचित किया कि जांच पूरी हो चुकी है और श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दिनांक 6 अप्रैल, 2010 को कमांडेंट आर.के. बिर्दी तथा कांस्टेबल लकविंदर कुमार के खिलाफ आर.पी.सी. की धारा 302, 201 और 109 के तहत चार्जशीट प्रस्तुत की गई। बाद में यह भी कहा गया कि सीमा सुरक्षा बल ने सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई करने का दावा करते हुए श्रीनगर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दिनांक 7 अप्रैल, 2010 को बी.एस.एफ. एक्ट, 1948 की धारा 80 के तहत एक आवेदन किया है।

4.85 इसके बाद, दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 को सीमा सुरक्षा बल के उपमहानिरीक्षक (ऑपरेशन) ने सूचित किया कि चीफ जयूडिशियल मजिस्ट्रेट ने मामले को सुनवाई के लिए बी.एस.एफ. कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया। आरोपी कमांडेंट आर.के. बिर्दी और कांस्टेबल लकविंदर सिंह को दिनांक 25 नवम्बर, 2010 को सेंट्रल जेल, श्रीनगर से अभिरक्षा में

लिया गया और दिनांक 25 नवम्बर, 2010 को सीमा सुरक्षा बल के उपमहानिरीक्षक द्वारा गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में दोनों पंथाचौक, श्रीनगर में बी.एस.एफ. की अभिरक्षा में हैं और बी.एस.एफ. एक्ट के तहत कार्रवाई पहले से ही शुरू हो चुकी है। बाद में यह भी बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2010 को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, श्रीनगर में एक दांडिक पुनरीक्षा याचिका दायर की गई जिसमें उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख तक भावी कार्रवाई स्थगित करने का निदेश दिया।

4.86 रिपोर्टों पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 22 जुलाई, 2011 की कार्रवाई में निम्नलिखित टिप्पणी एवं निर्देश दिए :

> *"उपरोक्त के आधार पर यह मामला कमांडेंट आर.के. बिर्दी और कांस्टेबल लखविंदर कुमार द्वारा ए.के. 47 से की गई एक 16 वर्षीय जाहिद फारुख अहमद शेख की हत्या का मामला है। इस अवयस्क बच्चे की मृत्यु के लिए 1,00,000/–रु. (एक लाख रुपये केवल) की राशि यथोचित नहीं है।*
>
> *यह लोक सेवकों/सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा मानव अधिकारों के हनन का स्पष्ट मामला है और इस मामले में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा18 के तहत नोटिस जारी किया जाना चाहिए।*
>
> *तदनुसार, सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(क)(i) के तहत एक कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने का निदेश दिया जाता है कि मृतक के निकटमत संबंधी को मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। छः सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करें।"*

4.87 कारण बताओ नोटिस के जवाब में उपमहानिरीक्षक (ऑपरेशन) ने दिनांक 6 सितम्बर, 2011 के पत्र के माध्यम से बताया कि जाहिद फारुख अहमद शेख की मौत से संबंधित घटना की राज्य पुलिस द्वारा जांच की गई और चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, श्रीनगर की कोर्ट में एक चार्जशीट दायर की गई। चार्जशीट से यह तथ्य सामने आया कि कमांडेंट आर.के. बिर्दी और कांस्टेबल लखविंदर कुमार पर आर.पी.सी. की धारा 302/301/109 के तहत जाहिद फारुख अहमद शेख की तथाकथित हत्या का आरोप

लगाया गया। दिनांक 6 सितम्बर, 2011 के पत्र में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में एक दांडिक पुनरीक्षा याचिका दायर की थी और उच्च न्यायालय ने सीमा सुरक्षा बल को साक्ष्य के रिकार्ड पूरे करने की छूट सहित कार्रवाई स्थगित कर दी थी। यह भी बताया गया कि 74 गवाहों के बयान भी रिकार्ड किए गए और यह तर्क दिया मामला विचाराधीन है और साक्ष्यों या मामले के निर्णय के बारे में कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। आयोग से अनुरोध किया गया कि मुआवजे के मुद्दे को रोक दिया जाए।

4.88 कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की कार्रवाई के तहत निम्नलिखित महसूस एवं निदेश दिए :

> *''हमारा एक विचारक मत है कि दांडिक मामले के लंबित होने से हमें मुआवजे की सिफारिश करने से नहीं रोका जाना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं माना है कि पुलिस जांच के बाद उसके अधिकारी दोषी पाए गए थे। इसलिए प्रथम दृष्टया मानव अधिकारों का उल्लंघन सिद्ध होता है। आयोग हमेशा ही दृढ़ साक्ष्यों पर बल न देते हुए मामले की व्यापक संभावनाओं पर आगे बढ़ता है। चूंकि पुलिस जांच में सीमा सुरक्षा बले के अधिकारियों का दोष सिद्ध हो चुका है, इसलिए आयोग को किसी अन्य साक्ष्य का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए हम गृह मंत्रालय से सिफारिश करते हैं कि मृतक जाहिद फारुख अहमद के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत के रूप में 5,00,000/—रु. की राशि का भुगतान किया जाए। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव आठ सप्ताह के अंदर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।''*

4.89 आयोग की सिफारिशों के जवाब में अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल से प्राप्त एक रिपोर्ट अग्रेषित की। जिसमें कहा गया था कि मृतक जाहिद फारुख अहमद के निकटतम संबंधी को मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कमांडेंट आर.के. बिर्दी और कांस्टेबल लखविंदर कुमार के खिलाफ

अनुशासनात्मक मामला लंबित था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यदि आरोपी व्यक्ति बाद में अपराध के दोषी पाए जाते हैं तो उस समय पर मुआवजे का भुगतान किया जा सकता है।

4.90 आयोग ने दिनांक 14 जनवरी, 2016 को मामले पर विचार किया और निम्नानुसार महसूस एवं निदेश दिया :

> *"आयोग ने सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय द्वारा लिए गए निर्णय पर विचार किया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उपबंधों के तहत यदि आयोग प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है कि मानव अधिकारों का हनन हुआ है तो आयोग, मानव अधिकारों के उल्लंघन के पीडितों को मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश करने के लिए सक्षम और स्वत्वाधिकारी है। इस मामले में उपलब्ध सभी सामग्री पर विचार करने के बाद आयोग संतुष्ट हो गया था कि मानव अधिकारों का हनन हुआ था और इसलिए मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश की गई। आयोग की संतुष्टि या आयोग की सिफारिश किसी अनुशासनात्मक मामले या आपराधिक मामले के निर्णय पर निर्भर नहीं हो सकती है। आयोग की संतुष्टि और सिफारिशें, आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री और साक्ष्यों पर आधारित है। यदि मौद्रिक राहत के भुगतान के लिए इंतजार करना पड़े या उसे किसी आपराधिक मामले या अनुशासनात्मक मामले के निर्णय पर निर्भर होना पड़े तो इसके चलते मानव अधिकारों के उल्लंघन से पीडित की पीड़ा में बढ़ोतरी होगी और यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 में निहित उपबंधों की भावना के विरुद्ध होगा।*
>
> *इसलिए, आयोग, मृतक जाहिद फारुख अहमद के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत का भुगतान करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को की गई अपनी सिफारिश को दोहराता है और सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से आठ सप्ताह के अंदर–अंदर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध करता है।"*

4.91 आयोग की सिफारिशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

16. चेरियाथूरा जंक्शन, केरल में मुस्लिमों और ईसाईयों के बीच हुए संघर्ष के दौरान पुलिस फायरिंग में छह व्यक्तियों की मौत
(मामला संख्या 115/11/2010)

4.92 दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान केरल राज्य में पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों के बारे में छमाही रिपोर्ट देते हुए पुलिस महानिदेशक, केरल ने अपने दिनांक 14 दिसम्बर, 2009 के पत्र द्वारा यह जानकारी दी कि केरल के चेरियाथूरा जंक्शन में मुस्लिमों और ईसाईयों के बीच हुए संघर्ष और तदोपरान्त 16 एवं 17 मई, 2009 को पुलिस फायरिंग में छह व्यक्तियों की मौत हो गई तथा आपराधिक मामला संख्या 84/सीआर/एस1/09 (वालियाथूरा पुलिस थाने में धारा 143/144/145/ 147/148/149/151/152/153(ए),एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 307, 436 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 तथा विस्फोटक सामग्री अधिनियम की धारा 3,4,5 के अन्तर्गत) और 65 अन्य मामले दर्ज किए गए तथा सीबी–सी.आई.डी., एस.आई.जी–I तिरुवनन्तपुरम द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है।

4.93 आयोग ने दिनांक 28 अप्रैल 2010 की सूचना का संज्ञान लिया और तत्पश्चात् समय–विस्तार देने के उपरान्त, दिनांक 9 अप्रैल 2012 को पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. अपराध शाखा, ओ.सी.डब्ल्यू–1, तिरूवनन्तमपुरम से एक रिपोर्ट प्राप्त की जिससे यह उद्घाटित हुआ कि दिनांक 16 और 17 मई, 2009 को बीमापल्ली क्षेत्र के चेरियाथूरा में घटित घटना के सिलसिले में स्थानीय पुलिस द्वारा कुल मिलाकर 66 मामले दर्ज किए गए थे। इन अपराधों में स्वतः संज्ञान लिए गए अपराध, पीडितों द्वारा मौखिक रूप से की गई शिकायतों के अनुसरण में दर्ज किए गए मामले और न्यायालयों द्वारा जांच के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अन्तर्गत अग्रेषित किए गए मामले शामिल हैं। इन 66 मामलों में से, एक मामला श्री सी.जी. सुरेशकुमार, सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा स्वतः संज्ञान पर दर्ज किया गया और 65 मामले पीडितों के रिकार्ड किए गए बयानों के आधार पर दर्ज किए गए। कुल दर्ज किए गए 65 मामलों में से 30 मामले मुस्लिमों

द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर दर्ज किए गए; 32 मामले ईसाईयों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर दर्ज किए गए और एक मामला वालियाथूरा पुलिस थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर श्री के. जे. जॉनसन द्वारा दिए गए बयान के आधार पर तथा 2 मामले हिन्दु समुदाय से सम्बन्धित पीडितों की शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए। सभी मामले दिनांक 18 मई, 2009 के डीजीओ संख्या डी1/41541/09 द्वारा सी बी– सी आई डी को स्थानान्तरित कर दिए गए और उनकी जांच सी.आई.डी. अपराध शाखा, ओ. सी.डब्ल्यू–1, तिरूवनन्तमपुरम द्वारा की गई थी। चेरियाथूरा में प्रयोग किए गए विस्फोटक के स्रोत का पता लगाने के लिए अपराध संख्या 2/सीआर/ओसीडब्ल्यू–1/10 के तहत एक मामला सीबी–सीआईडी द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किया गया। अपराध संख्या 84/सीआर/एस1/09 (वालियाथूरा पुलिस थाना; अपराध 247/2009), एक प्रमुख मामला था जो खतरनाक हथियारों, देसी मिसाईलों इत्यादि से लैस अनियन्त्रित भीड को तितर–बितर करने के लिए संघुमुघम उप संभाग के सहायक पुलिस आयुक्त श्री सी. जी. सुरेशकुमार द्वारा पुलिस फायरिंग की घटना के सिलसिले में दर्ज किया गया। इन सभी मामलों को इकठ्ठा कर दिया गया है और इनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही आगे यह भी बताया गया कि अब तक की गई जांच से पता चलता है कि अनियन्त्रित भीड़ द्वारा की गई हिंसा और तत्पश्चात् पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में छह व्यक्ति मारे गए और 42 अन्य घायल हुए। चार व्यक्ति गोली से मरे और एक व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में गोली के जख्म का इलाज करते समय दिल के दौरे से हुई। एक व्यक्ति की मृत्यु दोनों गुटों के झगड़े के दौरान सिर पर गम्भीर चोट लगने के कारण हुई। इस रिपोर्ट से यह भी पता चला कि नौ व्यक्तियों को राईफल की .303 की गोलियों से चोट पहुंची और अन्य व्यक्तियों को पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में गोलियों के छितराए भागों से तथा झगडा करने वाले अराजक तत्वों द्वारा उपयोग में लाए गए देसी बमों में प्रयोग किए गए धातु के टुकड़ों, पत्थरों और अन्य हथियारों के छितराए भागों से चोटें लगीं। जांच के दौरान एकत्र किए गए सभी एमओ की एफ.एस.एल. जांच रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि किसी अहमद खानी नौशद और अरशद के शरीर से निकाले गए धातु के टुकड़े .303 की गोली के थे। सूचित किया गया कि सी बी–सी आई डी अपराध संख्या 84/सीआर/एस1/2009 में 13 व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें अभियुक्त घोषित करने के लिए

न्यायालय के समक्ष रिपोर्टें प्रस्तुत की जा चुकी हैं। 41 अन्य अभियुक्तों के ब्यौरे भी एकत्र कर लिए गए हैं और उन्हें अभियुक्त घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है। कुल 67 मामलों में से दो मामलों, जिनमें शिकायतकर्ता मुस्लिम थे, आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं और 14 मामलों, जिनमें 13 शिकायतकर्ता मुस्लिम और एक ईसाई था, के अंतिम रूप से झूठे होने की रिपोर्ट दे दी गई है। अपराध संख्या 2/सीआर/ओसीडब्ल्यू–1/10 के तहत एक मामला, दिनांक 9 फरवरी 2012 को सीबीआई एसटीएफ मुम्बई यूनिट को हस्तांतरित कर दिया गया है। शेष मामलों की जांच सीबी/सीआईडी, ओ.सी.डब्ल्यू–1, तिरूवनन्तमपुरम द्वारा की जा रही है।

4.94 आयोग ने दिनांक 15 सितम्बर, 2015 की रिपोर्टों पर विचार करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, सी.आई.डी., तिरूवनन्तपुरम को– (i) इकट्ठा किए जाने के बाद जांचाधीन मामलों की कुल संख्या; (ii) मामला–वार की गई गिरफ्तारियों की संख्या; (iii) जिन मामलों के सम्बन्ध में आरोप–पत्र दायर कर दिए गए हैं, उनका चार्जशीटेड अभियुक्तों के नामों सहित विवरण; (iv) अंतिम रूप से संसूचित किए गए मामलों की संख्या; (v) उन मामलों की संख्या जो अभी तक जांचाधीन हैं, और (vi) न्यायिक आयोग की रिपोर्ट की प्रति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निदेश दिए थे। इन सभी का उत्तर आठ सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाना था।

4.95 आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में राज्य पुलिस प्रमुख, केरल ने अपने दिनांक 2 मई, 2014 के पत्र द्वारा आयोग को यह सूचित किया कि अपराध संख्या 84/सीआर/एस1/09 (वालियाथूरा पुलिस थाना; अपराध 247/2009) के सम्बन्ध में अपर महानिदेशक पुलिस (अपराध) से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, रिपोर्ट से प्रकट होता है कि उपर्युक्त मामले में संलिप्त मुस्लिम और ईसाई दोनों समुदायों के लगभग 2000 अभियुक्त व्यक्तियों के शामिल होने का आरोप है और अपराध संख्या 84/सीआर/एस1/09 में अंतिम रिपोर्ट केवल समुचित सत्यापन तथा दोनों पक्षों के गवाहों से पूछताछ के उपरान्त शेष अभियुक्तों की पहचान के बाद ही प्रस्तुत की जा सकेगी। मामले के सभी निष्पक्ष गवाह या तो अभियुक्तों के सम्बन्धी हैं या उसी समुदाय के हैं अथवा दूसरे पक्ष के हैं जो अभियुक्तों से डरते हैं। अतः, जांच पूरी होने में काफी समय लगने की सम्भावना है और

अपराध में संलिप्त अभियुक्तों का पता लगाने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। उपर्युक्त के आधार पर, राज्य पुलिस प्रमुख, केरल ने जांच के पूरा होने के लिए समय की मांग की।

4.96 आयोग द्वारा इस मामले पर दिनांक 15 जुलाई, 2016 को विचार किया गया और राज्य पुलिस प्रमुख, केरल से आठ सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के निदेश दिए ।

ड़) इलैक्ट्रोक्यूशन (बिजली से हुई मौत) के मामले

17. उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण युवक की मृत्यु (मामला सं. 26993/24/13/2014)

4.97 उपर्युक्त उल्लिखित मामले में शिकायतकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री अशोक शंकरम, ने उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण फखरूद्दीन नामक के 20 वर्षीय युवक की मृत्यु और बिजली के तारों एवं उपकरणों के लापरवाह एवं अनुत्तरदायी तरीके से रख–रखाव के कारण करंट लगने से होने वाली मौतों के खतरे से निपटने में राज्य सरकार पर विफलता का आरोप लगाया है। उन्होंने विद्युत विभाग के लापरवाह कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया और मृतक फखरूद्दीन के निकट सम्बन्धियों को मुआवजा दिलाए जाने की सिफारिश की।

4.98 अधीक्षण अभियन्ता (एसई), विजली वितरण संभाग, रामस्नेहीघाट, बाराबंकी ने दिनांक 19 अक्तूबर, 2015 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मृतक फखरूद्दीन की माता को दिनांक 23 अगस्त, 2014 को चेक संख्या 223106 द्वारा 1,00,000/– रूपये (रुपये एक लाख मात्र) की क्षतिपूर्ति प्रदान कर दी गई है। सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस घटना की जांच भी की जा रही है। तथापि, उनसे रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है 1 इसके अतिरिक्त, एसई ने कार्यकारी अभियन्ता, ईडीडी, वितरण के बैंक खाते के विवरण की एक प्रति भी संलग्न की है, जिसमें 30 अगस्त, 2014 को एक लाख रुपये की निकासी दिखाई गई है। प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 26 अक्तूबर, 2015 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि 33/11 केवी तिकत नगर से 11 के.वी बिलखारा की विद्युत लाईन है, 11 के.वी. ओवर हैड लाईन गांव

कासबा इकौली के ऊपर से गुजरती है। गांव कासबा इकौली को 400 केवीए का पलिन्थ मांउंटेड ट्रांसफार्मर एक एलटी ओवर हैड लाईन दी गई थी। 1 अगस्त, 2014 की रात्रि को, इस लाईन का एक इलैक्ट्रिक फेस टूट गया और तालाब के पास जमीन पर गिर गया। 2 अगस्त, 2014 को प्रातः लगभग 5.40 बजे जब मृतक फखरूद्दीन शौच के लिए जा रहा था तो वह तालाब के पास गिरी हुई करंट वाली लाईन के सम्पर्क में आ गया और बिजली का करंट लगने से मर गया। रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि उपर्युक्त एल.टी लाईन का समुचित रूप से रख–रखाव नहीं हो रहा था, एल टी ट्रांसफार्मर की साईड में लगाए गए फ्यूज़ उपयुक्त क्षमता के नहीं थे और उनमें गार्डिंग भी नहीं लगी थी, जिसके परिणामस्वरूप यह हादसा हुआ। भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 20/50(i) ख(ii)/91 के तहत इस दुर्घटना के लिए रख–रखाव स्टॉफ जिम्मेदार है। उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मृतक के निकट सम्बन्धियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने और इलैक्ट्रिक ट्रांसफार्मरों तथा एलटी साइड फ्यूज़ों के रख–रखाव के लिए उत्तरदायी स्टॉफ के विरूद्ध कार्रवाई करने की संस्तुति की गई।

4.99 जब यह पता चला कि इलैक्ट्रोक्यूशन और उसके परिणामस्वरूप हुई फखरूद्दीन की मृत्यु उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत विभाग के रख–रखाव स्टॉफ की लापरवाही से हुई है तो आयोग द्वारा 19 नवम्बर, 2015 को राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार किया गया। चूंकि मृतक के निकट सम्बन्धियों को क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई 1,00,000/– रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है, अतः, आयोग ने मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(क)(i) के तहत मृतक फखरूद्दीन के निकट सम्बन्धियों को क्षतिपूर्ति के रूप में 1,00,000/– रुपये (रुपये एक लाख मात्र) की और राशि देने की संस्तुति की। चूंकि, अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, अतः, मामले को बंद कर दिया गया है।

18. उड़ीसा के भद्रक जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक गरीब किसान की मृत्यु
(मामला संख्या 1179/18/18/2014)

4.100 उड़ीसा के एक कार्यकर्ता श्री सुभाष महापात्रा ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 2014 की शिकायत में आयोग को, दिनांक 13 मार्च,2014 को इलैक्ट्रोक्यूशन के कारण, ओडिशा के

भद्रक जिले के थाना धुसूरी के अन्तर्गत आने वाले गांव मलिक साही के कश्मीरपुर ब्लॉक के अनुसूचित जाति के गति कृष्णा मलिक नामक एक गरीब किसान की मृत्यु के बारे में बताया।

4.101 राज्य प्राधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई कि बोडक सासन में 63 केवीए 11./0.4 केवी सब–स्टेशन से श्री प्रदीप कुमार जेना के निजी एल.आई. प्वाईंट को पावर सप्लाई की जा रही थी। एक वर्ष से यह प्वाईंट कार्य नहीं कर रहा था और एल.टी. लाईन क्षतिग्रस्त स्थिति में पड़ी थी। क्योंकि विभाग द्वारा इसका कनेक्शन काट दिया गया था ताकि कोई अनहोनी न हो। समीपवर्ती गांवों के ग्रामीणों के अनुसार, कुछ व्यक्तियों ने रात्रि में अपनी मोटरें चलाने के लिए इस क्षतिग्रस्त लाईन के कनेक्शन को अवैध रूप से जोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि दुर्घटना से पहले वाली रात को भी एक ट्रक इस एल.टी. लाईन के अतिम छोर से गुजरा जिसके कारण ट्रक का कन्डक्टर पोल के पास गिर गया। पीडित किसान भी उसी रास्ते पर चलते–चलते चालू लाईन के सम्पर्क में आ गया और करंट लगने के कारण उसकी तत्काल मृत्यु हो गई।

4.102 मामले पर विचार करते हुए आयोग ने यह पाया कि पुलिस अधीक्षक, भद्रक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से यह प्रथम दृष्ट्या बिजली प्राधिकारियों की समग्र लापरवाही का मजबूत मामला बनता है। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में सन्दर्भित तथ्यों को स्वीकार किया गया है और यह कहा गया है कि यदि सब स्टेशन में फ्यूज सिस्टम/ट्रिपिंग सिस्टम चालू हालत में होता तो इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को रोका जा सकता था। उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह शीशे की तरह साफ है कि मृतक गति कृष्णा मलिक की मृत्यु बिजली प्राधिकारियों की समग्र लापरवाही के कारण हुई जो कि मृतक किसान के मानव अधिकारों का उल्लंघन है। मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार को, मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा 18(क)(i) के तहत यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि मृतक के निकट सम्बन्धियों को 1,00,000/– रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की क्षतिपूर्ति का भगुतान क्यों न किया जाए? चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध की गई विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई।

4.103 आयोग ने, मामले पर आगे विचार करते हुए मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार को, मृतक गति कृष्णा मलिक के निकट सम्बन्धियों को 1,00,000/– रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की राशि के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

19. रायापीठ,चेन्नई, तमिलनाडु में करंट लगने से फुटपाथ पर रहने वाले की मृत्यु (मामला संख्या 3175/22/13/2012)

4.104 श्रीजी. डिसूजा, पो.आ. बॉक्स 8476, मुम्बई ने, अंग्रेजी दैनिक ''टाईम्स ऑफ इंडिया'' की वेबसाईट पर ''फुटपाथ पर रहने वाले की करंट से मृत्यु'' शीर्षक से अपलोड की गई दिनांक 25 अक्तूबर, 2012 की एक प्रेस क्लिपिंग, दिनांक 20 नवम्बर, 2012 को ई–मेल के माध्यम से अग्रेषित की है। प्रेस रिपोर्ट के अनुसार फुटपाथ पर रहने वाली 40 वर्षीया रेनुका, दिनांक 24 अक्तूबर, 2012 को रोयापीठ, चेन्नई, तमिलनाडु की थयार साहिब गली में रुके हुए पानी में पड़ी एक चालू केबल के सम्पर्क में आ गई। उस समय पुलिस अलर्ट हो गई थी और पावर बंद कर दी गई थी, करंट लगने से रेनुका की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी।

4.105 जारी किए गए नोटिसों के प्रत्युत्तर में आयोग को राज्य के विभिन्न प्राधिकारियों से रिपोर्टें प्राप्त हुईं।

4.106 इलैक्ट्रिक्ल इंस्पेक्टर, चेन्नई, उत्तरी डिविज़न की रिपोर्ट पर विचार करते हुए आयोग ने यह पाया कि प्रथम दृष्ट्या ऐसा प्रतीत होता है कि तमिलनाडु विद्युत बोर्ड अथवा तमिलनाडु जेनरेशन एवं वितरण कार्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण दुर्घटनावश मृत्यु हुई है।

4.107 अतः, आयोग ने दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु जेनरेशन एवं वितरण कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक को, मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा 18(क)(प) के तहत

यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि आयोग द्वारा मृतक रेनुका के निकट सम्बन्धियों को क्षतिपूर्ति देने की सिफारिश क्यों न की जाए ?

4.108 आयोग ने, दिनांक 21 मार्च, 2016 को की गई कार्रवाई में कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार करते हुए महसूस किए और निम्नानुसार निर्देश दिए:

''आयोग ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार किया और मैट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, अल्लीकुलम, चेन्नई के न्यायालय में आरोप–पत्र दाखिल किया है। राज्य सरकार द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सीईडी/सेन्ट्रल, चेन्नई टी ए एन जी ई डी सी ओ के उस बयान को पुनः प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि टी ए एन जी ई डी सी ओ द्वारा रख–रखाव की जा रही केबल लाईन में किसी फाल्ट के कारण करंट नहीं आया था, हालांकि यह स्वीकार किया गया है कि सुश्री रेनुका को करंट लगने के बाद विद्युत आपूर्ति काट दी गई थी। तथापि पुलिस विभाग ने पुलिस थाना अन्ना सालाई में टी. विल्सन सत्यनाथन, सहायक अभियन्ता, संचालन एवं रख–रखाव, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, वाजालारोड, चेन्नई–5 के विरूद्ध आई पी सी की धारा 304 ए के तहत आपराधिक मामला सं0 1627/2012 दर्ज किया है जो राज्य सरकार के तर्क का विरोधाभासी है और यह मामला विद्वान ग्प्प् मैट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, अल्लीकुलम, चेन्नई के न्यायालय में दायर किया गया है। विरोधाभासी बयानों में यह आरोप–पत्र दाखिल किया गया है कि कथित अभियन्ता ने बेरूखी दिखाई और समुचित संरक्षण देने के लिए विद्युत कनेक्शन के कार्य को ठीक प्रकार से नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप सुश्री रेनुका को करंट लग गया।

मामले के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग का यह विचार है कि मृतक रेनुका के जीवन का अंत तमिलनाडु जेनरेशन एवं वितरण कार्पोरेशन लिमिटेड की लापरवाही के कारण हुआ। अतः, आयोग यह सिफारिश करता है कि मृतक रेनुका के निकट सम्बन्धियों को एक लाख रुपये की सहायता राशि का भुगतान किया जाए।''

4.109 भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

20. मलकानगिरी, ओडिशा के स्कूल के छात्रावास में कक्षा–IV की छात्रा लड़की की करंट से मृत्यु
(मामला सं. 3072/18/29/2014)

4.110 आयोग को श्री सुधांशु कुमार नन्दा, एडवोकेट एवं मानव अधिकार कार्यकर्ता से दिनांक 4 अगस्त, 2014 को एक शिकायत प्राप्त हुई जो कि सम्बलपुर ओडिशा से प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र ''संवाद'' में छपी 4 अगस्त, 2014 की रिपोर्ट पर आधारित थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिनांक 2 अगस्त, 2014 को उर्मिला कबासी नाम की कक्षा चौथी की एक छात्रा की मृत्यु अपने छात्रावास में करंट लगने के कारण हो गई। इस छात्रावास का संचालन ओडिशा के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा था। आरोप यह था कि स्कूल के छात्रावास के भवन में 100 विद्यार्थियों को रखने के लिए स्थान कम है और बच्चे कुछ अभावों में रहते हैं। पीड़ित छात्रा ने जब मच्छरदानी लगाने की कोशिश की तो वह करंटवाले लोहे के खम्भे से छू गई, बेहोश होकर गिर गई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पिछले तीन दिनों से लगातार भारी बारिश के चलते गीला होने पर छात्रावास के पूरे भवन में करंट आ गया था और मच्छरदानी टांगने वाले लोहे के खम्भे में भी दीवार के कारण करंट आ गया था। आरोप है कि छात्रा की मृत्यु स्कूल प्राधिकारियों के साथ–साथ विभाग की लापरवाही से हुई है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में निष्पक्ष जांच करने और पीड़ित के निकट सम्बन्धियों क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग की है।

4.111 आयोग ने दिनांक 11 अगस्त, 2014 को इस मामले का संज्ञान लिया और दिनांक 23 अप्रैल,2015 के पत्र द्वारा आयुक्त–सह–सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, ओडिशा सरकार से एक रिपोर्ट तलब की जिससे यह उद्घाटित हुआ कि उस छात्रावास की प्रभारी अधीक्षक, पीयूपी स्कूल, कालीमेला की सहायक अध्यापक, जयन्ती साहू ने, छात्रावास में रहने वालों को कुक–सह–अटेन्डेन्ट तथा वॉच वार्ड की

निगरानी में छोड़कर, दिनांक 2 अगस्त, 2014 को रात्रि लगभग 9.00 बजे छात्रावास छोड़ा था। जांच से यह पता चलता है कि बिजली के सॉकेट से एक नंगा तार निकला हुआ था जिसे उपयुक्त तरीके से ढका नहीं गया था। लगातार बारिश और बारिश के पानी के रिसाव के चलते दीवार और स्विच बोर्ड गीले हो गए और छात्रावास अवसंरचना के पर्यवेक्षण एवं निगरानी में लापरवाही के कारण, विद्यार्थियों को करंट लगा। आगे यह जानकारी भी दी गई है कि जिला शिक्षा अधिकारी, मलकानगिरी द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2014 के आदेश द्वारा छात्रावास की अधीक्षक को निलम्बित कर दिया गया है और दिनांक 12 सितम्बर, 2014 के आदेश के तहत ओसीएस (सीसीए) नियमावली, 1962 के नियम 15 में मसौदागत परिवर्तन किए गए हैं। छात्रावास की अधीक्षक के विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा138 के तहत एक पुलिस केस दर्ज कराया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना के बाद छात्रावास के भवन की बिजली की पूरी वायरिंग फिर से करवाई गई। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि मृतक छात्रा के निकट सम्बन्धियों को अनुग्रह राशि के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

4.112 आयोग ने इस रिपोर्ट पर दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को विचार किया और यह महसूस किया कि छात्रावास अवसंरचना के पर्यवेक्षण एवं निगरानी में लापरवाही के कारण छात्रा को करंट लगा और उसकी मृत्यु हुई। इसमें छात्रावास स्टॉफ की लापरवाही सिद्ध होती है और राज्य सरकार भी समान रूप से उत्तरदायी है। तद्नुसार, आयोग द्वारा, ओडिशा सरकार को, इसके मुख्य सचिव के माध्यम से मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा 18(क)(i) के तहत यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि आयोग द्वारा मृतक छात्रा उर्मिला कबासी के निकट सम्बन्धियों को क्षतिपूर्ति देने की सिफारिश क्यों न की जाए? आयोग ने आयुक्त–सह–सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, ओडिशा सरकार को छात्रावास की अधीक्षक के विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा138 के तहत दर्ज कराए गए पुलिस केस और उसके विरूद्ध आरम्भ की गई विभागीय कार्रवाई के निष्कर्षों से भी चार सप्ताह के भीतर अवगत कराने का निर्देश दिया। राज्य सरकार का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था।

च) प्रदूषण एवं पर्यावरण मामले

21. उत्तरप्रदेश के चित्रकूट जिले में मन्दाकिनी नदी के साथ लगती भूमि पर अधिग्रहण के कारण गम्भीर जल प्रदूषण
(मामला संख्या 8488/24/20/2016)

4.113 आयोग को, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के श्री योगेश जैन से एक दिनांक 7 मार्च, 2016 को शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया था कि चित्रकूट जिले के अधिकांश लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए मंदाकिनी नदी पर निर्भर है। तथापि, नदी के साथ लगती भूमि पर अतिक्रमण के चलते अतिक्रमण करने वालों द्वारा गंभीर जल प्रदूषण हो गया है, चित्रकूट के लोग अपने दैनिक प्रयोग के लिए सुरक्षित पेयजल से वंचित हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को अनेक बार शिकायत की है किंतु उनके कष्टों के समाधान के लिए प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः शिकायतकर्ता ने इस मामले में आयोग से हस्तक्षेप और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

4.114 आयोग ने कार्रवाई करते हुए दिनांक 09 मार्च, 2016 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के मुख्य सचिवों और सचिव, जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अपना उत्तर चार सप्ताह के भीतर देने के निर्देश दिए।

4.115 उपर्युक्त के प्रत्यूत्तर में अपर सचिव, शहरी विकास एवं पर्यावरण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 08 मई, 2016 के पत्र के साथ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट संलग्न की। जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा 3 मई, 2016 को इस मामले की जांच की गई थी जिससे यह पता चला कि मंदाकिनी नदी के सभी सातों घाटों में 'बी' ग्रेड श्रेणी का पानी है और वह पहले पाई गई स्थिति से बेहतर है। तथापि, इस मामले की विषय वस्तु न्यायनिर्णयाधीन थी चूंकि यह राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) के पास विचाराधीन है और संदर्भित ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, नदी के पास के 14 स्थानों से अतिक्रमणों को पहले ही हटाया जा चुका है। किंतु, ट्रिब्यूनल द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण चार अन्य स्थानों पर अतिक्रमण अभी भी मौजूद हैं। स्थानीय नगर निगम द्वारा

भी नदी के पानी को प्रदूषित होने से रोकने के उपाय किए जा रहे थे। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि घरेलू कचरे और प्रदूषित पानी को नदी के पानी में मिलने से रोकने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उपाय किए गए हैं। यह जानकारी दी गई कि ठोस कचरे और अन्य कचरे जैसी सामग्रियों को डालने के लिए एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई है ,जो शहर से बाहर स्थित है।

4.116 आयोग ने रिपोर्ट में दी गई जानकारी पर ध्यानपूर्वक विचार किया। चूंकि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार और जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः दोनों को अनुस्मरण कराया गया।

4.117 इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष लम्बित मामले का ब्यौरा प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए। मामला आयोग के विचाराधीन है।

22. ज्योति नगर, दिल्ली के सीमेन्ट गोदामों द्वारा वायु प्रदूषण
(मामला संख्या 708/30/2/2016)

4.118 इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि ज्योति नगर,दिल्ली के इलाके में सीमेन्ट के असंख्य गोदाम होने के कारण वहां के निवासियों को प्रदूषित वायू में सांस लेना पड़ रहा है। गोदामों के मालिकों द्वारा ज्योति नगर, दिल्ली के पुलिस थाना कार्मिकों को रिश्वत दी जाती है। आयोग ने दिनांक 18 फरवरी, 2016 को कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को एक नोटिस भेजकर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा।

4.119 प्रत्युत्तर में, पुलिस उपायुक्त, सर्तकता, दिल्ली ने दिनांक 21 जुलाई, 2016 के अपने पत्र द्वारा अपर पुलिस आयुक्त, उत्तर–पूर्वी, दिल्ली से प्राप्त एक रिपोर्ट अग्रेषित की। जांच के दौरान ज्योति नगर पुलिस, दिल्ली ने पाया कि शिकायत फर्जी थी। किन्तु शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे कभी कोई शिकायतनहीं की और किसी ने उसके नाम का दुरूपयोग किया है। तथापि, इसी प्रकार की एक समरूप शिकायत पर दंड प्रक्रिया संहिता

की धारा 133 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे सम्बन्धित प्राधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया। मुख्य सचिव से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

4.120 आयोग ने मामले पर विचार किया और जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर–पूर्वी जिला, दिल्ली को, डीडी संख्या 13ए, दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के तहत ज्योति नगर पुलिस थाना, दिल्ली के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत आरम्भ की गई कार्रवाईयों की उपलब्धियों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट देने के निदेश दिए1 मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए एक अनुस्मारक भी भेजा गया।

4.121 सम्बन्धित प्राधिकारियों से रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और मामला आयोग के विचाराधीन है।

छ) अन्य महत्वपूर्ण मामले

23. चिकित्सा लापरवाही से एक अर्ध–सैनिक कर्मचारी की उसके कार्य–स्थल पर मृत्यु
(मामला सं. 12025/24/69/2014)

4.122 यह मामला सी.आई.एस.एफ. के कान्सटेबल भागीरथ यादव की, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में उसके डयूटी स्थल पर दिनांक 13 जनवरी, 2014 को चिकित्सा लापरवाही के कारण हुई मृत्यु से सम्बन्धित है।

4.123 आयोग द्वारा यथासंस्तुत 1,00,000/– रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की राहत राशि मृतक की पत्नी को दे दी गई थी। सी.आई.एस. एफ. के लापरवाह कार्मिक, इन्सपेक्टर वाई.सी. राजवाड़ को पहले ही सज़ा दी जा चुकी है। राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों को रिकार्ड में रखा गया और मामले को बंद कर दिया गया।

24. खलीलाबाद जिला, उत्तर प्रदेश के ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और गन्दी भाषा का प्रयोग करने के आरोप
(मामला संख्या 15666/24/65/2014)

4.124 आयोग को, खलीलाबाद जिला क्षेत्र के पुरवा माध्यमिक विद्यालय, बारगांव की मुख्याध्यापिका, श्रीमती रामराजी देवी, से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिनांक 23 अप्रैल, 2014 को विद्यालय का निरीक्षण के करने के दौरान उपस्थिति रजिस्टर में उल्लिखित 59 बच्चों में से दो बच्चे गायब पाए जाने पर श्री अर्जुन सिंह, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खलीलाबाद तथा विद्यालय समन्वयक चन्द्रशेखर ने गन्दी भाषा का प्रयोग किया और उनसे 1,000/– रुपये मांगे। आरोप है कि, आधिकारियों को यह स्पष्टीकरण, कि एक बच्चा विद्यालय में ही बीमार हो गया था और दूसरा उसे उसके घर छोड़ने गया है, देने के बावजूद भी उन्होंने श्रीमती रामराजी देवी को धमकी दी कि यदि आप राशि नहीं देंगी तो आपकी भविष्य निधि, पेन्शन और वेतन रोक दिया जाएगा। इन अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण श्रीमती रामराजी देवी को मानसिक आघात पहुंचा और वे बेहोश हो गईं जिसके कारण उन्हें बेहोशी की हालत में ही जिला अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा और बाद में, उनकी देख–रेख कर रहे डाक्टरों द्वारा उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। उन्होनें आयोग से अपील की है कि निरीक्षण अधिकारियों के गलत व्यवहार के कारण उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

4.125 आयोग ने दिनांक 26 मई, 2014 को मामले का संज्ञान लिया और सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार से दिनांक 12 मई, 2015 को एक रिपोर्ट मिली जिससे प्रकट होता है कि श्री अर्जुन सिंह, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खलीलाबाद ने दिनांक 23 अप्रैल, 2014 को केवल विद्यालय का निरीक्षण किया था और मुख्याध्यापिका, श्रीमती रामराजी देवी से प्रश्न पूछे थे, किन्तु उन्हें प्रताडित नहीं किया गया। तथापि, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट नहीं किया है कि मात्र प्रश्न पूछे जाने के कारण ही मुख्याध्यापिका इस कदर बेहोश कैसे हो गईं कि उन्हें तत्काल जिला अस्पताल, सन्त कबीर नगर और बाद मे मेडीकल कॉलेज, गोरखपुर ले जाना पड़ा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता, मुख्याध्यापिका, श्रीमती रामराजी देवी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। अत:, सम्बन्धित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और सहायक समन्वयक को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दिनांक11 मई, 2015 को जिला बेसिक शिक्षा

अधिकारी द्वारा अर्जुन सिंह और चन्द्रशेखर को चेतावनी दी गई थी और उन्हें समझाया भी गया था तथा इसकी जानकारी शिक्षा निदेशालय (बेसिक), उत्तर प्रदेश सरकार को भी दी गई थी।

4.126 इन रिपोर्टों पर विचार करते हुए दिनांक 25 मई, 2015 को आयोग ने महसूस किया कि इसमेंकोई सन्देह नहीं कि बूढी औरत, जो अब सरकारी स्कूल से सेवा–निवृत्त हो चुकी हैं, को इतना अधिक पेरशान किया गया कि वह बेहोश हो गई और उसे अस्पताल, पहले जिला अस्पताल में और बाद में मेडीकल कॉलेज, गोरखपुर में दाखिल करवाना पड़ा। सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार की दिनांक 12 मई, 2015 की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सम्बन्धित अधिकारियों को उनके दुर्व्यव्हार के कारण दंडित किया जा चुका है। शिकायतकर्ता ने यह आरोप भी लगाया है कि लोक सेवकों के अस्वाभाविक व्यवहार के कारण उसे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान हुआ है। यह सिद्ध होता है कि लोक सेवकों द्वारा शिकायतकर्ता को परेशान किया गया, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और इस प्रकार उसके मानवाधिकारों का हनन हुआ। तदनुसार, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा18 के तहत, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस भेजा कि पीडित श्रीमती रामराजी देवी को वित्तीय क्षतिपूर्ति क्यों न दी जाए, और इसका उत्तर छह सप्ताह के भीतर देने के लिए कहा। प्रधान सचिव (शिक्षा), उत्तर प्रदेश सरकार को, श्रीमती रामराजी देवी को वेतन, पेन्शन, ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी प्रकार की विसंगति और उनको पेन्शन, ग्रेच्युटी और वेतन का भुगतान न किए जाने/कम भुगतान किए जाने के आरोपों के सम्बन्ध में भी, एक की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए। राज्य सरकार का उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

25. पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में श्री जगदीश चन्द्र पर तेज़ाब से हमला
(मामला संख्या 20006/24/60/2015)

4.127 शिकायतकर्ता, श्री जगदीश चन्द्र सुपुत्र श्री श्याम लाल ने अपनी शिकायत में कहा है कि 18/19 मार्चकी रात को 00:50 बजे, श्रीमती मंजू देवी पत्नी ओमप्रकाश और पूजा

देवी सुपुत्री ओम प्रकाश ने उन पर तेजाब फेंका। उनके पूरे शरीर पर जलने के घाव हो गए और वे जिला अस्पताल, पीलीभीत में अपना इलाज करवा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध कारवाई में आयोग द्वारा हस्तक्षेप करने और सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है।

4.128 सुसंगत अभिलेखों और प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करने के उपरान्त आयोग ने महसूस किया कि श्री जगदीश चन्द्र तेजाब के हमले के पीडित हैं। लक्ष्मी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के अधिनिर्णय का सन्दर्भ देते हुए, आयोग ने, बाद की देख–रेख और पुनर्वास लागत के तौर पर पीडित जगदीश चन्द्र को 3,00,000/– रुपये (तीन लाख रुपये मात्र) का भुगतान करने की संस्तुति की।

4.129 भुगतान का प्रमाण प्रतीक्षित है।

ज) कारागारों में हालात

क. कारागारों के दौरे

4.130 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(सी) के अनुसार आयोग द्वारा "राज्य सरकार के नियन्त्रण में किसी कारागार अथवा ऐसे अन्य संस्थान, जहां व्यक्तियों को उपचार, सुधार अथवा संरक्षण के लिए नजरबंद किया जाता है या रखा जाता है, वहां रहने वालों के रहन–सहन की परिस्थितियों के अध्ययन के लिए और उस सम्बन्ध में सरकार को सिफारिशें करने के लिए .... का दौरा किया जा सकता है।" तदनुसार, नियुक्त किए गए विशेष संपर्ककर्त्ताओं सहित आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूरे वर्ष देश की विभिन्न कारागारों और अन्य सुधारगृहों का दौरा किया जाता है ताकि दिए गए अधिदेश को पूरा किया जा सके।

4.131 दिनांक 1 अप्रैल,2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कारागारों और अन्य सुधार संस्थानों के किए गए दौरों का विवरण निम्नानुसार था:

क्र.सं.	कारागार/संस्थान का नाम	दौरे की तारीख	जिसके द्वारा दौरा किया गया
1.	जिला कारागार, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	9-14/03/2015	श्रीमती एस. जलजा, विशेष संपर्ककर्त्ता
2.	जिला कारागार, गुमला, झारखंड	27/07/2015	
3.	सीहोर, सीतामढ़ी और दरभंगा, बिहार	15/08/2015	
4.	केन्द्रीय कारागार, धुमका, झारखंड	15/08/2015	
5.	जिला कारागार, गिरीडीह, झारखंड	13/08/2015	
6.	जिला कारागार, फरीदकोट, जिला कारागार, मुकसर एवं मानसा पंजाब	14/08/2015	
7.	लड़कों के लिए महसूस गृह, जिला फरीदकोट, पंजाब	16/09/2015	
8.	छत्तीसगढ़ का कावरधा जिला	16/09/2015	श्री एस. नारायण, विशेष संपर्ककर्त्ता
9.	उड़ीसा का कंधमाल जिला		श्री पी.पी.माथुर एवं श्री दामोदर सारंगी, विशेष संपर्ककर्त्ता
10.	लुधियाना जिले की महिला कारागार का दौरा	14/01/2016	श्री अखिल के. जैन विशेष संपर्ककर्त्ता
11.	मलेरकोटला, जिला संगरूर कारागार, पंजाब	15/01/2016	
12.	जिला कारागार, रोहतक, हरियाणा	02/01/2016	
13.	जिला कारागार, हिसार, हरियाणा	23/01/2016	
14.	मॉडल कारागार, चण्डीगढ़	19/01/2016	श्री एस.सी. सिन्हा, सदस्य
15.	सहारनपुर जिला कारागार	19-20/02/2016	श्री सुनील कृष्ण, विशेष संपर्ककर्त्ता
16.	माडर्न कारागार जिला लखनऊ	4-5/3/2016	श्री एस.सी. सिन्हा, सदस्य

4.132 इसके अतिरिक्त, उनके रहन–सहन के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए जांच प्रभाग के अधिकारियों द्वारा भी केन्द्रीय अथवा राज्य की कारागारों का दौरा किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	कारागार/संस्थान का नाम	दौरे की तारीख	जिसके द्वारा दौरा किया गया
1.	केन्द्रीय कारागार, जगद्लपुर, बिलासपुर एवं रायपुर, छत्तीसगढ़	05–13 अक्तूबर, 2015	श्री राजवीर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक एवं श्री आई. पी. सिंह, निरीक्षक
2.	केन्द्रीय कारागार, लखनऊ	3–7 मार्च, 2016	श्री रवि सिंह, पुलिस उपाधीक्षक
3.	तिहाड जेल, नई दिल्ली	16–18 मार्च, 2016	श्री एम.एस.गिल एवं श्री रवि सिंह, पुलिस उपाधीक्षक

4.133 सदस्यों, विशेष संपर्ककर्त्ताओं और अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों को अध्यक्ष अथवा पूर्ण आयोग के समक्ष रखा जाता है और उस सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों को अनुपालन के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाता है।

ख. कारागार प्रदूषण का विश्लेषण

4.134 आयोग कारागारों और नजरबंद करने वाले अन्य संस्थानों में बहुत अधिक भीड़ जैसी समस्याओं के कारण सुविधाओं की दयनीय स्थिति के बारे में अत्यन्त चिन्तित है।

4.135 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के सन् 2015 के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर अनेक राज्यों के कारागारों में अत्यधिक भीड़ की समस्या पाई गई। वर्ष के अंत तक कारागार में रहने वालों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में थी अर्थात् 88,747 व्यक्ति (85,214 पुरूष और 3,533 महिलाएं), इसके उपरान्त मध्य प्रदेश राज्य में 38,548 व्यक्ति (37,136 पुरुष और 1,322 महिलाएं), महाराष्ट्र में 29,657 व्यक्ति (28, 321 पुरुष और 1,336 महिलाएं), बिहार में 28,418 व्यक्ति (27,527 पुरुष और 891 महिलाएं) तथा पंजाब में 23,645 व्यक्ति (22,510 पुरुष और 1,135 महिलाएं) कारागारों में थे।

4.136 देखने में आया है कि कारागारों में भीड़ अधिक होने का प्रमुख कारण विचारणाधीन कैदियों की दिन–प्रति–दिन बढ़ती संख्या और विचारण अवधि है जिसके कारण वे काफी लम्बे समय तक कारागारों में सड़ते रहते हैं। कुछेक मामलों में तो यहां तक पाया गया है कि विचारणाधीन कैदी इतने वर्षों तक कारागार में रहते हैं, जो किसी अपराध के लिए किसी दांडिक कानून के तहत निर्धारित की गई सज़ा से भी कहीं अधिक समय होता है। एकत्र किए गए आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि विचारणाधीन कैदियों का सबसे अधिक प्रतिशत उत्तर प्रदेश (62,669) में है, उसके बाद बिहार (23,424), महाराष्ट्र (21,667), मध्य प्रदेश (21,300), पश्चिम बंगाल (15,342), राजस्थान (14,225), झारखंड (13,588), पंजाब (13,046), ओडिशा (12,584), दिल्ली (10,879) और हरियाणा (10,489) में विचारणाधीन कैदियों का प्रतिशत सबसे अधिक है।

4.137 कारागार सांख्यिकीय आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण से राज्यों द्वारा कारागारों में अत्यधिक भीड़ को नियन्त्रित करने के लिए गम्भीर प्रयास किए जाने की सतत् आवश्यकता का पता चलता है। कारागारों में अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिए कारागारों के सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा सांविधियों में उल्लिखित प्रावधानों (पैरोल, जमानत, फरलो, शार्ट लीव और अपील याचिकाओं इत्यादि के रूप में) का मुक्त रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। कारागार प्राधिकारियों को ऐसी प्रक्रियाएं पूरी करने में सहायता प्रदान करने के

लिए, कारागारों में रहने वालों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए, कारागार समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

झ) कारागार सुधार

क) कारागार अधिनियम, 1894 में संशोधन के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में विशेषज्ञ समिति का गठन

4.138 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नवम्बर 2014 में आयोजित किए गए कारागार सुधारों पर राष्ट्रीय सेमिनार में की गई सिफारिशों के अनुसरण में आयोग ने, कारागार अधिनियम, 1894 को मानव अधिकार मानदंडों, उच्चतम न्यायालय के अधिनिर्णयों और भारत के लिए बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप बनाने हेतु, उसमें किए जाने वाले संशोधनों का सुझाव देने के लिए, दिनांक 18 मार्च, 2015 को श्री संजय कुमार, प्रधान सचिव, गृह (कारागार), पंजाब सरकार की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति की प्रथम बैठक श्री संजय कुमार की अध्यक्षता में दिनांक 17 जुलाई, 2015 को आयोग के कार्यालय में आयोजित की गई।

ञ) उत्तर प्रदेश में विचारणाधीन कैदियों पर प्रायोगिक अध्ययन

4.139 जैसा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2014–2015 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि आयोग ने फरवरी 2015 में सेन्टर फॉर इक्विटी स्टडीज़, नई दिल्ली के सहयोग से उत्तर प्रदेश के पांच जिलों मं विचारणाधीन कैदियों पर एक प्रायोगिक अध्ययन प्रारम्भ किया था। ये जिले–बांदा, गाजियाबाद, खेड़ी, मऊ और सहारनपुर हैं। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, विचारणाधीन कैदियों द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति सहित उनके सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रोफाईल को समझना और उन धाराओं, जिनके तहत प्राधिकारियों द्वारा उनका विचारण किया जा रहा था; अपर्याप्त विधिक प्रतिनिधित्व की सम्भावित चालबाजी के कारण विचारणाधीन कैदियों के दुखों के कारणों; संस्थागत भेद–भावों और कमियों का पता लगाना; और उन तन्त्रों, जिनके कारण उन्हें समय पर और यथोचित न्याय मिलने में देरी हुई सहित उन्हें प्रदान किए गए न्याय का समग्र रूप से मूल्यांकन करना था।

4.140 सेन्टर फॉर इक्विटी स्टडीज़ द्वारा प्रायोगिक अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट निर्धारित समय–सीमा के अनुसार प्रस्तुत कर दी गई थी, जिसकी जांच आयोग द्वारा की जा रही है।

विस्तार क्षेत्र

5.1 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत द्वारा समय के साथ–साथ नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से सम्बन्धित मामलों पर नज़र रखने के लिए एक कड़े निगरानी तन्त्र विकसित किए गए हैं। हालांकि इनमें से कुछेक तन्त्र, आयोग को पी.एच.आर. अधिनियम, 1983 द्वारा दिए गए अधिदेश के आधार पर विकसित किए गए हैं जबकि कुछ अन्य का विकास मानवाधिकारों के संरक्षण, निगरानी और संवर्धन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत समझौतों एवं विशेष प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया है। आयोग द्वारा तैयार किए गए मुख्य तन्त्रों में अनेक प्रकार के मानवाधिकार मुद्दों पर पूर्ण आयोग एवं सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठकें, शिविर बैठकों और खुली सुनवाई, विशेष संवाददाताओं की मदद लेना और कोर एवं विशेषज्ञ समूह की स्थापना करना शामिल है।

क. आयोग की बैठकें

5.2 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्ण आयोग द्वारा 49 बैठकों में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर विचार–विमर्श किया गया और 493 मामलों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, दो संभागीय पीठों ने 45 बैठकों में 496 मामलों पर विचार किया। मुख्य रूप से कश्मीरी विस्थापितों के आठ मामलों की सुनवाई आयोग के शिविर बैठक में की गई।

ख. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शिविर बैठकें और जन सुनवाई

5.3 लम्बित शिकायतों के शीघ्र निपटान और संवेदनशील मानवाधिकार मुद्दों पर राज्य पदाधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए, आयोग द्वारा राज्यों की राजधानियों में शिविर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने तिरुवनन्तपुरम, केरल (8–10 अप्रैल, 2015) और आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के लिए हैदराबाद में (22–24 अप्रैल, 2015) शिविर बैठकों का आयोजन किया। आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेसन द्वारा पुडुचेरी में दिनांक 28 से 30 अप्रैल, 2015 को एक एकल सदस्य शिविर बैठक का आयोजन भी किया गया।

5.4 तिरूवनन्तपुरम, केरल में आयोजित अपनी तीन दिवसीय शिविर बैठक में,न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाले पूर्ण आयोग ने 19 मामलों की सुनवाई की और पुलिस एन्काउन्टर में हुई मौतों के 05 मामलों की सुनवाई संभागीय पीठ की बैठकों में की गई। आयोग ने इंडोसलफान पीडितों के दावों का निपटान करने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना में धीमी प्रगति पर असन्तुष्टि व्यक्त की और केरल सरकार से इसका निपटान शीघ्र करने के लिए कहा।

5.5 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए हैदराबाद में आयोजित शिविर बैठकों के दौरान आयोग ने कुल 38 मामलों की सुनवाई, 17 पूर्ण आयोग में और 21 दो संभागीय पीठों की बैठकों में की। इन मामलों में दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान मारे गए 20 लाल चंदन के तस्करों की मृत्यु का मामला भी शामिल है।

5.6 दिनांक 28 से 30 अप्रैल, 2015 के दौरान पुडुचेरी में आयोजित शिविर बैठक में 41 मामलों का निपटान किया गया।

5.7 विगत में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक (दक्षिण के चार राज्यों–आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के लिए बेंगलुरू में), ओडिशा, गुजरात, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल राज्यों

और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए) राज्यों में शिविर बैठकों का आयोजन किया जा चुका है।

5.8 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा तिरूवंतपुरम, केरल (8 अप्रैल, 2015) और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के लिए हैदराबाद (22 अप्रैल, 2015) में खुली सुनवाई का आयोजन किया गया।

5.9 तिरूवंतपुरम में खुली सुनवाई के दौरान आयोग ने 85 मामलों के संबंध में कार्रवाई की। अधिकांश मामलों में, शिकायतकर्ताओं द्वारा संबंधित प्राधिकारियों की उपस्थिति में आयोग के समक्ष अपनी शिकायतें उठाई गईं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप अनेक शिकायतकर्ताओं को राहत मिली।

5.10 हैदराबाद में की गई खुली सुनवाई के दौरान आयोग ने क्रमशः 3 पीठों में कुल 61 मामलों की सुनवाई की।

5.11 ऐसी खुली सुनवाई अब तक ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए) राज्यों में की जा चुकी है।

ग. सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक

5.12 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत द्वारा समाज के अत्यंत संवेदनशील वर्गों के विचारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पी.एच.आर. अधिनियम की धारा 3(3) में यह उल्लेख किया गया है कि पी.एच.आर. अधिनियम, 1993 की धारा 12 के खंड (ख) से (ञ) में विनिर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन करने के लिए निम्नलिखित को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यवत्त माना जाएगा :

क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष;

ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष;

ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष;

घ) राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष;

5.13 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ मिलकर उपर्युक्त सभी द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सांविधिक पूर्ण आयोग का गठन करेंगे और इनकी बैठकें नियमित अंतरालों पर होंगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) के अध्यक्ष को अपनी सभी सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठकों में 'विशेष आमंत्रित' के रूप में आमंत्रित किया जाएगा चूंकि एन.सी.पी.सी.आर. पर बच्चों के अधिकारों से संबंधित सभी मुद्दों की अत्यधिक जिम्मेदारी है।

5.14 सांविधिक पूर्ण आयोग की पिछली बैठक दिनांक 3 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई। सांविधिक पूर्ण आयोग (एस.एफ.सी.) की इस बैठक की अध्यक्षता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन द्वारा की गई और इस बैठक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों– न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेसन और श्री एस. सी. सिन्हा; राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एन.सी.एम.) के अध्यक्ष श्री नसीम अहमद; राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन.सी.एस.सी.) के अध्यक्ष श्री पी.एल. पूनिया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) के उपाध्यक्ष श्री रवि ठाकुर उपस्थित हुए तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) के अध्यक्ष श्री वी.एस. ओबरॉय ने विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लिया।

5.15 इस बैठक में– राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शिकायत प्रबंधन सूचना प्रणाली को अन्य राष्ट्रीय आयोगों के साथ जोड़ने; राष्ट्रीय आयोगों की स्वतंत्रता और स्वायत्ता; सभी राष्ट्रीय आयोगों में उनकी अपेक्षता के अनुसार मूलभूत अवसंरचना और संसाधनों की उपलब्धता; विशेष आमंत्रित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) सहित सभी सदस्य आयोगों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की तिमाही/छमाही बैठकों के प्रस्ताव देने सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई।

5.16 सांविधिक पूर्ण आयोग द्वारा, विशेष आमंत्रित एन.सी.पी.सी.आर. सहित सभी सदस्य आयोगों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की आवधिक बैठकें आयोजित करने के एक प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया।

5.17 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शिकायत प्रबंधन सूचना प्रणाली को अन्य राष्ट्रीय आयोगों के साथ जोड़ने, एन.सी.पी.सी.आर. और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बीच अभिसरण को सुदृढ़ बनाने; दूसरी सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के समय भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के ढांचे; महिलाओं के प्रति हिंसा के सतत् मामलों और दांडिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2013 के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोगों की प्रथम सचिव स्तरीय बैठक का आयोजन दिनांक 25 फरवरी, 2016 को किया गया।

घ. विशेष संपर्ककर्त्ता

5.18 आयोग के विशेष संपर्ककर्त्ता मानवाधिकारों के विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें क्षेत्र विशेष अथवा राज्य विशेष संबंधी मानवाधिकार मुद्दों पर रिपोर्ट और परामर्श देने के निर्देश देते हुए विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है। विशेष संपर्ककर्त्ताओं की व्यवस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तंत्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें सभी सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जैसे सभी मानवाधिकार आते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, दिव्यांगता इत्यादि जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी कवर किया जाता है और अपने अथवा अन्य लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्रतितोष पाने की दृष्टि से लोगों में पी. एच.आर. अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जाता है। विशेष संपर्ककर्त्ता वे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो सेवानिवृत्ति से पहले भारत सरकार के सचिवों अथवा पुलिस महानिदेशकों के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके होते हैं अथवा जिन्होंने मानवाधिकारों से संबंधित क्षेत्र में अनुकरणीय सेवा की होती है। विशेष संपर्ककर्त्ताओं की स्कीम के संबंध में एक प्रति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट http://www.nhrc.nic.in/Documents/Scheme and Guideline में वित Engagement_of_Special_Rappoteurs_17_06_2015.pdf पर उपलब्ध है।

5.19 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विशेष संपर्ककर्त्ताओं की स्थिति निम्नानुसार थी:–

क्र.सं.	कवर किया जाने वाला जोन/क्षेत्र	विशेष संपर्ककर्त्ता का नाम
1.	**उत्तरी जोन–I** (पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड)	**श्री ए. के. जैन,** आइ. एस. (सेवानिवृत्त)
2.	**उत्तरी जोन–II** (उत्तर प्रदेश)	**श्री सुनील कृष्ण,** आइ.पी.एस. (सेवानिवृत्त)
3.	**पश्चिमी क्षेत्र** (महाराष्ट्रा), गोवा, गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव)	**रिक्त**
4.	**मध्य जोन-I** (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान)	**श्री गोपो बिहारी पांडा**
5.	**मध्य जोन-II** (बिहार और झारखंड)	**श्रीमती एस.जलजा.,** आइ.ए.एस. (सेवानिवृत्त)
6.	**पूर्वी जोन–I** (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)	**श्री दामोदर षडंगी,** आइ.एस. पी., (सेवानिवृत्त)
7.	**दक्षिणी जोन–I** (मिलनाडु पुडुचेरी, केरल एवं लक्षद्वीप)	**श्री जैकब पुन्नोस,** आइ.पी.एस. (सेवानिवृत्त)
8.	**दक्षिणी जोन–II** (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक)	**ले.जी.पी.** (सेवानिवृत्त) जनरल कामथ
9.	**पूर्वोत्तर जोन–I** (तमिलनाडु, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा)	**रिक्त**
10.	**पूर्वोत्तर जोन–II** (असम, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश)	**श्री अनिल प्रधान,** आइ.एस.पी. (सेवानिवृत्त)
11.	**बंधुआ मजदूर/बाल श्रम**	**डॉ. अशोक साहू,** आइ.ई.एस. (सेवानिवृत्त)

ङ. कोर एवं विशेषज्ञ समूह

5.20 कोर एवं विशेषज्ञ समूह में प्रख्यात व्यक्ति अथवा विषय के विशेषज्ञ अथवा आयोग द्वारा अपेक्षित क्षेत्र चाहे वह स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, दिव्यांगता हो, बंधुआ मजदूरी इत्यादि हो के क्षेत्र में कार्य कर चुके सरकार अथवा तकनीकी संस्थानों अथवा गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये समूह अपनी विशेषज्ञता के अनुसार आयोग को विशिष्ट परामर्श देते हैं। वर्ष 2014–2015 के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कार्यरत कुछ महत्वपूर्ण कोर एवं विशेषज्ञ समूहों का विवरण नीचे दिया गया है:

- स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह
- मानसिक स्वास्थ्य पर कोर परामर्शी समूह
- दिव्यांगता पर कोर परामर्शी समूह
- गैर सरकारी संगठनों के संबंध में कोर परामर्शी समूह
- अधिवक्ताओं के संबंध में कोर परामर्शी समूह
- भोजन के अधिकार के संबंध में कोर परामर्शी समूह
- वृद्ध व्यक्तियों के संरक्षण और कल्याण के संबंध में कोर परामर्शी समूह
- बंधुआ मजदूरी के संबंध में कोर परामर्शी समूह
- सिलिकोसिस पर विशेषज्ञ समूह
- आपात चिकित्सा देख–रेख पर विशेषज्ञ समूह

5.21 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कोर एवं विशेषज्ञ समूहों की बैठकें आवश्यकता पड़ने पर आवधिक रूप से नियमित अंतरालों पर आयोग में बुलाई जाती है। पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान कोर एवं विशेषज्ञ समूह की आयोग में आयोजित कुछ बैठकों, जिनमें इन मुद्दों का उठाया गया, का ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट के अनुवर्ती अध्यायों में दिया गया है।

गैर सरकारी संगठनों के कोर ग्रुप की बैठक

5.22 मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(i) के अनुसरण में आयोग द्वारा अपने गठन से ही गैर सरकारी संगठनों और मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाता रहा है। आयोग द्वारा मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के क्षेत्र में आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों, परियोजनाओं इत्यादि में प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों को सहयोजित किया जाता है और भागीदार बनाया जाता है।

5.23 गैर–सरकारी संगठनों और सभ्य समाज के संगठनों से विचार–विमर्श करने के लिए आयोग ने 17 जुलाई, 2001 को गैर सरकारी संगठनों के एक कोर ग्रुप का गठन किया। पिछली बार इस समूह का गठन 16 सितम्बर, 2011 में किया गया और इसमें 11 सदस्यों को शामिल किया गया। इस कोर ग्रुप की पिछली बैठक 22 मार्च, 2013 को आयोग के कार्यालय में आयोजित की गई। सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार मानव अधिकारों और जागरूकता के विभिन्न पहलुओं जैसे– मणिपुरी कार्यकर्ता एवं कवि सुश्री इरोम चानू शर्मिला की भूख हड़ताल; प्रताडना निवारण विधेयक, 2010 के अधिनियमन; राष्ट्रीय मानाधिकार आयोग की कार्रवाईयों के रख–रखाव/अपलोडिंग; भारत के राष्ट्रपति की दायर की गई दया याचिकाओं तक पहुंच से इन्कार; जेलों में माताओं के साथ रहने वाले और जेल जाने वाले बच्चों तथा कमज़ोर वर्गों को विधिक सहायता देने; हिंसा को रोकने में किसी लोक सेवक की लापरवाही; न्यायालय की अनुमति से विधिक कार्रवाईयों में हस्तक्षेप; ई.डब्ल्यू.एस. क्वार्टर्स, बंगलौर से 5,000 लोगों को अवैध रूप से निकालने; कर्नाटक में एस.टी.एफ. के लम्बित मामलों; दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को आयोजित किए गए मानव अधिकार शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन पर अनुवर्ती कार्रवाई; दांडिक कानूनों में संशोधन; लापता बच्चों को बचाना एवं उनका पुर्नवास; तथा जिला न्यायालयों को मानव अधिकार न्यायालय घोषित करने की घोषणा के सम्बन्ध में हुई प्रगति पर चर्चा की गई।

5.24 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान, मानवाधिकार के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े देशभर के विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों को व्यापक प्रतिनिधित्व देने के लिए गैर सरकारी संगठनों के कोर ग्रुप को पुनर्गठित करने के मामले पर फिर से विचार किया गया।

National Human Rights Commission
ING OF STATE HEALTH SECRETARIES
ON
MENTAL HEALTH CARE
National Human Rights Commission
MEETING
OF
STATE HEALTH SECRETARIES
ON
MENTAL HEALTH CARE

National Human Rights Commission
MEETING OF STATE HEALTH SECRETARIES
ON
MENTAL HEALTH CARE
National Human Rights Commission
MEETING
OF
STATE HEALTH SECRETARIES
ON
MENTAL HEALTH CARE

अध्याय - 6

स्वास्थ्य का अधिकार

6.1 स्वास्थ्य के अधिकार को मानव की गरिमा और कल्याण के लिए मूलभूत रूप से सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त है। इसका तात्पर्य केवल रोगों और दरिद्रता का नहीं होना ही नहीं है बल्कि सभी व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के सर्वोच्च प्राप्य मानक प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, इसमें समस्त चिकित्सा सेवाएं, स्वच्छता, पर्याप्त आहार, उपयुक्त आवास, कार्य करने का सम्मानजनक माहौल और एक स्वच्छ वातावरण शामिल हैं। स्वास्थ्य के अधिकार में यह भी शामिल है कि सभी के लिए समान आधार पर स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच की गारंटी सार्वभौमिक रूप से होनी चाहिए। यह किफायती और सभी के लिए समावेशी होनी चाहिए तथा जहां कहीं भी इसकी आवश्यकता है, यह भौतिक रूप से पहुंच योग्य हो। इसके अतिरिक्त सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षित स्वास्थ्य परिचर्या, पेशेवर, अर्द्ध–पेशेवर आदि की पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना होनी चाहिए ताकि सभी समुदायों तक पहुंचा जा सके। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति को उन लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जिसके लिए उसे बनाया गया है तथा चिकित्सा नैतिकता और गोपनीयता का सम्मान करते हुए लिंग, उम्र, संस्कृति, भाषा, आय, सामाजिक स्थिति और जीवन के विभिन्न तरीकों और क्षमताओं के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

6.2 स्वास्थ्य के अधिकार को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (अनुच्छेद 25), आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (अनुच्छेद 12), हर प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (अनुच्छेद 5), महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (अनुच्छेद 12 और 14), बाल अधिकारों पर सम्मेलन (अनुच्छेद 24) और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन (अनुच्छेद 25) सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों और घोषणाओं द्वारा गारंटी प्राप्त है। इसके अलावा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन और बाल अधिकारों पर सम्मेलन पर निगरानी रखने वाले संधि निकायों ने स्वास्थ्य के अधिकार और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर सामान्य अनुशंसाओं और सामान्य टिप्पणियों को अपनाया है। ये अपनी संबंधित संधियों में पाए गए प्रावधानों के बारे में एक आधिकारिक और विस्तृत व्याख्या करते हैं। इन सभी सम्मेलनों को भारत सरकार ने समर्थन दिया है।

6.3 स्वास्थ्य के अधिकार को भारत के संविधान सहित दुनिया भर के राष्ट्रीय संविधानों द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य के अधिकार की व्याख्या जीवन के अधिकार के एक आवश्यक घटक के रूप में की है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने अक्टूबर 1993 में अपने अस्तित्व में आने से लेकर यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य के अधिकार के मुद्दे पर निगरानी रखी है कि सभी स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं न केवल अच्छी गुणवत्ता और भेदभाव रहित हों अपितु देश भर के लोगों विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्ग के लिए आसानी से उपलब्ध, सुलभ और किफायती हों। प्रस्तुत अध्याय आयोग द्वारा 2015–2016 के दौरान स्वास्थ्य के अधिकार पर प्रकाश डालता है।

क. सिलिकोसिस

6.4 एनएचआरसी ने 25 जुलाई 2014 को नई दिल्ली में सिलिकोसिस पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में तीन प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें तीन पूर्ण सत्र शामिल हैं:

सत्र–I: सिलिकोसिस की मौजूदा स्थिति और सिलिकॉस एवं अन्य पहलों के निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास और मुआवजे के पहलुओं/उत्तम अभ्यासों पर एनएचआरसी की सिफारिशों का क्रियान्वयन

सत्र–II: जमीनी वास्तविकता का विवरण– सिविल सोसाइटी के बारे में आगे का दृष्टिकोण

सत्र–III: सिलिकोसिस; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और अन्य विधान और विनियम

6.5 तीन पूर्ण सत्रों में आयोजित विचार–विमर्श के आधार पर, राष्ट्रीय सम्मेलन में 20 सिफारिशें की गईं। ये सिफारिशें एन.एच.आर.सी. वार्षिक रिपोर्ट 2014–2015 के अध्याय 6 में 'स्वास्थ्य का अधिकार' में दी गई थीं। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष ने इन सिफारिशों को अक्टूबर 2014 में इस अनुरोध के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भेजा था कि संबंधित सरकारों द्वारा इनके कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जाए और आयोग को कृत कार्रवाई की जानकारी दी जाए। इसके बाद, उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक अनुस्मारक जारी किया गया, जिन्होंने इस मामले में अपनी कृत कार्रवाई की रिपोर्ट को अग्रेषित नहीं किया था। जिन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी थी, वो हैं– असम, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, पुदुचेरी, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। शेष राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पुनः 24 फरवरी 2016 को स्मरण दिलाया गया कि वे जल्द से जल्द आयोग को अपनी कृत कार्रवाई की रिपोर्ट भेजें जिससे कि पीड़ित श्रमिकों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जा सकें।

ख. एन.एच.आर.सी. के कार्यवाहक अध्यक्ष ने व्यवसायिक स्वास्थ्य पर एक समारोह में भाग लिया

6.6 न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, 12 मई, 2015 से 28 फरवरी तक कार्यवाहक अध्यक्ष, ने भारतीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संघ (पश्चिम बंगाल) द्वारा 15 जुलाई, 2015

को कोलकाता में आयोजित "व्यवसायिक स्वास्थ्य : संवैधानिक अनुपालन से गुणकारी प्रदर्शन– चुनौतियां और अवसर" पर आयोजित समारोह का उद्घाटन किया और उसमें शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य दिवस मनाने की कड़ी में पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के सहयोग से किया गया।

6.7 मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ ने व्यवसायिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर राज्य सरकार को साथ लाने के चिकित्सकों की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम लोगों में व्यवसायिक स्वास्थ्य के महत्त्व को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा करने और उन्हें प्रेरित करने में सहायता करते हैं। उन्होंने कानून के उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया ताकि कानून केवल कागजों तक ही सीमित न रहे।

6.8 श्री बारून कुमार सिकदर, अध्यक्ष, भारतीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संघ; श्री आर. सी.दत्ता, डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, पश्चिम बंगाल सरकार; श्री अमित्व सरकार, निदेशक, भारतीय समाज कल्याण और व्यवसाय प्रबंधन संस्थान; और श्री गौतम रे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, अन्य प्रमुख वक्ताओं में थे।

ग. स्वास्थ्य परिचर्चा अधिकार पर एन.एच.आर.सी. की पश्चिमी क्षेत्र जन सुनवाई

6.9 एन.एच.आर.सी. द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधन सोसायटी, नई दिल्ली और सोसायटी नेटवर्क, जन स्वास्थ्य अभियान के सहयोग से 6 और 7 जनवरी, 2016 को स्वास्थ्य परिचर्चा अधिकार पर दो दिवसरीय पश्चिमी क्षेत्र जन सुनवाई की गई। मुम्बई में एक सिविल क्षेत्रीय सुनवाई में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य शामिल थे। इन राज्यों के सरकारी स्वास्थ्य अधिकारिों के साथ बड़ी संख्या में गैर सरकारी और सिविल सोसायटी संगठनों ने क्षेत्रीय जन–सुनवाई में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने भी जन सुनवाई में प्रतिनिधित्व किया।

6.10 पश्चिमी क्षेत्र जन सुनावाई का मुख्य उद्देश्य जन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में मानव अधिकारों के उल्लंघन का मूल्यांकन करना औश्र महत्त्वपूर्ण सुव्यवस्थित और नीतिगत मुद्दों के प्रति ध्यान आकर्षित करना था तथा इस प्रक्रिया में लोगों के स्वास्थ्य अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित सिफारिशें की गईं।

6.11 उक्त क्षेत्रीय जन सुनवाई के दौरान किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा से अथवा सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के संदर्भ में अथवा सार्वजनिक–निजी–भागीदारी (पी.पी.पी.) व्यवस्थाओं के संदर्भ में स्वास्थ्य परिचर्या के अपने अधिकारों से गंभीर रूप से वंचित व्यक्तियों/समूहों के सभी मामलों को विभिन्न राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों, गैर सरकारी और सिविल संगठनों की उपस्थिति में आयोग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा सुनवाई के लिए उठाया गया।

6.12 क्षेत्रीय जन सुनवाई के प्रथम दिन आयोग ने 106 मामलों में से 88 मामलों (महाराष्ट्र–38, गुजरात–30 और राजस्थान–20) पर न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, कार्यवाहक अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी.; न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेशन, सदस्य, एन.एच.आर.सी. और श्री एस.सी.सिन्हा, सदस्य, एन.एच.आर.सी. की अध्यक्षता में तीन अलग–अलग बैंचों ने विचार किया। श्री बन्नूराम, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ की बैंच का हिस्सा थे। महाराष्ट्र राज्य के 18 मामलों पर समय की कमी के कारण विचार नहीं किया जा सका।

6.13 आयोग ने पांच मामलों में रु. 4,25,000 (चार लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) के मुआवजे की सिफारिश की। इसमें चिकित्सीय लापरवाही और उपचार में देरी के कारण अंग का अंग विच्छेदन; गलत एच. आई. वी. रिपोर्ट के कारण एक महिला और बच्चे को मानसिक पीड़ा और आघात तथा पी.एच.सी. चिकित्सक के अनुपस्थित होने के कारण एक एम्बुलेंस ड्राईवर द्वारा मरीज को सहमति के बिना निजी अस्पताल ले जाना। तीनों मामलों में राजस्थान सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और पूछा गया कि पीड़ित अथवा उनके परिजनों को मुआवजा देने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। आयोग ने आगे कई मामलों में राज्य सरकारों को विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए।

6.14 दूसरे दिन, आयोग और राज्य अधिकारियों के समक्ष गैर सरकारी व सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए मामला अध्ययनों और विभिन्न व्यवस्थित मुद्दों के व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के दूसरे दिन हुई चर्चाओं के उपरान्त की गई सिफारिशों को बाद में आयोग ने अपनी 16 फरवरी, 2016 को आयोजित बैठक में अंतिम रूप दिया जिसमें निर्देश दिया गया कि इन्हें राज्यवार समेकित किया जाए और संबंधित राज्य को अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अग्रषित कर दिया जाए। ये सिफारिशें संलग्नक 8, 9 और 10 पर प्रस्तुत हैं। संबंधित राज्य सरकारों की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। आयोग ने एक बार पुनः अपनी सिफारिशों का अनुपालन करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य सरकारों से अनुरोध किया ताकि लोगों के स्वास्थ्य अधिकारों का ध्यान रखा जा सके।

घ. एन.एच.आर.सी. द्वारा निपटाए गए स्वास्थ्य संबंधी दृष्टांत स्वरूप मामले

1. *सरकारी सब–डिवीजन अस्पताल, अमरपुर, त्रिपुरा में सहायकों द्वारा मृतजात शिशु की प्रसूति की रिपोर्ट से संबंधित समाचार पर स्वतः संज्ञान (मामला संख्या 1691/23/3/2013)*

6.15 आयोग ने 'द हिन्दू' में प्रकाशित "बेबी स्टिल–बोर्न एज डिलीवरी इज इन बॉय 'हैल्पर्स'" शीर्षक से समाचार सामग्री पर 10 जून, 2013 को स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 जून, 2013 को दक्षिण त्रिपुरा के राजकीय सब–डिवीजन अस्पताल, अमरपुर में प्रसूति नहीं कराने वाले संबंधित डॉक्टर की अनुपस्थिति में सहायकों की गलती के कारण मृतजात शिशु पैदा हुआ था।

6.16 आयोग ने सचिव (स्वास्थ्य), त्रिपुरा सरकार को इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया और आयोग को अस्पताल में प्रतिदिन आने वाले मरीजों की औसत संख्या के अलावा अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की प्रकृति तथा चिकित्सा और अर्द्ध–चिकित्सा स्टाफ के बारे में सूचित करने का निर्देश भी दिया।

6.17 आयोग के निर्देशों की अनुपालना में, त्रिपुरा राज्य सरकार की ओर से प्राप्त रिपोर्ट में दर्शाया गया कि श्रीमती सीता दास से संबंधित यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना स्वास्थ्य कर्मियों और मरीज के संबंधियों के बीच संपर्कहीनता होने के कारण घटित हुई और मरीज की देख–भाल में ऐसी कोई लापरवाही नहीं हुई थी। वस्तुतः व्यवसायिकता की कमी और लेबर कक्ष में स्टाफ नर्स की कमी से यह घटना घटित हुई।

6.18 आयोग ने 8 जून, 2015 को मामले को ध्यान में रखते हुए यह पाया कि अस्पताल में भर्ती होने के समय संदिग्ध अंतर्गर्भाशयी भ्रूण की मौत के बारे में मरीज या उसके रिश्तेदारों को सूचित करना चिकित्सक का कर्त्तव्य था जिससे कि यह सारी गड़बड़ी हुई और यह दर्शाता है कि मरीज अस्पताल के चिकित्सक और नर्सों द्वारा पूरा ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार यह पीड़िता श्रीमती सीता दास के मानव अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।

6.19 मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत जारी कारण बताओं नोटिस के प्रत्युत्तर में त्रिपुरा सरकार ने जवाब दिया कि यह चिकित्सक की लापरवाही का मामला नहीं था इसलिए यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं है। आयोग ने 29 मार्च, 2016 को यह पाया कि उसने 8 जून, 2015 को स्पष्ट रूप से यह पाया था कि यह चिकित्सक का कर्त्तव्य था कि वह मरीज अथवा उसके रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती के समय संदिग्ध अंतर्गर्भाशयी भ्रूण की मौत की बात बताए। इसलिए आयोग का विचार है कि श्रीमती सीता दास अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा पाने की हकदार हैं और त्रिपुरा सरकार द्वारा उन्हें रु. 10,000/– का भुगतान करने की सिफारिश की गई। अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

2. जमशेदपुर, झारखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जुगसलाई में चिकित्सीय लापरवाही के कारण शिशुओं की मौत
(मामला संख्या 130/34/6/2014)

6.20 आयोग को सत्येन्द्र सिंह की ओर से दिनांक 15 जनवरी, 2014 की एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,

जुगसलाई में चिकित्सक की अनुपलब्धता और प्रभारी अधिकारी की लापरवाही के कारण 14/15 दिसम्बर, 2013 की मध्यरात्रि के दौरान चार नवजात शिशुओं की मौत हो गई। शिकायतकर्त्ता ने 22 सितम्बर, 2014 के अपने पत्र द्वारा आगे प्रस्तुत किया कि कसूरवार अधिकारियों को बचाने के लिए प्राधिकारी वर्ग मामले के साथ छेड़–छाड़ कर रहे हैं। शिकायतकर्त्ता ने इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

6.21 इसके प्रत्युत्तर में, उप सचिव, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार कल्याण, झारखण्ड सरकार ने दिनांक 14 अक्तूबर, 2014 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि अपने जन्म के समय सभी नवजात शिशु स्वस्थ थे परन्तु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जुगलसलाई में प्रभारी अधिकारी की लापरवाही के कारण वे मर गए। चूंकि प्रभारी अधिकारी ने ड्यूटी चार्ट तैयार नहीं किया था इसलिए रविवार को कोई भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं था। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जुगलसलाई में बेबी वार्मर भी नहीं था इसलिए प्रभारी अधिकारी को घटना का जिम्मेदार ठहराया गया।

6.22 आयोग ने दिनांक 21 मार्च, 2015 को मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया कि मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत चार मृतक बच्चों के परिजनों में से प्रत्येक परिजन को क्यों नहीं रु. 1,00,000/– का आर्थिक मुआवजा दिया जाना चाहिए? आयोग के निर्देशों की अनुपालना में अवर सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड सरकार ने दिनांक 21 जुलाई, 2015 के पत्राचार द्वारा सूचित किया कि जांच के दौरान यह पाया गया था कि 14 दिसम्बर, 2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जुगसलाई में चार नवजात शिशुओं की मौत हुई थी और इस घटना को चार दिनों तक दबाए रखा गया था। इस मामले की सूचना 17 दिसम्बर, 2013 को सिविल सर्जन को दी गई जिन्होंने जांच की थी। यह बताया गया कि 'रेडियनट वार्मर्स' खरीदे गए थे और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में लगाए गए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जुगलसलाई तत्कालीन प्रभारी अधिकारी दोषी पाए गए और विभागीय कार्रवाई चल रही है।

6.23 आयोग ने इस मामले में आगे विचार करते हुए पाया कि वास्तव में झारखण्ड राज्य की ओर से लापरवाही हुई कि पर्याप्त चिकित्सा उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्र, जुगलसलाई में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। लोकसेवक की ओर से कर्त्तव्यों के उल्लंघन का मामला भी पाया गया जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जुगलसलाई, झारखण्ड में चार नवजात शिशुओं की मौत हुई थी। आयोग ने सरकारी एजेंसियों की ओर से हुए ऐसे मानव अधिकारों के उल्लंघन पर गंभीर होते हुए मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत झारखण्ड राज्य द्वारा चारों मृत शिशुओं के परिजनों में से प्रत्येक को रु. 1,00,000/— की आर्थिक राहत देने की सिफारिश की और मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को भुगतान के साक्ष्य सहित अपनी अनुपालनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

3. उपजिला अस्पताल, इंदापुर तालुका, पुणे जिला, महाराष्ट्र द्वारा गलत एच.आई. वी. रिपोर्ट दिए जाने के कारण एक महिला रोगी को गंभीर कठिनाई और मानसिक पीड़ा हुई

(मामला संख्या 2839/13/23/2015)

6.24 शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि श्रीमती राजू बनकर को गंभीर कठिनाईयों और मानसिक पीड़ा का सामनाकरना पड़ा क्योंकि उसे गलत एच.आई.वी. रिपोर्ट दी गई थी।

6.25 आयोग के निर्देशों के प्रत्युत्तर में यह रिपोर्ट दी गई कि प्रयोगशाला तकनीशियन ने उसे गलत एच.आई.वी. रिपोर्ट दी थी और बाद में माफी मांगी थी।

6.26 आयोग ने पाया कि स्टाफ की लापरवाही के कारण पीड़िता को आघात, मानसिक पीड़ा और अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और पीड़िता को मुआवजे के रूप में रु. 1,00,000/— के भुगतान की सिफारिश की गई।

6.27 भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

4. जिला अस्पताल नंदुरबार, महाराष्ट्र में चिकित्सकों की लापरवाही के कारण सुरेश धर्मदास नाइक का दांया पैर कटा

(मामला संख्या 2851/13/36/2016)

6.28 उपर्युक्त मामले में शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया कि चिकित्सक की लापरवाही के कारण सुरेश धर्मदास नाईक का दांया पैर कटवाना पड़ा था।

6.29 रिकॉर्ड के अवलोकन और प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने पाया कि यदि यह सर्जरी पहले की जाती तो मरीज को हुई क्षति को टाला जा सकता था।

6.30 आयोग ने, परिणामस्वरूप महाराष्ट्र सरकार से पीड़ित को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने और मुआवजे के रूप में रु. 2,00,000/– (दो लाख रुपये मात्र) का भुगतान करने की सिफारिश की।

6.31 राज्य सरकार की ओर से भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

5. बाड़मेर जिला, राजस्थान के सरकारी अस्पताल में एक वर्षीय बच्चे ने उंगली गंवाई (मामला संख्या 791/20/4/2013)

6.32 आयोग के सामने दिनांक 10 अप्रैल, 2013 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित "स्वीपर प्लेज डॉक्टर, कट्स ऑफ बेबीज फिंगर" शीर्षक से प्रेस रिपोर्ट आई। प्रेस रिपोर्ट में कहा गया था कि बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में एक वर्षीय बालक सादिक के दांए हाथ की उंगली तब कट गई जब एक स्वीपर ने उसकी कलाई की नसों में तरल पदार्थ ले जाने के लिए लगाए गए यंत्र को हटाने का प्रयास किया। प्रेस रिर्पोट में कहा गया कि बच्चे को अचानक बुखार आने के कारण अस्पताल ले जाया गया था। तबीयत में सुधार के बाद जब उसे डिस्चार्ज किया जाना था तब उसके पिताजी ने अस्पताल के स्टाफ से बच्चे के हाथ में लगी इंट्राकेट हटाने के लिए कहा जिससे कि सादिक को घर ले जाया जा सके। यह आरोप लगाया कि वार्ड स्वीपर सदरीलाल ने यह सब मेल नर्स के आदेशानुसार किया। इंट्राकेट डिवाइस को हटाने के शुरूआती प्रयासों में असफल होने के बाद सदरी लाल ने पास में पड़ी कैंची की जोड़ी उठा ली। इन कैंचियों से इंट्राकैट से चिपकी टेप को उखाड़ते हुए उसे बच्चे की उंगली काट दी।

6.33 11 अप्रैल, 2013 को स्वतः संज्ञान लेने के पश्चात्, आयोग ने सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राजस्थान और पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर, राजस्थान से रिपोर्ट मांगी।

6.34 आयोग के निर्देशों की अनुपालना में, पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर, राजस्थान ने 22 मई, 2013 को सूचित किया कि एस.एच.ओ. कोतवाली बाड़मेर, राजस्थान ने डॉ. हेमराज सोनी और मीर मोहम्मद मुलतानी, प्रिंसिपल, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, बाड़मेर की टिप्पणी दर्ज की हैं। जांच में यह पाया गया कि लगभग 18 महीने की आयु प्राप्त आसिब पुत्र अल्लाह रख्खा को 4 अप्रैल, 2013 को अस्पताल में भर्ती किया गया था और 4 अगस्त, 2013 को छुट्टी दे दी गई थी। इंट्राकैट हटाते समय बच्चे के दाहिने हाथ की एक अंगुली कट गई थी। उसे फिर से अस्पताल मे भर्ती कराया गया। यह अस्पताल के स्वीपर ने किया था। अस्पताल प्रशासन ने भी उक्त स्वीपर के खिलाफ विभागीय जांच आरंभ कर दी है।

6.35 आगे यह भी सूचित किया गया कि पीड़ित के पिता ने पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी।

6.36 आयोग ने रिपोर्ट पर विचार करते हुए दिनांक 10 जुलाई, 2014 की अपनी कार्रवाई में पाया तथा निम्नानुसार निर्देश दिया:

> *"आयोग का यह मत है कि भले ही बच्चे के पिता ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है, जिला पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व है कि शिकायतकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत प्रेस क्लिपिंग के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज करने का आदेश दें।*
>
> *जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर के सदरीलाल के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश देने को कहा जाए और विभागीय कार्रवाई के अलावा मामले की जांच की जाए तथा जांच के निष्कर्ष से आयोग को छः सप्ताह के भीतर अवगत करवाया जाए।*

चूंकि अस्पताल प्रशासन ने दांए हाथ की अंगुली काटने के लिए सदरीलाल को जिम्मेदार माना इसलिए सदरीलाल की ओर से यह लापरवाही हुई है और यह बच्चे के मानव अधिकारों का मामला है।

तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 की धारा 18 (1) के तहत मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया जाए कि पीड़ित को आर्थिक अंतरिम राहत क्यों न दी जाए? जवाब छः सप्ताह के भीतर दिया जाए"

6.37 इसके जवाब में पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें यह कहा गया कि घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ कतिपय कार्रवाईयां की गई हैं। यह भी कहा गया कि जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने पीड़ित बच्चे को रु. 10,000/– (दस हजार रुपये मात्र) की आर्थिक राहत उपलब्ध करवाई है।

6.38 आयोग का मत था कि पीड़ित बच्चे को भुगतान की गई राशि बहुत कम थी और उक्त राशि बढ़ाई जानी चाहिए थी। अतः आयोग ने 28 मार्च, 2016 की अपनी कार्रवाई के दौरान राजस्थान सरकार को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से पीड़ित बच्चे को पहले भुगतान की गई राशि के अलावा कुल रु. 40,000/– (चालीस हजार रुपये मात्र) की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की अनुशंसा की थी। मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को पूर्वोक्त मुआवजे का भुगतान करने और आयोग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था।

6.39 आयोग की सिफारिश का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन किया जाना है।

6. जिला अस्पताल बलिया, उत्तर प्रदेश में एक शिशु की मौत
(मामला सं. 25612/24/10/2013)

6.40 आयोग ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिला अस्पताल में भर्ती आठ महीने के एक बच्चे की मौत के संबंध में एनडीटीवी पर प्रसारित एक दुखद समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें एक रिक्शा–चालक ने कथित रूप से ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर की सलाह

के अनुसार शिशु को इंजेक्शन का लगाया था। इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद शिशु की मौत हो गई। राज्य अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने के लिए नोटिस जारी किए गए।

6.41 पुलिस अधीक्षक, बलिया ने 8 अगस्त 2013 के पत्राचार द्वारा एक रिपोर्ट अग्रेषित की जिसमें कहा गया कि श्रीमती सपना सिंह, पीड़ित की दादी की शिकायत पर डॉ. विनेश कुमार, फार्मासिस्ट श्रीकांत और बेचू के विरुद्ध आईपीसी की धारा 304 और 15(2)(3) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत पुलिस थाने में केस क्राइम नंबर 384/2013 दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक, बलिया ने आगे बताया कि आरोपी श्रीकांत और बेचू के खिलाफ आरोप–पत्र दायर किया गया था और यह लंबित था। इस घटना में डॉ. विनेश कुमार दोषी नहीं पाए गए थे।

6.42 चीफ मेडिकल ऑफिसर, बलिया ने अगस्त, 2013 में लिखे गए अपने पत्र में बताया कि श्रीकांत, मुख्य फार्मासिस्ट को महानिदेशक, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोषी पाया गया था। उन्हें निलंबित कर दिया गया था और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा, डॉ. विनेश कुमार, चीफ फार्मासिस्ट और रिक्शा चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सी.एम.ओ., बालिया ने बताया कि श्रीकांत, चीफ फार्मासिस्ट, जिला अस्पताल, बालिया के निलंबन को जारी रखा गया और आरोप–पत्र भी दिया गया था।

6.43 इसके अलावा, इस घटना की जांच एक तीन सदस्यीय समिति ने की थी जिसमें डॉ. पी. के. सिंह गहलोत, डॉ. अरविंद कुमार सिंह और डॉ. तनवीर अफ्रोज शामिल थे। समिति ने पाया कि डॉक्टर बच्चे के इलाज के लिए सक्षम थे और उनके द्वारा निर्धारित दवाएं भी उपयुक्त थीं। हालांकि, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इंजेक्शन लगाने वाला बाहरी व्यक्ति था और यह नहीं कहा जा सकता कि वह योग्य तरीके से प्रशिक्षित था या नहीं।

6.44 आयोग ने 9 फरवरी 2015 को इस मामले पर विचार किया और इसे राज्य सरकार को नोटिस जारी करने के लिए एक उपयुक्त मामला माना क्योंकि जिला अस्पताल के अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक शिशु की जान चली गई थी। इस प्रकार आयोग ने मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को

कारण बताने के लिए नोटिस जारी कर दिया कि आयोग द्वारा मामले के स्थापित तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार मृतक बच्चे के परिजनों को 'आर्थिक राहत' देने की अनुशंसा क्यों नहीं की जानी चाहिए। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को छह सप्ताह के अंदर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था।

6.45 जब मुख्य सचिव की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो आयोग ने 31 अगस्त 2015 की अपनी कार्यवाही में पाया और निम्नानुसार निर्देशित किया:

> *"इसलिए, समुचित रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्थिक राहत प्रदान करने के विरुद्ध राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अन्यथा, विभिन्न रिपोर्टों द्वारा निश्चित रूप से स्थापित किया गया है कि शिशु के इलाज के दौरान अस्पताल के कर्मचारियों ने आवश्यक संवेदनशीलता और जिम्मेदारी नहीं दिखायी है। एक बाहरी व्यक्ति द्वारा इंजेक्शन लगाना अस्पताल स्टाफ की ओर से की गई घोर लापरवाही का निर्णायक प्रमाण है। सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग उत्तर प्रदेश सरकार से सिफारिश करता है कि वह मृतक बच्चे अजय के निकटतम परिजनों को आर्थिक राहत के रूप में रु. 2,00,000/– (दो लाख रुपये मात्र) की राशि का भुगतान करे। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार आठ सप्ताह के भीतर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।"*

6.46 राज्य सरकार की ओर से भुगतान साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

7. किशनगर जिले, ओडिशा में स्कूल के छात्रावास में पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल से वंचित होने पर कक्षा–3 के एक छात्र की मौत और पांच अन्य छात्रों की तबीयत बिगड़ी।

(मामला सं. 4724/18/7/2014)

6.47 आयोग को डॉ. सुभाष महापात्रा, कार्यकारी निदेशक, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशंस की ओर से 26 नवम्बर 2014 की एक शिकायत मिली जिसमें आरोप लगाया

था कि क्योंझर जिले, ओडिशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बने छात्रावास में रहने वाले कक्षा 3 छात्र रितेश नाग की 25 नवंबर 2014 को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल से वंचित होने के कारण की मृत्यु हो गई। यह आरोप लगाया गया था कि रितेश के साथ छात्रावास में रहने वाले पांच अन्य स्कूली बच्चे बीमार पड़ गए थे और उन्हें उचित चिकित्सा उपचार और देखभाल नहीं दी गई थी। पुलिस ने बच्चे की मृत्यु और स्कूल के अधिकारियों की भूमिका की उचित जांच नहीं की। शिकायतकर्ता ने जांच करने और अपनी जान गंवाने वाले पीड़ित के निकटतम परिजनों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की।

6.48 आयोग ने 9 दिसंबर 2015 को मामले का संज्ञान लिया और अपर सचिव, स्कूल और जन शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार से 1 मई 2015 की एक रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें बताया कि यह घटना सहायक अधीक्षक, श्रीमती राममनी मोहंती, जो सहायक शिक्षिका थी और श्री प्रफुल्ल कुमार बारिक जो अप ग्रेडेड हाई स्कूल बालगोडा के मुख्याध्यापक थे, की चूक के कारण हुई। इन दोनों को निलंबित किया गया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू की गई थी। आगे और कार्रवाई करते हुए पर्यवेक्षण की कमी और कर्तव्यहीनता के कारण, ओएससीसी (सी.सी. एण्ड ए) नियम 1962 के नियम 12 के तहत सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्री आटत्रानाना प्रधान पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने सहित निलंबित किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उप–कलेक्टर, चंपुआ की पूछताछ रिपोर्ट के अनुसार, रितेश नाग की मौत एनीमिया और मलेरिया के साथ दस्त लगने से हुई। मृतक के माता–पिता को जूनियर रेड क्रॉस फंड से पहले ही रु. 5000/– विद्यालय के अधिकारियों से रु. 10,000/– और जिला कल्याण अधिकारी, क्योंझर से पूर्व अनुदान के रूप में रु. 1,00,000/– का मुआवजा दिया गया था। रितेश नाग की मौत पर की गई एक संयुक्त जांच में, छात्रावास परिसर में कुछ कमियाँ पाई गई थी। छात्रावास के अंदर 150 बोर्डरों के निर्बाध रूप से चलने फिरने के लिए कोई पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं था। छात्रावास के अंदर कमरों की कमी के कारण डबल डेकर कोट्स को एक कमरे में रखा गया था। उन्होंने पीने के पानी की भारी कमी दिखी। कोई ट्यूबवेल अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था और स्वच्छ ट्यूबवेल के जल स्तर में

काफी कम होने से पानी की आपूर्ति की समस्या पैदा हो गई थी। पी.एस.एच. भवन की विशेष मरम्मत अपूर्ण थी। स्वच्छता आवश्यक मानकों के अनुसार नहीं थी।

6.49 15 अक्टूबर 2015 को रिपोर्ट पर विचार करते हुए आयोग ने नोट किया कि पर्यवेक्षण की कमी और छात्रावास के बुनियादी ढांचेकी निगरानी में लापरवाही के कारण मृत्यु हुई। छात्रावास के कर्मचारियों को लापरवाह ठहराया गया और ओडिशा सरकार को भी परोक्ष रूप से उत्तरदायी थी। मृतक के निकटतम परिजनों को जारी की गई पूर्व–अनुदान राशि अपर्याप्त थी। तदनुसार, आयोग ने मुख्य सचिव के माध्यम से, ओडिशा सरकार को कारण बताने के लिए मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क)(i) के तहत नोटिस जारी किया था कि मृतक रितेश नाग के निकटतम परिजनों को रु. 85,000/– (पचासी हजार रुपये मात्र) की अतिरिक्त आर्थिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। अपर सचिव, स्कूल और जन शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार को बालगोडा अपग्रेडेड हाई स्कूल के दोषियों के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की मौजूदा स्थिति/परिणाम और संयुक्त जांच दल की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया था उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

अध्याय - 7

भोजन का अधिकार

7.1 भोजन का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य घटक है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 47 में यह भी कहा गया है कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि 'वह अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर' तथा 'सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार' का उन्नयन करे। संविधान के अनुच्छेद 47 के साथ पठित अनुच्छेद 21 देश के लोगों के भोजन के अधिकार का प्रभावी आकलन करने में राज्य को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बाध्य करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सक्रिय सदस्य है और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा की एक राज्य पार्टी है। यह सब सरकार को प्रत्येक नागरिक के भोजन के अधिकार का सम्मान, रक्षा और उसकी पूर्ति करने के लिए बाध्य करते हैं।

7.2 यह यहां उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) जो 2030 तक विश्व को बदलने का वादा करता है, को भारत सरकार द्वारा भी अनुमोदित किया गया है। ये 17 लक्ष्य अधिक समृद्ध, शांतिपूर्ण और टिकाऊ दुनिया की दृष्टि प्रदान करते हैं जिसमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा गया है। ये 2000 मिलेनियम विकास लक्ष्यों के सृजन की मांग करते हैं और जो कुछ हासिल नहीं हो पाया है उन्हें पाने कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, ये सभी के मानव अधिकारों को प्राप्त करने कि मांग करते हैं तथा लैंगिक समानता व सभी महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को प्राप्त करना चाहते हैं। ये एकीकृत और अविभाजित हैं तथा सतत विकास के तीन आयामों; आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को संतुलित करते हैं।

7.3 एसडीजी 1 (गरीबी समाप्त करना), एसडीजी 2 (जीरो हंगर) और एसडीजी 12 (सतत खपत और उत्पादन) में सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य हैं: भूख समाप्त, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करने, और स्थायी कृषि को बढ़ावा देनेय और टिकाऊ उत्पादन और उपभोग के तरीकों को सुनिश्चित करना, इसके निर्धारित लक्ष्यों के साथ, जिससे टिकाऊ विकास के एक नए युग की शुरुआत हो। इनके बिना सतत विकास लक्ष्यों की पूरी श्रृंखला हासिल नहीं की जा सकती। साथ ही, अन्य सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने से भूख और अत्यधिक गरीबी मिटाने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा, भूख और गरीबी को खत्म करने की लड़ाई मुख्य रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में लड़ी जानी चाहिए, जहां लगभग 80 प्रतिशत भूखे और गरीब रहते हैं।

7.4 भारत सरकार एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) जैसे खाद्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है जो कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता देतें है ताकि उनकी बुनियादी जरूरतें विशेषकर भोजन सुलभ हो सके।

7.5 पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भोजन के अधिकार की रक्षा किए जाने का अब तक का महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है। इस मामले ने भूख और भुखमरी से होने वाली मौतों से निपटने में सरकार की विफलता को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य असुरक्षा, गरीबी और बेरोजगारी के बड़े प्रणालिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके मामले की तह तक पहुंचा। प्रस्तुत मामले में, न्यायालय ने जीवन के अधिकार से उत्तपन्न होने वाले भोजन के संवैधानिक अधिकार को पहचानते हुए और एम.डी.एम.एस. आई.सी.डी.एस. और पी.डी.एस. जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन पर निर्देश उपलब्ध कराते हुए अंतरिम आदेशों की एक श्रृंखला जारी की। इसने न्यायालय के आदेशों के अनुपालन पर निगरानी रखने और रिपोर्ट करने के लिए, आयुक्तों जैसे एक नए जवाबदेह तंत्र के सृजन का आदेश भी दिया।

7.6 उपर्युक्त मामला भारत में भोजन के अधिकार की पूर्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.), 2013 के कार्यान्वयन के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। एन.एफ.एस.ए. के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त मूल्य (चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए क्रमशः ₹ 3, ₹ 2 और ₹ 1 प्रति किलो) पर हर पात्र परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम अनाज प्राप्त करने का अधिकार है। अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को प्रति माह पैंतीस किलोग्राम अनाज पाने का हक होगा। एन.एफ.एस.ए. इसके अलावा आई.सी.डी.एस. और एम.डी.एम.एस. के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पोषण सहायता के लिए प्रावधान करता है। पात्र व्यक्तियों को देय मात्रा में खाद्यान्नों या भोजन की आपूर्ति नहीं की जाने की स्थिति में, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को संबंधित राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। एन.एफ. एस.ए. ने प्रत्येक राज्य सरकार को दिशानिर्देश तैयार करने का आह्वान किया ताकि ए.ए.आई. के तहत शामिल किए जाने वाले प्राथमिकता प्रपट परिवारों की पहचान कर सकें। इसके लिए एक वर्ष की समय सीमा दी गई थी, जिसे तीन महीने तक बढ़ा दिया गया था और पुनः छह महीने तक बढ़ा कर अर्थात 4.4.2015 दिया गया था।

7.7 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को एन.एच.आर.सी. को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अब तक 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार ने अधिनियम लागू करने की अपनी तत्परता को सूचित किया है और अधिनियम के तहत उन्हें खाद्यान्न आवंटित किया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की वेबसाइट (http:èèdfpd.nic.inèwritereaddataèimagesèCOMPILATION-E-BOOK.pdf) पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार इसकी महत्वपूर्ण गतिविधियों और उपलब्धियों को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि "2015 के अंत तक कानून लागू करने वाले

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 25 हो गई है।" इसके अलावा यह कहा गया है कि "2015 के दौरान 34 राज्यों में राशन कार्ड का डिजिटलीकरण पूरा हो गया है जबकि वर्ष की शुरुआत में यह संख्या केवल 19 थी। वर्ष के दौरान ऑनलाइन अनाज आवंटन वाले राज्यों की संख्या 9 से बढ़कर 19 हो गई और 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ऑनलाइन शिकायत निराकरण आरंभ की गई है। सितंबर, 2015 में चंडीगढ़ और पुदुचेरी में लाभार्थियों को खाद्य सब्सिडी का प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण शुरू हुआ।"

7.8 संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अक्टूबर, 1993 में हुए अपने गठन से लगातार यह सुनिश्चित किया है कि भोजन का अधिकार जीवन को गरिमा के साथ जीने जितना स्वाभाविक है। इसके अलावा, यह व्यक्त किया है कि भोजन के अधिकार में पोषण का एक उचित स्तर है और इन स्तरों को पूरा किया जाना चाहिए तथा इसे एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं बने रहना चाहिए। इस प्रकार इस संबंध में सार्वजनिक नीतियों और राहत संहिताओं में बदलाव के लिए एक साथ की जरूरत है। 1996 में, आयोग ने ओडिशा के कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट (केबीके) जिलों में भुखमरी से होने वाली मौतों का संज्ञान लिया, क्योंकि भुखमरी जीवन जीने के अधिकार की वंचना और घोर उल्लंघन है। 2008 के बाद से, आयोग ने भारत के चुनिन्दा 28 जिलों में मानव अधिकार जागरूकता और सुकर मूल्यांकन एवं मानव अधिकार प्रवर्तन कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें खाद्य सुरक्षा प्रणाली की निगरानी करना एक महत्वपूर्ण घटक है। आयोग ने पूरे देश के विशेषज्ञों के साथ भोजन के अधिकार पर एक कोर सलाहकार समूह का गठन किया है। कोर ग्रुप ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदा सहित समय–समय पर भोजन के अधिकार पर असर डालने वाले अनेक संबन्धित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया है।

7.9 एन.एच.आर.सी. ने 4 जनवरी 2013 को नई दिल्ली में भोजन के अधिकार के लिए एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में दो विशिष्ट शीर्षकों से संबंधित सिफारिशें हुईं; (i) पी.डी.एस. और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक सहित खाद्य उपलब्धता, और (ii) आई.सी.डी.एस., एम.डी.एम.एस., आदि कार्यक्रमों सहित सभी पोषण संबंधी मुद्दे। इनको बाद में राज्य सरकारों सहित सभी संबंधितों को जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया।

7.10 2012 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा की गई सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के दूसरे चक्र के तहत, एन.एच.आर.सी. ने इसके लिए अनुवर्ती भूमिका के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई सभी 67 सिफारिशों की निगरानी की जिम्मेदारी ली थी जिसमें भोजन के अधिकार पर दो विशिष्ट सिफारिशें शामिल हैं। ये दो सिफारिशें थी– (i) "खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति बनाना", और (ii) "..... प्रयासों को जारी रखें और खाद्य सुरक्षा विधेयक को अपनाने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उपायों का पालन करें।"

7.11 चूंकि एन.एफ.एस.ए. 2013 में लागू हुआ था, इसलिए एन.एच.आर.सी. देश में इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर कड़ाई से निगरानी रखने का इरादा रखता है। एन.एच.आर.सी. ने 22 जनवरी 2015 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ एक बैठक भी आयोजित की। इस बैठक में संबंधित संयुक्त सचिव ने आयोग को एन.एफ.एस.ए., 2013 के लागू होने के बाद हुई प्रगति जैसे कि देश में टी.पी.डी.एस. का कम्प्यूटरीकरण, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टी.पी.डी.एस. के कार्यान्वयन में उत्तम अभ्यासों को साझा करने सहित अपनी निगरानी और सतर्कता को सुदृढ़ करने के उपायों के बारे में बताया। हालांकि, एन.एच.आर.सी. का मत है कि सभी हितधारकों, विशेषकर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं और मुश्किलों पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है, जो देश के लोगों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अति महत्वपूर्ण है।

7.12 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आयोग में अनुवर्ती क्रियाकलाप शुरू किए गए।

क. भोजन के अधिकार पर एन.एच.आर.सी. द्वारा पुनर्गठित सलाहकार समूह की बैठक

7.13 श्री सिरयक जोसफ, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार की अध्यक्षता में 14 मार्च, 2016 को आयोग में पुनर्गठित कोर सलाहकार समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। आयोग में "राइट टू फूड" विषय की संपूर्ण जिम्मेदारी रखने वाले श्री एस. सी. सिन्हा,

सदस्य, एन.एच.आर.सी. ने भी बैठक में भाग लिया। इस बैठक में भाग लेने वाले कोर ग्रुप के सदस्यों में श्री प्रदीप कुमार प्रधान, राज्य संयोजक, भोजन का अधिकार अभियान, ओडिशाय डॉ. रोजिना नासिर, सहायक प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; सुश्री सुमन, उपाध्यक्ष, एफ.आई.ए.एन., नई दिल्ली, डॉ एस. एम. झारवाल, चांसलर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटकय प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, डॉ. किरीट एस. पारिख, पूर्व सदस्य, योजना आयोग, नई दिल्ली और श्री एस एस घोकरराव, सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली शामिल थे।

7.14 बैठक का आयोजन– (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.), 2013 के कार्यान्वयन की स्थिति; (ii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) की कार्यपद्धति; (iii) लाभार्थियों की पहचान; (iv) गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता; (v) बाल कुपोषण की रोकथाम और प्रबंधन; और (vi) एन.एच.आर.सी. द्वारा नई दिल्ली में 28 और 29 अप्रैल 2016 को भोजन के अधिकार पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए सुझाव हेतु किया गया।

7.15 बैठक संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण और अनुसंधान), श्री जे. एस. कोचर द्वारा सभी के स्वागत और एजेंडा को साझा करते हुए आरंभ की गई। इसके बाद, न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और राष्ट्रीय विधान के कार्यान्वयन के मुद्दों तथा विभिन्न एजेंडा मदों पर सदस्यों से सुझाव मांगे क्योंकि एन.एच.आर.सी. द्वारा नियत राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी किया जाना था।

7.16 सुश्री सुमन, उपाध्यक्ष, एफ.आई.ए.एन., नई दिल्ली ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.), 2013 का कार्यान्वयन सही तरह से नहीं हुआ। यह प्रवासियों और बेघर लोगों जिनमें अनेक अकेली महिलाएं और विधवाएं शामिल हैं, को आधार कार्ड जैसे पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में खाद्य पूर्ति नहीं की। उन्होंने सुझाव दिया कि अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) के लाभार्थियों के लिए 5 किलो अनाज की निर्धारित अंकीय सीमा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि प्रति माह किसी व्यक्ति को अधिक खाद्यान की आवश्यकता होती है। उन्होंने आगे कहा कि गर्भवती महिलाओं

और स्तनपान कराने वाली माताओं को आई.सी.डी.एस. योजना के माध्यम से पोषण संबंधी सहायता बहुत कम थी।

7.17 श्री प्रदीप कुमार प्रधान, राज्य संयोजक, खाद्य अभियान के अधिकार, ओडिशा ने बताया कि एन.एफ.एस.ए. नवंबर, 2015 से ओडिशा राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सर्वेक्षण के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान में लगभग दो साल का समय लिया था और इस प्रक्रिया कई वास्तविक लाभार्थी पीछे छूट गए थे। इसके अलावा, वर्तमान में राज्य खाद्य आयोग लगभग समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सूचना आयोग राज्य खाद्य आयोग की भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा, उन्होंने गलत पहचान की समस्या पर प्रकाश डाला और सूचित किया कि बिना आश्रय और भीख पर गुजर बसर करने वाले निराश्रित परिवारों को एन.एफ.एस.ए. के तहत लाभार्थी के रूप में स्वतः शामिल किए जाने के मानदंडों के बावजूद, बेघर लोगों को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। एन.एफ.एस.ए. की धारा 4(क) और 4(ख) में यथानिर्धारित गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध नहीं थी। एन.एफ.एस.ए. के तहत कोई नियम नहीं बनाए गए था। उनके अनुसार, आई.सी.डी.एस. एक बड़ी मुसीबत थी। कार्यक्रमों की उचित निगरानी नहीं हो रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि टीपीडीएस के लाभार्थियों में आदिम आदिवासी समूहों (पी.टी.जी.) को शामिल नहीं किया गया था।

7.18 डॉ. किरीट एस. पारीख, पूर्व सदस्य, योजना आयोग और अध्यक्ष, इंटेग्रेटेड रिसर्च एंड एक्शन फॉर डेव्लपमेंट, नई दिल्ली ने बताया कि भोजन का अधिकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार है और बड़ी समस्या यह है कि उन गरीबों की पहचान करनी चाहिए जिन्हें वास्तविक रूप से लाभ मिलना चाहिए। उनका यह विचार था कि कम आय वाले पी.डी.एस. की दुकान चलाने वालों को लाभार्थियों को पी.डी.एस. खाद्यान्न देने के लिए आयोगों से प्रोत्साहन मिले क्योंकि वे पी.डी.एस. मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर होने के कारण फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पारदर्शिता आई है, परंतु हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। उन्होंने सुझाव दिया कि पी.डी.एस. की दुकानों को सहकारी आधार पर चलाना एक समाधान हो सकता है। उन्होंने यह भी राय दी कि आधार कार्ड ने गरीबों की पहचान करने में मदद नहीं की है।

इसलिए, सरकार को बहिष्करण मानदंडों पर ध्यान देना चाहिए और समावेशन मानदंडों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह, 65–70 प्रतिशत निचली आबादी को कवर किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि चावल के लिए ₹ 3/–, गेहूं के लिए ₹ 2/– और मोटे अनाज के लिए ₹ 1/– प्रति किलोग्राम जैसे कम स्तरों पर अनाज की कीमतें तय किए जाने से किसानों को स्वयं के उपभोग के लिए अनाज पैदा नहीं करने का प्रलोभन बढ़ेगा जो कि चिंता का विषय है। इसके अलावा, उन्होंने बच्चों के अल्प पोषण/कुपोषण पर प्रकाश डाला, क्योंकि इसने दो साल से कम उम्र के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और वयस्कों के रूप में उनकी फलदायी क्षमता में एक महत्वपूर्ण तरीके से प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

7.19 न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर न्यायमूर्ति श्री डी. पी. वधावा कमेटी की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के प्रति सभी का ध्यान आकृष्ट किया। उक्त समिति का गठन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा 1 दिसम्बर, 2006 को 2001 की रिट याचिका संख्या (सी) 196 में किया गया था और उनके अनुसार, समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने की जरूरत थी।

7.20 डॉ. पारीख की तरह, डॉ. एस. एम. झारवाल, चांसलर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक ने कहा कि ए.ए.आई. के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर प्रत्येक परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान अपर्याप्त है और इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। वह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष हस्तांतरण में समस्या ये है कि वस्तुओं की कीमतों में उतार–चढ़ाव होता रहता है और सीधे हस्तांतरण की राशि तदनुसार समायोजित नहीं की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि एन.एफ.एस.ए. में खाद्यान्नों के साथ–साथ खाद्य तेल और दालों का प्रावधान होना चाहिए।

7.21 प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र, सोशल साइंसेज स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने कहा कि खाद्य वितरण प्रणाली बेहद जरूरी है और विशेष कर महंगाई के समय में प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण लाभ इसका एक

विकल्प नहीं हो सकता है। इन प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरणों द्वारा महंगाई के प्रति गरीबों का अपमान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अंत्योदय अन्न योजना उपयोगी साबित हुई क्योंकि इसमें कम कीमतों पर अत्यंत गरीब व्यक्तियों को अनाज उपलब्ध करवाया गया था और इस योजना को जारी रखने की जरूरत है, जबकि अन्य परिवारों को उच्चतर मूल्यों पर अनाज उपलब्ध कराया जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के लिए राज्यों ने स्वयं अपने सर्वेक्षण करवाए हैं। हालांकि, उनकी जानकारी के अनुसार जनवरी, 2016 तक यह अधिनियम केवल 9 राज्यों में ही लागू किया गया है। इस संबंध में, एन.एच.आर.सी. द्वारा आयोजित किए जाने वाला प्रस्तावित सम्मेलन यह पता लगाने में उपयोगी होगा कि कितने राज्यों ने अधिनियम का कार्यान्वयन शुरू किया है। उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार से प्रोत्साहन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी बताया कि आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम में बजट आवंटन कम हो गया है। संबंधित विषय में उन्होंने कहा कि एक ओर जंहा शिक्षा के अधिकार में सुवाह्यता और प्रवासन के प्रावधानों का ध्यान रखा गया है, वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मामले में ऐसा नहीं है। उन्होंने राज्य के भीतर और राज्यों से बाहर बड़े पैमाने पर प्रवासन को देखते हुए पूर्ण पोर्टेबिलिटी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बेघर/प्रवासी लोगों के लिए आधार कैसे काम कर रहा है, इसके आकलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर चौहान समिति की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित किया। सदस्य, श्री एस. सी. सिन्हा द्वारा ब्राजील के अनुभव के बारे में पूछने पर, उन्होंने बताया कि भोजन के बदले उस देश में सीधे नकद हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है और यह एक अलग योजना, अर्थात सशर्त कैश ट्रांसफर योजना है।

7.22 श्री एस. एस. घोनक्रोकता, सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन में उठाए गए कदमों के बारे में अध्यक्ष और प्रतिभागियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया, दिल्ली में 100 प्रतिशत पी.डी.एस. आधार आधारित था और कुल 72 लाख की कवरेज में छह लाख प्रवासियों को शामिल किया गया था।

7.23 डॉ. रोसीना नासीर, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डिसीमिनेशन एंड एक्सक्लुशन, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली की सहायक प्रोफेसर ने बताया कि गरीब लोग जिनके साथ उन्होंने दिल्ली की बस्तियों में काम किया था, उन्हें बॉयोमीट्रिक सिस्टम के माध्यम से जानकारी देने के बारे में आशंका थी क्योंकि उन्हें आपराधिक मामलों में उनकी संलिप्तता का डर था।

7.24 सुश्री सुमन ने कहा कि आज तक देश में गरीबी की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और उनकी वजह से भोजन तक पहुंच पर पड़ने वाले प्रभाव के मुद्दे को उठाने की जरूरत है।

7.25 श्री एस. सी. सिन्हा ने तब प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव से कहा कि भोजन के अधिकार पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एन.एच.आर.सी. राज्य सरकारों को एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन हेतु अपना प्रस्तुतीकरण देने के लिए अनुरोध करेगी। इस तरह, उन्होंने प्रो. श्रीवास्तव से उन प्रमुख बिंदुओं को उजागर करने का अनुरोध किया, जिन पर प्रत्येक राज्य सरकार को उनकी प्रस्तुतियों के दौरान प्रकाश डालना चाहिए।

7.26 प्रोफेसर श्रीवास्तव ने सूचीबद्ध किया कि राज्य सरकारों को अपने प्रस्तुतीकरण में निम्नलिखित मुद्दों से अवगत कराया जा सकता है: (i) अधिनियम का कार्यान्वयन, (ii) लाभार्थियों की पहचान, (iii) केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित राज्यवार सीमा और क्या एक अभिवर्धित पूल था, (iv) मुश्किल से पहुँच वाले बेघर, भिखारियों, प्रवासी आबादी और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले समूहों को शामिल करना, (v) प्रणाली में कमियां/विचलन। इसके अलावा, डॉ. किरीट ने कहा कि राज्य, नियुक्त किए गए शिकायत अधिकारियों की संख्या, प्राप्त शिकायतों, उनके निराकरण और लंबित होने के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। सुश्री सुमन का मानना था कि एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन को मजबूत करने के तरीके के बारे में राज्यों से सुझाव भी आमंत्रित किए जाने चाहिए।

7.27 न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ ने दोहराया कि एन.एफ.एस.ए. के बारे में जागरुकता फैलाने की तत्काल आवश्यकता है और एन.एच.आर.सी. द्वारा भोजन के अधिकार पर आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

ख. बिहार और उत्तर प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों के लिए लागू भोजन के अधिकार की स्थिति का अध्ययन

7.28 एन.एच.आर.सी. की वार्षिक रिपोर्ट 2014–2015 में यह बताया गया था कि इसके अनुसंधान प्रभाग ने सितंबर 2012 में ग्रामीण विकास के लिए हरियाली केंद्र, नई दिल्ली में एक अनुसंधान अध्ययन शुरू किया था। इसके विशेष उद्देश्य थे– बी.पी.एल. परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और निर्वहन अवस्था के बारे में पता लगाना; यह समझना कि क्या बी.पी.एल. परिवारों के पास पर्याप्त भोजन या इसकी खरीद के साधनों के लिए भौतिक और आर्थिक पहुंच है या नहीं; खाद्य पदार्थों के संबंध में किए जाने वाले लैंगिक भेदभाव का अध्ययन और घरेलू स्तर पर पुरुष और बच्चियों तथा वयस्कों के आहार स्वरूप का मूल्यांकन; विशेष रूप से बच्चों में कुपोषण और भुखमरी की समस्या पर काबू पाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदत्त खाद्यान्नों के साथ–साथ आई.सी.डी.एस. और मिड–डे मील योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए भोजन का प्रभाव का पता लगाना; कुपोषण और भूख के कारण बी.पी.एल. परिवारों और बच्चों में रुग्णता फैलने तथा मृत्यु होने की घटनाओं का आकलन; बी.पी.एल. परिवारों की जरूरतों को पूरा करने में नागरिक संगठनों और निजी संस्थानों की भूमिका का आकलन और बीपीएल परिवारों और बच्चों में भुखमरी की समस्या को कम करने और उनकी पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए रणनीतियों को तैयार करना।

7.29 समीक्षा अवधि के दौरान, हरियाली ने जांच अध्ययन की रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट की आयोग के अनुसंधान प्रभाग द्वारा गंभीरता से जांच की गई तथा इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में दर्शाई गई खामियों के सुधार करने का निवेदन किया गया है। इन खामियों के बारे में हरियाली को संप्रेषित भी किया गया।

ग. एन.एच.आर.सी. द्वारा निपटाए गए भोजन के अधिकार पर व्याख्यात्मक मामले

1. पर्याप्त आजीविका नहीं होने के कारण जिला कटक, ओडिशा के चौद्वार में भुखमरी की कगार पर बैठे तीन दृष्टिबाधितों सहित पाँच व्यक्तियों के एक

परिवार ने चुनौती दी।
(मामला सं. 2681/18/3/2014)

7.30 ओडिशा में राइट टू फूड कंपेन ने 12 जून 2014 की अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि लगभग 75 वर्षीय नूर बीबी और उसके परिवार के सदस्यों, जन्म से नेत्रहीन और 20 वर्षीय अविवाहित बेटा अब्दुल रफीक य जन्म से नेत्रहीन लगभग 25 वर्षीय बेटा अब्दुल हनीफ; जन्म से नेत्रहीन लगभग 40 वर्षीय शादीशुदा बेटी निजबुन निशा; और निजबुन निशा की लगभग 12 वर्षीय बेटी खुबतुरुण निशा कटक जिले की चौद्वार नगर पालिका के वार्ड संख्या 2 में एक छोटे से घर में रह रहे हैं। ₹ 1 /– प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम चावल के अलावा उनमें से चार लोगों को रुपये की ₹ 300 /– प्रति माह की दर से पेंशन मिल रही है जो कि कुल मिलाकर प्रति माह ₹ 1,200/– होती है। उपरोक्त व्यवस्था 5 लोगों के परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है और वे भुखमरी की कगार पर हैं।

7.31 आयोग ने 9 जुलाई 2014 को इस मामले का संज्ञान लिया और कलेक्टर, कटक से 25 अगस्त, 2014 की एक रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें पता चला कि–(i) नूर बीबी पत्नी अब्दुल हामिद को परिवारिक बीपीएल कार्ड दिया गया था और उन्हें ₹ 1/– प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम चावल मिल रहा है। उन्हें ₹ 300/– प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन भी मिल रही है; (ii) नूर बीबी के सबसे बड़े बेटा अब्दुल रफीक, विकलांगता पेंशन प्राप्त कर रहा है; (iii) छोटा बेटा अब्दुल हनीफ, विकलांगता पेंशन और आर.डी.पी. योजना के माध्यम से कार्ड संख्या 607170089 द्वारा 10 किलो चावल प्राप्त कर रहा है; (iv) निजबुन निशा, नूर बीबी की जन्म से नेत्रहीन शादीशुदा बेटी विकलांगता पेंशन और आर.डी.पी. योजना के माध्यम से कार्ड नंबर 007170091 द्वारा 10 किलो चावल प्राप्त कर रही है; और (v) खुबतुरुण निशा पुत्री निजाबुन निशा चौद्वार एम. ई. स्कूल में पढ़ रही है। इस प्रकार कुल पांच सदस्यों में से चार सदस्य ओडिशा मधु बाबू पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और दो व्यक्तियों को निःशक्तजनों के लिए चावल योजना (आर.डी.पी.) के माध्यम से चावल दिए जा रहे हैं और परिवार को बी.पी.एल. कार्ड के माध्यम 25 किलो चावल भी मिल रहा है।

7.32 आयोग ने रिकॉर्ड का अवलोकन किया और पाया कि ओडिशा सरकार की नीति के अनुसार परिवार को पेंशन के साथ–साथ चावल मिल रहा है। चूंकि, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत परिवार को लाभ दिया जा रहा था और शिकायतकर्ता ने अधिकारियों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी भी नहीं की थी, इसलिए आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

2. एक वृद्ध महिला और उसकी आश्रिता विकलांग बेटी को कोई बीपीएल या अंत्योदय कार्ड नहीं
(मामला संख्या 4417/18/24/2014)

7.33 ओडिशा में "राइट टू फूड कंपेन" चलाने वाले कार्यकर्ता श्री प्रदीप प्रधान ने एन.एच.आर.सी. से शिकायत की कि अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ एक वृद्ध महिला और उनकी 41 वर्षीय विकलांग लड़की को न तो गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) का कार्ड या अंत्योदय कार्ड और न ही कोई आधिकारिक सहायता प्रदान की गई।

7.34 इस मामले में संज्ञान लेते हुए, आयोग ने जिला कलेक्टर जाजपुर, ओडिशा से एक रिपोर्ट प्राप्त की, जिसमें बताया गया था कि वद्धा और उसकी अपंग बेटी, सात–आठ महीने पहले ओडिशा के केंझार से चले गए थे। इसलिए, उन्हें कोई बी.पी.एल. कार्ड जारी नहीं किया गया है। चूंकि उनके पास कोई बी.पी.एल. कार्ड नहीं था, इसलिए उन्हें इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के तहत कोई आवास आवंटित नहीं किया जा सका। हालांकि, अब दोनों महिलाओं में से प्रत्येक को क्रमशः वृद्धावस्था पेंशन योजना और ओपीडी योजना के तहत प्रति माह ₹ 300/– (केवल तीन सौ रुपये) का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा, उनके मामले को अन्नपूर्णा योजना में शामिल करने के लिए सी.एस.ओ. को भेजा गया था और स्थानीय जी.आर.एस. को उन्हें एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. में संलग्न करने की सलाह दी गई थी।

7.35 रिपोर्ट के अवलोकन पर, आयोग ने जिला कलेक्टर, जाजपुर को निम्नलिखित की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया:

(i) भविष्य में ऐसी घटनाओं को घटित होने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए?

(ii) क्या उन लोगों की स्थिति जानने के लिए कोई सर्वेक्षण करवाया गया जिन्हें सामाजिक कल्याणकारी योजना जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, आईएवाई आदि के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया जिससे कि पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आने से वंचित होना पड़ा है।

7.36 आयोग के निर्देशानुसार, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जाजपुर ने रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने इस रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को अपनी टिप्पणियां देने के लिए भेजी थी, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

अध्याय - 8

शिक्षा का अधिकार

8.1 2009 में, भारत ने प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक समावेश का वादा करने वाला एक ऐतिहासिक कानून बनाया, जिससे माध्यमिक और उच्च स्तरों पर सीखने के और अधिक अवसरों का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस कानून में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) को प्रभावी रूप से 6–14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए मौलिक अधिकार बनाया। इसके लागू होने के छः साल के बाद आज भी उन मापदंडों के बारे में महत्वपूर्ण बहस हो रही है, जिसके माध्यम से उस वादे को पूरा किया जा सके। स्कूली शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में उल्लेखनीय प्राप्ति के बावजूद राज्यों द्वारा आर.टी.ई. के कार्यान्वयन में विशेष रूप से बुनियादी अवसंरचना आवश्यकताओं के संबंध में अभी भी बड़ी मुश्किलें जैसे कि विद्यालयों के लिए पर्याप्त कक्षा कक्ष, शौचालय और चाहर–दीवारी; पीने के पानी की उपलब्धता; प्रशिक्षित शिक्षक; शिक्षकों के खाली पदों को भरना; और छात्र–शिक्षक अनुपात हैं।

8.2 अभी भी बस्तियों सहित ऐसे अनेक स्थान हैं जंहा पर तीन किलोमीटर के भीतर एक भी स्कूल नहीं है। आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों तथा विवाद ग्रस्त क्षेत्रों के कई बच्चों के लिए आर.टी.ई. अवास्तविक है। इसके अलावा, सभी राज्यों में आर.टी.ई. के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आयोग नहीं है। आर.टी.ई. की अधिकांश विषय–वस्तु वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए निजी स्कूलों

में 25 प्रतिशत सीटों के आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के इर्द–गिर्द घूम रही है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत में अधिकांश छात्र सरकारी स्कूलों या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्ययन करते हैं, इसलिए वंचित समूहों के बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं, शिक्षक योग्यता और लक्षित शिक्षा के मामले में आर.टी.ई. के कार्यान्वयन में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है ताकि और अधिक न्यायसंगत प्रणाली बनाई जा सके। आज भी, अधिकांश बच्चे प्राथमिक विद्यालय के पांच साल पूरे करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पूरे करने वाले बच्चों के स्कूल छोडने का प्रतिशत भी उल्लेखनीय है। स्कूल छोडने के ये रुझान समानता के बारे में परेशान करने वाले सवाल पैदा करते हैं, क्योंकि शहरी और ग्रामीण शिक्षा तथा अमीरों व गरीबों को प्राप्त शिक्षा के बीच बहुत अंतर है।

क. केरल में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के शिक्षा के अधिकार से संबंधित मानव अधिकार के मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन

8.3 उपरोक्त अध्ययन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 2014–2015 के दौरान सेक्रेड हार्ट कॉलेज (एस.एच.सी.) के सहयोग से थेवारा कोच, केरल में किया था।

8.4 अध्ययन में उल्लेखित मुद्दे हैंः (i) स्कूलों में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के नामांकन के स्तर; (ii) स्कूलों में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर; (iii) उच्च शिक्षा में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के नामांकन के स्तर; (iv) प्रवासी मजदूरों की रहने की स्थिति; (v) प्रवासी श्रमिकों के आर्थिक मामलों की स्तिथी का विश्लेषण; और (vi) प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के सामने आई सांस्कृतिक दुविधा।

8.5 यह अध्ययन दिसंबर, 2014 में शुरू हुआ और इसे दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने एस.एच.सी. को उनके साक्षात्कार कार्यक्रम की तैयारी में की मदद की। तैयार किए गए साक्षात्कार कार्यक्रम का पूर्व–परीक्षण किया गया व इसमें और अधिक सुधार किया तथा इसे अंतिम रूप दिया गया।

ख. एन.एच.आर.सी. द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित निपटाए गए दृष्टांत मामले

1. बालसोर जिला, ओडिशा में बोनसापाल यूजीएमई स्कूल के सात छात्र जेएनवी टेस्ट के लिए उपस्थित होने से वंचित किया
(मामला सं. 2014.1115/18/1/2014)

8.6 आयोग को मानवाधिकार कार्यकर्ता श्री राधाकांत त्रिपाठी से 6 मार्च 2014 की एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ओड़िशा के बालासोर जिले में बोनसापाल यूजीएमई स्कूल के सात छात्रों को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा (जेएनवी टेस्ट), 2014 में उपस्थित होने से वंचित किया गया। इन सभी छात्रों ने नियत तारीख से पहले फॉर्म भर दिए थे। हालांकि, स्कूल अधिकारियों की लापरवाही के कारण, छात्रों को परीक्षा देने से वंचित किया गया। शिकायत के अनुसार, स्कूल के मुख्याध्यापक सुमंत कुमार नायक और सी.आर.सी.सी. प्रमाणित काउंसलर अभय कुमार दास इस चूक के लिए जिम्मेदार थे और आयोग के दखल तथा प्रभावित छात्रों के लिए मुआवजे की मांग की गई।

8.7 आयोग ने 9 अप्रैल, 2014 को मामले का संज्ञान लिया तथा अपर सचिव, स्कूल और जन शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार से 20 अगस्त 2014 की एक रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें बताया गया कि यूजीएमई स्कूल के मुख्याध्यापक सुमन कुमार नायक और सी. आर.सी.सी. काउंसलर अभय कुमार दास के कर्तव्यों में चूक और लापरवाही के कारण बोनसापाल यूजीएमई स्कूल के छात्रों को जेएनवी प्रवेश परीक्षा –2014 में उपस्थित होने से मना कर दिया गया था। उक्त दोनों सरकारी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई और दोनों को निलंबित कर दिया गया था।

8.8 आयोग ने 7 अगस्त, 2015 को उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार किया और महसूस किया कि नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए सार्वजनिक प्रवेश परीक्षा में सात छात्रों को उपस्थित होने का अधिकार सरकारी स्कूल के मुख्याध्यापक और काउंसलर की चूक और लापरवाही के कारण वंचित हुआ था, जो लोक सेवक थे इसलिए, ओडिशा राज्य

परोक्ष रूप से उत्तरदायी थी। आयोग ने मुख्य सचिव के माध्यम से, ओडिशा सरकार को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18, (क) (i) के तहत कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि आयोग को सात पीड़ित छात्रों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे के भुगतान कि सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए।

8.9 आयुक्त–सह–सचिव स्कूल और जन शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार ने कहा कि एस. के. नायक और ए. के. दास के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही में भविष्य में इस तरह चूक को न दोहराने की चेतावनी दी गई थी और उन्हें सेवा में बहाल किया गया। आयोग, तथापि, मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।

2. ओडिशा के एंजूल में कॉलेज पाड़ा अपर प्राइमरी स्कूल में स्कूल परिसर के खराब रखरखाव के कारण लकड़ी की बीम गिरने से दो छात्र गंभीर रूप से घायल हुए
(मामला संख्या 973/18/16/2014)

8.10 आयोग को श्री दिलीप कुमार दास से 27 फरवरी 2014 की एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 26 फरवरी 2014 को ओडिशा में कॉलेज पाडा अपर प्राइमरी स्कूल, अंगुल में दो छात्रों, अर्थात् बिद्याधर गोछायत और तपन नायक पर एक लकड़ी का बीम गिर जाने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अंगुल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकार द्वारा संचालित स्कूल का भवन पुराना था और उसकी छत पर टाइल लगी थीं जो समय बीतने के साथ छात्रों को लिए असुरक्षित हो गईं थीं, लेकिन स्कूल प्रशासन ने इसकी मरम्मत के लिए कोई ध्यान नहीं दिया और न ही इस कारण से स्कूल को एक सुरक्षित भवन में स्थानांतरित किया गया। शिकायतकर्ता ने इस मामले में आयोग के हस्तक्षेप की मांग की और पीड़ितों के लिए उचित मुआवजे की मांग की।

8.11 आयोग ने 11 मार्च, 2014 को मामले का संज्ञान लिया और आयुक्त–सह–सचिव, स्कूल और जन शिक्षा विभाग से प्राप्त कृत कार्रवाई रिपोर्ट की एक प्रति सहित अपर

सचिव, स्कूल और जन शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार से 22 जुलाई, 2014 की एक रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट से पता चला कि मध्याह्न भोजन लेने के बाद, छात्र अपनी–अपनी कक्षाओं में बैठे थे। अचानक चौथी कक्षा की एक क्षतिग्रस्त बीम लटक कर गिर गई जिससे दो छात्रों, अर्थात् तपन कुमार नायक और बिद्याधर गोछायत गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद हेडमास्टर सहित कुछ शिक्षकों और एसएमसी अध्यक्ष ने अंगुल अस्पताल में घायल छात्रों को भर्ती कराया। उचित उपचार के बाद, दोनों छात्रों को उनके माता–पिता को सौंप दिया गया। दोनों छात्र तबीयत ठीक होने पर नियमित रूप से स्कूल आए। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकला कि स्कूल में छप्परदार टाइल वाले चार कमरे थे जो जीर्ण स्थिति में थे और असुरक्षित घोषित किए गए थे। इन कमरों में कोई कक्षाएं नहीं चल रही थीं।

8.12 आयोग ने 15 अक्टूबर, 2015 को रिपोर्ट पर विचार किया जब उसने पाया कि विद्यालय के बुनियादी ढांचे के पर्यवेक्षण और निगरानी में लापरवाही के कारण छात्रों को गंभीर चोटें आईं थीं । हालांकि, रिपोर्ट में पीड़ितों को दिए गए मुआवजे के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया। इस मामले में स्कूल के अधिकारियों की लापरवाही मानी गई और ओडिशा राज्य परोक्ष तौर पर उत्तरदायी था। नतीजतन, आयोग ने मुख्य सचिव के माध्यम से, ओडिशा सरकार को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18, (क)(i) के तहत कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि आयोग दोनों पीड़ित छात्रों में प्रत्येक को ₹ 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये मात्र) के मुआवजे के भुगतान कि सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। राज्य सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

3. सरकार द्वारा संचालित बाबूराम मुर्मू छात्रावास, कुसुमाला, मयूरभंज जिला, ओडिशा में सांप काटने के कारण मृत्यु
(मामला सं. 2974/18/9/2014)

8.13 आयोग को श्री दिलीप कुमार दास से 22 जुलाई, 2014 की एक शिकायत मिली जिसमें आरोप लगाया गया था कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले के कुसुमासाल में आदिवासी कल्याण विभाग के राजकीय बाबूराम मुर्मू छात्रावास में रहने वाले तीन आदिवासी छात्रों,

अर्थात् बाबूराम, सुरेंद्र और अनामा को एक जहरीले साँप ने काट लिया जब वे अपने स्कूल के छात्रावास में फर्श पर सो रहे थे। बाबूराम की मृत्यु हो गई जबकि उनके सहपाठी सुरेंद्र को तबीयत बिगड़ने पर कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अन्य छात्र अनामा का जिला मुख्यालय अस्पताल में इलाज चल रहा था। अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह घटना हुई। शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच और मृतक तथा पीड़ितों के निकतम परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की।

8.14 आयोग ने 5 अगस्त, 2014 को मामले पर संज्ञान लिया और उप सचिव, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग, भुवनेश्वर, ओडिशा सरकार से एक रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट के मुताबिक, सलीपदा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कुसुमासाला हाई स्कूल के तीन अनुसूचित जनजाति छात्रों, अर्थात् बाबूराम, सुरेन्द्र और अनामा मुर्मू को साँप के काटने के कारण 21 जुलाई 2014 को बारापाड़ा के जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें से एक, अर्थात् कक्षा–8 के छात्र बाबूराम पुत्र स्व. श्री बीकाला मुर्मू को डॉक्टरों ने 21 जुलाई 2014 को सुबह 8.30 बजे मृत घोषित कर दिया था। जबकि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार सुरेंद्र को कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये दोनों छात्र बाद में ठीक हो गए थे। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया कि वे विद्यालय और जन शिक्षा विभाग, अर्थात कुसुमासाल हाई स्कूल में एक मान्यता प्राप्त निजी छात्रावास के छात्र थे, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी, मयूरभंज द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा पूर्व–मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि मृतक बाबूराम की मां श्रीमती सेबती मुर्मू को रेड क्रॉस फंड से ₹ 10,000/– की राशि का भुगतान किया गया था। कलेक्टर, मयूरभंज ने भी मृतक के निकतम परिजनों को अनुग्रह राशि के रूप में ₹ 1,00,000/– रुपये (एक लाख रूपये मात्र) के भुगतान की संस्वीकृति के लिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग को प्रस्ताव दिया था। हालांकि, जैसा कि यह छात्रावास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग से संबंधित नहीं था और निजी तौर पर चलाया जा रहा था इसलिए मृतक बाबूराम मुर्मू के निकतम परिजनों को अनुग्रह राशि देने का कोई प्रावधान नहीं था।

8.15 आयोग ने 18 दिसंबर, 2015 को रिपोर्ट पर विचार किया जिसमें इसने महसूस किया कि यह घटना एक निजी स्कूल छात्रावास में हुई, जिसे शिक्षा विभाग ने मान्यता दी थी। मृतक और अन्य दो आदिवासी पीड़ितों को उस छात्रावास में प्रवेश दिया गया था तथा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किए गए फीस के भुगतान या पारिश्रमिक से उसका ध्यान रखा जाता था। इस प्रकार, एक निजी स्कूल होने के बावजूद भी स्कूल राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में लगी हुई थी। राज्य सरकार का यह कर्तव्य था कि वह छात्रावास में रहने लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करवाती। मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट था कि राज्य सरकार ऐसा करने में विफल रही है। इस प्रकार, आदिवासी छात्रों के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार परोक्ष तौर पर उत्तरदायी है। इसलिए, आयोग ने अपने मुख्य सचिव के माध्यम से ओडिशा सरकार को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18, (क) (i) के तहत कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि आयोग को कुसुमासाल हाईस्कूल के मृतक आदिवासी बाबूराम के निकटतम परिजनों को ₹ 1,00,000/– रुपये (एक लाख रुपए मात्र) की आर्थिक सहायता देने का अनुशंसा क्यों नहीं करनी चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

4. पटपड़ नोडल प्राइमरी स्कूल, निमपाडा टाउन, ओडिशा में लापरवाही के कारण एक छात्र के सिर पर गंभीर चोट
(मामला सं. 2350/18/12/2014)

8.16 एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर दिलीप कुमार दास ने 22 मई, 2014 की अपनी शिकायत में कहा कि निमपाडा टाउन के पटपड़ नोडल प्राइमरी स्कूल के एक छात्र नीलकंठ नायक को स्कूल में उस समय सिर पर गंभीर चोटें लगीं, जब एक पंखा उस पर गिर पड़ा और छात्र को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शिकायतकर्ता के मुताबिक, स्कूल प्रशासन स्कूल की मरम्मत पर ध्यान देने में असफल रहा और स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने घटना को छिपाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने आयोग से इस घटना की जांच करने और स्कूल के अधिकारियों की लापरवाही के कारण लगी चोट के लिए पीड़ित को क्षतिपूर्ति करने का अनुरोध किया।

8.17 आयोग ने 3 जून, 2014 को मामले का संज्ञान लिया और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नीमपाड़ा से 18 जुलाई, 2014 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें कहा गया था कि 23 अप्रैल, 2014 को सुबह 10 बजे सभी छात्र मध्याह्न भोजन लेने के बाद स्कूल के परिसर में खेल रहे थे। कक्षा 8 के छात्र नीलकंठ नायक ने अपनी कक्षा कक्ष में प्रवेश किया और जैसे ही उसने पंखे का स्विच दबाया यह कमरे की दीवार से टकराकर उसके ऊपर गिर गया और पंखे के ब्लेड बच्चे के सिर के पीछे लगे तथा गंभीर चोट आने के कारण काफी खून बहा। हेडमिस्ट्रेस, नीलकंठ नायक के माता–पिता और स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) सदस्य तत्काल इलाज के लिए निकटतम नीमपाड़ा अस्पाताल लेकर गए। समस्त चिकित्सा व्यय स्कूल द्वारा वहन किया गया था। 5 दिनों के बाद बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया था और पहले की तरह कक्षा में आने लगा था। गिरे हुए पंखे को स्कूल के स्टोर रूम में रखा गया था और यह संदेह था कि उसके निर्माण में दोष था। क्योंकि यह पंखा संधारित्र सेटिंग स्थिति से अलग हुआ था न कि छत पर लगे हुक से। हेडमिस्ट्रेस और एसएमसी सदस्यों को सभी पुराने पंखे बदलने का निर्देश दिया गया था और तदनुसार स्कूल में उपयोग के लिए नए पंखे खरीदे गए थे।

8.18 आयोग ने 27 अक्तूबर, 2015 को मामले पर विचार किया और कहा कि जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि छात्र नीलकंठ नायक को लोकसेवकों द्वारा स्कूल के बुनियादी ढांचे और निगरानी में लापरवाही के कारण कक्षा कक्ष में पंखे के गिरने से चोट लगी जिसके लिए राज्य परोक्ष तौर पर उत्तरदायी है। इसलिए आयोग ने मुख्य सचिव के माध्यम से, ओडिशा सरकार को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18, (क)(i) के तहत कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि आयोग पीड़ित नीलकंठ नायक को ₹25,000/– (पच्चीस हजार रुपये मात्र) के मुआवजे के भुगतान कि सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। आयोग को कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

अध्याय - 9

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के अधिकार

9.1 भारत में अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) और अन्य कमजोर वर्गों जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और हाशिए के वर्गों जैसे कि निशक्तजन कुछ सर्वाधिक वंचित समूह हैं। उनके लिए एक निष्पक्ष वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उनके समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रगतिशील कानून लागू किया है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और 2015 में यथासंशोधित; पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996; लघु वन उत्पाद अधिनियम, 2005; अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफ.आर.ए.); शिर पर मैला ढोने वाले लोगों के रोजगार का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 और अनुसूचित जाति उप–योजना और जनजातीय उप–योजना रणनीति एस.सी. और एस.टी. के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए बनाए गए संबंधित आयोगों द्वारा लोकपाल कार्य का निर्वहन किया जाता है।

9.2 भारत सरकार ने भी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता और कौशल निर्माण, नौकरियों में आरक्षण, अत्याचारों और हिंसा के मामलों को संबोधित करने के लिए विशेष अदालतों सहित अवसरों तक पहुंच के लिए विशेष कार्यक्रम और योजनाएं विकसित की हैं।

9.3 अपनी स्थापना के बाद से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सक्रिय रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के विकास के प्रति सकारात्मक कार्रवाई में सक्रिय रहा है। सतत् असमानताओं को खत्म करने के लिए, इसने भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ दंडकारी उपायों की दृढ़ता से सिफारिश की है। इसके अलावा, आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्षों से मूल्यवान सहयोग मिलता हैं, जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा (बी) से (जे) में विनिर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए एन.एच.आर.सी. के पदेन सदस्य हैं।

9.4 वर्षों से एन.एच.आर.सी. ने अस्पृश्यता सहित विभिन्न मुद्दों के व्यवस्थित बहिष्कार को लेकर विचार किया है। आयोग में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत प्राप्त शिकायतों का पैटर्न मुख्य रूप से उच्च जातियों द्वारा उनके उत्पीड़न और लोक सेवकों द्वारा कर्तव्य की जानबूझकर अनदेखी से संबंधित है।

क. दलितों के खिलाफ अत्याचार पर शोध अध्ययनः तमिलनाडु में विशेष न्यायालयों के प्रदर्शन पर एक अनुभवजन्य अध्ययन

9.5 जैसा कि वर्ष 2014–2015 के लिए एन.एच.आर.सी. की वार्षिक रिपोर्ट में वर्णित है, आयोग ने उपरोक्त विषय पर एक शोध अध्ययन किया है। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं– तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के कारणों की पहचान; पुलिस स्टेशनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करने में देरी के कारणों का पता लगाना; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों पर निर्णय करने के लिए न्यायालयों द्वारा लिया गया औसत समय; तमिलनाडु में विशेष न्यायालयों की स्थापना के बाद त्वरित न्याय देने के संबंध में कोई भी बदलाव देखे जाने का पता लगाना; अदालतों में मामलों के निपटान के लिए आम तौर पर कितनी सुनवाई आयोजित की जाती हैं; तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दोषसिद्धि और दोष मुक्ति का प्रतिशत और कारणों का विश्लेषण करना।

9.6 शोध अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

ख. बंधुआ मजदूरी प्रणाली

9.7 सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका (सिविल) सं. 3922/1985 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु और अन्य में अपने 11 नवंबर 1997 के आदेश द्वारा आयोग को सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (बी.एल.एस.ए.) के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। तदनुसार, आयोग सभी प्रमुख राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा कर रहा है जहां बंधुआ मजदूरी की समस्या व्यापक है और जागरूकता कार्यशाला का आयोजन करता है।

बंधुआ मजदूरी पर कार्यशालाएं

9.8 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एन.एच.आर.सी. द्वारा निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था:

क्र. सं.		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	भाग लेने वाले राज्य	दिनांक	एन.एच.आर.सी. प्रतिनिधिमंडल
1.	क्षेत्रीय कार्यशालाएं	चंडीगढ़	हरियाणा, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश	30 जुलाई, 2015	• न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेशन, सदस्य • महासचिव • संयुक्त सचिव (का. एवं प्रशा.) • संबंधित विशेष संपर्ककर्त्ता • संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) • सहायक रजिस्ट्रार (विधि)
2.		चेन्नई	केरल	7 अगस्त, 2015	• न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेशन, सदस्य • महासचिव • संयुक्त सचिव (का. एवं प्रशा.) • संबंधित विशेष संपर्ककर्त्ता
3.		लखनऊ	उत्तराखण्ड	11 सितम्बर, 2015	• न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेशन, सदस्य • संबंधित विशेष संपर्ककर्त्ता

क्र. सं.		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	भाग लेने वाले राज्य	दिनांक	एन.एच.आर.सी. प्रतिनिधिमंडल
4.	भुवनेश्वर (ओडिशा)			12 जनवरी, 2016	• न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेशन, सदस्य • संयुक्त सचिव (का. एवं प्रशा.) • संबंधित विशेष संपर्ककर्त्ता
5.	जयपुर (राजस्थान)			29 जनवरी, 2016	• न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेशन, सदस्य • संबंधित विशेष संपर्ककर्त्ता

बंधुआ मजदूरी पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोर ग्रुप का पुनर्गठन

9.9 आयोग ने बंधुआ मजदूरी पर एक कोर समूह का गठन किया, जो समय–समय पर बंधुआ मजदूरी से संबंधित विस्तृत मामलों पर सलाह देता है। आयोग में 28 जनवरी, 2015 को आयोजित बंधुआ मजदूरी पर कोर ग्रुप की बैठक के दौरान, बंधुआ मजदूरी पर कोर ग्रुप का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, समीक्षा अवधि के दौरान, बंधुआ मजदूरी पर कोर समूह का पुनर्गठन किया गया था।

ग. एन.एच.आर.सी. द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित दृष्टांत मामले

1. *हाथरस पुलिस स्टेशन, उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की अवैध हिरासत और अत्याचार*
   (मामला सं. 49639/24/37/2014)

9.10 आयोग को किसी दीपक से 10 दिसंबर, 2014 की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 24 नवंबर, 2014 को पुलिस ने उसे उसके घर से उठाया और उसे हाथरस पुलिस थाने ले गई। वहां उसे कथित रूप से मिर्च के पाउडर, पेट्रोल और शारीरिक चोट पहुंचाकर पुलिस द्वारा क्रूर यातना दी गई। उसे बुरी तरह पीटने के बाद, पुलिस ने उसे उसके घर छोड़ दिया। इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक, हाथरस को

दी गई थी और मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को दबाव में तैयार की गई उसकी झूठी चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में विभिन्न अखबारों की कतरनों, चिकित्सा रिपोर्टों और पुलिस अधिकारियों से की गई अपनी शिकायतें संलग्न कीं।

9.11 हाथरस पुलिस के अनुसार, आई.पी.सी. की धारा 323/324 के तहत एफ.आई.आर. संख्या 710/14 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत धारा 3(1)(x) के तहत मामला दर्ज किया गया था। कथित घटना में हाथरस पुलिस स्टेशन के तीन पुलिस कॉन्स्टेबल्स के खिलाफ जांच के बाद, आई.पी.सी. की धारा 323/504, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ आरोप–पत्र दायर किया गया था और अन्य दो पुलिस कॉन्स्टेबल्स के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 323/504 के तहत आरोप–पत्र दाखिल किया गया था।

9.12 आयोग ने इस मामले के आगे विचार करने पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि आयोग पीड़ित को ₹ 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की अंतरिम राहत देने की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। जवाब में, संयुक्त सचिव, गृह (मानव अधिकार) विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 सितंबर, 2015 के अपने पत्राचार के अनुसार बताया कि तीनों दोषी पुलिस कॉन्स्टेबल्स को उनके अभिलेखों में इस दंड को दर्ज करने के साथ दंडित किया गया था।

9.13 आयोग ने इस मामले पर विचार किया और पाया कि पुलिस कांस्टेबल्स द्वारा शिकायतकर्ता का अपहरण और क्रूर हमला उनके मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। सभी तीनों पुलिस कॉन्स्टेबल्स अपराध में शामिल पाए गए और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत पीड़ित का पुनर्वास और क्षतिपूर्ति भी इस मामले में आवश्यक थी। यह एक चौंकाने वाला मामला था, जहां नागरिकों के संरक्षकों ने निर्दोष

नागरिक पर क्रूरताएं की थी। आयोग ने इस मामले में लोक सेवकों द्वारा किए गए मानव अधिकारों के उल्लंघन पर गंभीर टिप्पणी की और उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अनुसार, पीड़ित को ₹25,000/– (केवल पच्चीस हजार रुपये) के आर्थिक मुआवजे कि सिफारिश की।

9.14 जवाब में, अवर सचिव, मानव अधिकार विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 अप्रैल, 2016 के अपने पत्राचार के अनुसार बताया कि पीड़ित दीपक को 17 मार्च, 2016 को ₹25,000/– रुपये का भुगतान किया गया था। भुगतान का प्रमाण भी संलग्न किया गया था।

9.15 आयोग ने मामले पर आगे विचार किया और पाया कि पीड़ित को आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 25,000/– रुपये की अंतरिम राहत प्रदान की गई थी। दोषी पुलिसकर्मियों को आरोप–पत्र दिया गया था और उनके संबंधित विभाग द्वारा भी निपटाया गया था। तथापि, जिला मजिस्ट्रेट हाथरस, उत्तर प्रदेश को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पी.ओ.ए.) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत प्रदान किए जाने वैधानिक लाभ पीड़ित को तत्काल दिए जाएं। इन राज्य अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों को रिकॉर्ड किया गया और मामले को बंद कर दिया गया।

2. धार, मध्य प्रदेश में छात्रावास के वार्डन की ओर से समय पर स्वास्थ्य देखभाल नहीं होने पर जनजातीय छात्रा की मौत
(मामला संख्या 544/12/15/2015)

9.16 मानव अधिकार कार्यकर्ता श्री राज हंस बंसल ने आयोग को भेजी शिकायत में आरोप लगाया कि धार, मध्य प्रदेश के सरकारी छात्रावास में सात वर्षीय आदिवासी छात्रा प्रवीण रह रही थी जो छह दिनों से बीमार थी, लेकिन हॉस्टल वार्डन ने उसका समय पर इलाज नहीं करवाया। 18 दिसंबर, 2014 को जब उसकी हालत खराब हो गई और उसने खून की उल्टी कर दी, तब जाकर उसे इंदौर भेजा गया, जहां 19 दिसंबर, 2014 को उसने आखिरी सांस ली।

9.17 आयोग के निर्देशों के जवाब में, यह बताया गया कि छात्रावास के वॉर्डन को कर्तव्य में चूक का दोषी माना गया था और उसे सेवा से हटा दिया गया था। छात्र कल्याण योजना के अंतर्गत मृतक के निकतम परिवार जनों को ₹ 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का भुगतान किया गया था।

9.18 आयोग ने रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, यह पाया कि लोक सेवक की लापरवाही के कारण एक अनमोल जिंदगी चली गई और मृतक के निकतम परिवार जनों को ₹ 25,000/–(पच्चीस हजार रुपये मात्र) के अतिरिक्त मुआवजे की सिफारिश की गई।

9.19 उपर्युक्त मामले में भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित था।

3. सफाई के लिए बच्चे को गड्ढे में उल्टा लटकाने के कारण उसकी मृत्यु (केस सं. 2100/12/17/2014)

9.20 श्री विजय कुमार तनेजा, सी.एल.एस. (सेवानिवृत्त) पूर्व मुख्य सलाहकार (श्रम कल्याण), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने आयोग को हिंदी अखबार 'दैनिक भास्कर' में दिनांक 24 जुलाई, 2014 को "सफाई के लिए बच्चे को गहरे गड्ढे में उल्टा लटका दिया" शीर्षक से प्रकाशित एक प्रेस रिपोर्ट अग्रेषित की। रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे स्टेशन गुना, मध्य प्रदेश में बिजली का खंभा लगाने के लिए खोदे गए एक गड्ढे में एक बच्चा को उल्टा लटका दिया गया था। बच्चे को गड्ढे को साफ करने के लिए उल्टा किया गया था।

9.21 आयोग द्वारा जारी नोटिस के जवाब में, पुलिस अधीक्षक गुना ने 7 अक्टूबर, 2014 की एक रिपोर्ट भेजी, जिसके अनुसार समाचार रिपोर्ट के आधार पर 24 जुलाई, 2014 को पुलिस स्टेशन गुना में मामला अपराध संख्या 4171/14 दर्ज किया गया था। जांच के दौरान, 11 वर्षीय बच्चे नंदू पुत्र श्री ओम प्रकाश जाटव की पहचान की गई और उसका बयान दर्ज किया गया था। बच्चे के बयान से अख़बार की रिपोर्ट में बताए तथ्यों की पुष्टि हुई। पुलिस अधीक्षक, गुना ने यह भी बताया कि जांच के पूरा होने पर अदालत में आरोप–पत्र दायर किया गया था। तीन व्यक्तियों, अर्थात् संदीप शुक्ला, चंद्रशेखर दुबे

और चगकी उर्फ अर्जुन बनजारा को आई.पी.सी. की धारा 336 और 34 के तहत आरोपी बनाया गया था।

9.22 रिपोर्ट के विचार पर, आयोग ने 30 नवंबर, 2015 की कार्यवाही में पाया और निम्नानुसार निर्देश दिया:

> *चूंकि नंदू जाटव जाति से संबंधित है, जो एक अनुसूचित जाति है, इसलिए एस.पी., गुना को चार सप्ताह के भीतर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया जा सकता है कि अपराधों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 तथा बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम, 1986 के तहत आरोप–पत्र में शामिल क्यों नहीं किया गया था।*
>
> *आरोप पत्र के अनुसार, अन्य लोगों के साथ किसी चंद्रशेखर दुबे, रेलवे पर्यवेक्षक को दोषी पाया गया है और इसलिए, रेलवे बोर्ड परोक्ष तौर पर पीड़ित बच्चे नंदू जाटव को उसके साथ की गई क्रूरता और अन्याय के लिए क्षतिपूर्ति करने हेतु जिम्मेदार है। इसलिए अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के माध्यम से रेलवे बोर्ड को निर्देश देते हुए चार सप्ताह के भीतर कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि आयोग को रेलवे बोर्ड द्वारा पीड़ित बच्चे नंदू जाटव को ₹50,000/– (पचास हजार रुपये मात्र) के मुआवजे के भुगतान की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि ₹50,000/– की यह मुआवजा राशि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनको भुगतान के लिए पात्र मुआवजे की किसी राशि से अलग है।"*

9.23 जारी किए गए कारण बताओ नोटिस की अनुपलना में, रेलवे की ओर से मुख्य विद्युत अभियंता, जबलपुर का 02 फरवरी, 2016 का जवाब प्राप्त हुआ जिसमें यह कहा गया था कि चंद्रशेखर दुबे रेलवे के कर्मचारी नहीं थे, इसलिए, पीड़ित को कोई मुआवजे का भुगतान करने के लिए रेलवे परोक्ष तौर पर उत्तरदायी नहीं है।

9.24 कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने पर, आयोग ने 7 मार्च, 2016 की कार्यवाही में अन्य बातों के साथ पाया और निम्नानुसार निर्देशित किया:

"रेलवे बोर्ड ने ठेकेदार को कुछ कार्य सौंपा था। ठेकेदार ने इस कार्य को करने हेतु बच्चे को एक गड्ढे में उल्टा लटका दिया था। यह रेलवे बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि वह ठेकेदार को लोगों के प्रति मानवीय गरिमा के साथ व्यवहार करने की सलाह देता परंतु ऐसा नहीं किया गया इसलिए उनको पीड़ित बच्चे को मुआवजे देने की आवश्यकता है तथा बाद में ठेकेदार से ये राशि वसूल कर ली जाए।"

उपरोक्त के मद्देनजर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को चार सप्ताह के भीतर कारण बताने के लिए रजिस्ट्री एक नया नोटिस जारी करे कि हमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अनुसार पीड़ित बच्चे नंदू जाटव को ₹50,000/– (पचास हजार रुपये मात्र) की राशि के भुगतान तथा बाद में ठेकेदार से ये राशि वसूल करने का निर्देश क्यों नहीं देना चाहिए।"

9.25 रेलवे बोर्ड की ओर से एन.एच.आर.सी. के कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।

4. दक्षिण कन्नड़ जिला, मंगलौर में ईसाइयों के धार्मिक स्थलों पर हमलों के खिलाफ उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग (मामला सं. 266/10/1/08–09)

9.26 यह मामला डॉ. साजन के. जार्ज की शिकायत से संबंधित है जिसमें पुलिस द्वारा ईसाईयों पर अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाया गया जो सितम्बर, 2008 में कट्टरपंथी तत्वों द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिला, मंगलोर में अपने धार्मिक स्थलों पर हुए हमलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस घटना में 30 लोग घायल हुए थे। आयोग ने अनुसंधान प्रभाग की एक टीम भेज कर जांच करवाई थी।

9.27 आयोग ने 6 मई, 2015 को अपर सचिव के माध्यम से कर्नाटक राज्य सरकार के दिनांक 27 अक्तूबर, 2014 के पत्र के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार किया जिसमें बताया गया था कि न्यायमूर्ति श्री बी.के.सोमशेखर के अधीन जांच आयोग की रिपोर्ट को राज्य मंत्रीमंडल ने निरस्त कर दिया था।

9.28 आयोग ने, तथापि, 10–15 नवम्बर, 2008 के दौरान राज्य का दौरा करने वाली एन.एच.आर.सी. टीम द्वारा की गई सिफारिशों की जांच और उस पर कार्रवाई करने का निश्चय किया और इस घटना की छान–बीन की।

9.29 कुलशेखर के एक स्कूल में पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागने के आरोप के संबंध में जांच दल का निष्कर्ष निम्नानुसार हैः

> *"जांच दल द्वारा इस घटना के संबंध में पुलिस, मुख्य पादरी और स्वतंत्र स्रोतों की ओर से जुटाए फोटो और विडियो रिकॉर्डिंग यह दर्शाते हैं कि कुलशेखर के सेंट जोसफ स्कूल में प्रवेश के बाद पुलिस द्वारा हद से ज्यादा और अनावश्यक बल प्रयोग (लाठी चार्ज) किया गया। विडियो रिकॉर्डिंग में पुलिस द्वारा महिलाओं और बच्चों को पीटने और इस वजह से स्कूल के कॉरिडोर में भगदड़ होने को दिखाया गया। यहां यह नोट करना भी प्रासंगिक होगा कि कुलशेखर में पुलिस कार्रवाई में किसी भी घायल को प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार देने के लिए पुलिस ने कोई उपाय नहीं किए थे।"*

9.30 मंगलोर में ईसाई आंदोलनकारियों को तितर–बितर करने के लिए प्रयोगावधि समाप्त आंसू गैस के गोले प्रयोग करने की घटना के संबंध में फादर मूलर’स हॉस्पिटल से डॉ. एल.एन.जोसुआ और राजकीय जिला अस्पताल, वेनलोक से डॉ. वेंकटेश एन. नामक दो डॉक्टरों से पूछताछ की थी। दोनों डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल में आंसू गैस के प्रभाव से पीड़ित कोई भी मरीज नहीं आया था।

9.31 इस प्रकार, एन.एच.आर.सी. टीम की जांच रिपोर्ट के अवलोकन पर यह पाया गया कि मैंगलोर में पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप कोई ईसाई आंदोलनकारी पर विषाक्तता का दुष्प्रभाव नहीं हुआ था। रिपोर्ट में यह भी पाया गया था कि कुलशेखर के सेंट जोसफ स्कूल में पुलिस द्वारा किए गए अतिरिक्त बल प्रयोग के परिण ाामस्वरूप 12 व्यक्तियों को चोट लगी। 12 घायल व्यक्तियों के नाम हैंरू आशमा डोरोथी मोंटेरो, फ्रांसिस, रेनिल डिसूजा, सीनियर सिस्टर डेनिसिया, सीनियर सिस्टर सेल्मा, सिस्टर प्रीति फर्नांडो, सिस्टर ग्रेटा गोम्स, रिसन फर्नांडो, फ्रांसिस डी सिल्वा, सविता शांति पिंटो,

ऐलिस रॉड्रिग्स और सुश्री निशल डिसूजा। इसमें कोई विवाद नहीं था कि कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के धार्मिक स्थानों पर हमला किया गया था। ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए उत्तेजित होना स्वाभाविक था। धार्मिक स्थलों के अपवित्रीकरण के खिलाफ विरोध करना उनका मौलिक अधिकार था। यहां तक कि अगर भीड़ को तितर–बितर करने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल आवश्यक भी हो गया था तो भी इस तरह का बल प्रयोग बेहद संयम के साथ किया जाना चाहिए था। एन.एच.आर.सी. टीम की जांच रिपोर्ट ने प्रमाणित किया कि पुलिस ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया था इसलिए, पुलिस कार्रवाई में चोट लगने वाले 12 व्यक्ति मुआवजा पाने के हकदार थे।

9.32 आयोग ने एन.एच.आर.सी. टीम की रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद कहा कि पुलिस ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया और पुलिस द्वारा कुलशेखर के सेंट जोसफ स्कूल में किए गए अतिरिक्त बल प्रयोग के कारण 12 लोगों को चोट लगी। इसलिए, ये 12 व्यक्ति मुआवजा पाने के हकदार हैं। अतः, आयोग ने कर्नाटक सरकार को सिफारिश की कि प्रत्येक पीड़ित को आर्थिक राहत के रूप में ₹15,000/– (पंद्रह हजार रुपये मात्र) की राशि का भुगतान करे।

9.33 कर्नाटक सरकार से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामला बंद कर दिया गया था।

5. हाशिमपुरा, मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश में निर्दोष मुसलमानों की हत्या
(मामला सं. 11623/24/54/2015)

9.34 एन.एच.आर.सी. को वर्ष 1987 की एक घटना की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित करते हुए श्री ऑस्कर फर्नांडीस, अंधेरी, मुंबई, महाराष्ट्र से 24 मार्च, 2015 का एक ईमेल प्राप्त हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में हाशिमपुरा गांव से प्रांतीय सशस्त्र सेना (पी.ए.सी.) ने मुस्लिम समुदाय के 42 लोगों को उठाया था। इन सभी लोगों को कथित तौर पर पी.ए.सी. ट्रक में ले जाया गया था। पी.ए.सी. जवानों द्वारा रास्ते में उन्हें गोली मारकर मार दिया गया और उनके शवों को गंग नहर, मुराद नगर तथा हिंडोन नदी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में फेंक दिया गया।

9.35 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पश्चिम 04, दिल्ली ने अभियुक्तों के मुकदमा पूरा होने पर फैसला देते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्तों पर लगाए गए दोषों के लिए पर्याप्त नहीं था। यह भी कहा गया था कि यह देखना कष्टकारी है कि कई निर्दोष व्यक्तियों को चोट पहुंचाई गई और राज्य एजेंसी द्वारा उनकी जान ली गई लेकिन जांच एजेंसी के साथ–साथ अभियोजन पक्ष अपराधियों की पहचान स्थापित के लिए विश्वसनीय सामग्री को रिकॉर्ड में लाने में विफल रहा है। मुकदमे का सामना करने वाले अभियुक्त अभियोजन पक्ष के मामले में मौजूद संदेह लाभ के हकदार हैं। इन निर्देशों के साथ, कोर्ट ने 21 मार्च, 2015 के अपने फैसले में अभियुक्तों को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

9.36 आयोग ने इस पर विचार करते हुए 13 अप्रैल, 2015 को मामले का संज्ञान लिया तथा निम्नानुसार निर्देश दिया:

> *"आयोग ने श्री ऑस्कर फर्नांडीस से प्राप्त पत्राचार के साथ–साथ 21.03.2015 को पारित न्यायालय के फैसले का अनुसरण किया है। पुलिस कार्रवाई में सभी व्यक्ति कथित तौर पर मारे गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ था। यह मामला एक लंबे समय तक न्यायालय में लंबित था। इन तथ्यों पर संज्ञान लेते हुए, आयोग उत्तर प्रदेश सरकार से उनके द्वारा मृतक के रिश्तेदारों को राहत प्रदान करने और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट की मांग करता है।*
>
> *मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी करें।*
>
> *रजिस्ट्री इस फैसले की जांच करेगी और सुझाव देगी कि 1987 की घटना के दोषियों को न्याय प्रक्रिया में लाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मामले को 27.04.2015 को फुल कमीशन के समक्ष रखा जाए।"*

9.37 फुल कमीशन ने इस मामले पर 27 अप्रैल, 2015 को विचार किया तथा निम्नानुसार निर्देश दिया:

"सत्र न्यायाधीश के फैसले के अनुसरण में, यह देखा गया कि सत्र न्यायाधीश का निष्कर्ष अनेक विरोधाभासों से घिरा है। यह न्याय की गंभीर विफलता है और एक उपयुक्त मामला है जिसमें फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दर्ज की जा सकती है। कानून प्रभाग, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की संभावना का पता लगाएगा।

अपर सत्र न्यायाधीश की जांच ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि मुसलमान समुदाय के 42 लोगों का मोहल्ला हाशिमपुरा से अपहरण किया गया और बाद में उन्हें गोली मार दी गई थी तथा उनके शवों को ठिकाने लगा दिया गया था। अपने निर्णय के पैरा 15.11 में प्रबुद्ध सत्र न्यायाधीश की टिप्पणियों का निम्न प्रभाव है: –

> *यह स्थापित किया गया है कि मोहल्ला हशिमपुरा से लगभग 42 लोगों का अपहरण कर पी.ए.सी. अधिकारियों ने एक पीले रंग के पी.ए.सी. ट्रक में डाल दिया था। उक्त ट्रक को पुलिस स्टेशन या पुलिस लाइन ले जाने के बजाय, पहले गंग नहर, मुराद नगर ले जाया गया जहां कई अपहृत व्यक्तियों को गोली मार दी गई और गंग नहर, मुराद नगर के पानी में फेंक दिया गया तथा उसके बाद शेष लोगों को माकन पुर गाँव, गाजियाबाद के पास हिंडन नदी के पानी में फेंक दिया गया ।*

उपरोक्त जांच से पता चलता है कि पी.ए.सी. अधिकारियों ने 42 निर्दोष व्यक्तियों को खत्म कर मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है। उपरोक्त अवैध कार्य के लिए उत्तर प्रदेश राज्य मुआवजे का भुगतान करने के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। इसलिए, रजिस्टरी ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि मृत व्यक्तियों के परिजनों और अपनी जान बचाने के प्रयास में घायल हुए व्यक्तियों को उचित आर्थिक सहायता का भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार छह सप्ताह के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करेंगे।"

9.38 कारण बताओ नोटिस के जवाब में, आयोग को संयुक्त सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश सरकार से 20 जुलाई, 2015 का एक पत्र मिला, जिसके अनुसार सात व्यक्तियों (मृतक के रिश्तेदारों/घायल व्यक्तियों) को ₹34,20,000/– (चौंतीस लाख बीस हजार रुपये मात्र) की राशि का भुगतान किया गया था। यह भी कहा गया था कि 38 मृतक/लापता व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के निकतम परिजन को ₹5,00,000/– रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का भुगतान करने के लिए मंजूरी जारी की गई थी।

9.39 राज्य सरकार से प्राप्त कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर आयोग में विचाराधीन है।

6. पुलिस थाना रोहनिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक ईंट भट्ठा के बंधुआ मजदूरों की पहचान, बचाव, रिहाई और पुनर्वास
(मामला सं 9344/24/72/2012)

9.40 आयोग को किसी जिला मुशर की शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक ईंट भट्ठा में ईंट बनाने के काम कर रहे थे और उन्हें उचित वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा था। जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

9.41 नोटिस के जवाब में, अपर जिला मजिस्ट्रेट, प्रशासन, वाराणसी ने बताया कि श्रमिकों को प्रति सप्ताह डाइट मनी दी जाती थी। हालांकि, उन्हें उचित वेतन नहीं दिया गया था और धमकी देकर काम करने के लिए मजबूर किया गया था। 3 मई, 2012 को 14 अन्य लोगों के साथ शिकायतकर्ता जिला मुशर को जगत आर. ईंट भट्ठे से मुक्त कराया गया। ईंट भट्ठा मालिक के खिलाफ पुलिस थाना रोहनिया में एफ.आई.आर. संख्या 37/12 दर्ज की गई थी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने ईंट भट्ठा मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।

9.42 मामले पर विचार करने के पश्चात आयोग ने पाया कि मुक्त कराए गए सभी 15 बंधुआ मजदूरों के नाम पर निर्मुक्ति प्रमाण–पत्र जारी किए गए थे और उनके पुनर्वास के लिए किए गए उपायों के बारे में अद्यतन स्तिथि के लिए जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को कहा था।

9.43 आयोग के निर्देशों के अनुसार, जिलाधिकारी, आजमगढ़ और जिलाधिकारी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ने बताया कि इन जिलों में से प्रत्येक जिले से मुक्त कराए दोनों मजदूरों का दोबारा पुनर्वास किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी ने सूचित किया कि वाराणसी जिले के सभी मुक्त कराए गए 11 मजदूरों का भी पुनर्वास किया गया।

9.44 आयोग ने मामले के आगे विचार पर पाया कि मुक्त कराए गए सभी 15 मजदूरों जिनको निर्मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, उन को जौनपुर (2 मजदूर), वाराणसी (11 मजदूर) और आजमगढ़ (2 मजदूर) के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उनकी पुनर्वास सहायता भुगतान द्वारा विधिवत रूप से पुनर्वासित किया गया था। इस प्रकार, इस मामले में आगे आयोग के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शिकायतकर्ता को सूचित करके मामले को बंद कर दिया गया था।

7. बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश में ईंट भट्ठे से बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास
(मामला सं. 25510/24/15/2011–बीएल;
एल.एफ. 5685/24/65/2012–बीएल)

9.45 आयोग को श्री अशोक पुत्र श्री सूरजपाल, निवासी गांव रायपुर, तहसील और पुलिस थाना सिकंदरा राउ, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश ने शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में एक ईंट भट्ठा पर शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्तियों को बंधुआ मजदूर के रूप में बंधक बना कर रखा जा रहा है। उन्होंने एन.एच.आर.सी. से भट्ठा मालिकों द्वारा बंधुआ मजदूरों के रूप में रखे गए उपरोक्त व्यक्तियों को छुड़ाने और साथ ही उनकी मजदूरी दिलवाने का निवेदन किया है।

9.46 आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी करते हुए उन्हें याद दिलाया कि बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (जिसे बाद में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 10 में निहित प्रावधानों का कड़ाई से पालन किए जाने की आवश्यकता है। इस अधिनियम की धारा 2 के उपखंड (छ) में निहित प्रावधानों पर ध्यान देना चाहिए, जो बलात या आंशिक रुप से बलात श्रम की ऐसी प्रथा को इंगित करता है जिसमें यह माना जाता है कि मजदूर ने कर्ज देने वाले के साथ एक समझौता

किया है कि ली गई अग्रिम राशि या किसी अन्य प्रकार के आर्थिक सहयोग के एवज में वो बिना किसी भत्ते या नाममात्र के भत्ते पर अपनी सेवाएं देगा और वह अपने रोजगार की स्वतंत्रता या आजीविका के अन्य साधन या स्वतंत्रता से आवागमन का अधिकार या अभिव्यक्ति के अधिकार या अपनी किसी संपत्ति या परिवार के किसी सदस्य की संपत्ति को उसे (कर्ज देने वाले को) सौंप देगा। इसमें बलात् या आंशिक रुप से बलात् श्रम की प्रथा शामिल है और पूर्वकल्पना अपेक्षित है।

9.47 अधिनियम की धारा 2 के उपखंड में "नाममात्र भत्ते" को परिभाषित किया गया है। यदि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम भत्तों से कम भत्तों का भुगतान किया गया है तो इसके उपबंध लागू होंगे। अधिकारी को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में पता होना चाहिए जिसमें 'बंधुआ मजदूरी प्रथा' की वृहत, उदार एवं विस्तृत व्याख्या दी गई है। व्याख्या के अनुसार कर्ज देने वाला/कर्ज लेने वाला के संबंधों में ऋण/उधार/अग्रिम को एक सीमा से आगे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के तथ्यों का अनुमान लगाया जाता है या मान लिया जाता है। यह एक तथ्य है कि कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला, समाज के दो पूर्णतः विपरीत वर्ग हैं। परम्परागत रुप से कर्ज लेने वाला गरीब, संसाधनहीन और सुरक्षा की आवश्यकता में होता है जबकि कर्ज देने वाला अमीर, सम्पन्न तथा प्रबल होता है। अतः इनका संबंध असमान विनिमय संबंध है। यदि कर्ज लेने वाला बिना किसी भत्ते के या नाममात्र के भत्ते के कर्ज देने वाले को अपनी सेवाएं देता है तो यह मान लिया जाता है कि वो ऐसा धर्मांध के कारण नहीं कर रहा है बल्कि किसी आर्थिक मदद के एवज में कर रहा है। इसी कारण से ऋण/उधार/अग्रिम को एक सीमा से आगे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

9.48 भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 में निहित उपबंधों पर भी अधिकारियों का ध्यान नहीं गया। यदि पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है फिर भी व्यक्ति द्वारा श्रम के रुप में दी गई सेवाएं अनुच्छेद 23 के अधीन हैं यदि यह बलात् श्रम है अर्थात सेवाएं किसी बल या बाध्यता के कारण दी गई हैं। अनुच्छेद 23 किसी भी प्रकार के बलात् श्रम को नामंजूर करता है चाहे कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रुप से अपनी सेवाएं या श्रम उपलब्ध कराने का अनुबंध करता हो।

9.49 यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में गरीब लोग जो अशिक्षित हैं या ज्यादातार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, के पास उसी छोटे–मोटे भुगतान, जो उन्हें दिया जाता है, से जीवन–यापन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्हें अपने मालिकों के कहे अनुसार कार्य करना पड़ता है और जो कुछ भुगतान उन्हें दिया जाता है उसे स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों को गहन जांच–पड़ताल करनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में गरीब व्यक्ति ने बाध्य होकर कार्य किया। वह केवल अंतिम विकल्प के रुप में ही शिकायत दर्ज कराएगा। ऐसे मजदूरों की कोई जांच–पड़ताल कि, बिना नियोक्ता के कथन को स्वीकार कर लेना कुछ और नहीं बल्कि उन्हें दिए गए कर्तव्यों का उल्लंघन है। यदि नियोक्ता न्यूनतम भत्ता अधिनियम के तहत रखे जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो इस प्रकार की परिकल्पना करना और मजदूरों को बंधुआ मजदूर घोषित करना उनकी ड्यूटी है।

9.50 कानून के अनुसार नियोक्ता को उसके द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों का विवरण, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, उन्हें भुगतान किए जाने वाले भत्ते तथा उसके एवज में उनसे प्राप्त रसीद आदि के रिकार्ड को रखने वाला रजिस्टर रखना चाहिए। जब ईंट के भट्टे का मालिक दावा करता है कि उसने न्यूनतम भत्ते अधिनियम के तहत न्यूनतम भत्ते का भुगतान किया है तो उसे इस बात की पुष्टि करने के लिए कि उसने कानून के अनुसरण में भत्तों का भुगतान किया है, साक्ष्य के रुप में किए गए भुगतान के दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। इसी प्रयोजन के लिए उसे मस्टर रोल बनाना अपेक्षित है। यदि नियोक्ता, लेखों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी यह परिकल्पना कर सकता है कि मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना कर रखा जा रहा है।

9.51 प्रत्येक नियोक्ता को फॉर्म X में भत्तों का एक रजिस्टर रखना चाहिए। उसे कर्मचारी के पूर्ण विवरण सहित भत्तों की अवधि संबंधी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। प्रत्येक नियोक्ता को अपने प्रत्येक कर्मचारी को फॉर्म XI के रुप में भत्ते की स्लिप जारी करनी चाहिए और उसे कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित या अंगूठे का निशान लगवाना चाहिए।

रजिस्टर में इन प्रविष्टियों को नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक नियोक्ता को कार्यस्थल पर एक मस्टर रोल रखना चाहिए और उसे फॉर्म IX के रुप में रखना चाहिए और इकाई में नियुक्त किए गए सभी व्यक्तियों की उपस्थिति, कार्य पर आने के तीन दिन के अंदर–अंदर, प्रतिदिन रिकार्ड की जानी चाहिए। आयोग ने यह प्रेक्षण किया कि जिस टीम ने निरीक्षण के लिए ईंट भट्टे का दौरा किया था उसने इस बात की जांच करने की कोशिश नहीं की कि क्या नियोक्ता ने कानून द्वारा अधिदेशित अपेक्षित रिकार्ड रखे हैं या नहीं। टीम ने इस बात की जांच भी नहीं की कि भत्ते के रजिस्टर में की गई प्रविष्टि तथा भत्ता स्लिप आदि को नियोक्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति ने सत्यापित भी किया था या नहीं। इस प्रकार के रिकार्डों के अभाव में जिला मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वो यह परिकल्पना करता कि शिकायत में लगाए गए आरोप सत्य हैं और उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह रखा गया।

9.52 यदि संबंधित अधिकारी द्वारा तत्काल ही जांच नहीं की जाती है तो यह अधिनियम के उद्देश्यों को निष्फल करना होगा। संविधान का दर्शन, श्रम कल्याण विधायन के अधिनियमन तथा संशोधन में संसद की मंशा तथा उच्चतम न्यायालय की यह व्याख्या कि न्यूनतम भत्तों से इन्कार का अर्थ है बलात् श्रम और भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन, अतः बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम के उपबंधो को प्रभावित करता है।

9.53 जांचकर्ता अधिकारी यह भी रिपोर्ट देगा कि क्या नियोक्ता ने श्रम कानूनों विशेष रूप से बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976; मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; अंतर–राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979; ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970; बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम, 1976; और साप्ताहिक अवकाशदिन अधिनियम, 1942 में निहित किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है।

9.54 वह उस क्षेत्र जिसमें ईंट भट्टा स्थित है, के लिए अधिनियम के तहत गठित सतर्कता समिति और इसका संविधान, यदि गठित किया गया हो, के बारे में भी रिपोर्ट करेगा। वह जांच के दौरान सभी विवरण देते हुए इस तरह की समिति के कार्यकलाप और इस तरह की समिति के सदस्य या सदस्यों से ली गई सहायता, किसी गैर–सरकारी संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में भी जानकारी देगा/देगी।

9.55 वह पर्यावरण कानूनों में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस को भी सत्यापित करेगा और लाइसेंस संख्या आदि सहित इसके बारे में अपनी संतुष्टि तथा जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम दर्ज करेगा।

9.56 वह शिकायत में उल्लिखित सभी मजदूरों के नाम और पते भी एकत्र करेगा और उस स्थान अर्थात्, गांव तेहरा, नागेहारी, मथुरापुर पुलिस चौकी के पास, बाघ नगर, पुलिस चौकी बस्ती, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में करीम भाई के स्वामित्व वाले ईंट भट्टा का पता लगाएगा और इसे अपनी विस्तृत रिपोर्ट के साथ आयोग को भेजेगा।

9.57 इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती (उत्तर प्रदेश) को घटना स्थल की जांच और बंधुआ मजदूरों की पहचान, यदि कोई हो, के लिए तत्काल एक सक्षम अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। यदि बंधुआ मजदूर पाए जाते हैं, तो उनकी रिहाई और अनुवर्ती लाभ जिनके वो हकदार हैं, के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। आयोग को कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

9.58 आयोग के निर्देशों की अनुपालना में, यह सूचित किया गया कि सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट, खलीलाबाद ने शिकायतकर्ता अशोक सहित छह मजदूरों को रिहा कर दिया था। आयोग के निर्देशों के जवाब में, जिलाधिकारी, हाथरस और जिलाधिकारी, अलीगढ़ से क्रमशः अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उक्त रिपोर्टों के अनुसार, रिहा किए गए सभी छह मजदूरों का पुनर्वास किया गया। तदनुसार, मामला शिकायतकर्ता को सूचित करने के साथ बंद कर दिया गया था।

अध्याय - 10

महिलाओं और बच्चों के अधिकार

10.1 महिलाओं और बच्चों के लिए समानता मानव अधिकारों के अंतरंग में है। विश्व के नेताओं द्वारा 1945 में अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मौलिक सिद्धांत सभी के लिए समान अधिकार है और सभी राज्यों की जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान में इनके अस्तित्व, विकास, संरक्षण, भागीदारी और सशक्तिकरण के प्रावधान भी शामिल हैं। फिर भी, महिलाओं और बच्चों को इस तथ्य के बावजूद भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है इसके बावजूद कि भारत महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर एक प्रसंविदा, 1993 (सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू.) और बाल अधिकार अधिकारों पर प्रसंविदा, 1992 (सी.आर.सी.) का एक पक्ष है। संभवतः महिलाओं और बच्चों पर पर्याप्त, प्रभावी, समावेशी और प्रभावी सार्वजनिक व्यय की कमी उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए मुख्य बाधाओं में से एक है। प्रासंगिक नीति और विधायी प्रतिबद्धताएं केवल वादे ही बने रहते हैं, जब तक कि सत्तारूढ़ सरकार अपने राज्य और राष्ट्रीय बजट में उनके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधनों का सृजन और उचित रूप से आवंटन तथा संसाधनों का प्रभावी एवं कुशल उपयोग सुनिश्चित नहीं करती।

10.2 प्रत्येक महिला और बच्चे को उनके अस्तित्व, विकास, संरक्षण, भागीदारी और सशक्तिकरण के लिए समान अवसर प्रदान करके उनमें समान, सतत और व्यापक आधार पर विनिवेशन से संतुलन और निष्पक्षता आ सकती है। विशेष रूप से सबसे कमजोर और

हाशिए के लोगों में अपर्याप्त निवेश गरीबी और असमानता के अंतर–पीढ़ी संचरण को कायम कर सकता है, जिससे उनके समस्त विकास पर प्रतिकूल नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वास्तव में, उत्तरदायी बजट यह सुनिश्चित करेगा कि मानव अधिकार सिद्धांतों और सार्वभौमिकता के मानकों, अविभाज्यता, जवाबदेही, पारदर्शिता तथा महिलाओं और बच्चों के विधि के शासन का समर्थन किया जाए।

10.3 नीचे दिए परिच्छेद महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर नीति अनुसंधान, परियोजना और कार्यक्रम प्रभाग, संक्षेप में, एन.एच.आर.सी. के अनुसंधान प्रभाग द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हैं।

क. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अन्य पहलू से पड़ताल; अपराधियों की दुनिया का अन्वेषणात्मक अध्ययन।

10.4 जैसा कि 2014–2015 की एन.एच.आर.सी. वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित है, उपरोक्त अनुसंधान अध्ययन एन.एच.आर.सी. द्वारा सेन्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज, नई दिल्ली के सहयोग से अगस्त 2014 में किया गया था। अनुसंधान के केन्द्रीय उद्देश्य थे– भारत के विशेष संदर्भ में अन्तर–अनुशासनिक परिप्रेक्ष्य से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की धारणा पर विद्यमान साहित्य का विश्लेषण करना; इस प्रकार के कर्ताओं, जिसमें किशोर, व्यस्क, विचाराधीन तथा सिद्ध दोष अपराधी शामिल हैं, की सैम्पल रुपरेखा तैयार करनाय विशेष रुप से पीड़ितों की सोच के अनुमान के लिए विशिष्ट मामलों की ट्रैकिंग करनाय तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की बदलती रुपरेखा एवं उनके कर्ताओं के संदर्भ में अपराध न्याय व्यवस्था की प्रतिक्रिया। अध्ययन की समयावधि दो वर्ष थी।

10.5 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एन.एच.आर.सी. ने अनुसंधान कार्य में सी.डब्लू.डी.एस. का सहयोग किया और सी.डब्ल्यू.डी.एस. द्वारा 9 जुलाई, 2015 को आयोग में एक प्रस्तुति भी दी गई थी। सी.डब्ल्यू.डी.एस. द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति के आलोक में, अनुसंधान परियोजना के विचारार्थ विषयों की ओर उनका ध्यान खींचा गया क्योंकि उनके द्वारा

किया गया शोध काफी संकुचित था और 16–18 आयु वर्ग के किशोरों तक ही सीमित था। चूंकि वयस्कों सहित महिलाओं के खिलाफ अपराध हिंसा कर्ताओं की अन्य श्रेणियों को एकतरफा अध्ययन के दायरे से हटा दिया गया था इसलिए सी.डब्ल्यू.डी.एस. को यह सूचित किया गया था कि इससे एन.एच.आर.सी. का प्रयोजन पूरा नहीं होगा। इसके अलावा, केवल अपराधियों के सामाजिक–आर्थिक मानदंडों, जो कि सामान्य रूप से ज्ञात कारक हैं, तक सीमित रहने के बजाय उनकी समग्र पृष्ठभूमि को देखते हुए उनके मानस को जानने की आवश्यकता है। इसके अलावा, केस अध्ययन पद्धति का पालन करना उपयोगी होगा क्योंकि इसमें अपराधी द्वारा अपराध करने से जुड़े कारकों के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया जाएगा और सार्थक निष्कर्ष सामने आएंगे तथा नीति निर्धारण हो सकेगा। अंतिम परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि डेस्क समीक्षा और कार्यप्रणाली के तहत अपनाए गए सिद्धांतों के बीच आवश्यक कड़ी स्थापित करने की आवश्यकता है।

ख. भारत में मानव तस्करी पर राष्ट्रीय अनुसंधान

10.6 आयोग ने 2002–2004 के दौरान एनएचआरसी द्वारा भारत में महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर किए गए कार्य अनुसंधान की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टी.आई.एस.एस.), मुंबई के सहयोग से उपरोक्त अनुसंधान पर प्रारंभ किया। चल रहे अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य हैं–(i) मानव तस्करी के बदलते आयामों को समझना; (ii) मानव तस्करी की सीमा का आकलन करना; (iii) मानव तस्करी के अर्थशास्त्र और सीमापार तस्करी, आतंकवाद/अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तस्करी की स्थिति सहित मानव तस्करी में संलिप्त प्रक्रियाओं का आकलन; (iv) कानूनी रूपरेखा, राज्य और गैर–राज्य हस्तक्षेप और समुदाय सहित वर्तमान प्रतिक्रिया प्रणालीय और (v) पहचानी गई कमियों को दूर करने के उपाय थे।

10.7 अनुसंधान में की गई समग्र प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोग में 2015–2016 के दौरान श्री सीरियक जोसफ, सदस्य, एन.एच.आर.सी. की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

ग. तीसरे लिंग के रुप में ट्रांसजेंडर के मानव अधिकारों का अध्ययन

10.8 यह अनुसंधान एन.एच.आर.सी. द्वारा दिल्ली स्थित एन.जी.ओ., केरल डेवलपमेंट सोसाइटी के सहयोग से किया गया है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं: (i) उम्र, जाति, धर्म, शिक्षा, रोजगार, आय, आदि जैसे उनके आवश्यक सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करके तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर की समग्र प्रोफाइल का अध्ययन करना और यह जानना कि क्या भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) ट्रांसजेंडर को जनगणना और अन्य गणनाओं में शामिल करता है; (ii) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोगी तंत्र सहित उनके जीवन से संबंधित सभी पहलुओं में उनके द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न प्रकार के भेदभाव एवं मानव अधिकारों के हनन की पड़ताल करना; (iii) केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भोजन, पेंशन आदि के तहत ट्रांसजेंडर को दी गई पात्रता का आकलन करना तथा इन पात्रताओं तक पहुँच में उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं सहित उनके समावेशन/बहिष्करण के कारणों का आकलन; (iv) केन्द्र, राज्य अथवा स्थानीय शासन द्वारा ट्रांसजेंडर हेतु चलाए/मुहैया कराए जा रहे कार्यक्रमोंध्योजनाओं का गहन अध्ययन तथा आत्मविश्वास हेतु आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों की गंभीरता से पहचान करना; (v) ट्रांसजेंडर के लिए कानूनों एवं नीतियों, यदि कोई हो, का उच्चतम न्यायालय निर्णय के साथ–साथ केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई नीतियों, कानूनों एवं निर्णयों के आलोक में उनके समग्र विकास हेतु उठाए गए कदमों का गहन विश्लेषण; (vi) अन्य देशों में ट्रांसजेंडर के प्रति प्रचलित प्रथाओं की पड़ताल करना तथा यौन अभिमुखीकरण एवं लिंग पहचान से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के यूएन योगकर्ता सिद्धांतों का अध्ययन तथा; (vii) डाटाबेस तैयार करना तथा विकसित करना तथा उनके मानव अधिकारों– सिविल, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्य करने योग्य संस्तुतियां प्रस्तुत करना।

10.9 अनुसंधान मार्च, 2015 में शुरू किया गया और केरल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा फरवरी, 2016 में अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आयोग ने मसौदा रिपोर्ट की जांच

में, रिपोर्ट के प्रमुख अन्वेषक को रिपोर्ट में व्याप्त खामियों और इसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता की बात कही।

घ. यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा कल्याण के संदर्भ में मानव अधिकारों पर देशीय आकलन / राष्ट्रीय विश्लेषण

10.10 यह अध्ययन आयोग द्वारा मार्च 2016 में एस.ए.एम.ए.– महिलाओं और स्वास्थ्य पर संसाधन समूह तथा पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलोपमेंट (पी.एल.डी), नई दिल्ली के सहयोग से निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया थाः

- लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य तथा कल्याण से संबंधित मानव अधिकारों पर विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय ढांचे और भाषा का प्रलेखन।
- कानूनी और नीतिगत ढांचे का प्रतिचित्रण और विश्लेषण, भारत में लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों पर अनुपालन, खामियों की पहचान के संबंध में जनसांख्यिकीय डेटा तैयार करना और कानून, नीति और कार्यान्वयन में सुधार के लिए सिफारिश करना।

10.11 जंहा एसएएमए "प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों" से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करेगा और काम करेगा, वंही पी.एल.डी. "यौन स्वास्थ्य और कल्याण" से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत में सहायक स्रोतों से यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (एस.आर.एच.आर.) मानकों के प्रतिचित्रण और विश्लेषण के साथ–साथ प्रश्नावलियों, साक्षात्कारों और महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ चर्चा के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा, इसमें (i) एस.आर.एच.आर. पर अंतर्राष्ट्रीय नीति और कानूनी ढांचा, तथा (ii) राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय और राज्य नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को कवर किया जाएगा। अनुसंधान परियोजना की अवधि एक वर्ष की है।

ङ. एन.एच.आर.सी. द्वारा द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित निपटाए गए दृष्टांत मामले

1. पुडुचेरी में पुलिस के प्रशय में कथित बाल यौन गुलामी
(मामला सं. 67/32/0/2014–डब्ल्यूसी)

10.12 यह मामला डॉ. सुभाष महापात्रा, कार्यकारी निदेशक, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशंस, भुवनेश्वर, ओडिशा की शिकायत से संबंधित है, जिसमें पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र पुलिस प्राधिकारियों के बाल यौन गुलामी में संलिप्त होने का आरोप लगाया गया था। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मई, 2014 में एक रैकेट का पर्दाफाश किया था। बाल कल्याण समिति और चाइल्डलाइन से एक मिली गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उन चार नाबालिग लड़कियों को बचाया जिन्हें वेश्यावृत्ति में जाने के लिए मजबूर किया गया था।

10.13 आयोग ने 15 सितंबर, 2014 को शिकायत का संज्ञान लिया और मुख्य सचिव, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट ने आरोपों को स्वीकार किया। पुलिस ने पाया कि इसमें 18 व्यक्ति शामिल थे और इन व्यक्तियों में नौ व्यक्ति पुलिस कर्मचारी थे। इसके अलावा, इन नौ में से पांच गिरफ्तार हुए और चार फरार हो गए थे। अन्य नौ व्यक्ति जो पुलिस से नहीं थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। उन सभी नौ पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी और उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। आठ व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र भी दर्ज किया गया, जो पुलिस से नहीं थे और एक व्यक्ति के संबंध में आरोप पत्र दायर किया जाना था। जहां तक पुलिस कर्मियों का संबंध था, जांच चल रही थी क्योंकि चार अधिकारी अभी भी फरार थे।

10.14 आयोग ने 28 अप्रैल, 2015 को रिपोर्ट पर विचार किया और कहा कि सभी पीड़ितों में दो पीड़िताएं नाबालिग थीं और बाकी नाबालिग लड़कियां भी कानून का उल्लंघन कर रही थीं। रिपोर्ट में बताए गए तथ्य गंभीर प्रकृति के थे और आयोग तथा इस देश के सभी विधिबद्ध नागरिकों के लिए बहुत चिंताजनक थे। छोटे बच्चों का इस्तेमाल वेश्यावृत्ति

के लिए किया गया था और वह भी कुछ ऐसे पुलिस अधिकारियों द्वारा जो कानून के प्रति कोई सम्मान था। यह पाया गया था कि उन्होंने नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति में जाने के लिए बाध्य करके अपनी कमाई में वाहनों, सोने के आभूषणों के अलावा अच्छी खासी रकम बनाई। साथ ही, पुलिस ने रैकेट का पर्दाफाश किया था और कानून के संगत प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ मामले दर्ज कर अपने स्वयं के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। हालांकि, तस्वीर का एक और पक्ष था, अर्थात् कानून लागू करने वाली मशीनरी ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके ऐसे अवैध कृत्यों का सहारा लिया था। सभी पीड़ित नाबालिग थे और वर्तमान में बाल कल्याण समिति के संरक्षण में में हैं। आयोग ने कहा कि इन पीड़ितों को पर्याप्त रूप से मुआवजा मिलना चाहिए। आयोग का विचार था कि मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय पीड़ितों के दर्द और पीड़ा को समझना चाहिए। आयोग को सूचित किया गया था कि संघ–राज्य क्षेत्र पुडुचेरी द्वारा सभी पुनर्वास उपाय किए गए हैं ताकि उन्हें जीवन की गरिमा की गारंटी मिल सके। सरकार ने अभी तक मुआवजे के भुगतान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है।

10.15 तदनुसार, आयोग ने मुख्य सचिव, संघ–राज्य क्षेत्र पुडुचेरी को चारों पीडिताओं में से प्रत्येक पीड़िता को ₹ 1,00,000/– (एक लाख रुपये मात्र) की राशि का भुगतान करने और आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मामला बंद कर दिया गया था।

2. हरियाणा में सत्तर वर्षीय व्यक्ति ने विवाह के लिए बिहार की एक 12 साल की लड़की को खरीदा
(केस संख्या 612/7/19/2010)

10.16 दिए गए मामले में, आयोग को ह्यूमन राइट्स ओबजर्वर के मुख्य संपादक श्री आर. एच. बंसल से 16 मार्च, 2010 की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव नूरन खेड़ा में एक 70 वर्षीय व्यक्ति बलराम ने गांव गोगिया, जिला छपरा, बिहार से 12 वर्षीय लड़की खरीदी और

उससे शादी कर ली। शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया था कि अत्यंत गरीबी के कारण लड़की को उसके माता–पिता द्वारा बेचा गया था। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करने और 12 वर्षीय बच्ची के साथ शादी करने के लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु आयोग के हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना की थी।

10.17 आयोग ने 12 अप्रैल, 2010 को इस मामले का संज्ञान लिया और समाज कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार तथा बिहार सरकार के संबंधित सचिवों और साथ ही पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को इस मामले की जांच करने और चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया।

10.18 राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, यह बताया गया कि पुलिस थाना मशरूक, जिला सारन, बिहार में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत मामला सं. 16/11 द्वारा मामला दर्ज किया गया था।

10.19 आयोग ने 26 जनवरी, 2014 को इस मामले पर विचार करने पर पाया कि बाल विवाह के मामले में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में लगभग एक वर्ष लगना और एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी से पीड़िता के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। नतीजतन, आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत पीड़िता को आर्थिक राहत देने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

10.20 मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद, आयोग ने 6 मई, 2015 को बिहार राज्य सरकार को पीड़िता को ₹ 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। हालांकि, बिहार राज्य सरकार ने पीड़िता को ₹ 25,000/– का भुगतान करने की मंजूरी दी थी, लेकिन इस राशि का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को पीड़िता का पता नहीं लग पाया था। इसलिए आयोग द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, सारण को पीड़िता की खोज के लिए निरंतर प्रयास

किए जाने और यदि उसका पता चले तो उसे राशि सौंप दिए जाने के निर्देश के साथ 28 जून, 2016 को मामला बंद कर दिया गया था ।

3. *पुणे, महाराष्ट्र के स्वराज गार्डन में राजपूताना राइफल्स के कार्मिक द्वारा एक किशोरी का बलात्कार*
(मामला संख्या 778/13/23/2010–ए.एफ.)

10.21 निदेशक, नेशनल कैंपेन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टॉर्चर, नई दिल्ली से प्राप्त 12 अप्रैल, 2010 की एक शिकायत में कहा गया था कि पुणे के स्वराज गार्डन में राजपूताना राइफल्स के कार्मिक रजनीश कुमार सुरेश चंद्र और समंदर सिंह ने 7 अप्रैल, 2010 को एक 19 वर्षीय किशोरी का बलात्कार किया था। शिकायतकर्ता ने आयोग को हस्तक्षेप करने और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार को इस मामले की जांच, आरोपी कर्मियों की गिरफ्तारी और उचित कानूनी कार्रवाई तथा पीड़िता को ₹10,00,000/– (दस लाख रुपये मात्र) के अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के निर्देश देने के लिए प्रार्थना की।

10.22 आयोग ने 13 मई, 2010 को शिकायत का संज्ञान लिया और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुणे, महाराष्ट्र से रिपोर्ट मंगवाई। एन.एच.आर.सी. द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपलना में, अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 14 फरवरी, 2012 को कहा कि 9 अप्रैल, 2010 को दोनों व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी और उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया था तथा उन्हें अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया था। जब सेना मुख्यालय से मामले की अद्यतन स्थिति सहित इसका निष्कर्ष प्राप्त होगा तब एन.एच.आर.सी. को सूचित किया जाएगा। तत्पश्चात, सूचित किया गया कि मामला सं. 639/10 महाराष्ट्र राज्य बनाम समंदर और रजनीश कुमार सुरेश चंद्र कुमार अपर सत्र न्यायाधीश, पुणे की अदालत में लंबित था और 6 मई, 2013 को दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया था और 10 साल के सश्रम कारावास और प्रत्येक को ₹15,000/– (पंद्रह हजार रुपये मात्र) का जुर्माना

देने की सजा सुनाई थी। यदि जुर्माना जमा नहीं किया गया, तो उनको एक और वर्ष के सश्रम कारावास से गुजरना होगा। दोनों आरोपी आई.पी.सी. की धारा 34 के साथ पठित/लिखित 506(पप) के तहत भी दोषी ठहराए गए थे और 5 साल के सश्रम कारावास और प्रत्येक को ₹5,000/– (पांच हजार रुपये मात्र) का जुर्माना देने की सजा सुनाई थी। यदि जुर्माना जमा नहीं किया गया, तो उनको 6 और महीने के सश्रम कारावास से गुजरना होगा।

10.23 आयोग ने 11 अप्रैल, 2014 को मामले पर विचार किया और पाया कि दोनों अभियुक्तों को दंडित किया गया है और इस प्रकार यह लड़की के मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक निश्चित मामला है। तदनुसार, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत सचिव, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि पीड़िता को अंतरिम राहत देने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

10.24 निदेशक (एजी–1), भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए 6 जून, 2014 के प्रत्युत्तर में सूचित किया कि इस कारण से कोई भी मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है कि अपराध करते समय दोनों अभियुक्त कोई आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे थे और उन्होंने पूर्णतः सिविलियन की हैसियत से अपराध किया था और अदालत ने उन पर ₹ 40,000/– (चालीस हजार रूपए मात्र) का जुर्माना लगाने और पीड़ित को इस राशि में से ₹ 35,000/– रुपये (पैंतीस हजार रुपये मात्र) की राशि का भुगतान करने की सजा सुनाई थी।

10.25 आयोग ने 6 मई, 2015 को इस मामले विचार करते हुए पाया कि इसके द्वारा की गई सिफारिश की राशि मुकदमे के फैसले पर अदालत द्वारा निर्णय की गई राशि से भिन्न है। आयोग द्वारा अनुशंसित राशि लोक सेवक द्वारा पीड़िता के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए है। आयोग ने यह भी पाया कि अभियुक्त सेना में थे और इस तरह

रक्षा मंत्रालय द्वारा यह कहना कि आरोपी अपराध के समय कोई आधिकारिक कर्तव्य नहीं कर रहे थे, इसका विश्वास नहीं किया जा सकता है और ये कैंट क्षेत्र में सेना के दो कर्मचारियों द्वारा यौन शोषण का एक स्पष्ट मामला है जो मानव अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। अदालत द्वारा निर्णय की गई राशि अपर्याप्त पाने पर आयोग ने रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को पीड़ित को ₹ 50,000/– (पचास हजार रुपये मात्र) का भुगतान करने के लिए सिफारिश की। अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

4. कक्षा पांच की एक नाबालिग छात्रा ने बच्ची को जन्म दिया
(मामला सं. 226/18/14/2013–डब्ल्यू.सी.)

10.26 आयोग को ग्लोबल ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशंस ने 7 अगस्त, 2013 की एक शिकायत में आरोप लगाया कि कक्षा पांच की छात्रा और ओडिशा सरकार द्वारा संचालित एक शैक्षणिक संस्थान भोगपाड़ा प्राथमिक सेवाश्रम में रहने वाली सरिता मिन्ज ने एक बच्ची को जन्म दिया था। स्कूल के अधिकारियों ने नाबालिग लड़की और बच्चे की देखभाल करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की और लड़की को उसके माता–पिता के पास भेज दिया। शिकायतकर्ता ने कहा कि जन्म के समय नवजात शिशु की देखभाल नहीं की गई थी। वह सेवाश्रम के शौचालय में पैदा हुआ था और उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया था और यह उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन था तथा उसने पीड़ित को मुआवजे के भुगतान के लिए प्रार्थना की।

10.27 आयोग ने 16 सितंबर, 2013 को इस मामले का संज्ञान लिया और सचिव, शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर और पुलिस अधीक्षक, सुंदरगढ़, ओडिशा से रिपोर्ट मंगवाते हुए शिकायत की एक प्रति भेजी। जवाब में, आयोग को 13 दिसंबर, 2013 के पत्र के माध्यम से निदेशक (अनुसूचित जनजाति)–सह–अपर सचिव, एस.टी. और एस.सी. विकास विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा यथा अग्रेषित कलेक्टर, सुंदरगढ़ और पुलिस अधीक्षक, सुंदरगढ़ से 28 अक्टूबर, 2013 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई।

10.28 आयोग ने 10 नवंबर, 2014 को इस मामले पर आगे विचार किया और जब यह पाया कि इस मामले में की गई एक जांच के आधार पर यह पता चला कि लड़की उसके और उसके किसी रिश्तेदार के बीच शारीरिक संबंधों के कारण कभी घर जाने के दौरान गर्भवती हुई थी। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2)(i) के साथ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉस्को) की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद रिश्तेदार को चार्जशीट दी गई थी। इसके अलावा, स्कूल के हेडमास्टर (प्रधान सेवक) को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। कल्याण विस्तार अधिकारी, कट्रा ब्लॉक भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह पाए गए, जिसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

10.29 श्री बी. एस. पूनिया, जिला मजिस्ट्रेट, सुंदरगढ़, साथ में पुलिस अधीक्षक, सुंदरगढ़ आयोग के समक्ष पेश हुए और कहा कि 17 फरवरी, 2014 को नाबालिग लड़की के रिश्तेदार अनुरंजन कावा के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में आरोपपत्र दायर किया गया। उन्होंने आगे कहा कि ओडिशा पीड़ित मुआवजा योजना, 2005 के तहत जिला और सत्र न्यायाधीश को पीड़िता को ₹1,50,000/– (एक लाख और पचास हजार रुपये मात्र) का आर्थिक मुआवजा देने के लिए सिफारिश की गई थी जो लंबित है। पुलिस अधीक्षक, सुंदरगढ़ को पॉस्को अधिनियम, 2012 के तहत दिये गये दिशानिर्देशों पर सावधानीपूर्वक गौर करने की सलाह दी गई और अगर उक्त अधिनियम के तहत कोई भी आर्थिक मुआवजा देय हो, जो यौन अपराध के पीड़ित के लिए पहले से अनुशंसित मुआवजे से अधिक है तो पी.ओ.सी.एस.ओ. अधिनियम के तहत आर्थिक मुआवजा देने की सिफारिश राज्य प्रशासन के तहत संबंधित प्राधिकरण को भी भेज दी जानी चाहिए।

10.30 आयोग ने आगे पाया कि इस मामले में जहां 14 वर्षीय जवान लड़की को न केवल अपने रिश्तेदार के हाथों बलात्कार द्वारा बल्कि उन स्कूल प्राधिकारियों के हाथों भी पीड़ा का सामना करना पड़ा जिसकी वह छात्रा थी। यह एक ऐसा उपयुक्त मामला है जिसमे पीड़िता को आर्थिक मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार आयोग ने मानव अधिकार

संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार को नोटिस जारी किया कि सुश्री सरिता मिंज पुत्री श्री बुद्धू मिंज को अपने मानव अधिकारों और अपने नवजात शिशु के अधिकारों के कथित उल्लंघन लिए, आर्थिक मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

10.31 मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में, राज्य सरकार ने छूट के लिए याचिका दायर की। आयोग ने 31 अगस्त, 2015 को मामले को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और सरिता मिंज को अपने मानव अधिकार के कथित उल्लंघन के लिए ₹ 1,00,000/–रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की सिफारिश को दोहराया। इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

5. एक 10 वर्षीय दृष्टिहीन छात्रा का उसके शिक्षक और दो छात्रों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न
(मामला सं. 69/12/8/2014)

10.32 शिकायत के अनुसार, एक 10 वर्षीय दृष्टिहीन छात्रा का उसके शिक्षक ने यौन उत्पीड़न किया था।

10.33 आयोग के निर्देशों के जवाब में, यह बताया गया कि मामला आई.पी.सी. की धारा 376 और पॉस्को अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। जांच के बाद, शिक्षक के खिलाफ आरोप–पत्र दायर किया गया था। जांच के दौरान, यह पाया गया कि दो छात्रों ने भी उसका बलात्कार किया था और उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दर्ज किया गया था। आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पीड़ित को मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं किया जा सकता है। जवाब में, यह बताया गया कि अभियुक्त शिक्षक का डीएनए भ्रूण से मेल नहीं खाता और शिक्षक को बहाल किया गया। अधिकारियों ने बताया कि आपराधिक मामले के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

10.34 आयोग ने पाया कि चूंकि अभियुक्त शिक्षक और दो छात्रों के खिलाफ आरोपपत्र दर्ज कराए गए थे, इसलिए प्रथम दृष्ट्या यह पीड़िता के मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला था। इसके अलावा, आरोपी छात्रों के डी.एन.ए. प्रोफाइल भ्रूण से मेल खा रहे थे। इसलिए, आपराधिक मामले में अंतिम फैसले तक मुआवजे देने में देरी नहीं की जा सकती। अतः आयोग ने पीड़िता के लिए ₹ 2,00,000/– (दो लाख रुपये मात्र) की राशि की सिफारिश की। भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

6. ग्राम सिलपुरी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र के पच्चीस बच्चे भोजन करने के बाद बीमार हुए
(मामला सं. 2695/12/33/2014)

10.35 आयोग को श्री आर. एच. बंसल से 26 अगस्त, 2014 की एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि गांव सिलपुरी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र में परोसे गए भोजन में एक मृत छिपकली मिली जिसे खाने से 25 बच्चे और तीन महिलाएं बीमार हो गईं।

10.36 आयोग के निर्देशों के जवाब में, यह बताया गया कि इस घटना के बारे में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया और आरोपी पान बाई और गीता बाई को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस बर्तन में खीर रखी थी उसके तल में एक मरी हुई छिपकली पाई गई। भोजन प्रदाता ठेकेदार का अनुबंध रद्द कर दिया गया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्यामा बाई को निष्कासित करने के लिए नोटिस जारी किया गया।

10.37 आयोग ने पाया कि बच्चों को खीर खाने के बाद एक दर्दनाक अनुभव से गुजरना पड़ा और मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला बनाया गया। आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि प्रभावित बच्चों के भुगतान के लिए आर्थिक मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है इसलिए यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

7. हरियाणा के एक स्कूल में एक शिक्षक द्वारा कथित रूप से छात्रा का यौन उत्पीड़न
(मामला सं. क्रमांक 1438/7/15/2012)

10.38 इस मामले में शिकायतकर्ता डॉ. लेनिन, महासचिव, मानवधिकर जन निगरानी समिति, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ने 9 अप्रैल, 2012 की शिकायत में आरोप लगाया गया था कि हरियाणा के एक विद्यालय में एक शिक्षक ने बोर्ड परीक्षा के दौरान एक छात्रा को प्रश्न पत्र पूरा करने हेतु उसे अतिरिक्त समय देने के लिए छेड़छाड़ की और यौन उत्पीड़न की ओर अग्रसर हुआ। इस मामले की रिपोर्ट पुलिस के साथ–साथ शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार को भी की गई थी। पुलिस ने कथित तौर पर शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। शिकायतकर्ता ने आयोग से अनुरोध किया कि दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मामले में हस्तक्षेप किया जाए।

10.39 आयोग को इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक, सोनीपत, हरियाणा से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें बताया गया था कि अनुसूचित जाति समुदाय से संबद्ध और सैनी कॉलोनी, वार्ड नं.11 पानीपत में रहने वाली रितु पोडिया पुत्री श्री राजबीर सिंह ने आदेश कुमार, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी) शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे पुलिस थाना चांदनी बाग, पानीपत में दिनांक 29 मार्च, 2012 को आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत अपराध सं. 300 के रूप में दर्ज किया गया था। मामले की जांच की गई और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच के बाद अदालत में आरोप–पत्र दायर किया गया।

10.40 संयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा ने अपर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट को भी अग्रेषित किया। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि आरोपी आदेश कुमार, जेबीटी टीचर, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, कृष्णापुरी, पानीपत की गलती थी। अपनी फाइनल परीक्षा में भाग लेने वाली दसवीं कक्षा की छात्रा परीक्षा

हॉल में ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक की अनुमति के बिना दो उत्तर पत्र रखने की हिम्मत नहीं कर सकती। इसके अलावा रितु पोडिया की एक मित्र प्रियंका का बयान, जिसमें उनके वक्तव्य में कहा गया था कि वह अपना पेपर देने के बाद कक्षा के कमरे से बाहर रितु पोडिया की प्रतीक्षा कर रही थी लेकिन आरोपी आदेश कुमार ने उन्हें वहां नहीं खड़े रहने और वंहा से जाने के लिए कहा। यह स्पष्ट करता है कि अभियुक्त शिक्षक कमरे में एक निर्बाध वातावरण चाहता जहां रितु पोडिया अपन संगीत पेपर दे रही थी, ताकि वह आसानी से उसे परेशान कर सके और उसके साथ यौन संबंध बढ़ाए। एक हलफनामे में, आरोपी ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था। उक्त रिपोर्ट के परिणामस्वरूप, आरोपी आदेश कुमार, जेबीटी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और मुदुला ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा कार्यालय से जोड़ दिया था। विभागीय जांच के नतीजे की प्रतीक्षा है।

10.41 रिपोर्ट पर विचार करने पर, आयोग ने पाया कि आपराधिक मामला दर्ज होना और उसके बाद अदालत में आरोपपत्र देने से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि अभियुक्त शिक्षक ने रितु पोडिया की लज्जा भंग की थी, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक स्पष्ट मामला है। तदनुसार, आयोग ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क)(i) के तहत कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि हरियाणा सरकार राज्य द्वारा रितु पोडिया को अंतरिम राहत देने के लिए सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

10.42 जवाब में, संयुक्त निदेशक (ईटी–I), प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, हरियाणा ने कहा कि अभियुक्त के खिलाफ विभागीय जांच के साथ–साथ पुलिस थाना चंडीबाग, पानीपत में 29 मार्च, 2012 को आई.पी.सी. की धारा 354 के तहत एफ.आई.आर. क्रमांक 300 द्वारा आपराधिक कार्यवाही की गई। हालांकि, आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया था और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बरी कर दिया गया था।

10.43 आयोग ने आगे रिकॉर्ड की जांच की और कहा कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपर्युक्त प्राथमिकी में अभियुक्त आदेश कुमार को निर्दोष बताते हुए संदेह का लाभ दिया गया है। यह अंतर्निहित है कि न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर आरोपी को बरी कर दिया गया था। अभियुक्त की संदेह लाभ के आधार पर रिहाई का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने ष्दोषी नहींष का निर्णय दिया है। आयोग का मानना है कि अदालत में जरूरी साक्ष्य का सार उच्च स्तरीय है। अभियुक्त के खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आरोपी को संदेह का लाभ मिलता है और बरी किया जाता है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों के उल्लंघन की कथित घटना के संबंध मे केवल यह तय किया कि क्या प्रथम दृष्टया मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में पीड़ित पीड़ित रितु पोडिया ने आरोप लगाया था कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, यानी उसके मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ था। उसकी शिकायत पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और चार्जशीट दायर की गई थी। इसके अलावा, अपर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा द्वारा एक तथ्यान्वेषी जांच भी की गई थी और अभियुक्त द्वारा छेड़छाड़ का आरोप सही पाया गया और परिणामस्वरूप आरोपी आदेश कुमार के खिलाफ एक विभागीय जांच का आदेश दिया गया। ये दो सूचना प्रथम दृष्टया मानव अधिकारों का उल्लंघन स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर आयोग ने नोटिस जारी किया था और मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा के 18 (क)(i) के तहत आर्थिक मुआवजे की सिफारिश की थी। आयोग ने अभियुक्त अभय कुमार के निर्दोष होने के बारे में हरियाणा सरकार से प्राप्त सूचना पर विचार किया। आयोग का मानना है कि उसकी रिहाई से मामले की स्थिति नहीं बदल जाती है। आयोग संतुष्ट है कि राजकीय बालिका विद्यालय, कृष्णा पुरी, पानीपत में पीड़िता छात्रा के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसलिए, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क)(i) के तहत पीडिता रितु पोडिया को ₹50,000/– रुपये (पचास हजार रुपए मात्र) का आर्थिक मुआवजा देने की सिफारिश की। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जो अभी प्रतीक्षित है।

8. पांडवपुरा तालुका, मंड्या जिला, कर्नाटक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में छठी कक्षा की छात्रा का उसके 55 वर्षीय शिक्षक द्वारा यौन उत्पीड़न (मामला सं.538/10/14/2013–डब्ल्यूसी)

10.44 आयोग को डॉ. सुभाष महापात्र, कार्यकारी निदेशक, ग्लोबल ह्यूमन राइट कम्युनिकेशंस से 20 अगस्त, 2013 की एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि कर्नाटक के मंड्या जिले के पांडवपुरा तालुका में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के 55 वर्षीय शिक्षक द्वारा छठी कक्षा की एक 11 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न किया गया था। आरोपी शिक्षक अन्य छात्राओं को भी परेशान करता था, जब वे अकेली होती थीं और शिकायत करने पर उन्हें परीक्षा में विफल करने की धमकी देता था। हालांकि यह पुलिस की जानकारी में लाया गया था परंतु आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता ने आयोग के हस्तक्षेप की मांग की और पीड़िता के लिए मुआवजे की मांग की।

10.45 आयोग को इस मामले में पुलिस अधीक्षक, जिला मंड्या, कर्नाटक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें पता चला कि पीड़िता के पिता श्री जयारामेगौड़ा द्वारा दर्ज लिखित शिकायत के आधार पर पांडवपुरा पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 354/376/511/506 और यौन उत्पीड़न से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 7/9 (ग) और (च) के तहत सीआर सं. 303/2013 द्वारा मामला दर्ज किया गया था। आरोपी शिक्षक बसवराजु को 9 अक्टूबर, 2013 को गिरफ्तार किया गया था और अदालत के समक्ष पेश किया। वह अभी भी न्यायिक हिरासत में था। जांच पूरी होने के बाद, अंतिम रिपोर्ट विधिनुसार अदालत में प्रस्तुत की जाएगी। एफ.आई.आर. की एक प्रति भी रिपोर्ट के साथ संलग्न थी।

10.46 शिकायतकर्ता ने पुलिस की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी में कहा कि रिपोर्ट में आरोपी शिक्षक के खिलाफ की गई विभागीय कार्यवाही और पीड़ित बच्ची को दी गई चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक देखभाल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। रिपोर्ट में पीड़िता को शिक्षा और मुआवजे का भी उल्लेख नहीं किया गया।

10.47 रिपोर्ट और साथ ही उस पर शिकायतकर्ता की टिप्पणियों पर विचार करने पर, आयोग ने पाया कि प्रथम दृष्टया यह स्थापित है कि एक सरकारी स्कूल में सरकारी कर्मचारी द्वारा एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था। जैसा कि पीड़ित के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, आयोग ने मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क) (i) के तहत कर्नाटक सरकार को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि क्यों पीड़ित बच्ची को ₹1,00,000/– (एक लाख रुपये मात्र) की आर्थिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। आयोग ने राज्य प्राधिकारियों से आरोपी शिक्षक के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्रवाई की वस्तुस्थिति/परिणाम से और पांडवपुरा पुलिस थाने कि सीआर सं. 303/13 में जांच कि सूचना देने के लिए भी कहा। यह मामला आयोग में सक्रिय रूप से अभी भी विचाराधीन है।

9. राजस्थान के कोटा में राजकीय प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा छठी कक्षा की जनजातीय छात्रा का कथित बलात्कार
(मामला सं.2664/20/21/2013–डब्ल्यूसी)

10.48 एन.एच.आर.सी. को डॉ. सुभाष महापात्र, कार्यकारी निदेशक, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशंस, पुरी ओडिशा से 9 दिसंबर, 2013 की एक शिकायत मिली जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि दिसंबर, 2013 में राजकीय प्राथमिक स्कूल के 53 वर्षीय स्कूल प्रिंसिपल अब्दुल हामिद सिद्दीकी ने कक्षा –VI की एक जनजातीय छात्रा का बलात्कार किया था। शिकायतकर्ता ने आयोग के हस्तक्षेप की मांग की थी।

10.49 आयोग को इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोटा, राजस्थान से 7 फरवरी, 2014 के पत्राचार के माध्यम से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट से पता चला कि अनुसूचित जाति की छात्रा कुमारी ज्योति सहारिया की शिकायत पर पुलिस थाना नयापुरा, कोटा सिटी ने आई.पी.सी. की धारा 354ए, यौन उत्पीड़न से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 11/12 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की सुरक्षा) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध क्रमांक 776/2013 मामला दर्ज किया था। जांच के

दौरान, जांच अधिकारी ने कुमारी ज्योति सहारिया, उनके पिता श्री पप्पू, श्रीमती प्रेम बाई, श्री केदार लाल गोचर और स्कूल के अन्य स्टाफ सदस्यों के बयान दर्ज किए। प्रमाण पत्र के अनुसार उनकी जन्म तिथि 24 जनवरी, 2001 थी। गवाहों के बयानों को रिकॉर्ड करने के बाद, जांच अधिकारी ने आई.पी.सी. की धारा 354ए, यौन उत्पीड़न से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 11/12 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की सुरक्षा) अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति अब्दुल हमिद सिद्दीकी के खिलाफ आरोप–पत्र प्रस्तुत किया। आरोपी को 7 दिसंबर, 2013 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कुमारी ज्योति सहाराय का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था। से पहले 23 दिसंबर, 2013 को अदालत में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया था।

10.50 आयोग ने 8 दिसंबर, 2015 को रिपोर्ट पर विचार किया और कहा कि रिपोर्ट से यह स्पष्ट था कि आरोपी व्यक्ति अब्दुल हामिद सिद्दीकी कोटा में सरकारी स्कूल के एक प्रधानाचार्य थे और उन्होंने कक्षा 6 की छात्रा कुमारी ज्योति सहारिया की लज्जा भंग की थी। यह कुमारी ज्योति सहारिया के मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन था। तदनुसार, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क) (1) के तहत मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि पीड़िता कुमारी ज्योति सहरिया को राज्य द्वारा मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, राजस्थान को आयोग को सूचित करने के लिए कहा गया है कि पीड़ित कुमारी ज्योति सहारिया को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमों के तहत कितना मुआवजा दिया गया है। आयोग ने आरोपी प्रिंसिपल अब्दुल हमिद सिद्दीकी के खिलाफ विभागीय जांच करने और वर्तमान तैनाती स्थल से किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित करने का निर्देश भी दिया ताकि वह विभागीय जांच के गवाहों को प्रभावित न करें। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

अध्याय - 11

बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार

11.1 कुछ समय से, बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों पर विचारण और कार्रवाई करने के लिए वैश्विक स्तर पर आह्वान करने हेतु पर्याप्त प्रचारात्मक प्रयास किए गए हैं। विभिन्न हितधारकों ने दुनिया भर के बुजुर्ग व्यक्तियों की चिंताओं को दूर करने तथा मानव अधिकार मानकों की और अधिक स्पष्टता तथा बढ़ते उपयोग के लिए आह्वान किया है। ऐसा इसलिए है कि 60 या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या एक असाधारण दर से बढ़ रही है और 2020 के अंत तक इसके वर्तमान 740 मिलियन से बढ़कर 1 बिलियन तक पहुंच जाने की संभावना है। संख्या में वृद्धि ने पर्याप्त सुरक्षा तंत्र की कमी पर और बुजुर्ग लोगों की स्थिति पर ध्यान दिलाने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में मौजूदा अंतराल पर भी प्रकाश डाला है। आज, दुनिया के के दो–तिहाई बुजुर्ग कम और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं और यह अनुपात 2050 तक 80 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

11.2 इसके अलावा, बुजुर्ग व्यक्ति एक समरूप समूह नहीं हैं, और उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा या उपभोग करने में आने वाली चुनौतियों में बहुत भिन्नता है। हालांकि, कुछ अपने समग्र व्यक्तित्व, परिवार और समुदाय के भाग के रूप में सक्रिय जीवन जीते हैं, जबकि कई लोग बेघर हो जाते हैं, पर्याप्त देखभाल की कमी या अलगाव का सामना करते हैं। वास्तव में, इनमें से अधिकतर कई तरह के भेदभाव के शिकार हैं इनमें से मुख्यत: गरीबी, हिंसा, दुर्व्यवहार, असुरक्षा, खराब स्वास्थ्य और कुशल क्षेम, कम कमाई क्षमता,

वृद्धावस्था पेंशन की सीमित उपलब्धता, संपत्ति और प्रॉपर्टी पर खतरे और सीमित नियंत्रण, तथा निजी और सार्वजनिक निर्णय लेने में असमान भागीदारी हैं।

11.3 यद्यपि बुजुर्ग पुरुष और बुजुर्ग महिलाएं दोनों उम्र–आधारित भेदभाव का सामना करते हैं परंतु बुजुर्ग महिलाओं को तमाम उम्र अपने जीवन में लिंग भेदभाव के अतिरिक्त संचयी प्रभावों का सामना भी करना पड़ता है। बुजुर्ग महिलाओं के प्रति भेदभाव करने वाली नकारात्मक धारणाएं हैं जो महिलाओं को वृद्धावस्था में महत्त्वहीन; सार्वजनिक जीवन में शिक्षा, निर्णय लेने और भागीदारी की कमी के कारण सेवाओं और अधिकारों तक सीमित पहुंच; आयु–उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी; कम कमाई क्षमता और भेदभावपूर्ण लिंग–आधारित कानूनों तथा रीति रिवाजों की अतिरिक्त बाधा जो संपत्ति और विरासत पर लागू होती हैं, के रूप में प्रस्तुत करती हैं। वृद्धावस्था में महिलाओं पर भेदभावों के प्रभावों और उनके द्वारा चुनौतियों का सामना करने के बढ़ते प्रमाण के बावजूद, यह मुद्दा मिलनियम विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 3 के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जरूरी प्रगति के बावजूद अनसुलझे रह गया है। 2015 के बाद की चर्चाओं के दौरान इस मुद्दे पर एक बार फिर थोड़ा ध्यान दिया गया। इस मामले में सच्चाई यह है कि बुजुर्ग व्यक्तियों की प्रौढ़ता और अधिकार स्थायी विकास लक्ष्यों सहित, 2015 के बाद के विकास के एजेंडे के ढांचे के भीतर फिट बैठते हैं।

11.4 अन्य विकासशील देशों की तुलना में, भारत को एक युवा राष्ट्र माना जाता है। तथापि, अपेक्षाकृत युवा आबादी होने का कुछ नुकसान भी हो सकता है और वो ये कि एक स्तर पर अंत में तेजी से बुढ़ापे की ओर बढ़ने का है। यह गहरी चिंता का एक कारण है क्योंकि भारत में पहले से ही दूसरी सबसे बड़ी आबादी बुजुर्गों की है, जो कि 60 वर्ष से अधिक आयु के रूप में परिभाषित है। एकल परिवारों की उभरती हुई प्रवृत्ति के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य के परिवर्तन सहित बुजुर्गों की जिंदगी आगे बदल रही है और आने वाले वर्षों में उनकी स्थिती के और अधिक कमजोर होने की संभावना है। यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि वे सुरक्षित, स्वस्थ और आरामदायक जीवन जीने में सक्षम हो सकें।

11.5 बुजुर्गों की संख्या में लगातार वृद्धि से मानवाधिकारों के उल्लंघन विशेष रूप से उनके खिलाफ अपराध भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या में बुजुर्ग व्यक्ति, जो अशिक्षित हैं, अपने मानवाधिकारों से अनजान हैं, जिसके कारण उन्हें गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह सब निश्चित रूप से उनके जीवन जीने के तरीके और भलाई की भावना पर असर डालता है।

11.6 भारत के संविधान में अनुच्छेद 41 के तहत वृद्ध व्यक्तियों का कल्याण अधिदेशित है, जिसमें कहा गया है कि "राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, वृद्धावस्था मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।" इसके अलावा अन्य प्रावधान भी हैं, जो राज्य को अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का निर्देश देते हैं। समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। ये प्रावधान वृद्ध व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होते हैं।

11.7 इसके साथ ही, भारत बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और मानकों का पालन कर रहा है। इन में से 1982 में विश्व असेंबली में वृद्धावस्था पर अपनाया गया वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग, वृद्ध लोगों के लिए 1991 के संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत, द्वितीय विश्व असेंबली में वृद्धावस्था पर अपनाया गया और महासभा द्वारा इसके संकल्प 57/167 में अनुमोदित 2002 का मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग प्रमुख हैं ।

11.8 15 अगस्त, 1995 से लागू राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) संविधान के अनुच्छेद 41 में नीति निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दर्शाता है। इस कार्यक्रम ने गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय नीति की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है कि राज्य वर्तमान में उपलब्ध कराए जाने वाले या भविष्य में उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों के अलावा, सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करने के लिए है। एन.एस.

ए.पी. में वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धाश्रम पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आई.जी.डी.पी.एस.), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन.एफ.बी.एस.) और अन्नपूर्णा शामिल हैं।

11.9 भारत की संसद ने माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके कल्याण सहित आवश्यक भरण–पोषण सुनिश्चित करने के लिए माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 भी लागू किया है। भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना स्कीम आरंभ की है। इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है।

11.10 वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में एन.एच.आर.सी. की भागीदारी शुरू में उनके द्वारा प्राप्त शिकायतों के निवारण के साथ शुरू हुई। यह सहयोग धीरे–धीरे 2000 में बढ़ गया जब इसने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के कार्य में भाग लिया और बुजुर्ग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के संबंध में कार्य योजना (2000–2005) पर सुझाव दिया। तब से, यह बुजुर्गों के अधिकारों के लिए काम कर रहे समूहों और संगठनों के साथ घनिष्ट संपर्क रखता है और केंद्र सरकार को सिफारिशें दे रहा है। इसने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से सभी अस्पतालों में बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एक अलग कतार के लिए प्रावधान करने के लिए सिफारिश की है। संबंधित मंत्रालय ने इस पर, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सिफारिश परिचालित की थी।

11.11 आयोग समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के वृद्ध व्यक्तियों की दुर्दशा पर अपनी चिंता व्यक्त करता है। इसके अलावा, बुजुर्गों के लिए काम कर रहे गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से, एन.एच.आर.सी. ने स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया है और बुजुर्ग व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली

विभिन्न बीमारियों पर ध्यान देने के लिए व्याख्यान दिए हैं। इसके अलावा, इसने उनका भुगतान न करने, देरी से भुगतान और सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति के आंशिक भुगतान और सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु के मामलों, उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सभी वैधानिक देय राशि का समय पर भुगतान करने से संबंधित मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।

11.12 इसने वृद्ध व्यक्तियों के संरक्षण और कल्याण पर एन.एच.आर.सी. में एक कोर समूह का गठन किया है। 2014 में, इसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति सरकारी मसौदा, 2013 पर सुझाव दिया। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान, इसने संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के दूसरे चक्र के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित अनुशंसा पर की गयी कार्रवाई का पालन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ करता है।

क. बुजुर्ग व्यक्तियों के मानव अधिकार कानून : नीतियां और कार्यान्वयन– केरल के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

11.13 उपरोक्त अध्ययन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज, कोच्चि में फरवरी, 2016 में 18 महीनों की अवधि में पूरा किया गया था। शोध अध्ययन के उद्देश्य हैं – बुजुर्ग व्यक्तियों की श्रेणियों का विश्लेषण; उनके सामने आई हुई समस्याओं की जांच; सामाजिक वास्तविकताओं की पृष्ठभूमि में बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने के औचित्य की जांच; बुजुर्ग व्यक्तियों को दिए गए संरक्षण की संभावना का निरीक्षण करना; उनके लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित नीतियों और कार्यक्रमों की पहुंच की जांच करना; उनके लिए लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का विश्लेषण; माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना तथा आसपास के दक्षिणी राज्यों सहित केरल में अन्य संबंधित कानूनों का आकलन करना; और उनके सुधार के लिए प्रभावी सुधारों के लिए सिफारिशें करना।

11.14 केरल के युवाओं के विदेशों में बड़े पैमाने पर प्रवसन करने के मद्देनजर, अध्ययन में यह जांच भी की जाएगी कि क्या इन प्रवसन प्रवृत्तियों से बुजुर्गों के संभावित अलगाव, भौतिक के साथ–साथ उनकी वित्तीय सुरक्षा के संबंध में कमी की संभावना है। इसके अलावा, अनुसंधान अध्ययन यह जांच करेगा कि क्या बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ सही इच्छुक लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं या नहीं।

ख. एन.एच.आर.सी. द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित निपटाए गए दृष्टांत मामले

1. जिला बीड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अपने पति की मृत्यु के बाद एक विधवा को परिवार पेंशन की मंजूरी में देरी
(मामला संख्या 2500/13/21/2013)

11.15 आयोग को श्रीमती कुसुम शिवाजी कसबे की ओर से 27 अगस्त, 2013 की एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमे बताया गया कि उनके पति का निधन 6 नवंबर, 2012 को हुआ था। वे पी.पी.ओ. नंबर 7893 द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एस.बी.आई.), परली (वैद्यनाथ), जिला बीड, औरंगाबाद में खाता संख्या 11154269953 के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उसने परिवार पेंशन मंजूर करने और इसे उसके खाता संख्या 32690975 948, एस.बी.आई., जिला उस्मानाबाद में भेजने का अनुरोध किया। हालांकि, लगभग दो साल की अवधि के बाद भी उसकी पारिवारिक पेंशन मंजूर नहीं की गई थी।

11.16 आयोग ने इस मामले की रिपोर्ट मंगवाते हुए मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई को शिकायत की एक प्रति भेजी। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन), उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया गया कि मृतक कर्मचारी श्री शिवाजी बाबूराव कस्बे कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्य थे और उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.), यानी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एस.आर.ओ., सिडको, औरंगाबाद द्व

ारा पेंशन की मंजूरी दी गई थी। इसलिए, शिकायतकर्ता श्रीमती कुसुम शिवाजी कसबे की परिवार पेंशन की मंजूरी ई.पी.एफ.ओ. द्वारा की जानी थी। रिपोर्ट में आगे बताया कि महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, संगठन (पूर्व एम.एस.ई.बी.) ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एस.आर.ओ., औरंगाबाद से शिकायतकर्ता को परिवार पेंशन की मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया है। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एस.आर.ओ., औरंगाबाद, को शिकायतकर्ता की परिवार पेंशन जारी करनी है इसलिए, मामले को ई.पी.एफ.ओ. को भेजा जाना चाहिए।

11.17 रिपोर्ट के अवलोकन पर आयोग ने पाया कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एस.आर. ओ., औरंगाबाद, महाराष्ट्र द्वारा पारिवारिक पेंशन की मंजूरी देनी है और इसने केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एस.आर.ओ., औरंगाबाद, महाराष्ट्र को कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

11.18 प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, 14 अक्टूबर, 2015 को आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता को पारिवारिक पेंशन की मंजूरी और भुगतान करने में लगभग 2 वर्ष और तीन महीने की देरी हुई है और ई.पी.एफ. संगठन, श्रम मंत्रालय के उप–क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद तथा उप–क्षेत्रीय कार्यालय सोलापुर के अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से लापरवाही स्वीकृत और स्पष्ट है। अधिकारियों/कर्मचारियों की निष्क्रियता से मृतक कर्मचारी का परिवार अपमानजनक जीवन जीने को मजबूर हुआ। इसलिए, इन लोक सेवकों द्वारा उनके जीवन के अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार का उल्लंघन किया गया था।

11.19 आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क)(i) के तहत केंद्रीय वित्त निधि आयुक्त, ई.पी.एफ. संगठन, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया है कि मृतक शिवाजी बी कस्बे के परिवार के सदस्यों को आर्थिक मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश नहीं क्यों की जानी

चाहिए। उन्हें शिकायतकर्ता श्रीमती कुसुम शिवाजी कसबे को परिवार पेंशन और अन्य बकाया के भुगतान में देरी करने के लिए ई.पी.एफ.ओ. के दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा गया।

11.20 जवाब में, सी.पी.एफ.सी., ई.पी.एफ.ओ., नई दिल्ली कार्यालय में अतिरिक्त केंद्रीय आयुक्त–2 (पेंशन और आई.डब्ल्यू.यू.) ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया कि बैंक/शाखा से पेंशन के हस्तांतरण की प्रक्रिया एक कार्यालय से दूसरे बैंक/शाखा के अधिकार क्षेत्र में आती है और इस कारण से शिकायतकर्ता को पेंशन के भुगतान में देरी हुई है। उत्तर में यह भी कहा गया है कि मृतक शिवाजी बी. कसबे की पेंशन का बकाया और श्रीमती कुसुम शिवाजी कसबे की परिवार पेंशन का बकाया 16 दिसंबर, 2014 को जारी किया गया था। वर्तमान मामले को अगर शिकायतकर्ता के नजरिए से देखा जाए तो बकाया पेंशन जारी करने और ब्याज के संदर्भ में क्षतिपूर्ति में बेहद देरी हुई है। चूंकि श्रीमती कुसुम शिवाजी कसबे को जो पेंशन जारी की जानी थी वह निधि में शेष थी और संगठन द्वारा घोषित वैधानिक दरों पर वर्ष दर वर्ष ब्याज मिल रहा था और इसलिए श्रीमती कुसुम शिवाजी कसबे की मासिक पेंशन पर वर्ष 2012–13 के लिए 8.5% की दर से और वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लिए 8.75% की दर से 18.12.2012 से 16.12.2014 तक की अवधि के लिए भुगतान किया जा सकता है। वास्तविक ब्याज भुगतान निर्धारित किया जाएगा और एस.आर.ओ., औरंगाबाद द्वारा श्रीमती कुसुम के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।

11.21 आयोग ने 30 दिसंबर, 2015 को रिकॉर्ड का अनुसरण किया और पाया कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली ने इस मामले में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई नहीं सौंपी थी और उन्हें छः सप्ताह के भीतर दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। आयोग ने आगे कहा कि श्रीमती कुसुम शिवाजी कसबे को पारिवारिक पेंशन की मंजूरी और भुगतान करने में लगभग दो वर्ष और तीन महीने की देरी हुई थी और इसलिए, ई.पी.एफ. संगठन,

श्रम मंत्रालय के उप–क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद तथा उप–क्षेत्रीय कार्यालय सोलापुर के अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से लापरवाही स्वीकृत और स्पष्ट है। अधिकारियों/कर्मचारियों की निष्क्रियता से मृतक कर्मचारी का परिवार अपमानजनक जीवन जीने को मजबूर हुआ। इसलिए इन लोक सेवकों द्वारा उनके जीवन के अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार का उल्लंघन किया गया था। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क)(i) के तहत, मृतक शिवाजी बी. कसबे के निकटतम परिजनों को उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर ₹ 25,000/– (पच्चीस हजार रूपए मात्र) के भुगतान की सिफारिश की। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ई.पी.एफ.ओ., श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मामला बंद कर दिया गया था।

2. पचास वरिष्ठ नागरिक और विधवाएं जीवन के न्यूनतम भरण पोषण से वंचित (मामला सं. 2479/18/7/2013)

11.22 श्री राधाकांत त्रिपाठी, वकील और मानव अधिकार कार्यकर्ता ने उड़िया दैनिक 'संबाद' में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि दुदुगांव ग्राम, हतदिही की सामाना पंचायत, केंझार जिला, ओडिशा में बी.पी.एल. श्रेणी के लगभग 50 वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं को जीवन की न्यूनतम जीविका जैसे वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन से वंचित किया जा रहा था। उन्होंने विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों से संपर्क किया लेकिन इन पीड़ितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनमें से, 80 वर्ष से अधिक उम्र के गगन पारिदा और बैकुन्था सांकुआ न्याय के अभाव मे हर दिन मर रहे थे। शिकायतकर्ता ने इन बी.पी.एल. परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों और गांवों की विधवाओं को न्याय दिलाने के लिए राज्य की विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने इन पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन का भुगतान करने हेतु निष्पक्ष जांच और तत्काल निर्देश जारी करने की प्रार्थना की थी।

11.23 इस मामले में संज्ञान लेते हुए, आयोग ने जिला कलेक्टर, केंझार से एक रिपोर्ट प्राप्त की, जिसमें पाया कि ब्लॉक विकास अधिकारी, हतदिही की जांच रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम दुदुगांव की मतदाता सूची में 371 मतदाताओं में से 57 व्यक्ति आयु के मानदंडों पर विचार करने वाले पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन पाने के लिए पात्र थे। उनमें से 36 विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे थे और 26 आवेदकों के आवेदन पेंशन मंजूरी के लिए उप–कलेक्टर, आनंदपुर को पहले ही भेज दिए गए थे। इसके बाद, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केंझार, ओडिशा से एक अन्य रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया कि छः वरिष्ठ नागरिक वित्तीय कठिनाई का सामना करते हुए मर गए थे और वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन पाने के लिए सुस्त पड़ गए थे। यह भी बताया गया कि दो वरिष्ठ नागरिकों के अर्थात् (i) गिरिधर सामल (ii) कमली जेना को वृद्धावस्था पेंशन की मंजूरी दी गई, जबकि किसी बेला साहू को विधवा पेंशन की स्वीकृति भी दी गई थी। इसके अलावा 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, गगन पारिदा और बैकुंठ संखुआ की वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर ₹500/– कर दिया गया। वृद्धावस्था पेंशन की मंजूरी के लिए सभी योग्य लाभार्थियों की पहचान के लिए आगे प्रयास किए जा रहे हैं।

11.24 रिपोर्ट के विचार पर आयोग ने उपरोक्त रिपोर्टों की प्रति शिकायतकर्ता को अपनी टिप्पणियां देने के लिए भेजी। शिकायतकर्ता की टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई थीं, परंतु आयोग ने कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, केंझार, ओडिशा को निर्देश दिया कि वह दुदुगांव ग्राम, हतदिही, केंझार जिला, ओडिशा के सभी पात्र लाभार्थियों की वृद्धावस्था पेंशन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों से आयोग को अवगत कराएं। आयोग के निर्देशों की अनुपालना में, कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, केंझार जिला, ओडिशा से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

3. हिंडोल अधिसूचित क्षेत्र परिषद, धेनकनाल में वार्ड संख्या 16 के 109 लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का दुरूपयोग

(मामला सं. 2041/18/4/2014)

11.25 ओडिशा के एक मानव अधिकार कार्यकर्ता श्री सुभाष महापात्रा ने आयोग से शिकायत की कि हिंडोल अधिसूचित क्षेत्र परिषद (एन.ए.सी.), धेनकनाल, ओडिशा के वार्ड नंबर 16 से संबंधित 109 लाभार्थियों की एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया था। आयोग ने इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट, धेनकनाल, ओडिशा से एक रिपोर्ट मांगी थी। तदनुसार, जिला मजिस्ट्रेट, धेनकनाल, ओडिशा ने सूचित किया कि इस मामले की जांच से पता चला है कि इन 109 व्यक्तियों को ₹1,400/– की दर से वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई थी, लेकिन उन्हें मात्र ₹900/– का भुगतान किया गया था। हिंडोल एन.ए.सी. के कार्यकारी अधिकारी और चेयरमैन ने अक्टूबर, 2013 से जनवरी, 2014 की अवधि तक प्रत्येक 109 लाभार्थियों की पेंशन में से ₹500/– रुपये की राशि का दुरुपयोग किया था। यह भी बताया गया कि हिंडोल एन.ए.सी. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मानस रंजन भोई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई और हिंडोल एन.ए.सी. के संबंधित अध्यक्ष को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

11.26 रिपोर्ट के अवलोकन पर आयोग ने पाया कि मामले के तथ्य स्पष्ट करते हैं कि यह एक आपराधिक मामला है। आयोग ने इस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट, धेनकनाल को इस संबंध में स्थानीय पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करने का निर्देश दिया ताकि इस मामले में आपराधिक केस दर्ज किया सके तथा जांच की जा सके और फिर उसके तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच जा सके। इस मामले में चूंकि कुछ आदिवासी लाभार्थियों को पेंशन से वंचित किया गया था, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 4 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसे एफ.आई.आर. में शामिल किया जा सकता है। आयोग ने मानस रंजन भोई के खिलाफ तुरंत आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया क्योंकि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर प्रकृति के थे।

11.27 आयोग ने यह भी पाया कि बुजुर्गों को उनके हिस्से की वृद्धावस्था पेंशन के लिए मना करना, चाहे वो मनाही अल्प अवधि के लिए ही क्यों न हो, उनके जीवन जीने के अधिकार और सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए मानव

अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को छह सप्ताह के भीतर कारण बताने के लिए नोटिस जारी करने के लिए यह एक स्पष्ट मामला है कि इन 109 वृद्ध लाभार्थियों को जिन्हें अक्टूबर, 2013 से जनवरी, 2014 की अवधि के लिए उनकी बुढ़ापे की पेंशन नहीं दी गई, उन्हें आर्थिक राहत क्यों नहीं दी है।

11.28 आयोग के निर्देशों कि अनुपलना में, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व और डी. एम. विभाग, ओडिशा सरकार ने बताया कि पेंशन का भुगतान न करने के बारे में शिकायत करने वाले 108 लाभार्थियों को पहले ही उनके बकाए का भुगतान किया जा चुका है। रिपोर्ट के विचार पर आयोग ने शिकायतकर्त्ता को उनकी टिप्पणियों के लिए रिपोर्ट की एक प्रति भेजने के निर्देश दिए। तदनुसार टिप्पणी प्राप्त हो गई है। यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

4. आंध्र प्रदेश राज्य में बुजुर्ग और निराश्रितों की दयनीय स्थिति
(मामला संख्या 837/1/8/2013)

11.29 आयोग के विशेष प्रतिवेदक श्री के. एस. चामल ने "परित्यक्त बीमार आदमी कब्रिस्तान में मौत का इंतजार कर रहा है" शीर्षक से एक प्रेस कतरन आयोग के संज्ञान में लाए जो आंध्र प्रदेश राज्य में बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों की दयनीय स्थिति को दर्शाती है और आयोग से आंध्र प्रदेश सरकार के साथ बुजुर्ग और निराश्रितों के मामले को उठाने का अनुरोध किया।

11.30 आयोग को इस मामले में मुख्य सचिव, महिला, बाल, विकलांग और वरिष्ठ नागरिक विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बीमार व्यक्ति उपुला मल्लेशम के परिवार के सदस्यों ने उसका उपचार करवाया था और उसके जीवन के आखिरी पलों में वे उनके साथ थे। जांच करने के बाद, यह पाया गया कि पारिवारिक विवाद केवल उसके बड़े बेटे की पत्नी के कारण हुए। समाचार

सुनने के बाद व्यक्ति को घर लाया गया था और परिवार के सदस्यों द्वारा उपचार करवाया गया था और आरोप से इनकार किया गया था। इस घटना के एक महीने बाद श्री उपुला मल्लेशम की क्षय रोग से मृत्यु हो गई। वर्तमान में बड़ा बेटा अपने निवास के पास एक अलग घर लेकर रह रहा है तथा अपनी मां, बहन और भाई की देखभाल कर रहा है।

11.31 आयोग के दिनांक 05 जून, 2014 के निदेशों के अनुपालन में, रिपोर्ट की एक प्रति विशेष संपर्ककर्त्ता के पास टिप्पणी हेतु, यदि कोई हो, प्रेषित की गई। प्रो. के. एस. चलम, विशेष संपर्ककर्त्ता ने यह टिप्पणी की कि केवल पीड़ित के बच्चों के बयान को दर्ज कर आयोग के पास भेजा गया। लेकिन तथ्य यह है कि निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल खासकर आन्ध्र प्रदेश, करीमनगर के उप्पूला मालेशरम के संदर्भ हेतु विभाग ने क्या कदम उठाए, इसे रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया।

11.32 मामले पर आयोग द्वारा आगे विचार कर, इसने राज्य में इस तरह के निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के पुनर्वास हेतु राज्य द्वारा चलाई जा रही किसी योजना के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है। आयोग के निदेशों के अनुपालन में, प्रमुख सचिव, महिला, दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक (कार्य II), आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह रिपोर्ट की कि राज्य के विभाजन के पश्चात् अब श्री उप्पूला माल्लेशरम तेलंगाना राज्य से संबंधित हो गए थे। फिर भी, निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के पुनर्वास हेतु आन्ध्र प्रदेश राज्य में कार्यान्वित योजना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट की प्रति रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दी है। रिपोर्टानुसार, मछलीपट्टम, कृष्णा जिले में वृद्धाश्रम एवं दिव्यांग लोगों के आवास उपलब्ध है। मई, 2015 में आन्ध्र प्रदेश के प्रत्येक राजस्व प्रभाग में वृद्धाश्रम के निर्माण हेतु सरकार द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 19 अगस्त, 2008 के आदेश द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मामला "माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2008" के तहत प्राधिकरण एवं अपीली प्राधिकरण का निर्माण करवाया है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के दिनांक 19 जून, 2014 के आदेश द्वारा योग्य वृद्ध लोगों के पेंशन को बढ़ाकर ₹1000/– प्रति महीने कर

दिया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के तहत अट्ठासी नवीनीकरण एवं वृद्धाश्रम, दिन के समय देख–रेख केन्द्र, मोबाईल, मेडीकेयर एकक इत्यादि बनाने हेतु 13 नए प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजे गए हैं। निराश्रित तथा दिव्यांग वृद्धजनों के लिए प्रत्येक जिले में 13 आश्रय बनाने की प्रक्रिया जांच के अधीन है।

11.33 इसके पश्चात् यह मामला आयोग के समक्ष रखा गया, जब इसने यह पाया कि जांच से शिकायत पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती। रिपोर्ट यह दर्शाती है कि निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के पुनर्वास हेतु आश्रय बनाने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण हेतु राज्य सरकार ने अधिकरण एवं अपीली अधिकरण का निर्माण किया गया है। योग्य वृद्ध लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की वृद्धि की गई है। आयोग इस मामले पर किसी प्रकार के अन्य हस्तक्षेप न करने पर संतुष्ट है। अतः मामले को बंद कर दिया गया।

अध्याय - 12

दिव्यांग जनों के अधिकार

12.1 भारत की 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में कुल 2.68 करोड़ लोग दिव्यांग है, जो जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। इनमें से, 1.50 करोड़ पुरुष तथा 1.18 करोड़ महिलाएं है। इनमें से दृष्टिबाधित, श्रवण दोष, नाक दोष, अपंग मानसिक अस्वस्थता, बहु अशक्तता आदि शामिल है। जनगणना डाटा से यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 69.50 प्रतिशत दिव्यांग जन रहते हैं।

12.2 भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से राज्य को दिव्यांग जनों के पक्ष में सकरात्मक हस्तक्षेप के उपाय अपनाने की शक्ति प्रदान करता है। अशक्तता के विभिन्न पहलुओं पर नजर रखने के लिए चार मुख्य अधिनियम का गठन किया गया जो इस प्रकार हैं 1) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 2) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 3) दिव्यांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995; एवं 4) स्वलीनता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता से ग्रसित लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय भरोसा एवं बहु अशक्तता अधिनियम, 1999। इसके अलावा, अशक्तता से ग्रसित लोगों के लिए राष्ट्रीय योजना, 2006 कार्यान्वित है।

12.3 दिव्यांग जनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा, 2006 (यू. एन. सी. आर. पी. डी.) के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अशक्त जन अधिनियम, 1995 (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) को दिसंबर, 2016 में अशक्त जन अधिकार अधिनियम, 2016 के रूप में बदल दिया गया। पुननिर्मित अधिनियम ऊपर अनुच्छेद में उद्धृत अशक्तता को व्यापक रूप प्रदान करता है जबकि 1995 का अधिनियम अशक्तता को एक सीमित क्षेत्र में बांध रखा था। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग जनों के लिए सरकारी संगठनों में रिक्तियों की कुल संख्या में 3 से 4 प्रतिशत तक इजाफा की गई है। इसके साथ–साथ, पुनर्स्थापित विकलांगता कानून के तहत विशिष्ट लैंगिक धाराएं हैं।

12.4 आयोग, जो यू. एन. सी. आर. पी. डी. को ड्राफ्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अशक्तता के मुद्दे को मानव अधिकारों के नजरिए से देख रहा है ताकि दिव्यांगजन को कोर्ड दान का पात्र नहीं बल्कि अधिकार धारक समझा जाए। वर्ष 2015–2016 के दौरान आयोग दिव्यांग जनों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियों में भाग लिया:

क. मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोर ग्रुप की बैठक

12.5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में दिनांक 15 अप्रैल, 2015 को मानसिक स्वास्थ्य पर एक कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई पहल एवं देश में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख में सुधार लाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में आयोग द्वारा दर्ज की गई याचिका के संबंध में भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करनी थी। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री एस. सी. सिन्हा द्वारा की गई। इस बैठक में कोर ग्रुप के सदस्यगण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष संपर्ककर्त्ता एवं आयोग के वरिष्ठ

अधिकारीगण शामिल हुए। बैठक में हुए विचार विमर्श के आधार पर निम्नलिखित सुझाव सामने आए:

1. देश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र उत्कृष्टता का केंद्र नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्यों के 8 राज्य में एक भी केंद्र न होना यह काफी चिंता का विषय है। तदनुसार, इन क्षेत्रों में कम से कम एक केंद्र की स्थापना करने की आवश्यकता है।

2. जिन जिलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की स्वीकृति मिली है एवं जिसका कार्यान्वयन हो रहा है या जहां उसका कार्यान्वयन किया गया है वहां डी. एम. एच. पी. के कार्यान्वयन की समीक्षा की आवश्यकता है। ऐसे जिला कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु मंत्रालय एक क्रिया विधि की शुरुआत कर सकता है एवं जहां इसका कार्यान्वयन नहीं किया गया, तब संबंधित राज्य को तदनुसार सलाह दी जा सकती है। राज्य व केंद्र शासित स्तर पर इस तरह की योजनाओं के 70 संतुष्ट पूर्ण कार्यान्वयन की समीक्षा न किए जाने वाले कारकों का पता लगाने के लिए मंत्रालय को चाहिए कि वह राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी अवयवों का एक व्यापक रूप से मूल्यांकन करवाएं।

3. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश सामुदायिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य देखरेख को बढ़ाना एवं जनस्वास्थ्य के साथ इस को एकत्रित करना है। यह एकीकरण दो दशक बीत जाने के बाद भी संपूर्ण नहीं हो पाया है। जन स्वास्थ्य देखरेख के साथ मानसिक स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम का उचित तरीके से एकीकरण न होने के मुख्य कारण का पता लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4. यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम देश के सभी जिलों में यथाशीघ्र कार्यान्वित हो सके। इसके पीछे कोई उचित कारण नहीं है कि देश के ज्यादातर जिलों को इतने वर्षों तक इस कार्यक्रम से क्यों वंचित रखा गया।

5. डी.एम.एच.पी. योजना के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने विविध तदर्थ पदों का सृजन किया है जो नियमित नहीं है। राज्य सरकार को चाहिए कि वह तदुपरांत बराबर पदों का सृजन कर तदर्थ पदों को समाप्त करे। इसके अलावा कर्मचारियों को समेकित राशि का भुगतान किया जाता है न की उन्हें नियमित वेतन दिया जाता है। अतः डॉक्टरों/कर्मचारियों का विकास सभावना पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है। केंद्र सरकार को भी इन पदों के वित्त पोषण को वापस लेने की आवश्यकता है ताकि डी.एम.एच.पी. बुरी तरह प्रभावित न हो।

6. निमहंस के तरीके पर जो दक्षिण क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के प्रावधानों को और अधिक मजबूती प्रदान करनी चाहिए। निमहंस की मदद से डिस्टेंस में इस तरह की प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जा सकती है तथा देश के अगले हिस्से में इस तरह की मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान की पहचान कर उन्हें विकसित की जा सकती है। प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए आगरा प्रशिक्षण कार्यक्रम को रूपरेखा देनी चाहिए। यह मास्टर ट्रेनर मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का प्रशिक्षण/ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। राज्य द्वारा चलित मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों को शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में बदलने हेतु राज्यों, एम.सी.आई. एवं एन.सी.आई. को निर्देश दिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी राज्य सरकारों से निमहंस प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त करने हेतु लिख सकता है।

7. चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पी.एच.सी., सी.एच.सी इत्यादि स्तर पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर इनको मानसिक स्वास्थ्य विकृतियों हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि अल्प समस्याओं का निदान कर मुख्य मानसिक स्वास्थ्य परेशानियों के लिए मरीजों को मानसिक स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं में रेफर कर सकें। यह कार्य निमहंस द्वारा कराया जा सकता है।

8. आयोग सभी राज्यों खासकर उन 241 जिलों को लिखेगा जहां डी.एम.एच.पी. कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृति दी गई है। आयोग इस कार्य हेतु सभी राज्य सचिवों के साथ बैठक का आयोजन करेगा। यह कार्य अगस्त, 2015 की शुरुआत में हो जाएगा।

9. मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं के आधारभूत संरचना की खस्ता हालत को प्राथमिकता के आधार पर सुधार या नए आधारभूत संरचना में बदलने की जरूरत है जैसा कि ज्यादातर भवन सौ वर्ष से ऊपर के हैं।

10. क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके।

11. केंद्र सरकार के पास लेखापरीक्षक उपयोग प्रमाण पत्र प्रेषित करने के पश्चात भी नियमित रूप से डी.एम.एच.पी. के तहत संस्थाओं को निधि मुहैया नहीं करवाई जा रही। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस मामले पर तुरंत हस्तक्षेप कर डी.एम.एच.पी. योजना के तहत निधि के किस्तों को नियमित रुप से निस्तारण करनी चाहिए। निधि तंत्र के हस्तांतरण को सरल बनाने की आवश्यकता है।

12. निधि की उपयोगिता के लिए राज्य सरकार को चाहिए कि वह योजना तैयार कर निधि की पूर्ण उपयोगिता सुनिश्चित करे एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय पर प्रस्तुत करें। निधि के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु मंत्रालय को चाहिए की वह अपने अधिकारियों द्वारा राज्यो का दौरा करवाएँ ताकि आगे की निधि का वितरण हो सके।

13. ग्यारह प्रकर्ष केन्द्र फिलहाल अवस्थित हैं एवं दस नए केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रकीर्ण संस्थाओं की पहचान करने पर विचार करनी चाहिए क्योंकि यदि प्रकर्ष केन्द्र ज्यादा होंगे तब प्रशिक्षण के अवसर भी ज्यादा ही मिलेंगे। ये प्रशिक्षण स्थानीय पेशेवरों के

लिए आयोजित की जानी चाहिए तथा अनंतरता से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि ज्यादा प्रकर्ष केन्द्र कार्यान्वित होते हैं, पेशेवरों की कमी की समस्या खत्म हो सकती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से इस विषय पर निवेदन किया जा सकता है कि समाज में कितने स्वास्थ्य देख–रेख पेशेवर उपलब्ध होंगे।

14. आयोग सभी राज्यों को मुख्यतः निमहंस के प्रशिक्षण का प्रयोग करने के लिए लिखेगा, जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एक प्रमुख संस्था है।

15. पूरे देशभर में निमहंस जैसी पांच से छः संस्थाओं की स्थापना की आवश्यकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (आई.एच.बी.ए.एस.), शाहदरा (दिल्ली) एवं मानसिक स्वास्थ्य देख–भाल संस्थान, आगरा को निमहंस के तर्ज पर अपग्रेड करने पर विचार करना चाहिए।

16. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, एन.एच.आर.सी. वर्ष 1997 से नियमित रूप से तीन मानसिक स्वास्थ्य देख–भाल संस्थान अर्थात् मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थान, आगरा; रांची न्यूरो–मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान (आई.एच.बी.ए.एस); एवं ग्वालियर मानसिक आरोग्य संस्थान की निगरानी कर रहा है। एन.एच.आर.सी. इन अस्पतालों का दौरा करता रहा है एवं यह आगे भी जारी रह सकता है।

17. एन.एच.आर.सी. द्वारा नियमित रूप से निगरानी किए जा रहे तीन स्वास्थ्य संस्थानों में से, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख संस्थान, आगरा एवं रांची न्यूरो–मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान को ही प्रकर्ष केन्द्र का दर्जा मिला हुआ है जबकि ग्वालियर मानसिक आरोग्य केन्द्र को इससे बाहर निकाल दिया गया है। ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला को भी प्रकर्ष केन्द्र का दर्जा देने पर विचार किया जा सकता है।

18. मध्य प्रदेश में डी.एम.एच.पी. के कार्यान्वयन के लिए ग्वालियर मानसिक आरोग्य शाला को नोडल एजेंसी बनाने पर विचार किया जा सकता है।

19. इधर–उधर भटकते मानसिक बीमार मरीजों के लिए कोई क्रियाविधि होनी चाहिए तथा उसका सही तरीके से पालन होना चाहिए।

20. सामुदायिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख की सुविधा प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य सरकारों से इस ओर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में पूछ सकता है एवं इस ओर गैर सरकारी संगठन भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

21. विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा अनुवीक्षण एवं दौरों के दौरान किसी सीख एवं हुई समस्याओं को राज्यों के साथ साझा कर सकते हैं ताकि राज्य उपचारी कदम उठा सकें। इन रिपोर्टों को उपचारी कदम उठाने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा किया जा सकता है।

22. मानसिक अस्पतालों को चिकित्सा कॉलेजों के साथ एकीकृत किया जाए। सभी 29 मानसिक अस्पतालों को चिकित्सा कॉलेजों के साथ एकीकृत किया जा सकता है तब मानसिक अस्पताल को स्वीकृत संस्था एवं चिकित्सा कॉलेजों की संकाय क्षमता एक–दूसरे के पूरक होंगी। परिणामस्वरूप, जनशक्ति क्षमता में इजाफा होगा। इन कॉलेजों की आम स्वास्थ्य स्कंध को मनोरोग स्कंध के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

23. एक अर्द्ध–न्यायिक निकाय के रूप में, राज्य मानसिक स्वास्थ्य आयोग के गठन का प्रावधान होना चाहिए, जो मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख संबंधी समस्याओं का ख्याल रखेगा। मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 2014 का मसौदा जो संसद में लम्बित पड़ा है, उसमें राज्य मानसिक स्वास्थ्य आयोग के गठन हेतु प्रावधान निहित हैं।

24. कुछ राज्यों में, ज्यादातर मानसिक स्वास्थ्य संस्थाएं (बाहरी संरचना) 100 वर्ष से ज्यादा पुरानी है। इन संस्थाओं की मरम्मत एवं रख–रखाव करने की बजाय, इन संस्थाओं का पुनर्निमाण किया जाना चाहिए। इस बाह्य संरचना के निर्माण के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के पास एक अलग निधि प्रणाली होनी चाहिए।

25. भेदभाव, लांछन एवं अवहेलना, जो कि मानसिक बीमार लोगों के साथ सामान्यतः जुड़े होते हैं, को ध्यान में रखते हुए, इन समस्याओं के निदान हेतु आई.ई.सी. सेवा का उपयोग किया जाना चाहिए, जो कि आज भी प्रचलित है। आई.ई.सी. उपकरण को मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए कोई भ्रामक एवं गलत अनुमान लगाने के बारे में जनमानस को जागरूक करने के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहिए।

26. डी.एम.एच.पी. चलाने वाले राज्य की नोडल एजेंसी को केन्द्र सरकार द्वारा डी.एम. एच.पी. के तहत निधि जारी की जाती है। कभी–कभी, संबंधित एककों को निधि का हस्तांतरण नहीं किया जाता। तदनुसार, डी.एम.एच.पी. के तहत लघु मानसिक एककों को निधि का हस्तांतरण सीधे किया जाना चाहिए। नोडल एजेंसी को केवल इन निधियों की उपयोगिता का अनुवीक्षण करना चाहिए।

27. डी.एम.एच.पी. उप–जिला स्तर पर भी विद्यमान है लेकिन उप–जिला स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है जो कि एन.एम.एच.पी. का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। अतः एन.आर.एच.एम. के तहत कार्यरत जिला स्वास्थ्य संस्थाओं को उप–जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु मुख्य रूप से प्राधिकृत कर इस ओर भी निधि का आवंटन किया जाना चाहिए।

28. बेहतर कार्य कर रहे राज्यों की कार्यकुशलता को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इन कार्यकुशलताओं को दूसरे राजयों को अंगीकृत करने हेतु संस्तुति की जानी चाहिए ताकि इसका व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार हो सके।

29. मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख संस्थाओं की बाह्य संरचना के निर्माण हेतु विभिन्न एजेंसियों जैसे पर्यावरण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय इत्यादि की अनुमति की प्रक्रिया कम जटिल होनी चाहिए।

30. इस विषय पर विद्यमान दिशा–निर्देश मौजूद रहने के बावजूद भी कैदियों का मानसिक स्वास्थ्य हमेशा से ही चिंता का विषय रहा है। इससे संबंधित दिशा–निर्देशों को सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में परिचालित की जानी चाहिए।

31. पुनर्वास के बिना मानसिक रोग का इलाज पूर्ण नहीं है। इस विषय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कार्य कर रही है। दुर्भाग्यवश, मंत्रालय मानसिक रोग के पुनर्वास को दृश्य या बहरापन अशक्तता के साथ इस मत के साथ जोड़ रही है कि अन्य अशक्तता की तरह मानसिक पुनर्वास भी प्रबंधित किया जा सकता है। हालांकि, मानसिक रोग पुनर्वास एक लम्बी प्रक्रिया है एवं इसे मनोरोग पेशेवरों द्वारा ही संभाला जा सकता है। मानसिक रोगियों के पुनर्वास हेतु स्वतंत्र एवं मनारोग विशेषज्ञ द्वारा संभालने तथा मानसिक रोग संस्थाओं से जुड़ने तथा अन्य अशक्तता के साथ न मिलाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

32. जेल में बंद मानसिक रूप से बीमार गैर आपराधिक मरीजों की स्थिति एवं आंकड़ों के संबंध में एन.एच.आर.सी. सभी राज्यों को पत्र लिखेगा। यह देखा गया है कि इस तरह के काफी संख्या में खासकर उत्तर–पूर्व राज्यों में मरीज एक लम्बे समय से जेल में बंद पड़े हैं।

33. निमहंस द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की न्यूनतम मानकों के संबंध में एक दस्तावेज तैयार किया गया है। पूरे देश भर में इसके उचित कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के पास इसे परिचालित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी मानसिक देखरेख संस्थान इन मानकों का पालन करें।

ख. मानसिक स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों के कार्यों में सुधार के लिए एन.एच.आर.सी. की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश

12.6 वर्ष 1997 में डॉ. उपेन्द्र बक्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के डब्लू.पी. (आपराधिक) संख्या 1900/81 में, सर्वोच्च न्यायालय ने आगरा, रांची एवं ग्वालियर में अवस्थित तीन मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल के कार्यों का अनुवीक्षण करने हेतु एन.एच.आर.सी. को जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तभी से न केवल आगरा, रांची एवं ग्वालियर में बल्कि पूरे देशभर में सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के अनुवीक्षण में लगा है। इसकी वजह से, इन संस्थानों में इलाज करवा रहे मानसिक व्याधि संपीड़ित मरीजों की देखरेख एवं इलाज में काफी सुधार आया है। फिर भी, इसमें अभी भी कई खामियां हैं एवं इन संस्थाओं में सुधार के व्यापक अवसर हैं।

12.7 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने 27 फरवरी, 2013 को केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लिए उपयुक्त निर्देशों की मांग के उद्देश्य से 13 सकारात्मक मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय से दोबारा हस्तक्षेप (याचिका संख्या सी.आर.एल.एम.पी. संख्या 8032/2013, डब्ल्यू.पी. (सी.आर.एल.) संख्या 1900, 1981, डॉ. उपेन्द्र बक्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग) की मांग की ताकि देश में विद्यमान मानसिक स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं की विद्यमान स्थिति को सुधारा जा सके। ये 13 मुद्दे अनुलग्नक–11 में विस्तार से दिए गए हैं।

12.8 एन.एच.आर.सी. द्वारा फाइल की गई याचिका के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं सभी राज्य सरकारों को अपने स्वास्थ्य सचिव के द्वारा राष्ट्रीय एवं जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों पर प्राप्त राशि एवं उसकी उपयोगिता सहित स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है। केन्द्र सरकार ने सभी 13 मुद्दों के साथ मानसिक स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र में कार्यान्वित योजनाओं अर्थात्

जिला मानसिक स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम (एन.एम.एच.पी.) के तहत प्रकर्ष केन्द्रों की स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूती सहित जनशक्ति विकास अवयवों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सरकार ने राज्यों को वितरित राशि एवं इस संबंध में इनके द्वारा व्यय की गई राशि के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। केन्द्र सरकार ने यह भी खुलासा किया कि राज्यों ने वितरित सभी राशि को खर्च नहीं किया है एवं न ही उनके द्वारा उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं नियमित अंतराल पर केन्द्र के पास प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। केन्द्र सरकार ने यह अर्जी दी कि एन.एच.आर.सी. द्वारा जाहिर की गई चिंता पर स्थिति रिपोर्ट के साथ–साथ राष्ट्रीय एवं जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को उचित निर्देश दिए जाए।

12.9 इसके उत्तर में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उनके लिए निर्धारित धनराशि, उपयोग की गई राशि तथा दी गई राशि का प्रयोग न करने या आंशिक उपयोग करने के कारणों के साथ पूर्ण विवरण देते हुए जवाबी हलफनामा फाइल करने को कहा। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अस्पतालों में मानसिक बीमार लोगों की वर्तमान स्थिति, उनकी स्थिति में सुधार लाने हेतु उठाए गए कदम के साथ–साथ डी.एम.एच.पी. के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया। तदनुसार, राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तर तथा साझा की गई सूचना को सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया।

12.10 सर्वोच्च न्यायालय के पास राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों के सत्यापन हेतु आयोग ने अपने विशेष संपर्ककर्त्ताओं को राज्य द्वारा चलित मानसिक स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों सहित उनके संबंधित विभागों का दौरा कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निवेदन किया। आयोग ने यह महसूस किया कि यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के उचित अनुपालन में काफी मददगार साबित होगा। अतः आयोग विस्तृत प्रश्नावली का एक सेट तैयार कर अपने अधिवक्ता के सहारे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

इसके पश्चात् कथित प्रश्नावली का पुनरीक्षण कर सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के संबंधित विभागों के पास भेज दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों से इन प्रश्नावलियों के उत्तर को हलफनामें के रूप में तैयार करने का निर्देश दिया तथा राज्य अधिवक्ताओं से इस प्रक्रिया को सहूलियत देने के लिए कहा गया। प्रश्नावली के इसी सेट का प्रयोग विशेष संपर्ककर्त्ताओं द्वारा किया गया।

12.11 मार्च, 2015 में, आयोग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान संस्थान, बैंगलूरू; मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं अस्पताल, आगरा; मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली; तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से एक प्रतिनिधि के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर एक चार सदस्यीय तकनीकी समिति गठित की। इस तकनीकी समिति को गठित करने का मूल उद्देश्य एन.एच.आर.सी. की प्रश्नावली के उत्तर में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर देश में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख पर आधारभूत संरचना की जानकारी हासिल करनी चाहिए ताकि मौजूदा कमियों एवं अपर्याप्तता को दूर करने में सर्वोच्च न्यायालय की मदद की जा सके।

12.12 दिनांक 9 अप्रैल, 2015 को, सर्वोच्च न्यायालय ने भी आयोग द्वारा गठित तकनीकी समिति को राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा दिए गए सभी आंकड़ों का सत्यापन कर रिपोर्ट अग्रषित करने का निर्देश दिया। इसके पश्चात्, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित राज्य/स्वास्थ्य सेवा नेदेशक के साथ–साथ राज्य मानव अधिकार आयोग एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सहित प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से दो कुशल डॉक्टरों सहित संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगा जो संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में अवस्थित विभिन्न संस्थानों के विभिन्न मामलों का प्रत्यक्ष सत्यापन करेगी। कथित समिति विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीर्ष न्यायालय के समक्ष तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह दोहराया कि, इस समिति में जो भी हिस्सा हैं उन्हें यह आदेश संप्रेषित की जाएगी। इसके

अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी निदेश दिया कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जिन्होंने अभी तक संबंधित हलफनामा फाइल नहीं की है, वह चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करे, ऐसा न करने पर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव/प्रशासक को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर हलफनामा फाइल न करने का कारण बताना पड़ेगा।

12.13 चार सदस्यीय तकनीकी समिति ने आयोग में दिनांक 16, 17 अप्रैल; 1, 2, 25, 26 मई; 21, 30 जुलाई; एवं 2, 3 सितम्बर, 2015 को बैठक रख राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट के साथ–साथ आयोग के विशेष संपर्ककर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का अध्ययन किया। इन बैठकों को रखने के पश्चात्, तकनीकी समिति ने फरवरी, 2016 में मानसिक स्वास्थ्य पर अंतिम रिपोर्ट को दो भागों में प्रकाशित किया। इसके प्रथम भाग में परिवर्तन तथा बदलते रुझान सहित राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी समेकित रिपोर्ट दी गई है। इसके पश्चात् इसमें तकनीकी समिति के अवलोकन एवं सिफारिशों का सार तथा वर्ष 2016 से 2025 तक विभिन्न स्तरों में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों हेतु मानसिक स्वास्थ्य देखरेख की कार्य–योजना दी गई है। दूसरा खण्ड मुख्यतः सर्वोच्च न्यायालय में राज्य द्वारा प्रस्तुत हलफनामें की जानकारी देता है। इसमें, आयोग के विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा आवश्यकतानुसार अवलोकन एवं टिप्पणी शामिल हैं। तकनीकी समिति रिपोर्ट की दोनों खण्डों को सवोच्च न्यायालय के सम्मुख रखा गया है। न्यायालय ने तकनीकी समिति के कार्यों की सराहना करते हुए यह दर्शाया कि न्यायालय इस समिति द्वारा दिए सुझावों/सिफारिशों को पढ़ने के बाद केन्द्र सरकार को छः सप्ताह के भीतर प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया एवं राज्य सरकारों को भी यह निर्देश दिया कि वे इन रिपोर्टों पर अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि समिति का कार्य विफल न हो। मानसिक स्वास्थ्य पर तकनीकी समिति की रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर http://nhrc.nic.in/Documents/Mental_Health_report_vol_I_10_06_2016.pdf एवं http://nhrc.nic.in/Documents/Mental_Health_report_vol_II_10_06_2016.pdf उपलब्ध है।

12.14 एन.एच.आर.सी. तकनीकी समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर भारत सरकार द्वारा गठित जांच समिति ने सितम्बर, 2015 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पास अपनी रिपोर्ट पर कुछ महत्त्वपूर्ण अवलोकन प्रस्तुत किए गए हैं। इन अवलोकनों में, मनोरोग सामाजिक कार्य, वैधानिक मनोविज्ञान एवं मनोरोग नर्सिंग में योग्य एवं प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी भी था। मानसिक बीमर मरीजों के पुनर्वास में भी कमी पाई गई। वास्तव में, इन संस्थाओं में लम्बे समय से महत्त्वपूर्ण अनुपात में इलाज करा रहे मरीज पाए गए जिन्हें वहां भर्ती कर इलाज कराने की आवश्यकता ही नहीं थी। इस तरह के मरीज को मानसिक बीमारी के इलाज की आवश्यकता नहीं थी या फिर उन्हें बाह्य रूप से इलाज कराना था। फिर भी उनमें से कई के पास या तो कोई रिश्तेदार नहीं था या फिर उन्हें वापस परिवार में शामिल नहीं करना चाहते थे। अतः वे इन मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीज के रूप में रह गए थे।

12.15 उन सब मामलों को भी नोटिस किया गया जिसमें इधर–उधर भटक रहे लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पागलखाने में उन्हें डालने हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रवेश के आदेश लेकर उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में डाल दिया गया। उनमें से कई मरीज, जिनका चिकित्सा आधार पर मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में रखना जरूरी नहीं था, वे अपने घर वापस जाना चाहते थे। हालांकि, संस्थानों के पास इस कार्य को पूरा करने का साधन नहीं था। हालांकि, ज्यादातर संस्थानों में बदलती डिग्रियों में मनोरंजन व व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध थी, यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी। ज्यादातर संस्थानों के पास अलग से जराचिकित्सा, बालचिकित्सा एवं डी–एडिक्शन वार्ड नहीं थे। ये केवल कुछ ही संस्थानों में उपलब्ध पाए गए। इसके अलावा, जहां पर नियमित रूप से बेहोशी की दवा उपलब्ध नहीं पाई गई। विद्युत चिकित्सा सत्र काफी कम या फिर बिल्कुल नहीं के बराबर पाई गई। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों द्वारा दौरों

की संख्या में काफी अन्तर पाया गया। कुछ संस्थानों में तो उन्होंने दौरा किया ही नहीं। रिपोर्टानुसार, मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं की स्वायत्त शासन संरचना शायद मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख की प्रणाली के लिए उपयोगी साबित होंगी जैसा कि यह तेजी से निर्णय लेने एवं ज्यादा प्रचालन लचीलापन में मददगार साबित होगा।

12.16 इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई इनमें से निम्न मुख्य थीं:

i) ज्यादातर संस्थाओं में मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख के लिए मानव संसाधनों खासकर मनोरोग सामाजिक कर्मचारी, मनोरोग नर्स, क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक एवं यहां तक मनोवैाानिकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। केवल नए पदों का सृजन की नहीं बल्कि मौजूद पदों को भी भरने की आवश्यकता है।

ii) ज्यादा मनोरोग सामाजिक कर्मियों, मनोरोग नर्सों, क्लीनिकल मनोवैज्ञानिकों एवं मनोवैज्ञानिक बनाने हेतु मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं को पाठ्यक्रम का निर्माण कर अकादमिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।

iii) इस तरह के उपचार के आवश्यक मरीजों के लिए ई.सी.टी. सहित चिकित्सा का रख–रखाव के प्रबंध को सुकर बनाने के लिए प्रत्येक संस्था के पास एक या ज्यबऐनिस्थेटिक होनी चाहिए।

iv) लम्बे अन्तराल तक मरीजो के पुनर्वास, जिनको आवास के अन्दर उपचार की आवश्यकता नहीं, के बारे में सोचना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं को वृद्धाश्रम या निराश्रित लोगों का आश्रयशाला नहीं बनाना चाहिए। उन्हें विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख की सुविधा प्रदान करने पर फोकस करना चाहिए।

v) मानसिक रोगों से निजात पाए मरीजों या जिन्हें संस्थान में रख कर इलाज की आवश्यकता नहीं, जिनका कोई निकट संबंधी या आवास नहीं उनके पुनर्वास हेतु

राज्य सरकार के समाज कल्याण या अन्य संबद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही करनी चाहिए।

vi) प्रत्येक संस्थान के पास अलग से बाल–चिकित्सा, वृद्ध एवं व्यसन वार्ड होने चाहिए। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उपचार हेतु विचाराधीन कैदियों एवं सिद्धदोषियों के वार्डों को अलग रखा जाए।

vii) हाफ–वे–होम्स की परिकल्पना को बढ़ावा दिया जाए।

viii) सभी संस्थानों में स्वच्छता एवं साफ–सफाई को सुनिश्चित किया जाए। जीर्ण–शीर्ण भवनों की मरम्मत की जानी चाहिए। आधुनिक किचन एवं धुलाई की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

ix) मनोरंजक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को विकसित कर बढ़ावा दिया जाए।

x) मरीजों के सभी मेडिकल रिकॉर्डों का रख–रखाव कर कम्प्यूटर में भी दर्ज किया जाए।

xi) जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के आउटरीच कार्यक्रम के मध्य संपर्क स्थापित कर इसे और मजबूती एवं पालन–पोषण किया जाए।

xii) प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में एक कल्याण समिति होनी चाहिए। यह लोक प्रतिनिधियों एवं सिविल सोसायटी संगठनों की भागीदारी में मदद करेगा, अतः इससे शिकायत निवारण का एक मंच प्रदान करेगा।

12.17 देश में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की समग्र कार्यवाही में सुधार हेतु सर्वोच्च न्यायालय के लम्बित निर्देशों के अनुसार, एन.एच.आर.सी. एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत

सरकार को राज्य सरकारों के साथ हाथ मिलाकर भविष्य की कार्य योजना तैयार करना अच्छा ही होगा।

ग. कुष्ठ रोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला

12.18 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2015 का विज्ञान भवन उपग्रह में कुष्ठरोग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के मुख्य उद्देश्यः i) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2012 को आयोजित कुष्ठरोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला के सुझावों/सिफारिशों का अनुसरण करना; एवं ii) कुष्ठरोग से संबंधित चिंता के मुद्दों को अभिभाषित करना।

12.19 इस कार्यशाला का उद्घाटन न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किया गया था। न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन के उद्घाटन भाषण से पूर्व, श्री भानुप्रताप शर्मा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में कुष्ठ रोग की समस्या से संबंधित सरकार द्वारा किए जाने वाले पहलों पर संक्षिप्त वक्तव्य रखा।

12.20 इस सम्मेलन में तीन मुख्य सत्रों में तीन मुख्य विषयों पर विचार–विमर्श किया गया। ये तीन मुख्य सत्र निम्न थेः

सत्र–I. कुष्ठरोग से पीड़ित लोगों के अधिकारः कुष्ठरोग पर एन.एच.आर.सी. के पूर्व सुझावों/सिफारिशो का अनुसरण

सत्र–II. कुष्ठरोगः विद्यमान स्थिति, भविष्य का दृष्टिकोण एवं चुनौतियां

सत्र–III. कुष्ठरोग से पीड़ित लोगों के अधिकारः फील्ड अनुभव पर चिंता के मद्दे।

12.21 तीन मुख्य सत्रों में आयोजित विचार–विमर्श के आधार पर, इस राष्ट्रीय कार्यशाला मे निम्न सिफारिशें की गईं;

1. सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित कार्यान्वयन हेतु एन.एच.आर.सी. द्वारा पूर्व में दिनांक 18 सितम्बर, 2012 को आयोजित कुष्ठरोग के मुद्दे पर राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशों के जोरदार प्रसार की आवश्यकता है।

2. राज्यसभा की याचिका पर समिति द्वारा अपनी 131वीं रिपोर्ट में की गई विस्तृत सिफारिशों का कार्यान्वयन करना चाहिए। याचिका समिति की 138वीं रिपोर्ट में कवर की गई सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि अब तक ज्यादातर सिफारिशों का पूर्णरूपेण अनुपालन नहीं किया गया है। अतः विशेषकर सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव के शिकार कुष्ठरोग से प्रभावित लोग एवं उनके परिवार के लिए एक उचित निर्णय हेतु इन सिफारिशों को स्वीकार करने की आवश्यकता है।

3. एक अलग से मानदण्ड तैयार कर कुष्ठरोगियों के अशक्तता प्रमाण–पत्र के मुद्दे के समाधान की आवश्यकता है जब वे 40 प्रतिशत की न्यूनतम मानदण्ड को पूरा नहीं करते हैं। वर्ष 2001 में इस विषय पर जारी दिशा–निर्देशों का अशक्तता सशक्तिकरण विभाग को पुनरावलोकन करना चाहिए तथा अशक्तता प्रमाण–पत्र वितरण हेतु विशेष शिविर का आयोजन करना चाहिए।

4. कुष्ठरोगियों के लिए नौकरी के आरक्षण में एक उप–कोटा तैयार करना चाहिए। दिव्यांगजन के लिए लम्बित विधेयक में कुल 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जा सकता है।

5. कुष्ठरोगियों के बच्चों को सशक्त बनाने हेतु, उन्हें मुफ्त स्कूली तथा उच्च शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कुष्ठरोगियों के बच्चों को उचित शिक्षा हेतु अत्यंत मदद की आवश्यकता है। यदि इनकी दूसरी पीढ़ी का उत्थान शिक्षा एवं रोजगार के

माध्यम से हो जाता है, तब इनके परिवार का गरीबीचक्र टूट जाएगा एवं इनके जीवन–स्तर में सुधार आएगा।

6. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की दिव्यांग लोगों के लिए शैक्षणिक सहायता संबंधी योजना है। कुष्ठरोगियों के बच्चों के प्रति होने वाले भेदभाव एवं लगने वाले लांछन को देखते हुए इन योजनाओं का फायदा उन्हें भी पहुंचाया जाना चाहिए।

7. केन्द्र एवं राज्य सरकारों को अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत कुष्ठरोग से प्रभावित लोगों एवं उनके परिवारों के पुनर्वास एवं सशक्तिकरण हेतु कुष्ठरोग कॉलोनियों को गोद लेने में मदद करनी चाहिए।

8. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मुख्यतः कुष्ठरोग से मुक्त लोगों के लिए सहयोगी उपकरणों के वितरण हेतु नई दिल्ली में शिविर आयोजित करने का प्रस्ताव पेश किया हे। देशभर में कुष्ठरोग से मुक्त लोगों के लिए इस तरह के शिविर आयोजित किए जाने चाहिए।

9. विभिन्न राज्य सरकार कुष्ठरोगों से पीड़ित लोगों के लिए पेंशन दे रही हैं जो कि काफी कम है। ऐसे भी कुछ राज्य हैं जो उन्हें पेंशन दे ही नहीं रहे हैं। राज्यों को चाहिए कि वे कुष्ठरोगियों को उनकी दैनिक आजीविका की पूर्ति हेतु एक सम्मानजनक राशि का भुगतान करे।

10. कुष्ठरोगियों एव उनके बच्चों के पुनर्वास एवं सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई मुख्य बातों के व्यापक दस्तावेज तैयार किए जाएं। एन.एच.आर.सी. इन प्रयासों में मदद करेगा।

11. कुष्ठरोगियों को चुनाव लड़ने के लिए राज्य अधिनियमों में भेदभाव मूलक प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता है जैसा कि ओड़िशा में किया गया।

12. कुष्ठरोग के मामलों को संभालने के लिए नए डॉक्टरों में क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है।

13. समाज की मुख्य धारा में एकीकृत कुष्ठरोग के नए मामले; कॉलोनियों में कुष्ठ से प्रभावित रोगियों की विद्यमान संख्या एवं कुष्ठ से निजात पाने वाले रोगियों की संख्या के संबंध में अन्य के साथ–साथ एक देशव्यापी सर्वेक्षण की आवश्यकता है।

14. 'कुष्ठरोगियों के खिलाफ भेदभाव निवारण' पर अभी हाल ही में 256वीं विधि आयोग की रिपोर्ट जो कुष्ठरोगियों के साथ भेद–भाव मूलक कानून के रवैये पर व्यापक रूप से संबंधित को संशोधित या निरस्त करने की आवश्यकता है। विधि आयोग द्वारा निर्मित "कुष्ठरोग से प्रभावित लोगों के खिलाफ भेद–भाव निवारण विधेयक, 2015" के मॉडल डाफ्ट कानून की जांच कर यथाशीघ्र कानून में अधिनियमित करने की आवश्यकता है।

15. इसके अलावा, कुष्ठरोगियों एवं उनके परिवारों की समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न विभागों के मध्य और अधिक तालमेल की आवश्यकता है।

16. कुष्ठरोगियों एवं उनके परिवारवालों के सशक्तिकरण के लिए केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि स्वरोजगार के साथ–साथ स्वयं सहायता समूहों के द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं विभिन्न कौशल विकास की आवश्यकता है।

17. ज्यादातर कुष्ठ कॉलोनी सरकारी जमीन पर ही बनीं हैं। कुष्ठरोगियों को भू–स्वामित्व/पट्टा देकर सरकारी योजनाओं के तहत मकान निर्माण में मदद करने की आवश्यकता है।

18. कुष्ठरोगियों एवं उनके परिवार जनों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उनके सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। प्रभावित लोगों के समर्थन में सरकार को विशेष कार्यक्रम विकसित करने चाहिए।

19. कुष्ठ सेवाओं में कुष्ठरोगियों की सहभागिता के लिए डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा कुष्ठरोगियों एवं पेशेवरों की मदद से दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। इसका केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

20. लांछन एवं भेदभाव को कम करने के लिए एक बहुआयामी रणनीतिक योजना बनाकर इसे राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता है।

21. कुष्ठरोगियों एवं उनके बच्चों की समस्याओं से निपटने हेतु हमारे दृष्टिकोण में कल्याण उन्मुखता से हकदारी एवं सशक्तिकरण उन्मुखता के रूप में बदलाव करने की आवश्यकता है एवं इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें हाशिए पर रखने की बजाय समाज की मुख्यधारा में पूर्ण रूप से पुनः एकीकृत करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, समाज के लोगों की मानसिकता में समग्र रूप से व्यावहारिक बदलाव की आवश्यकता है।

12.22 इन संस्तुतियों को सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के पास कार्यान्वयन हेतु अग्रषित कर उनसे की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की मांग की गई। आयोग ने अण्डमान एवं निकोबार, असम, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, नागालैण्ड, ओडिशा, सिक्किम, तेलांगाना, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। जिन राज्यों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी है उन्हें तुरन्त ही रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निवेदन किया है।

घ. मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख पर राज्य स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक

12.23 एन.एच.आर.सी. द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2015 को इण्डिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में राज्य स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया। इस

बैठक के मुख्य उद्देश्य थेः i) राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन (एन.एम.एच.पी.) मुख्यतः जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डी. एम.एच.पी.) की आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति विकास के तरीकों पर चर्चा करना; ii) एन.एम.एच.पी. के विभिन्न अवयवों के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित निधि की उपयोगिता के बेहतर उपयोग के तरीकों पर चर्चा; iii) राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों में पुनर्वास सहित मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख पर आधे कार्य को साझा करना; एवं iv) समाज में कुष्ठ से निज़ात पाए मरीजों के उचित पुनर्वास के तरीकों पर चर्चा।

12.24 इस बैठक का उद्‌घाटन न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. द्वारा किया गया तथा इसमें एन.एच.आर.सी. के सदस्यगण, विशेष संपर्ककर्त्ता एवं वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों से स्वास्थ्य सचिव या उनके प्रतिनिधि अधिकारी शामिल हुए।

12.25 इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, इस बैठक के तीन तकनीकी सत्रों में निम्न मुख्य मुद्‌दों पर चर्चा की गईः

- जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमः इसके प्रभावी कामकाज तथा राज्यों को हो रही समस्याएं (सत्र–I)
- मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख के लिए आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधनों का विकास करना (सत्र–II)
- सामुदायिक देख–रेख एवं मानसिक रूप से बीमार लोगों का पुनर्वास (सत्र–III)

12.26 इस बैठक के दौरान की गई सिफारिशें अनुलग्नक 12 में हैं। इन सिफारिशों को अनुपालन हेतु सभी स्वास्थ्य सचिवों के पास अग्रेषित कर दिया गया है। आयोग सभी राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों से उनके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट यथाशीघ्र आयोग को अग्रेषित करने का निवेदन करता है।

च. एन.एच.आर.सी. द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों से संबंधित उदाहरणार्थ मामले

1. अस्पताल परिचालक एवं प्रभारी द्वारा ग्वालियर मानसिक अस्पताल में एक मानसिक रूप से बीमार लड़की को नज़रबंद करना (मामला संख्या 2450/12/18/2014)

12.27 आयोग ने मो. असलम कुरेशी, निवासी बहोरापुर, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र. से दिनांक 30 जुलाई, 2014 को एक शिकायत प्राप्त की जिसमें उन्होंने एक मनोरंजन कक्ष में रेणुका दीक्षित एक परिचालक (वर्ग–IV कर्मी) एवं ग्वालियर मानसिक अस्पताल के प्रभारी द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2014 को एक मानसिक रूप से बीमार लड़की कुमारी रिज़वाना के जबरन अवैध नज़रबंदी का आरोप लगाया जहां न तो पानी था और न ही भोजन। उन्हें रोते हुए पाकर, डॉ. मनु दीक्षित, महिला चिकित्सा अधिकारी के निर्देशों पर उसे दिनांक 6 जुलाई, 2014 को दोपहर 1:30 बजे उस कमरे से बाहर निकाला गया। यह आरोप लगाया गया कि रेणुका दीक्षित एवं संगीता शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्त्ता के अनुसार, यह पीड़िता कु. रिज़वाना के मानव अधिकारों का एक गंभीर मामला था तथा इसमें आयोग के हस्तक्षेप की मांग की गई।

12.28 आयोग ने इस मामले पर दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को संज्ञान लेकर दिनांक 8 जून, 2015 को उप सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल से रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्टानुसार, तीन डॉक्टरों की दल द्वारा एक जांच की गई जिन्होंने गवाहों के बयानों को दर्ज करने के बाद यह पाया कि एक वर्ग–IV कर्मी, संगीता सक्सेना की लापरवाही की वजह से कुमारी रिज़वाना को 5 जुलाई, 2014 को दोपहर 2 बजे से 6 जुलाई, 2014 दोपहर 1:30 बजे तक मनोरंजन कक्ष में बंद रहना पड़ा। उप सचिव, चिकित्सीय शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने इसके पश्चात् यह सूचना प्रस्तुत की कि संगीता सक्सेना, महिला परिचालक को लापरवाही का दोषी पाते हुए उनकी एक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। प्रभारी के खिलाफ जांच लम्बित है।

12.29 तत्पश्चात्, आयोग ने दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 को इस मामले पर विचार किया जहां इसने यह महसूस किया कि इस रिपोर्ट से यह साफ था कि मानसिक अस्पताल, ग्वालियर की संगीता सक्सेना की लापरवाही के कारण कुमारी रिज़वाना को लगभग 24 घण्टों तक अवैध रूप से नज़रबंद रहना पड़ा। तदनुसार, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (क) के तहत मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन को नोटिस जारी कर छः सप्ताह के भीतर कारण बताने के लिए कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार से कुमारी रिज़वाना के लिए आर्थिक सहायता की संस्तुति क्यों न की जाए। उप सचिव, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन से मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ लम्बित पड़े मामलों की विभागीय जांच के प्रभावों को प्रस्तुत करने को कहा है। कारण बताओ नोटिस एवं विभागीय कार्यवाही के प्रभावों के उत्तर की प्रतीक्षा है।

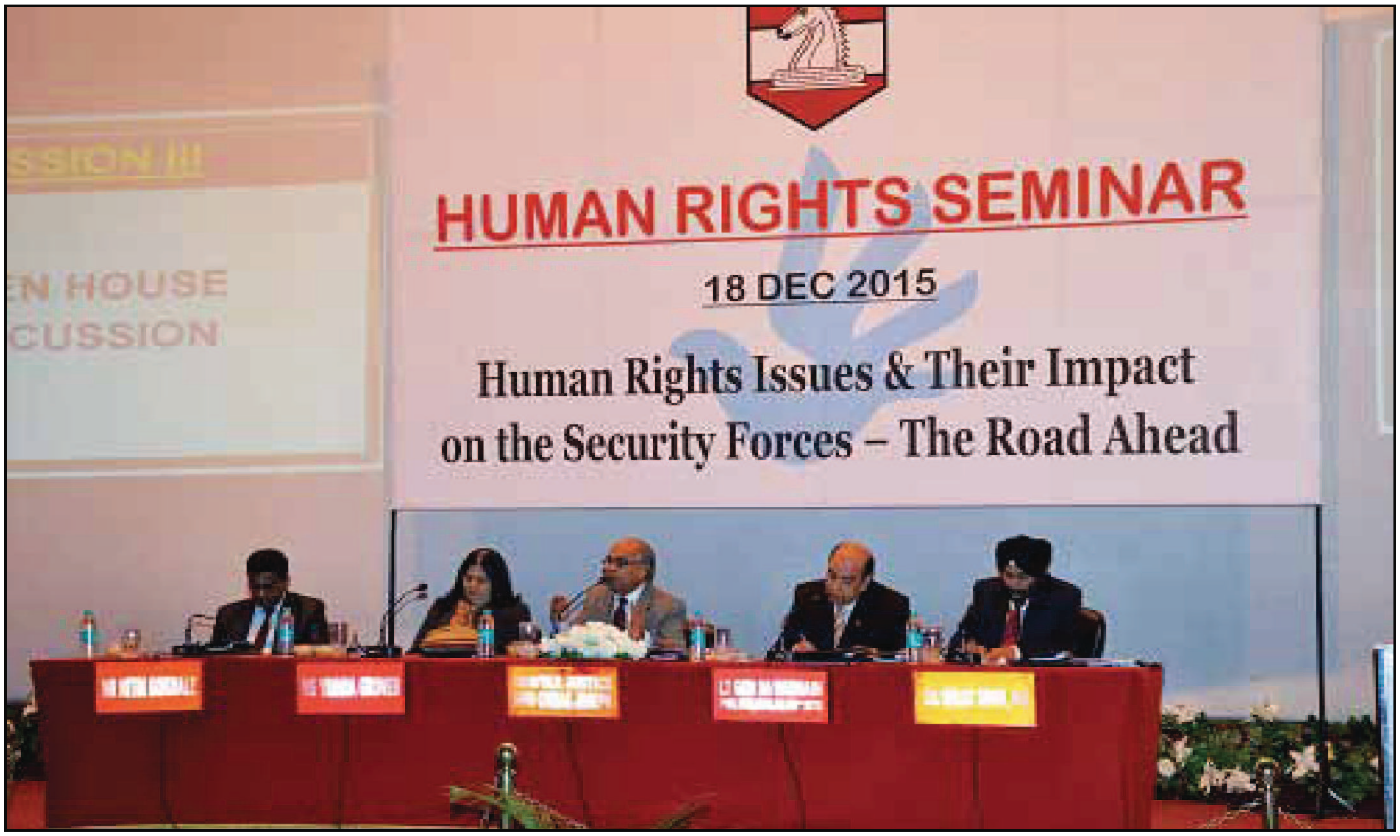
HUMAN RIGHTS SEMINAR
18 DEC 2015
Human Rights Issues & Their Impact
on the Security Forces – The Road Ahead

COL RANJIT SINGH, PhD

अध्याय - 13

मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जागरूकता

13.1 मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास अधिदेश है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (एच), आयोग को यह दायित्व सौंपता है कि "समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों की शिक्षा का प्रसार करे तथा प्रकाशन, संगोष्ठी तथा अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के सरंक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों की जागरूकता का संवर्द्धन करे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग विद्यार्थी, एन.जी.ओ. एवं आम जनमानस के अलावा सरकारी तंत्रों खासकर पुलिस में मानव अधिकार जागरूकता फैलाने के लिए काफी सक्रिय रहा है।

13.2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रशिक्षण विभाग प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्था, पुलिस प्रशिक्षण संस्था, राज्य मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के साथ–साथ विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से मानव अधिकार मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मानव अधिकार साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है। इन सबके अलावा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा देश के विभिन्न राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अपने भवन में वर्ष में दो बार अर्थात् ग्रीष्म एवं शीतकालीन एक माह चलने वाले कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पूरे वर्ष भर मई–जून एवं दिसम्बर–जनवरी के अलावा मानव अधिकारों के क्षेत्र में रूची रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अल्पावधि अंतःशिक्षुता कार्यक्रम का आयोजन करता है।

क. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

13.3 वित्तीय वर्ष 2015 से 2016 के दौरान, आयोग मानव अधिकारों एवं इससे संबंधित मुद्दों पर 70 संस्थाओं के साथ 90 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुमोदन प्रदान किया, जिनमें से 69 संस्थाओं द्वारा 71 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2014 से 2015 के दौरान आयोजित किए जाने वाले 9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन किया जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या 80 हो गई। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक 13 में है।

ख. ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रम

13.4 एन.एच.आर.सी. के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 28 महिलाएं एवं 20 पुरुषों वाले 48 अंतः शिक्षुओं के साथ एक माह चलने वाले ग्रीष्मकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रम– 2015 का आयोजन किया। अंतः शिक्षुओं में ज्यादातर समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर जबकि 13 विधि की डिग्री हासिल कर रहे थे।

13.5 शीतकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रम– 2015 में 13 विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 34 महिलाएं एवं 15 पुरुषों वाले 49 अंतः शिक्षुओं के साथ एक माह चलने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया। 49 अंतः शिक्षुओं में से आधे विधि की डिग्री हासिल कर रहे थे एवं आधे समाज विज्ञान के विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल कर रहे थे।

ग. अल्पकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दौरा

13.6 उपर्युक्त के अलावा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित 15 दिवसीय अल्पकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से 98 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।

13.7 इसके अतिरिक्त, 13 महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अध्ययनरत 401 विद्यार्थियों ने अपने संकाय सदस्यों के साथ आयोग का दौरा किया।

घ. मानव अधिकारों पर हिंदी में राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन

13.8 आम जनमानस में मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास के उद्देश्य से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का राजभाषा प्रभाग देश के विभिन्न हिस्सों में मानव अधिकार से संबंधित विषयों पर हिंदी में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करता रहा है। इसी क्रम में, इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथम राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 14 एवं 15 सितंबर, 2015 को डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर विधि कॉलेज, नागपुर में किया गया। इस संगोष्ठी का मुख्य विषय "भारतीय समाज, मीडिया एवं मानव अधिकारों की चुनौतियां: एक विमर्श" था। दूसरी संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, बेंगलुरु विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 11 एवं 12 फरवरी, 2016 को "वृद्धजनों के अधिकारों" पर आयोजन किया गया। तीसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन मिजोरम विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में "मानव अधिकारों की रक्षा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना" विषय पर दिनांक 17 एवं 18 मार्च, 2016 को आयोजित की गई। इन संगोष्ठियों का आयोजन न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी.; न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष एवं सदस्य, एन.एच.आर.सी.; न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेशन, सदस्य, एन.एच.आर.सी.; श्री एस. सी. सिन्हा, सदस्य, एन.एच.आर.सी.; श्री एस.एन मोहंती, महासचिव, एन.एच.आर.सी. एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। इसके अलावा, इन संगोष्ठियों में विख्यात वक्तागण, गणमान्य विशेषज्ञ, अकादमीशियन, गैर सरकारी संगठन एवं सिविल सोसाइटी एवं मीडिया से संबंधित विशेषज्ञों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

च. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हिंदी पखवाड़े का आयोजन

13.9 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के राजभाषा विभाग ने 14 से 28 सितंबर, 2015 तक अपने वार्षिक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया। इस दो साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान हिंदी भाषा को आयोग में बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। टंकण, अनुवाद, सुलेख, निबंध लेखन, कविता पाठ, टिप्पण एवं आलेखन जैसी कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

छ. न्यायिक अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

13.10 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 3 एवं 4 अक्टूबर, 2015 को जिला स्तर पर न्यायिक अधिकारियों के लिए एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, तत्कालीन अध्यक्ष, एन. एच. आर. सी. ने इस कार्यक्रम का उद्‌घाटन किया। न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेशन, सदस्य, एन. एच. आर. सी. ने समापन भाषण दिया।

ज. मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण पर जागरूकता कार्यक्रम

13.11 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिनांक 18 फरवरी, 2016 को राज्य स्तर पर मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम प्रायोजित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त रूप से मणिपुर विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग, मणिपुर सरकार द्वारा डी. एम. कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, इम्फाल में किया गया।

झ. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं भारतीय विधि संस्थान की मीडिया कार्यशाला

13.12 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 12 मार्च, 2016 को "मीडिया एवं मानव अधिकारः मुद्दे एवं चुनौतियाँ" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्‌घाटन श्री एस. सी. सिन्हा, सदस्य, एन. एच. आर. सी. द्वारा किया गया। मीडिया कार्यशाला के प्रतिभागियों में मीडिया प्रतिनिधि तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों में मीडिया के लिए कार्यरत अधिकारी गण एवं विधि विद्यार्थीगण शामिल थे।

ट. विभिन्न मानव अधिकार विषयों पर पुस्तिकाओं का सृजन

13.13 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप (मार्ग) के संयुक्त तत्वावधान में नवंबर, 2015 में कानून का ज्ञान, अधिकारों का सम्मान एवं उन अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कानूनी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ग्यारह मानव

अधिकार विषयों पर 27 पुस्तिकाओं के सृजन की परियोजना की शुरुआत की। ये 11 विषय निम्न है:

1. कानून और संविधान के नियम
2. आपराधिक न्याय प्रणाली
3. कानून में सुधार
4. बाल अधिकार
5. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकार
6. महिलाओं का अधिकार
7. संघर्ष क्षेत्र में अधिकार
8. मजदूरों के अधिकार
9. पर्यावरण अधिकार
10. अन्य कमजोर वर्गों के अधिकार
11. स्वास्थ्य का अधिकार

13.14 10 महीने की समय सीमा में यह परियोजना पूरी हो जाएगी।

ठ. बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता

13.15 अपनी स्थापना दिवस के एक अंग के रूप में, एन. एच. आर. सी. ने दिनांक 19 सितंबर, 2015 को नई दिल्ली में अपने कार्यालय प्रांगण में आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना एवं नई पीढ़ी को इस ओर उन्मुख करना भी था। इस प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 8 वर्ष, 8 से 13 वर्ष एवं 13 से 17 वर्षों की आयु समूह में तीन वर्गों में की गई थी। इनका विषय क्रमानुसार 'मेरा विद्यालय', 'सभी के लिए आवास' एवं 'वृद्ध जनों का देखरेख' था। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को स्थापना दिवस पर पुरस्कृत किया गया।

ङ. एन. एच. आर. सी. ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया

13.16 एन. एच. आर. सी. के स्थापना दिवस का आयोजन दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 को किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, कार्यकारी अध्यक्ष, एन. एच. आर. सी. ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया। इस अवसर पर अपना वक्तव्य रखते हुए, श्री सत्यार्थी ने कहा कि मानव अधिकार एवं विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एवं सभी जन मानस के अधिकारों को सुनिश्चित किए बिना विकास की बात नहीं की जा सकती। अध्यक्षीय भाषण देते हुए न्यायमूर्ति श्री जोसफ ने अपना विचार रखा कि यह स्थापना दिवस समारोह आयोग को स्व–चिंतन एवं मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति हो रही समस्याओं के समाधान का एक अवसर प्रदान करेगा।

13.17 इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सरकार द्वारा नई दिल्ली में चलित आशा किरण, मानसिक दिव्यांग बच्चों के आवास से 10 विशेष बच्चों का सम्मान किया जिन्होंने लॉस एंजेलिस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स, 2015 में पदक जीतकर भारत का नाम रोंशन किया था। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए आयोजित चित्रांकन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इसके अलावा, आयोग द्वारा "सुशासन, सामाजिक न्याय एवं मानव अधिकार" विषय पर हिंदी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोजित निबंध प्रतियोगिता के पुरस्कृत विजेताओं को सम्मानित किया गया।

ढ़. मानव अधिकार दिवस का पालन एवं एन.एच.आर.सी. प्रकाशनों का विमोचन

13.18 आयोग ने 10 दिसंबर, 2015 को डी.आर.डी.ओ. प्रेक्षागृह, नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन कर मानव अधिकार दिवस का पालन किया। इस अवसर के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री टी एस ठाकुर, माननीय मुख्य न्यायाधीश थे। श्री किरण रिजिजू, गृह राज्य मंत्री भारत सरकार सम्मानीय अतिथि थे। न्यायमूर्ति श्री ठाकुर ने फोटो एवं बाल चित्रांकन प्रदर्शनी के साथ–साथ दृष्टि विहीन बच्चों द्वारा बनाई गई चित्रांकन की प्रदर्शनी

का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने आयोग के निम्न छः प्रकाशनों का विमोचन किया:

- मानव अधिकारों पर एन.एच.आर.सी. अंग्रेजी जनरल (अंक–14, 2015)
- मानव अधिकार : नई दिशाएँ (अंक–12, 2015)
- त्रिभाषी मानव अधिकार शब्दावली (अँग्रेजी–मलयालम–हिंदी)– इस शब्दावली में मानव अधिकार विषयक अंग्रेजी शब्दों के मलयालम एवं हिंदी पर्याय निहित हैं।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की नई पहल–मानव अधिकारों के रूप में स्वास्थ्य सुविधाएं–(अंग्रेजी में)
- मानव अधिकार संबंधी मुद्दों पर भारत सरकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम–(अंग्रेजी में)
- एन.एच.आर.सी. द्वारा आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर नियंत्रण– राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए जांच के प्रारूप–(अंग्रेजी में)

13.19 न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ ने इस अवसर पर अध्यक्षीय भाषण दिया। इस समारोह का एक हिस्सा के तौर पर चयनित लघु चलचित्र भी दिखाई गई। प्रथम बार एन.एच.आर.सी. के मानव अधिकार दिवस कार्यक्रम की कवरेज को दूरदर्शन पर लाइव दिखलाया गया। इस समारोह में कई मुख्य प्रतिनिधिमंडल सहित एन.एच.आर.सी. के सदस्यगण, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशगण, संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल, राजनयिक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी संगठन एवं स्वास्थ्य सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिगण, विशेष दिव्यांग बच्चों का एक समूह, अर्धसैनिक बलों के कार्मिक एवं एन.एच.आर.सी. के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे।

13.20 मानव अधिकार दिवस की संध्या पर न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ ने देश को भी संबोधित किया।

त. अखिल भारतीय अंतर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद–विवाद प्रतियोगिता, 2015

13.21 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पुलिस कार्मिकों में मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा एवं प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों में संलिप्त हैं। अपने इसी उद्देश्य

को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को संवेदनशील करने के उद्देश्य से वर्ष 1996 से प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार विषयों पर आयोग के अन्वेषण विभाग द्वारा एक वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वर्ष, 2004 से पूरे देश भर में इस प्रतियोगिता में ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तत्कालीन अध्यक्ष महोदय की सलाह पर क्षेत्र आधारित वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता रहा है। इन क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं के सेमीफाइनल एवं फाइनल राउंड का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया जाता है। वर्ष, 2015 में सी.आर.पी.एफ. के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा नई दिल्ली में क्रमानुसार दिनांक 29 सितंबर, 2015 एवं 4 नवंबर, 2015 को किया गया।

13.22 वर्ष, 2015 के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को वाद–विवाद प्रतियोगिता के लिए विजयी घोषित किया गया।

थ. पुलिस बल के लिए अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में वाद विवाद प्रतियोगिता

13.23 मानव अधिकारों के सिद्धांत का पालन करना पुलिस का कर्तव्य है। मानव अधिकारों की अवहेलना के ज्यादातर मामले पुलिस बल की तरफ से ही सामने आते है जिन्हें मानव अधिकारों के प्रति जागरुक करने की आवश्यकता है। पुलिस में निचले एवं मध्यम तबके के कार्मिक मानव अधिकारों के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे आम जनता से संवाद करते हैं। वर्ष, 2004 से एन. एच. आर. सी. द्वारा पुलिस बल में मानव अधिकारों के प्रति जागरुकता के स्तर को बढ़ाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया जा रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आयोग पुलिस बल के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता संचालित करने के उद्देश्य से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ₹15,000/– की वित्तीय मदद करता है। वर्ष, 2015 से 2016 के दौरान, 20 राज्यों ने इस संबंध में अपनी रुचि दिखलाई एवं अपने संबंधित राज्यों में इस तरह की वाद–विवाद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अपना प्रस्ताव आयोग के पास प्रेषित किया।

मानव अधिकार समर्थक

14.1 आयोग का यह दृढ़ निर्णय है कि लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवद्ध ´न को सुनिश्चित करने के अपने प्रयास में मानव अधिकार समर्थक केवल आयोग के ही नहीं अपितु स्थानीय निकायों, राज्य स्तर या केन्द्र स्तर पर सरकार के भी साझेदार हैं। नागरिकों के लिए सुशासन प्रदान करने में सरकार की मुहिम को बाधा पहुंचाने वाले मुद्‌दों को उजागर कर, मानव अधिकार समर्थक वस्तुतः सरकार की मदद करते हैं जिन क्षेत्रों में उपचारी कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती है। मानव अधिकार समर्थकों द्वारा उजागर की गई किसी समस्या पर सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई के बदले, सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियों एवं आम जनता के मानव अधिकारों के संरक्षण की मुख्य जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। इस स्थिति में मानव अधिकार समर्थकों की साझेदारी के अलावा दूसरी दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है? दुर्भाग्यवश, कई बार, राज्य प्राधिकारी इस महत्त्वपूर्ण बात को भूलकर, मानव अधिकार समर्थक एवं उनके मानव अधिकारों के प्रति चिंता को, परेशान करने वाले के रूप में मान लेते हैं। आयोग विभिन्न पणधारियों को संवेदनशील कर इस मानसिकता को बदलने की कोशिश कर रहा है। आयोग इस बात को दोहराना चाहता है कि समाज के समग्र विकास एवं आपसी हित के लिए राज्य एवं मानव अधिकार समर्थकों के मध्य सहयोग की आवश्यकता है।

14.2 सभी व्यक्तियों के अधिकार एवं जिम्मेदारी पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, सर्वत्र मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों एवं मौलिक आज़ादी के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु समाज के समूह

एवं अंग (साधारणतया जिसे मानव अधिकार समर्थकों पर घोषणा) के नाम से जाना जाता है, मानव अधिकार समर्थकों पर मुख्य अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज हैं। इसे 14 वर्षों तक समझौता वार्ता करने के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा दिसम्बर, 1998 में अपनाया गया था।

14.3 घोषणा विश्वभर में मानव अधिकार समर्थकों की गतिविधियों के संरक्षण करने वाले अंतरराष्ट्रीय मानकों को कोडित करती है। यह मानव अधिकारों की गतिविधि की वैधता तथा इस गतिविधि की आवश्यकता तथा जो इसे करते है उनके संरक्षण को मान्यता देती है। घोषणा के अंतर्गत, मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु कार्यरत कोई भी हो सकता है। मानव अधिकार समर्थक इस व्यापक परिभाषा में व्यावसायिक के साथ–साथ गैर–व्यावसायिक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता, स्वयंसेवक, पत्रकार, वकील तथा कोई भी अन्य जो भी यह कार्य करता है, चाहे वह कभी–कभी हो, मानव अधिकार गतिविधि, को शामिल किया गया है।

14.4 यह उद्घोषणा विद्यमान अधिकारों को इस तरह व्यक्त करता है कि मानव अधिकार समर्थकों की स्थिति में इन्हें अनुप्रयुक्त करना आसान हो जाता है। यह स्पष्ट करता है कि कैसे अभिव्यक्ति की आजादी, संघ एवं सभा सहित अधिकारों में सम्मिलित मुख्य मानव अधिकार औजार समर्थकों के लिए अनुप्रयुक्त होता है। यह उद्घोषणा मानव अधिकार समर्थन के संबंध में व्यक्ति की जिम्मेवादी के साथ–साथ राज्यों के विशिष्ट कर्त्तव्यों की रूप–रेखा तैयार करता है। मानव अधिकार समर्थकों पर संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा के तहत संरक्षण के लिए मानव अधिकार समर्थकों के लिए भी एकरूपता एवं अहिंसा के दो सिद्धांतों को अपनाना भी बराबर ही महत्त्वपूर्ण है।

14.5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (1) के तहत, मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों के उत्साहवर्द्धन हेतु प्रतिबद्ध है। अतः अपनी स्थापना काल से ही, आयोग कई सरकारी व गैर सरकारी संगठनों एवं व्यक्तियों के साथ देश में मानव अधिकार स्थिति में सुधार के साथ–साथ मानव अधिकार समर्थकों को सहायता व रक्षा प्रदान करने

हेतु गंभीरता से कार्यरत है। इसने मानव अधिकार समर्थकों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा का अनुपालन करते हुए देश भर में मानव अधिकार समर्थकों के लिए सुरक्षा तंत्र के विकास के संवर्द्धन हेतु निरन्तर प्रयास किया है। अपनी रणनीती के एक हिस्से के तौर पर, मानव अधिकार समर्थकों एवं उनके द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु इसने गैर सरकारी एवं सिविल सोसायटी संगठनों, राज्य मानव अधिकारों एवं अन्य मुख्य संभार तंत्रों के साथ कार्यरत है।

14.6 मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में मानव अधिकार समर्थकों द्वारा किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण कार्यों तथा इस कार्य निष्पादन में उन्हें हो रही परेशानियों के बारे में विभिन्न पणधारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोग ने दिनांक 19 फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में 22 संस्तुतियां निकल पर सामने आईं जिनका आयोग ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सहित संबंधित पणधारियों के मध्य कार्यान्वयन हेतु वितरण करवाकर स्वयं इसकी जांच की।

क. एन.एच.आर.सी. में मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल प्वाइंट

14.7 आयोग द्वारा मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल प्वांइट की स्थापना मानव अधिकार समर्थकों के मुद्दे पर अपनी भूमिका के निर्वहन हेतु की। फोकल प्वांइट लोक सेवकों की तरफ से या उनके द्वारा मानव अधिकार समर्थकों के कथित उत्पीड़न की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करता है। वर्तमान फोकल प्वांइट श्री श्रीनिवास कामथ, उपरजिस्ट्रार (विधि) हैं। मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल प्वाइंट 24 घण्टे (i) मोबाइल संख्या 9810298900, (ii) फैक्स संख्या 24651334 एवं ई–मेल hrd-nhrc@nic.in के माध्यम से उपलब्ध है। फोकल प्वाईंट यह सुनिश्चित करता है कि कथित मानव अधिकार समर्थकों के मामले में आयोग के निर्देशों का तुरंत अनुपालन हो सके। कथित मानव अधिकार समर्थकों की शिकायतों की अद्यतन सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं इसे किसी भी समय देखा जा सकता है।

14.8 सतही स्तर पर मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन की स्थिति को समझने हेतु मानव अधिकारों के लिए फोकल–प्वाइंट ने पूरे देश भर की यात्रा कर गैर सरकारी संगठनों/ग्रामीणों/मानव संसाधन विभागों/राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ संवाद/विचार–विमर्श की। दौरों की रिपोर्ट तथा प्राप्त की गई शिकायतों को आयोग के समक्ष रखा गया तथा उन पर तत्काल कार्रवाई की गई।

ख. मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य

14.9 मानव अधिकार के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए आयोग ने हमेशा ही अपना समर्थन किया है एवं इस कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ हिंसा/उत्पीड़न के कार्य की निंदा की है। वस्तुतः मानव अधिकार समर्थकों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना आयोग द्वारा किया गया महत्त्वपूर्ण पहल था।

14.10 मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमः

- मानव अधिकार पीड़ितों को प्रताड़ित नहीं करने हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्यों को काफी सख्त संदेश भेजा गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर मानव अधिकार समर्थकों के क्रियाकलापों हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने को कहा। पत्र अनुलग्नक–14 के रूप में संलग्न है।
- अभियोग, क्षतिपूर्ति इत्यादि सिफारिश द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार समर्थकों के मूहिम की रक्षा हेतु सुरक्षात्मक उपाय किए हैं।
- मानव अधिकार समर्थकों के अध्याय को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करना भी जागरूकता फैलाने की दिशा में एक अहम कदम है।
- अपने शिविर बैठक एवंज न सुनवाई के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने गैर सरकारी संगठनों एवं मानव अधिकार समर्थकों के साथ विचार–विमर्श किया।

उनको हो रही समस्याएँ एवं गतिरोध के संबंध में दी गई सुझावों पर आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मानव अधिकार समर्थकों के मामलों को उच्च प्राथमिकता देकर, गुणवत्ता के आधार पर आवश्यक राहत प्रदान की जा रही है।

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष दिसम्बर को एक संदेश जारी करता है यह वही दिन है जब संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा मानव अधिकार समर्थकों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अंगीकृत किया। मानव अधिकार समर्थकों को समर्थन प्रदान करने के संबंध में आयोग दिनांक 9 दिसम्बर, 2015 को एक संदेश जारी करता है। यह संदेश अनुलग्नक–15 पर है।

ग. मानव अधिकार समर्थकों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सुने गए मामले।

14.11 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने मानव अधिकार समर्थकों के कथित उत्पीड़न के 53 शिकायतें प्राप्त की। वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा मानव अधिकार समर्थकों से संबंधित 23 मामलों का निपटान किया गया। आयोग द्वारा लम्बित मामलों एवं की गई कार्रवाई का विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं इस निरंतर अपडेट किया जाता है। वर्ष 2015–16 के दौरान, आयोग द्वारा सुने गए कुछ महत्त्वपूर्ण मामले नीचे दि जा रहे हैं :

1. *श्री रामपुर, हुगली में मासूम एन.जी.ओ. के सदस्यों एवं कृति रॉय, एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता को अवैध धमकी तथा उत्पीड़न*
   (मामला संख्या 1063/25/6/2016)

14.12 आयोग ने दिनांक 5 अगस्त, 2016 को मोबाइल पर तथा इसके पश्चात् दिनांक 11 अगस्त, 2016 को मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण हेतु वेधशाला से एक शिकायत प्राप्त की। इस शिकायत में श्रीरामपुर, हुगली में स्थित एक स्थानीय एन.जी.ओ., मासूम के सदस्यों सहित मानव अधिकार कार्यकर्त्ता श्री कृति रॉय को धमकी एवं उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। कथित रूप से, कूचबिहार में एन्क्लेव निवासियों के लिए निर्मित मेखलीगुंज पुनर्वास एवं बन्दोबस्त शिविरों की वजह से उन पर हमले किए गए।

14.13 शिकायत पर संज्ञान लेते हुए, पुलिस अधीक्षक, कूचबिहार से दूरभाष पर संपर्क कर उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि श्री कृति रॉय के विधि सम्मत मानव अधिकार कार्यों में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। आयोग ने श्री कृति रॉय एवं मासूम के अन्य सदस्यों के विधिसम्मत मानव अधिकार कार्यों में राज्य प्रशासन की तरफ से अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने हेतु पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल को रिपोर्ट तलब किया।

14.14 आयोग के निदेशों के उत्तर में, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने शिकायत में आरोपों को सिरे से नकार दिया। तदोपरान्त, आयोग ने पुलिस रिपोर्ट पर शिकायतकर्त्ता से उनकी प्रतिक्रिया की मांग की है। शिकायतकर्त्ता की टिप्पणी की प्रतीक्षा है एवं यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

2. माओवादी गतिविधियों के बारे में पुलिस का संदेशवाहक बनने से इन्कार करने पर पुलिस द्वारा एक मानव अधिकार समर्थक को धमकी देना
(मामला संख्या 362/18/24/2012)

14.15 श्री विश्वनाथ पात्र, एक मानव अधिकार समर्थक द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2012 की एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि जाजपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें माओवादी गतिविधियों के संबंध में पुलिस के संदेशवाहक बनने की पेशकश की, ऐसा न करने पर, उन्हें सारा जीवन जेल में बिताने या जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायतकर्त्ता ने शिकायत में आगे बतलाया कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक, जाज़पुर की धमकियों से हार नहीं मानी। शिकायतकर्त्ता ने इस मामले में जांच सहित पुलिस अधिकारी के खिलाफ़ कार्रवाई की मांग की।

14.16 आयोग ने इस मामले पर दिनांक 15 मार्च, 2012 को स्वतः संज्ञान लिया। निदेशानुसार, महानिदेशक (अन्वेशण) द्वारा श्री दीपक कुमार, पुलिस अधीक्षक, जाज़पुर, ओड़िशा से दूरभाष पर संपर्क किया गया। उन्होंने यह सूचना दी कि श्री विश्वनाथ पात्र द्वारा फाईल की गई शिकायत गलत थी। जैसा कि इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा एक जांच की गई।

14.17 शिकायतकर्त्ता ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को दोहराया। शिकायतकर्त्ता द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, आयोग ने अपने दिनांक 10 नवम्बर, 2014 की कार्यवाही में श्री अमृत मोहन प्रसाद, अपर महानिदेशक, एच.आर.पी.सी., ओड़िशा सरकार को एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच करवाकर छः सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। जांच के लिए तैनात अधिकारी को यह निदेश दिया जाए कि इस मामे से संबंधित तथ्यों को सुनिश्चित करने हेतु पीड़ित के गांव में जाकर सभी संबंधितों के बयानों को दर्ज किया जाए।

14.18 ए.डी.जी., एच.आर.पी.सी. ओड़िशा सरकार से प्राप्त रिपोर्ट आयोग में विचाराधीन है।

3. एक बलात्कार के मामले की वकालत करने के लिए पुलिस द्वारा मानव अधिकार कार्यकर्त्ता को धमकी देना
(मामला संख्या 20903/24/72/2011)

14.19 डॉ. लेनिन, कार्यकारी निदेशक, मानव अधिकार लोक सतर्कता समिति से उपरोक्त विषय पर एक शिकायत प्राप्त हुई। इस शिकायत में उन्होंने यह आरोप लगाया कि एक लड़की के बलात्कार के मामले की वकालत करने की वजह से पुलिस अधिकारियों द्वारा श्री मंगला राजभर, एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता को धमकी दी गई तथा गाली–गलौच भी किया गया।

14.20 आयोग द्वारा हस्तक्षेप के बावजूद भी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी द्वारा मुख्य मुद्दे पर उत्तर नहीं भेजा गया। आयोग ने इस मामले को असत्य करार देने वाली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी की रिपोर्ट को अग्रेषित करने वाले पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार के पास उठाया। यह भी सूचना दी गई कि भा.द.सं. की धारा 107/151 के तहत मंगला राजभार के खिलाफ कार्रवाई की शुरूआत की गई है। शिकायतकर्त्ता की टिप्पणी एवं प्राप्त रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर, आयोग ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार को वाराणसी जिले के अलावा किसी अनय जिले के राजपत्रित अधिकारी द्वारा इस मामले पर जांच करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। आयोग ने यह भी निदेश दिया कि, जांच के दौरान, सभी संबंधितों का गम्भीरता से परिक्षण किया जाए।

14.21 यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

4. पुरी, ओड़िशा में स्थानीय राजनेता द्वारा मानव अधिकार समर्थक पर हमला (मामला संख्या 1972/18/17/2015)

14.22 आयोग ने श्री अखण्ड, पत्रकार एवं मानव अधिकार कार्यकर्त्ता, पुरी ओड़िशा से एक शिकायत प्राप्त की जिसमें उन्होंने जिला बाड़गढ़, ओड़िशा में स्थानीय राजनेता द्वारा श्री अमिताभ पात्र, एक मानव अधिकार समर्थक पर हमले का आरोप लगाया।

14.23 आयोग द्वारा जारी किए निदेशों के उत्तर में, यह रिपोर्ट की गई कि स्थानीय माफिया द्वारा गली के दुकानदारों से जबरन वसूली एवं धमकी के आरोप निराधार हैं। यह भी रिपोर्ट की गई कि दोनों पक्षों ने एक–दूसरे के खिलाफ क्रॉस मामले फाइल किए हैं जो अभी जांच के अधीन हैं।

14.24 आयोग ने प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति को टिप्पणी हेतु शिकायतकर्त्ता के पास प्रेषित भी कर दी है।

5. डाक प्राधिकारियों द्वारा मानव अधिकार कार्यकर्त्ता को डाक बांटने से इंकार (मामला संख्या 3021/18/12/2014)

14.25 आयोग ने डॉ. सुभाष मोहापात्र, कार्यकारी निदेशक, ग्लोबल ह्यूमन राईटस् कम्युनिकेशन्स, पुरी, ओड़िशा से एक शिकायत प्राप्त की जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि रायगुरूपुर डाकखाना के डाक प्राधिकारी स्थानीय असामाजिक एवं निहित हित समूहों की मिली–भगत से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सहित अन्य पत्रों को प्रदान नहीं किया।

14.26 आयोग के निदेशों के उत्तर में, यह रिपोर्ट की गई कि शिकायतकर्त्ता अपने स्थायी पते पर नहीं रहता है तथा उनकी अनुपस्थिति में किसी अधिकृत व्यक्ति को पत्र सुपुर्द करने की हिदायत के अभाव में, डाकों को वापस भेज दिया जाता था।

14.27 रिपोर्ट पर शिकायतकर्त्ता ने यह टिप्पणी प्रस्तुत की कि उनके पास वितरण संबंधी मुद्दे पर कोई सूचना नहीं है। यहां तक कि जांच के समय प्राधिकारियों ने उनसे संपर्क नहीं किया।

14.28 टिप्पणी की प्रति को सचिव, डाक विभाग, भारत सरकार के पास प्रेषित कर किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसकी नए सिरे से जांच के निदेश दिए गए।

14.29 सरकार से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

6. भुवनेश्वर, ओड़िशा में दलित विरोधियों पर अवैध लाठी चार्ज एवं महिला मानव अधिकार समर्थक पर हमला
(मामला संख्या 3494/18/28/2015)

14.30 आयोग ने श्री चन्द्रनाथ दानी, मानव अधिकार सिविल सोसायटी फॉर्म से एक शिकायत प्राप्त की जिसमें उन्होंने कैपिटल पुलिस थाना, राजपथ, भुवनेश्वर के थाना प्रभारी पर मनमानी करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्त्ता के अनुसार, राष्ट्रीय दलित संघ संगठन के बैनर के सैंकड़ों की संख्या में सरकार की जमीन पर रह रहे दलितों एवं आदिवासियों के लिए पट्टा सहित जमीन की चार डैसिमल जैसे मांग हेतु प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे थे। पुलिस से कथित रूप से दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया जिससे सुश्री रीना भोई, एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता पर हमला कर दिया।

14.31 आयोग के निदेशों के उत्तर में, यह रिपोर्ट की गई कि राष्ट्रीय दलित संगठन के सदस्यगण श्री अशोक कुमार मल्लिक की अध्यक्षता में विरोध कर रहे थे। उस क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई थी। पुलिसवालों को भी गालियां दी गई। इस मामले में एफ.आई. आर. दर्ज कर जांच की जा रही है।

14.32 रिपोर्ट की प्रति को शिकायतकर्त्ता के पास टिप्पणी हेतु भेज दिया गया है, जिसकी प्रतीक्षा है।

घ. वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट में किए गए मामलों पर अनुवर्त्ती कार्रवाई

1. केरल में मानव अधिकार समर्थकों की गिरफ्तारी
(मामला संख्या 74/11/8/2015)

14.33 आयोग ने मानव अधिकार समर्थकों एवं वकीलों, श्री तुषार निर्मल सारथी एवं जेसन सी. कुमार के संबंध में मीडिया पर स्वतः संज्ञान लिया जिन्हें केरल में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर दिनांक 30 जनवरी, 2015 से जेल में बन्द रखा गया था। जहां जेसन को दिनांक 29 जनवरी, 2015 को कोचीन से गिरफ्तार किया गया, तुषार की गिरफ्तारी उसी दिन कोजीकोड में प्रेस सम्मेलन के पश्चात् हुई। यह आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार मानव अधिकार समर्थकों एवं मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं को "माओवादी समर्थक" करार कर गिरफ्तार करवा रही थी। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया कि तुषार एवं जेसन दोनों किसानों के खिलाफ भू–अर्जन, अवैध खनन, जबरन दखल एवं केरल में प्रवासी मजदूरों के अधिकार उल्लंघन के साथ–साथ विभिन्न प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ संघर्ष से जुड़े थे।

14.34 संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करने पर, आयोग ने यह पाया कि दो लोगों की गिरफ्तारी में पुलिस ने न्यायालय के नियम एवं दिशा–निर्देशों का पालन किया है।

14.35 आयोग ने इस मामले में किसी प्रकार के मानव अधिकार का उल्लंघन न पाते हुए, इसे बन्द कर दिया।

2. जिला अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों के लिए आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता का उत्पीड़न
(मामला संख्या 12054/24/31/2014)

14.36 इस शिकायत को आयोग के पास श्री सुशील राघव, गाजियाबाद जिला उत्तर प्रदेश के एक आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता द्वारा प्रेषित की गई थी। इसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद ने उन पर चुनाव के दौरान परेशान करने के संदह पर "रेड वार्निंग" नोटिस जारी कर अनावश्यक परेशान करने का आरोप लगाया।

14.37 प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति को शिकायतकर्त्ता के पास टिप्पणी हेतु भेज दी गई है।

3. पुणे में आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता का आत्महत्या करना
(मामला संख्या 816/12/23/2014)

14.38 दिनांक 26 मार्च, 2014 को, आयोग ने एक अखबार में प्रकाशित लेख पर संज्ञान लिया जिसमें यह रिपोर्ट की गई कि एक आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता ने आत्महत्या कर ली एवं आत्महत्या नोट में महाराष्ट्र के नेताओं सहित मुख्य सेवारत एवं सेवानिवृत्त आई.पी.एस. अधिकारियों पर आरोप लगाया।

14.39 आयोग ने पाया कि चूंकि पुलिस द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की शुरूआत की जा चुकी है एवं जांच कार्य प्रगति में है, आयोग की तरफ से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, एवं मामले को बंद कर दिया।

4. आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता के मानव अधिकारों का उल्लंघन
(मामला संख्या 2280/18/27/2014)

14.40 आयोग ने दिनांक 10 मई, 2014 को डॉ. सुभाष महापात्र, कार्यकारी निदेशक, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स कम्यूनिकेशन्स से एक शिकायत प्राप्त की जिसमें यह आरोप लगाया गया कि एक आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता जिसने आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत सिंचाई विभाग, केन्द्रपाड़ा, ओड़िशा से जवाब मांगा था, उसे आरोपी लोगों द्वारा बुलवाया गया; उस पर उनके द्वारा हमला कर आम जनता के सामने उसे गालियां दी गईं तथा अभद्रता के साथ पेश आया गया। इसके पश्चात् पीड़ित द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई लेकिन पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की।

14.41 आयोग ने रिपोर्टों पर विचार करते हुए यह पाया कि जैसा कि पीड़ित को अपेक्षित आर्थिक राहत प्रदान कर दी गई है तथा पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ विभागीय कार्रवाई विचाराधीन है, इसके पश्चात् आयोग के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मामले को बंद कर दिया जाए।

5. अस्सी वर्षीय मानव अधिकार कार्यकर्त्ता पर हमला
(मामला संख्या 530/13/14/2015)

14.42 दिनांक 16 फरवरी, 2015 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में अज्ञात लोगों द्वारा एक अस्सी वर्षीय वृद्ध कार्यकर्त्ता श्री गोविन्द पनसारे एवं उनकी पत्नी पर गोली चलाने के मामले में आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। दिनांक 16 फरवरी, 2015 को 'द हिन्दू' अखबार में "सी.पी.आई. नेता श्री गोविन्द परसारे एवं उनकी पत्नी को कोल्हापुर में गोलियां दागी गईं" शीर्षक सहित कई सारे अखबारों में यह खबर प्रकाशित हुई। रिपोर्टानुसार, यह आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता महाराष्ट्र में कई सामाजिक गतिविधियों से जुड़े थे तथा कोल्हापुर में टोल विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। दिनांक 16 फरवरी, 2015 को प्रातः सैर के समय, श्री पनसारे के सीने तथा गले में तीन गोलियां दागी गईं; जबकि उनकी पत्नी को खोपड़ी में फ्रेक्चर हो गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां पीड़ितों की कई सर्जरी की गई।

14.43 यह रिपोर्ट की गई कि श्री गोविन्द पनसारे की हत्या से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में जांच की समीक्षा करने हेतु मृतक के निकट संबंधियों द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई है।

6. महिला मानव अधिकार समर्थक की गिरफ़्तारी
(मामला संख्या 1062/12/2/2013)

14.44 आयरलैण्ड स्थित गैर सरकारी संगठन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स की पदाधिकारी, शिकायतकर्त्ता ने यह आरोप लगाया कि दिनांक 16 मई, 2013 को मध्य प्रदेश के बदवानी

जिले में पुलिस द्वारा सुश्री माधुरी रामाकृष्णास्वामी को लोक स्वास्थ्य केन्द्र, मेनीमाता, जिला बदवानी, मध्य प्रदेश में चिकित्सीय बेईमानी की शिकार, पीड़िता बनिया बाई नामक महिला के अधिकारों के लिए विरोध करते वक़्त गिरफ़्तार किया।

14.45 प्राधिकारियों द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि सुश्री माधुरी रामाकृष्णास्वामी की गिरफ़्तारी पुलिस द्वारा नहीं बल्कि नोटिस जारी करने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने पर, न्यायालय द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कर्त्तव्य की अवहेलना के संबंध में, यह रिपोर्ट की गई कि लापरवाह कर्मचारी के ख़िलाफ कार्रवाई की शुरूआत की गई है।

14.46 आयोग ने मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन को नोटिस जारी कर उन्हें पीड़िता बनिया बाई को आर्थिक राहत क्यों न प्रदान की जाए के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

14.47 सरकार की तरफ से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

7. मानव अधिकार समर्थकों की अवैध गिरफ़्तारी एवं उत्पीड़न
(मामला संख्या 31/14/12/2013)

14.48 उपरोक्त मामले में शिकायतकर्त्ता ने मंदिर लैशराम एवं निंघौजम हेमो नामक दो लोगों की कथित अवैध गिरफ़्तारी एवं उत्पीड़न तथा थोबल पुलिस थाने में उन्हें गलत मामले में फंसाने का आरोप लगाया। अतः शिकायतकर्त्ता ने विस्तृत एवं निष्पक्ष जांच तथा अपराधी पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ तुरन्त कार्रवाई हेतु निवेदन किया।

14.49 संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, आयोग ने यह महसूस किया कि पुलिस कार्मिकों ने यह महसूस किया कि पुलिस कार्मिकों ने पीड़िता पर अत्यंत बल का प्रयोग किया जिससे कि वे घायल हो गए तथा उन्हें चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता पड़ गई। यह लोकसेवक द्वारा अपनी शक्ति का दुरूपयोग है जिससे पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो गया।

14.50 आयोग दोनों पीड़ितों में से प्रत्येक को ₹ 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की आर्थिक राहत की संस्तुति करता है।

14.51 भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग ने मामले का बंद कर दिया।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

15.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (एन.एच.आर.आई.), राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थिति से संबंधित सिद्धांतों का पालन करता है जिसे साधारणतया पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन के अनुवीक्षण एवं संवर्द्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस भूमिका की अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा तेजी से सराहना की जा रही है। सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, संधि अनुवीक्षण निकायों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संभार तंत्र द्वारा पेरिस सिद्धांतो का पालन करने वाले प्रत्येक राज्य को एक प्रभावी, स्वतंत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान के गठन तथा जहां यह कार्यरत है, उसे और मजबूती प्रदान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। एन.एच.आर.आई. कई तंत्रों के साथ सहयोग को बढ़ावा देता है जिनमें से संयुक्त राष्ट्र एवं खासकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (ओ.एच.सी.एच.आर.) के अलावा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति/आई.सी.सी., जिसे गनहरि के नाम से जाना जाता है) एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का एशिया पेसिफिक फोरम (ए.पी.एफ.), इनमें से महत्वपूर्ण हैं।

15.2 समीक्षा अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत जो कि आई.सी.सी. का एक सदस्य एव ए.पी.एफ. का संस्थापक सदस्य है, कई बैठकों में शामिल हुआ जिनका विवरण अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं आयोग में विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार–विमर्श के विवरण के साथ नीचे दिया जा रहा है:

क. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के एशिया पेसिफिक फोरम के साथ सहयोग

15.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का एशिया पेसिफिक फोरम (ए.पी.एफ) एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुख्य क्षेत्रीय मानवाधिकार संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई। यह एक सदस्य आधारित संगठन है जो इस क्षेत्र में स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की स्थापना एवं संवर्द्धन में सहायक होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लोगों के मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना है। वार्षिक रिपोर्ट लिखते वक्त ई.पी.एफ. में कुल 15 पूर्ण सदस्य एवं सात सहयोगी सदस्य शामिल थे, ये सदस्यगण इस क्षेत्र के विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इन संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र से कोई भी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान, ए.पी.एफ. का सदस्य बनने हेतु आवेदन कर सकता है। इनकी सदस्यता के बारे में निर्णय ए.पी.एफ. की गवर्निंग बॉडी, मंच परिषद द्वारा ली जाती हैं।

15.4 एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए, एक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान को पेरिस सिद्धांतों में स्थापित न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अवश्य पालन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, मंच ई.पी.एफ. सदस्यता की स्थिति निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के प्रत्यायन निर्णय को अंगीकृत करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान जो पूरी तरह पेरिस सिद्धांतों का पालन करता है उन्हें 'दर्जा क' के रूप में प्रत्यायित किया जाता है जबकि आंशिक सिद्धांत का पालन करने वाले संस्थाओं को 'दर्जा ख' के रूप में प्रत्यायित किया जाता है। 'दर्जा क' से प्रत्यायित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद एवं इसके सहायक निकायों के कार्य एवं चर्चाओं में शामिल होने की इजाजत दी जाती है।

ए.पी.एफ. एवं एन.एच.आर.सी. की भागीदारी द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रम

15.5 श्रीमती सुमेधा द्विवेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री टी. रवीन्द्रन, अनुभाग अधिकारी एवं श्रीमती मुनिया उप्पल, निरीक्षक ने दिनांक 13 से 17 अप्रैल, 2015 को काठमांडू, नेपाल में एशिया पेसिफिक फोरम की उप क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

15.6 श्री इंद्रपाल सिंह, निरीक्षक ने दिनांक 20 से 24 अप्रैल, 2015 को मनीला, फिलीपींस में अन्वेषण एवं हिरासत डॉक्यूमेंटिंग पर एन.एच.आर.आई. के एशिया पैसिफिक फोरम एवं उत्पीड़न निवारण संघ की क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

15.7 श्री डी. एन. त्रिपाठी, अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) एवं श्री मुकेश कुमार, सहायक रजिस्ट्रार (विधि) ने दिनांक 4 से 8 मई, 2015 को ढाका बांग्लादेश में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के एशिया पेसिफिक फोरम द्वारा स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र (यू.एन.डी.आर.आई.पी.) पर क्षेत्रीय कार्यशाला में अपनी सहभागिता दी।

15.8 डॉ. रणजीत सिंह, संयुक्त सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन) ने दिनांक 5 से 7 मई, 2015 को बैंकॉक, थाईलैंड में व्यापार एवं मानव अधिकार, 2015 पर एशिया पेसिफिक फोरम फेस टू फेस ट्रेनिंग में भाग लिया।

ख. राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान के वैश्विक गठबंधन के साथ सहयोग

15.9 मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (आई.सी.सी.) का नया नाम गनहरी रखा गया है। यह राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की एक प्रतिनिधि निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के निर्माण एवं समर्थन के उद्देश्य से किया गया तथा यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है। यह अपनी भूमिका इन राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के संयुक्त क्रियाकलापों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों का उत्साहवर्धन एवं सहयोग, संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना के लिए सरकार की मदद द्वारा निभाता है। राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन तथा उनके संवर्द्धन के लिए कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि ये संस्थाएं पेरिस सिद्धांतों का पालन करें। अपने सभी क्रियाकलापों एवं अपने कार्याधीन क्षेत्रों, समितियों, कार्यकारी समूह इत्यादि में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करता है एन.एच.आर.सी., भारत स्थिति 'क' के साथ गनहरी का प्रतिनिधित्व सदस्य है जिसे पूर्व में वर्ष 1999 में प्रत्यायित एवं 2006 तथा 2011 में पुनःप्रत्यायित किया गया। प्रत्यायन पर उपसमिति (एस.सी.एस) सत्र में गनहरि के साथ एन.एच.आर.सी. भारत के पुनः प्रत्यायन का समय दिनांक 14 से 18 नवंबर, 2016 सुनिश्चित है। वर्ष के दौरान आयोग गनहरी की निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया:

जिनेवा में 29वीं वार्षिक बैठक

15.10 एन.एच.आर.सी., भारत वर्ष 2003 एवं 2007 से 2011 तक आई.सी.सी. ब्यूरो का सदस्य था। दिनांक 21 से 23 मार्च, 2016 को जिनेवा में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर आई.सी.सी. की 29वीं वार्षिक सम्मेलन में एन.एच.आर.सी., भारत की तरफ से न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष सहित श्री सत्यनारायण मोहंती, महासचिव एवं डॉ. रणजीत सिंह, संयुक्त सचिव वाले प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इस सम्मेलन की शुरुआत एडवोकेट मबेडले लॉरेंस मुश्वना, अध्यक्ष, आई.सी.सी. की अध्यक्षता में आई.सी.सी. ब्यूरो की बैठक से हुई। इस अवसर पर आई.सी.सी. ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान की वैश्विक संधि गनहरी के रूप में नया नाम अंगीकृत किया। आम सभा ने भारत को एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए गनहरी का ब्यूरो सदस्य चयनित किया। अतः 4 साल के अंतराल के पश्चात, न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू, वर्तमान अध्यक्ष के चयन के साथ एन.एच.आर. सी., भारत द्वारा गनहरि ब्यूरो का सदस्य बन गया। विस्तृत सत्र की शुरुआत मे, अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू ने एन.एच.आर.सी., भारत की भूमिका को दर्शाते हुए अपना विचार रखा।

15.11 सत्र के दौरान "मेरीदा डिक्लेरेशन" पर "सतत विकास के लिए 2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन में एन.एच.आर.आई. की भूमिका" पर अपने विचार रखते हुए न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष ने कहा कि एन.एच.आर.सी, भारत मेरीदा डिक्लेरेशन के वचनानुसार सक्रिय रुप से अंतर्राष्ट्रीय तंत्र जैसे सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा में सक्रिय रुप से जुड़ा हुआ है।

15.12 गनहरी द्वारा आयोजित 'ज्ञान मेला', एक तीन दिवसीय कार्यशाला की आखिरी तिथि में एन.एच.आर.सी., भारत सक्रिय रुप से भाग लिया। एन.एच.आर.सी., भारत ने एक स्टॉल भी लगाया जिसमें वर्ष 1993 से 2015 तक मानव अधिकार मामलों के रुझान पर सूचना के साथ–साथ मानव अधिकार मुद्दों पर आयोग द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों एवं कार्यवाहियों की सूचना प्रदर्शित की गई। आयोग में अपने द्वारा वर्ष 2015 में आयोजित लघु चलचित्र प्रतियोगिता के पोस्टरों को भी प्रदर्शित किया।

ग. सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा

15.13 वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा चलाईं जा रही सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यू.पी.आर.) के द्वितीय चक्र के एक भाग के रूप में, एन. एच.आर.सी., एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय होने के नाते भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सभी 67 सिफारिशों की जांच का कार्य स्वीकार कर अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट बनाकर इसकी प्रगति रिपोर्ट परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य के हेतु, पहले एवं सर्वप्रमुख, प्रत्येक 67 सिफारिशों पर अपेक्षित कार्यवाही एवं इसके ध्यान देने योग्य प्रभावों को दर्शाते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जैसा कि यह महसूस किया कि इससे न केवल कई मुद्दों पर जमीनी स्तर के बारे में सूचना मिल सकेगा बल्कि इनमें हो रही खामियों को दूर करने हेतु एक सुझाव भी मिल पाएगा। 16 मुख्य शीर्ष के तहत इन 67 सिफारिशों का समूह बनाया गया। इस कार्य की शुरुआत अक्टूबर, 2012 में की गई एवं अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान एवं सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ साथ महत्वपूर्ण पणधारियों के साथ वर्ष 2012 एवं 2013 में भी जारी रहा।

15.14 यह फ्रेमवर्क फरवरी, 2014 में पूरा हो गया जिसके तहत कुल 16 विशिष्ट केंद्रीय मंत्रालय की पहचान की गई जिनकी तरफ से कार्रवाई अपेक्षित थी। इसके पश्चात एन.एच.आर.सी. ने यह भी सुनिश्चित किया गया कि यह इसके द्वारा विकसित फ्रेमवर्क को अपनी वेबसाइट (www.nhrc.nic.in) पर व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु पोस्ट करने के अलावा सभी 16 मंत्रालयों एवं अन्य पणधारियों को भी अग्रेषित किया जाएगा। जैसा कि केवल 4 मंत्रालयों (अल्पसंख्यक मंत्रालय, भोजन एवं लोक वितरण, कानून एवं ग्रामीण विकास) से ही उत्तर प्राप्त न होने पर एन.एच.आर.सी. ने दोबारा सोलह मंत्रालयों के संबंधित सचिवों के साथ–साथ नीति आयोग को पत्र लिखकर आयोग में एक बैठक रखने की मांग की। ये मंत्रालय विदेश मंत्रालय, गृह, विधि एवं न्याय (न्याय–विभाग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, अल्पसंख्यक मामले, मानव संसाधन विकास, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, वित्त, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण, श्रम एवं रोजगार, पेयजल एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास, सूचना एवं प्रसारण (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया) एवं जनजातीय मामले से संबंधित है। वर्ष 2015 के प्रथम छः महीनों के दौरान महासचिव/संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान), राष्ट्रीय

मानव अधिकार आयोग ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों/महासचिवों/निदेशकों के साथ बैठक रखी। इन बैठकों में एन.एच.आर.सी. द्वारा विकसित फ्रेमवर्क के साथ–साथ यू.पी.आर. के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। इसके पश्चात संबंधित मंत्रालय द्वारा उनके कार्यों से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही पर चर्चा की गई। इन प्रयासों एवं अन्य स्मारकों के बावजूद, ज्यादातर मंत्रालयों से सटीक सूचना नहीं मिली तथा उनमें से कुछ मंत्रालयों ने तो जवाब ही नहीं दिया। इन सभी मंत्रालयों से पूर्ण सूचना प्राप्त करने हेतु एन.एच.आर.सी. ने वर्ष 2016 की शुरुआत में उन मंत्रालयों में से प्रत्येक के साथ दूसरी बैठक रखने का निर्णय लिया।

15.15 आयोग ने सरकार, मानव अधिकार संस्थाओं सहित राज्य मानव अधिकार आयोग, तकनीकी संस्थाओं, अकादमियों, विशेषज्ञ, गैर सरकारी एवं सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पांच क्षेत्रीय परामर्श एवं एक राष्ट्रीय परामर्श के आयोजन का निर्णय लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत की विविधता को देखते हुए देश भर में वास्तविक जमीनी स्थिति का आकलन करना था। समीक्षा अवधि के दौरान, आयोग ने दो क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया। इनमें से एक आयोजन अक्टूबर, 2015 में चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया जो उत्तर–पूर्वी राज्यों को कवर किया। दूसरे परामर्श का आयोजन फरवरी, 2016 में पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया जिसमें पूर्वी एवं केंद्रीय राज्यों को कवर किया गया

घ. अन्य अंतरराष्ट्रीय बैठकों में एन.एच.आर.सी की भागीदारी

15.16 किगाली, रवांडा में दिनांक 4 से 7 मई, 2015 को बाल विवाह एवं बलात् विवाह तथा यौन उत्पीड़न पर राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के कामनवेल्थ फार्म के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम में श्री ए. के. पाराशर, विधि एवं एवं डॉ. सविता भाखरी, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) ने भाग लिया।

15.17 श्री जैमिनी कुमार श्रीवास्तव, सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी एवं श्री ओम प्रकाश, पुस्तकालय प्रभारी ने दिनांक 20 से 22 मई, 2015 को बैंकॉक, थाईलैंड में मानव अधिकार पुस्तकालय प्रबंधन पर रावल वालनवर्ग इंस्टिट्यूट (आर.डब्ल्यू.आई.) में क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

15.18 न्यायमूर्ति श्री सीरियक जोसफ, कार्यकारी अध्यक्ष ने इस्तांबुल तुर्की में दिनांक 12 से 13 जून 2015 को सर्वोत्तम अभ्यास एवं मिली सबक और राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन तुर्की मानव अधिकार संस्थान द्वारा द्वारा किया गया।

15.19 डॉ. रणजीत सिंह, संयुक्त सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन) ने ढाका बांग्लादेश में दिनांक 10 से 11 अगस्त, 2015 को श्रींकिंग सिविक स्पेस इन एशिया के संबंध मे राउंड टेबल चर्चा में भाग लिया।

15.20 न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेशन, सदस्य ने ढाका, बांग्लादेश में 16 अगस्त, 2015 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रणनीतिक योजना (2016 से 2010) पर परामर्श बैठक में भाग लिया।

15.21 न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, कार्यकारी अध्यक्ष; श्री एस सी सिन्हा, सदस्य एवं श्री सत्य नारायण मोहंती, महासचिव वाले एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 26 से 28 अगस्त, 2015 को उलनबटोर, मंगोलिया में एन.एच.ए.आई. की एशिया पेसिफिक फोरम की दसवीं वार्षिक आम सभा एवं द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लिया श्री महावीर सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष के प्रधान निजी सचिव ने भी प्रतिनिधिमंडल का एक हिस्सा के तौर पर भाग लिया।

15.22 न्यायमूर्ति श्री सीरियक जोसफ, कार्यकारी अध्यक्ष एवं श्री एस. सी. सिन्हा, सदस्य ने दिनांक 6 से 8 अक्टूबर, 2015 को मेरीदा, युकांटन, मेक्सिको में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति सम्मेलन सहित आई.सी.सी. ब्यूरो बैठक एवं क्षेत्रीय एशिया पेसिफिक फोरम बैठक में हिस्सा लिया।

15.23 न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, कार्यकारी अध्यक्ष एवं श्री जे. एस. कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) ने दिनांक 26 से 28 अक्टूबर, 2015 को सियोल, दक्षिण कोरिया में वृद्धजनों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में एन.एच.आर.आई. की भूमिका पर एन.एच.आर.आई. विशेष सत्र तथा वृद्ध जनों के मानव अधिकारों एवं ग्लोबल एजिंग पर ए.एस.ई.एम. सम्मेलन में हिस्सा लिया।

15.24 न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, कार्यकारी अध्यक्ष एवं डॉ. सविता भाखरी, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) ने सी.एफ.एन.एच.आर.आई. की द्विवार्षिक बैठक में हिस्सा लिया।

15.25 डॉ. संजय दुबे, निदेशक (प्रशासन) ने विएन्टियाने, लाओ पीडीआर में दिनांक 7 से 8 दिसंबर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार तंत्र पर आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लिया।

15.26 न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष के साथ साथ श्री एस. एन. मोहंती, महासचिव, डॉ. रणजीत सिंह, संयुक्त सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन) ने दिनांक 21 से 23 मार्च, 2016 को जिनेवा स्विजरलैंड में एशिया पैसिफिक फॉर्म क्षेत्रीय बैठक, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के कामनवेल्थ फॉर्म की वार्षिक बैठक एवं मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति की 29वीं आमसभा में हिस्सा लिया।

च. एन.एच.आर.सी. में विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार विमर्श

15.27 जेनी ग्रांट–करनो, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त के राजनीतिक परामर्शदाता ने दिनांक 28 मई, 2015 को एन.एच.आर.सी, भारत के साथ मानव अधिकार मुद्दों के बारे में चर्चा हेतु एन.एच.आर.सी का दौरा किया।

15.28 श्री डी. बी. सीतुल सिंह, अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. मॉरीशस ने दिनांक 23 फरवरी, 2016 को न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, कार्यकारी अध्यक्ष को कर्टसी कॉल किया।

National Human Rights Commission
NATIONAL CONFERENCE
OF
NHRC AND SHRCs

National Human Rights Commission
NATIONAL CONFERENCE
OF
NHRC AND SHRCs

JUSTICE H.S. BHALLA

National Human Rights Commission
OF
RAJNATH SINGH
JUSTICE CYRIAC JOSEPH

अध्याय - 16

राज्य मानव अधिकार आयोग

16.1 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (पी.एच.आर.ए.) यह निहित करता है कि सभी राज्य सरकारों के पास अपना राज्य मानव अधिकार आयोग होना चाहिए ताकि इस संस्थान को प्रदत्त शक्तियों एवं इसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन हो सके। राज्य आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, जो उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हों। इसके सदस्यों में से एक को उच्च न्यायालय का पूर्व जज या न्यूनतम सात वर्ष के अनुभव के साथ राज्य में जिला जज के पद पर काबिज रहना होगा। इसके दूसरे सदस्य की नियुक्ति मानव अधिकारों पर जानकारी एवं अनुभव रखने वाले लोगों में से की जाएगी। राज्य विधानमण्डल में सत्तरूढ़ एवं विपक्षी दलों के नेताओं सहित एक समिति उनकी नियुक्ति हेतु गवर्नर के पास संस्तुति करती है। राज्य आयोगों के दैनंदिनी कार्यों में एक सचिव द्वारा मदद की जाती है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर कार्य करता है। राज्य आयोगों के मुख्यालय उस जगह पर होंगे जहां पर राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से इसे विनिर्दिष्ट कर सके।

16.2 समीक्षा अवधि के दौरान, देशभर में कुल 26 राज्यों के पास अपने राज्य मानव अधिकार आयोग थे। ये राज्य हैं: आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना (संयुक्त एस.एच.आर.सी.), असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, गोवा, पश्चिम बंगाल एवं मेघालय।

16.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, आवश्यकतानुसार या तुरंत, पी.एच.आर.ए. के अनुसार फाइल की गई या इसके पास लम्बित किसी शिकायत को राज्य मानव अधिकार आयोग के पास निपटान हेतु स्थानांतरित कर सकता है, जहां से यह शिकायत की गई है। हालांकि, यह राज्य मानव अधिकार आयोगों के पास उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की शिकायतों को अग्रषित नहीं करेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा स्थानांतरित शिकायतों पर राज्य मानव अधिकार आयोगों द्वारा इस तरह की कार्यवाही एवं निपटान की जाती है जैसे कि नई शिकायतों को उनके समक्ष ही शुरूआत से फाइल किया गया था। उदाहरणस्वरूप, वर्ष 2015 से 2016 के दौरान, एन.एच.आर.सी. के पास कुल 1,17,808 पंजीकृत मामले थे। इनमें से, पी.एच.आर. के प्रावधानों के तहत निपटान हेतु कुल 24,622 मामलों का स्थानान्तरण कर दिया गया।

16.4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सतत रूप से प्रत्येक राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना हेतु भारत सरकार पर दवाब डाल रहा है ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को मानव अधिकारों की रक्षा आसानी से हो सके। केन्द्रशासित प्रदेशों में भी मानव अधिकार आयोगों के गठन हेतु एन.एच.आर.सी. ने पी.एच.आर. एक्ट में संशोधन हेतु भारत सरकार को एक प्रस्ताव पेश किया है

16.5 इसके अलावा, इसने राज्य मानव अधिकार आयोगों के सुलभ कार्य निष्पादन हेतु शिकायत निपटान की स्ट्रीमलाइनिंग सहित बुनियादी संरचना, न्यूनतम जनशक्ति एवं वित्तीय आवश्यकताओं जैसे चिंतनीय मुद्दों के निपटान हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार से गुहार लगाई है। इसके उत्तर में, भारत सरकार ने एन.एच.आर.सी. से निवेदन कर प्रत्येक एस.एच.आर.सी. के संबंध में पजीकृत शिकायतों, निपटान, लम्बित शिकायतों, विभाग–आधार पर जनशक्ति, वित्तीय आवंटन, अनुभव की गई कमियों के प्रकार एवं इसकी वृद्धि के स्पष्टीकरण के संबंध में विवरण अग्रेषित करने का निवेदन किया है। एन.एच.आर.सी. द्वारा विभिन्न एस.एच.आर.सी. से तथ्यात्मक सूचना संग्रहीत कर एन.एच. आर.सी. द्वारा वर्ष 2011 में गठित एस.एच.आर.सी. पर न्यायमूर्ति श्री जी.पी.माथुर समिति पर अपेक्षित कार्रवाई करने के निवेदन के साथ दिनांक 23 मार्च, 2015 को अग्रेषित कर दी गई। जैसा कि इस मामले पर कोई उत्तर प्राप्त न होने पर, गृह मंत्रालय, भारत

सरकार के मानव अधिकार प्रभाग को इस मामले में कार्रवाई की स्थिति संप्रेषित करने का अनुस्मारक भेजा गया। वार्षिक रिपोर्ट लिखते वक्त, मंत्रालय को दोबारा स्मरण करवाया गया। एन.एच.आर.सी. की सोच इस बात पर सकारात्मक है कि गृह मंत्रालय एस.एच.आर.सी. के कार्यों की सराहना करेगा ताकि मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण एवं इनसे जुड़े मामलों तथा आवश्यकताओं हेतु पी.एच.आर. एक्ट का सम्मान बना रहे।

16.6 रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान, एन.एच.आर.सी. ने दिनांक 18 सितम्बर, 2015 को नई दिल्ली में एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. की एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. स्वायत्त एवं स्वतंत्र संस्थान होने के नाते, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इसके उन तरीकों तथा उपायों पर चर्चा करना था जिससे की मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में ये और ज्यादा मजबूत और प्रभावी हो सकें; एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. के मध्य सहयोग एवं समन्वय के क्षेत्र का आकलन हो सके; एवं इसके अलावा, एस.एच.आर.सी. के कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्यगण, महासचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा राज्य आयोगों के अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्यगण, सचिवों, रजिस्ट्रारों एवं महानिरीक्षकों ने हिस्सा लिया।

16.7 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह ने यह बात रखी कि एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. की स्वायत्तता को बनाए रखना देशहित में होगा तथा इन संस्थानों को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने में केन्द्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मुद्दे पर अपना वक्तव्य रखते हुए, उन्होंने यह दर्शाया कि भारत में लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा एक लम्बी प्रथा है तथा वे इस सुझाव के साथ इत्तेफाक रखते हैं कि एस.एच.आर.सी. को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उन्हें मूल आधारभूत संरचना, वित्तीय एवं मानव संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता है तथा उनका मंत्रालय न्यायमूर्ति श्री जी.पी.माथुर समिति के साथ–साथ आज की बैठक से आए सुझावों पर विचार करेगा।

16.8 गृह मंत्री ने यह दोहराया कि केन्द्रशासित प्रदेशों में भी मानव अधिकार आयोग के गठन हेतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन के लिए संसद के समक्ष सिफारिशों को रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

16.9 इस अवसर पर भाषण देते हुए, न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. ने कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा करना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. सिफारिशी निकाय हैं लेकिन इसे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि ये संस्थाएं केवल दंतविहीन शेर बनकर न रह जाएं। इसके उद्‌भव से पिछले 22 वर्षों के दौरान एकत्रित अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की समीक्षा करनी चाहिए। उनके अनुसार, एन.एच.आर.सी. के प्रभावी कार्यों से, विधि द्वारा शासित भारत की समग्र छवि में निखार लाएगा।

16.10 न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, ने यह उद्धृत किया कि एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. न्यायिक प्रक्रिया के विकल्प के लिए परिकल्पित नहीं है बल्कि निश्चित ही न्यायालयों के पूरक हैं। न्यायालय का महत्त्व अपराधियों को दण्डित करने से है जबकि मानव अधिकार आयोग का महत्त्व अपराधियों के खिलाफ बिना किसी पूर्वाग्रह के पीड़ितों एवं उनके निकट संबंधियों को पुनर्वास एवं आर्थिक राहत प्रदान करने से है। आपराधिक वारदात होने के पश्चात् न्यायालय जांच की शुरूआत करता है; आयोग की भूमिका मानव अधिकार के उल्लंघन के निवारण के उद्‌देश्य से जागरूकता फैलाने से है।

16.11 उन्होंने यह विचार रखा कि सरकार जल्द ही पी.एच.आर. एक्ट, 1993 की धारा 30 एवं 31 में संशोधन के साथ–साथ मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना के संबंध में आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगी। उनके अनुसार, सशस्त्र बलों के प्रति अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में एन.एच.आर.सी. की हुई आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार एवं संसद को पी.एच.आर. एक्ट की धारा 19 में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों के राज्य मानव अधिकार आयोगों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आधारभूत संरचना एवं रिक्तियों को भरने के शिकायतों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

16.12 एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने के उद्‌देश्य से इस एक दिवसीय विचार–विमर्श के दौरान कई महत्त्वपूर्ण सुझाव एवं सिफारिशें की गई जिन्हें बाद में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के पास अग्रेषित कर दिया गया।

अध्याय - 17

प्रशासन एवं संभारकीय सहयोग

क) कर्मचारी

17.1 दिनांक 31 मार्च, 2016 तक आयोग में सभी श्रेणियों के कुल मिलाकर 331 संस्वीकृत विभिन्न पदों की तुलना में 291 कर्मचारी कार्यरत थें। अपने स्थापना काल से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कर्मचारियों के चयन तथा अपने संवर्ग के निर्माण तथा विकास के कई तरीकों का सहारा लिया है। इन तरीकों में प्रत्यक्ष नियुक्ति, पुनः रोजगार तथा संविदा के आधार पर नियुक्ति शामिल है।

ख) राजभाषा का संवर्द्धन

17.2 एन.एच.आर.सी. राजभाषा के संवर्द्धन के उद्देश्य से, आयोग में एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना की गई है। इसका मुख्य कार्य एन.एच.आर.सी. की मासिक पत्रिका, वार्षिक रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट एवं आयोग के महत्त्वपूर्ण प्रकाशनों के अनुवाद सहित राजभाषा नीति का पालन करना है। इसके अलावा, आयोग का राजभाषा अनुभाग हिन्दी में संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं जैसे अन्य क्रियाकलापों से मानव अधिकारों का प्रचार–प्रसार करता है।

ग) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पुस्तकालय

17.3 आयोग के पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1994 में अनुसंधान एवं संदर्भ हेतु की गई। आयोग ने अपने पुस्तकालय को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दस्तावेजी केन्द्र (पुस्तकालय) के रूप में अपग्रेड किया है जो कम्प्यूटर तथा इंटरनेट सुविधाओं से सुसज्जित है। पाठकों के व्यापक प्रयोग के लिए पुस्तकों/दस्तावेजों की सामग्री एवं लेख इंटरनेट/इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसके पाठकों में, अभिशिक्षु, विश्वविद्यालय शोद्यार्थियों तथा मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग शामिल हैं।

17.4 गुणवत्ता के साथ जानकारी किसी दस्तावेजी केन्द्र के रीढ की हड्डी है। रा.मा.अ. आ. का दस्तावेजी केन्द्र (पुस्तकालय) विंभिन्न स्त्रोतों से महत्वपूर्ण सूचना एवं दस्तावेजों को लेकर आयोग के अध्यक्ष, अंतःशिक्षु, शोधार्थियों मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को मूल्यवान सूचना उपलब्ध करवाता है। मानव अधिकारों, सरकारी रिपोर्टों, संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त सूचना, एन.जी.ओ., एन.एच.आर.आई, शोध पेपरों, अप्रकाशित रिपोर्टों, फिल्म, सी.डी., वीडियो कैसेटों इत्यादि पर पुस्तकों एवं जर्नलों द्वारा इस केन्द्र के डेटाबेस को लगातार अपडेट किया जाता है।

17.5 अखबार कतरनों को संकलित कर पुस्तकालय में उपलब्ध करवाया जाता है। मानव अधिकारों के मुख्य विषयों पर सूचना संग्रह एवं संकलित करने की अपनी मुख्य भूमिका के अलावा यह वर्तमान सूचना को उपभोक्ताओं के पास फैलाने का काम भी करता है।

17.6 भारत में विभिन्न मानव अधिकार उल्लंघनों पर सूचना एवं डाटा प्रदान करने के लिए मानव अधिकारों का साप्ताहिक समाचार संग्रहण आयोग की एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। दस्तावेजी केन्द्र इन साप्ताहिक समाचार संग्रहण को संकलित भी करता है।

17.7 पुस्तकालय के पास मानव अधिकारों पर प्रकाशित पुस्तकों की भरमार तथा उपन्यास एवं संदर्भ पुस्तकों का एक छोटा संग्रह है। पुस्तकालय पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत है तथा ई–ग्रंथालय (पुस्तकालय सॉफ्टवेयर) के सहयोग से पूरी तरह स्वचालित पुस्तकालय माहौल में बदल गया है। पुस्तकालय का ऑनलाइन कैटेलोग, समाज के विभिन्न वर्गों के मानव अधिकार उल्लंघन पर शोधार्थियों के लिए काफि उपयोगी साबित होती है। पुस्तकों

एवं दस्तावेजों के संग्रह को अपडेट करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। ताकि उपभोक्ता नवीनतम पुस्तकें, दस्तावेज, रिपोर्ट इत्यादि प्राप्त कर सकें।

17.8 आयोग के पुस्तकाल के पास 27,727 पुस्तक/जर्नलों का संग्रह है। इसके पास 495 सी डी/डी वी डी/कैसटों का संग्रह है। यह 66 जर्नलों (भारतीय एवं विदेशी), क्रमानुसार 112 प्रकाशनों, 28 पत्रिकाओं 26 राष्ट्रीय एवं सात क्षेत्रीय अखबारों का ग्राहक है। इसके पास मानव अधिकारों एवं संबंधित विषयों पर पुरस्तकों एवं दस्तावेजों का व्यापक संग्रह है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान मानव अधिकार एवं संबंधित विषयों पर 1501 नयी पुस्तकों को पुस्तकालय के संग्रह में शामिल किया गया।

17.9 आयोग का पुस्तकालय एस. सी. सी. ऑन लाइन (सर्वोच्य न्यायालय केस फाइन्डर सी डी टोम), ए.आई.आर. सर्वोच्च न्यायालय 1950–2015 समविष्ट ए.आई.आर. इन्फोटेक; एयर उच्च न्यायालय 1950–2015, आपराधिक विधि जर्नल 1950–2015 एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसीत साफ्टवेयर पैकेज (ई–ग्रंथालय) से लैस है।

17.10 पुस्तकालय में किसी भी एक्सेस जैसे लेखक, शीर्षक, विषय, मूलशब्द एवं प्रकाशक द्वारा उपलब्धता एवं किसी उपलब्ध पुस्तक या दस्तावेज की स्थिति निर्धारण हेतु एक ऑनलाइन ओपन पब्लिक एक्सेस कैटेलागिंग (ओ.पी.ए.सी.) को खासकर विकसित किया गया है।

17.11 यह पुस्तकालय ब्रिटिश काउन्सल तथा डेलनेट (डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्किंग, नई दिल्ली) का एक संस्थानिक सदस्य है जो विभिन्न पुस्तकालयों से विभिन्न संसाधनों को बांटने में बढ़ावा देता है। पुस्तक/दस्तावेजों एवं जर्नलों तक पहुंच एवं उधार के लिए अंतर पुस्तकालय कर्ज सुविधा का भी प्रचालन करता है।

घ) सूचना का अधिकार

17.12 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सीमाक्षेत्र के तहत आने वाले प्रश्नों के उत्तर के लिए आयोग ने पिछले वर्ष, अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2014–2015 में उसके द्वारा विकसित संस्थागत तंत्र का विस्तृत विवरण दिया था।

17.13 वर्ष 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 के दौरान प्राप्त आवेदनों अपीलों एवं सी. आई.सी. नोटिसों का विवरण निम्न है:—

क्र. सं.	विवरण	ऑनलाइन रिकॉर्ड
1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	542
2.	30 दिनों के अंदर निपटान किए गए आवेदनों की संख्या	369
3.	एक महीने बाद लंबित आवेदनों की संख्या	..
4.	अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को स्थानांतरित किए गए आवेदनों की संख्या	178

प्रथम अपीलों का विवरण		
1.	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलों की संख्या	42
2.	एक माह के अंदर इन अपीलों के किए गए निपटान संख्या	42

सी. आई. सी. के साथ दूसरी अपीलों की संख्या		
1.	सी आई सी से प्राप्त नोटिसों की संख्या	..
2.	सी पी आई ओ/अपीली प्राधिकारी द्वारा प्रबंध किए गए सुनवाई की संख्या	..
3.	सी आई सी को प्रेषित अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में सुनवाई की संख्या	..
4.	सी आई सी को प्रेषित न की गई अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में सुनवाईयों की संख्या	..

राज्य सरकारों द्वारा एन.एच.आर.सी. की संस्तुतियों को स्वीकार न करना

18.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग धारा 18(क)(i)(ii) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए शिकायतकर्त्ता या पीड़ित परिवार के सदस्यों को हर्जाने या क्षतिपूर्ति के भुगतान एवं/या दोषी लोकसेवक के खिलाफ आयोग द्वारा यथा उपयुक्त कार्रवाई की शुरूआत करने हेतु संस्तुति करता है। आर्थिक राहत/दोषी लोकसेवक के संबंध में आयोग की संस्तुतियों पर लोक सेवकों से 437 मामलों पर अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है इनमें से 299 मामले वर्ष 2015–16, 66 मामले वर्ष 2014–15 एवं 72 मामले वर्ष 2008–09 से 2013–14 तक से संबंधित थे। इनका विवरण **अनुलग्नक 5** से **अनुलग्नक 7** (क्रमानुसार) देखा जा सकता है।

18.2 आयोग की संस्तुतियों को सामान्यतया संबंधित प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। जहां तक उनके अनुपालन का संबंध है, यदा–कदा ही राज्य सरकारों के लोक प्राधिकारियों द्वारा इसकी सिफारिशों की अवहेलना की गई है। राज्यों के विभिन्न स्कंधों के मध्य समन्वय के प्रभाव की वजह से कुछ मामलों में सिफारिशों के अनुपालन में विलम्ब किया गया है। हालांकि, आयोग इस तरह के मामलों में निष्कर्ष तक न पहुंचने तक जांच करता रहता है।

18.3 मृतक पीड़ित श्री संजय कुमार अग्रवाल की पत्नी सुश्री संगीता देवी को रेलवे बोर्ड से ₹5,00,000/– के अनुदान हेतु आयोग के दिनांक 16 मई, 2015 की संस्तुति को केन्द्र सरकार द्वारा सहायक सूचना आयुक्त (दण्ड), पूर्व केन्द्रीय रेलवे की तरफ से उच्च

न्यायालय, रांची के समक्ष रिट याचिका, संख्या 5974, 2015 दायर कर चुनौती दी गई। इसके पश्चात् दो मामलों में, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र शासन ने वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों को न मानने की अपनी इच्छा जाहिर की। इन मामलों का विवरण क्रमानुसार अनुलग्नक 5 के क्रम संख्या 94, 105 एवं 115 में उद्धृत है।

18.4 दो मामलों में, पीड़ित/मृतक के निकट संबंधी को आर्थिक राहत प्रदान करने की आयोग के दिनांक 19 अगस्त, 2009 एवं 23 नवम्बर, 2009 की सिफारिश को जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा जम्मू एवं कश्मीर न्यायालय में रिट याचिका दायर कर चुनौती दी गई। केरल ने भी मृतक पीड़ित के निकट संबंधी को आर्थिक राहत हेतु दिनांक 12 सितम्बर, 2008 की संस्तुति पर केरल उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर इसे मानने से इन्कार कर दिया। इसके पश्चात्, लापरवाह लोक सेवक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु ओड़िशा सरकार द्वारा आयोग के दिनांक 31 जुलाई, 2000 की सिफारिश को ओडिशा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर चुनौती दी गई। (इन मामलों का निवारण **अनुलग्नक–7** में क्रमानुसार क्रम संख्या 59, 60, 62 एवं 65 में उद्धृत है।

18.5 श्रीमती निशा सिंह, गुरूग्राम पार्षद, हरियाणा के उत्पीड़न एवं झूंठे आरोप में फंसाने के एक अन्य मामले में मामला संख्या 5888/7/5/2015 में लापरवाह पुलिस कार्मिक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई हेतु आयोग के दिनांक 8 अक्तूबर, 2015 की संस्तुति को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष लापरवाह पुलिस कार्मिक की पत्नी श्रीमती रानी देवी द्वारा रिट याचिका संख्या 24079/2016 के माध्यम से चुनौती दी गई।

18.6 इस रिपोर्ट के पूर्ण होने की तारीख तक उपर्युक्त सभी याचिकाएं निर्णयन हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं।

अध्याय - 19

एन.एच.आर.सी. के प्रभावी कार्यान्वयन में हो रही समस्याएं

19.1 एन.एच.आर.सी., भारत की स्थापना वर्ष 1993 में, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एन.एच.आर.आई.) के पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुई। ये सिद्धांत, जिसका मसौदा वर्ष 1991 में पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान तैयार तथा वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा संकल्प 48/134 द्वारा अंगीकृत किया गया, ये एन.एच.आर.आई. के कार्यों को एक दिशा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक सेट हैं।

19.2 ये सिद्धांत एक राष्ट्रीय संस्थान को मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन जैसे लम्बे–चौड़े आदेश सहित कानून एवं प्रशासनिक प्रावधानों की जांच तथा नए कानून के अंगीकरण के साथ–साथ विद्यमान कानून में संशोधन की सिफारिश का आदेश प्रदान करता है। यह सिद्धांत यह भी अपेक्षा रखता है कि एन.एच.आर.आई. अपने सदस्यों की नियुक्ति इस तरह करे जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के बहुलवादी प्रतिनिधित्व की प्रतिभूति करता है। सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि, एन.एच.आर.आई. के पास अवश्य ही आधारभूत संरचना खासकर पर्याप्त फंडिंग हो, जिससे कि सह अपने आदेश के पालन में सक्षम तथा अपने क्रियाकलाप बिना बाधा के कर सके। इस फंडिंग का मुख्य उद्देश्य एक एन.एच.आर.आई. को अपने कर्मचारी एवं कार्यालय, सरकार पर निर्भर न रह कर एवं वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है।

19.3 अपने प्रभावी कार्यान्वयन में एन.एच.आर.सी. को हो रही समस्याओं को इसके ऊपर की पृष्ठभूमि एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं की तरफ से देखा जा सकता है।

19.4 आयोग द्वारा किए जा रहे विभिन्न क्रियाकलापों की परिधि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। यह केवल इसके अर्द्धन्यायिक कार्यों के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता जहां इसके पास आने वाली शिकायतों की संख्या बढ़ रही है लेकिन नागरिक एवं राजनीतिक के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, जो इसके अधिकार क्षेत्र हैं, भी शामिल हैं।

19.5 इसकी पृष्ठभूमि में, आयोग के कार्यों में कई बाधाएं आती हैं जो कानूनी, प्रशासनिक के साथ–साथ वित्तीय प्रकृति की हैं। ये बाधाएं मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों पर कार्यवाही के समय आयोग को पंगु बना देती हैं जो आयोग को स्थिति से निपटने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इन शक्तियों में राज्य सरकार एवं प्राधिकारियों से इसकी संस्तुतियों के बेहतर अनुपालन हेतु आवश्यक हैं।

कानूनी बाध्यताएं

19.6 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अनुसार, जहां आयोग को लोक सेवक द्वारा दुष्प्रेरण या मानव अधिकार उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही या मानव अधिकार उल्लंघन की घटना का पता चलता है उस स्थिति में आयोग उक्त धारा में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संबंधित सरकार या प्राधिकारी को कोई निदेश नहीं बल्कि कार्रवाई हेतु संस्तुति कर सकता है।

19.7 हालांकि, आयोग का यह पूर्ण विश्वास है कि सरकार इसकी सिफारिशों के अनुपालन हेतु बाध्य है जब तक इसको चुनौती न दी जाए, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी सामने आए हैं जहां ऐसा प्रतीत हुआ है कि आयोग की सिफारिशों का अनुपालन बाध्यकारी नहीं है। आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन को वर्ष 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय

द्वारा रिट याचिका 16187/24/57/2012–जे.सी.डी. में पुलिस हिरासत में पर्याप्त एवं समयपूर्ण चिकित्सीय देख–रेख के अभाव में एक व्यक्ति की मौत की घटना पर आयोग द्वारा उसके निकट संबंधी ₹ 2,00,000/– की आर्थिक राहत की संस्तुति को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि "राज्य सरकार गुणवत्ता के आधार पर आयोग के आदेश को चुनौती दे सकता है चूंकि अधिनियम द्वारा अपील का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन यह अपने विवेकानुसार आयोग के आदेश की समीक्षा, खारिज या असम्मान नहीं कर सकता है। जब तक कि आयोग के पास न्यायिक समीक्षा को ध्यान में रखते हुए आदेश को चुनौती देने का अधिकार हो। राज्य सरकार आयोग के आदेश के अनुपालन हेतु कर्त्तव्यनिष्ठ हो अन्यथा कानून बनाने का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा।"

19.8 उपर्युक्त कानूनी संदर्भ के अनुसार, आयोग द्वारा की गई संस्तुति के बाध्यकारी प्रकृति को सुनिश्चित करने के लिए पी.एच.आर.ए., 1993 में आवश्यक संशोधन करना आवश्यक है।

19.9 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 19, सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया निहित करता है। यह धारा यह वर्णित करती है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, आयोग स्वतः या फिर याचिका प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार से रिपोर्ट तलब कर सकता है। रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, शिकायत को या तो बंद कर सकता है, या फिर मामले के अनुसार, सरकार के पास संस्तुति कर सकता है।

19.10 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अधिनियम की धारा 19 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के साथ–साथ पूर्ण दस्तावेज़ों की मांग करता आ रहा है। हालांकि, भारत सरकार इन दस्तावेजों को प्रदान करने से इंकार करती आ रही है। अधिनियम के शुरूआत से ही, गृह मंत्रालय ने निरपवाद रूप से अपना यह पक्ष रखा है कि अधिनियम की धारा 19, सशस्त्र बल कार्मिकों की जांच प्रक्रिया पर रोक लगाता है जहां पर उनकी

जांच की बात आती है एवं अतः आयोग केन्द्र सरकार से केवल रिपोर्ट की मांग कर सकता है एवं रिपोर्ट के प्राप्त होने पर यह या तो शिकायत पर अपनी कार्रवाई बंद कर सकता है या फिर केन्द्र सरकार के पास उपयुक्त संस्तुति कर सकता है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार भी अपने इस पक्ष के लिए कानून एवं अधिकारिता मंत्रालय, विधिक विभाग द्वारा जारी दिनांक 12.07.2013 के स्पष्टीकरण पर निर्भर है।

19.11 यह एक चिंतनीय विषय है कि, गृह मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 19 की व्याख्या आयोग को शुरूआत से ही परेशान कर रहा है। आयोग ने पूर्व में धारा 19 की व्यापक व्याख्या हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 335/199 दायर की थी इस याचिका को बाद में दिनांक 22.09.2000 (2002(10) एस.एस.सी. 476) के आदेश द्वारा वापस लेने की इज़ाजत दे दी गई जैसा कि आयोग ने अधिनियम की धारा 19 के संशोधन हेतु केन्द्र सरकार के पास एक प्रस्ताव पेश किया था। दुर्भाग्यवश, अधिनियम की धारा 19 के संशोधन पर सरकार द्वारा शामिल नहीं किया गया।

19.12 आयोग, सशस्त्र बलों के खिलाफ़ शिकायतों के संबंध में, अपने पूर्व अनुभव के अनुसार, आयोग द्वारा सशस्त्र बल कार्मिकों की निष्पक्ष जांच में बचाव करने का कोई औचित्य ही नहीं है जैसा कि पुलिस कार्मिकों या सशस्त्र बल कार्मिकों द्वारा अतिरिक्त न्यायिक हत्या में कोई अन्तर नहीं है। अतः अधिनियम की धारा 19 में उचित बदलाव कर आयोग द्वारा निष्पक्ष जांच के अधिकार के अर्थ को शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि मामले में आवश्यक हो।

19.13 पी.एच.आर.एक्ट, 1993 की धारा 30 के तहत मानव अधिकार न्यायालयों के न्यायसीमा की स्थापना के संबंध में स्पष्टीकरण का अभाव, अधिनियम के प्रावधान को उचित कार्यान्वयन न कर पाने में योगदान दे रहा है। राज्यों में चंद मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना हो पाई है तथा जहां इसकी स्थापना हुई है, इसकी न्यायसीमा के संबंध में कोई स्पष्टीकरण के अभाव में पीड़ित जिससे कि मानव अधिकार कानून अवसंरचना का समग्र कार्यान्वयन प्रभावित है। परिवामस्वरूप, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में मामलों का एक बोझ बढ़ गया है।

19.14 किसी जांच में आयोग द्वारा अपेक्षित लोक रिकॉर्ड/रिपोर्ट/आदेश को लोक प्राधिकारी साधारणतया प्रस्तुत/प्रेषित करने में असफल या विलम्ब करते हैं शायद इसका कारण यह है कि आयोग के आदेश/सिफारिश बाध्यकारी नहीं है।

19.15 रिपोर्टों के प्रस्तुत न करने /प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित न होने पर आयोग के पास जमानती वारंट या दंड देने की शक्ति की अपेक्षा है (केन्द्र सूचना आयोग द्वारा उपभोग की जा रही शक्तियों के बराबर है)। ये शक्तियां आयोग की दक्षता को बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। वर्तमान में, केवल यह पी.एच.आर. एक्ट की धारा 13 के तहत समन जारी करने तक ही सीमित है। जिस उद्देश्य हेतु आयोग की स्थापना हुई है उसकी पूर्ति हेतु इन शक्तियों को प्रदान करने के लिए भारत सरकार को पी.एच. आर.एक्ट, 1993 में उपयुक्त संशोधन करने चाहिए।

जनशक्ति की कमी

19.16 वर्ष 1993–1994 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अपनी स्थापना काल से अब तक, पंजीकृत मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में कई गुना इज़ाफ़ा हो गया है। इसके अलावा, अपने अर्द्ध–न्यायिक अधिदेश के क्षेत्र के अलावा, आयोग के क्रियाकलापों में भी वृद्धि आई है। आयोग केवल पुलिस/कारागार प्राधिकारियों द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों पर ही कार्य नहीं कर रहा बल्कि ज्यादा संख्या में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर हस्तक्षेप भी कर रहा है।

19.17 वर्तमान में, आयोग के पास 331 संस्वीकृत कर्मचारियों की संख्या की तुलना में 288 कर्मचारी कार्यरत हैं। अंग्रेजी अख़बार, रोजगार समाचार आयोग की वेबसाइट तथा विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न पदों की भर्ती हेतु व्यापक प्रचार के बावजूद भी कई पदों के लिए उचित अधिकारी एवं कर्मचारी पाने में असफल है। अपनी स्थापना से ही, आयोग में पूर्ण संस्वीकृत पदों की तुलना में उपलब्ध पद को पूर्ण नहीं हो पाया है। परिणामस्वरूप, यह सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अल्पावधि के लिए संविदा आधार

पर परामर्शदाता रखने हेतु विवश है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 11 (1)(ख) के अनुसार सरकार द्वारा अनुभवी जांच अधिकारियों की कमी के भी समाधान की आवश्यकता है। भर्ती नियम के मसौदे के भारत सरकार को जल्द ही प्रेषित करना इस क्षेत्र में काफी मददगार सबित होगा। आयोग को अपने अधिदेश के प्रभावी एवं दक्ष निर्वहन हेतु विभिन्न पदों के सृजन की भी आवश्यकता है।

19.18 सदस्य, महानिदेशक (अन्वेषण) जैसे वरिष्ठ स्तर के कई खाली पदों को सरकार द्वारा भरने की आवश्यकता है ताकि आयोग के सदस्यों एवं अधिकारियों के बोझ को कम किया जा सके। रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरके आयोग की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है।

वित्तीय बाधाएं

19.19 पी.एच.आर. एक्ट की धारा 32 (2) के अनुसार, आयोग अपने कार्य निष्पादन में यथाउपयुक्त राशि का खर्च कर सकता है एवं आयोग को प्रदत्त अनुदान से हटकर धारा 32 (2) के तहत राशि खर्च के रूप में देय होगी। इन प्रावधानों के साथ आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है, आयोग को निम्न दायरों के तहत सीमित कर दिया गया है: i) विदेश यात्रा ii) वाहनों का क्रय एवं iii) दिनांक 10 जनवरी, 1995 के कार्यकारी आदेश द्वारा पदों का सृजन। इस आदेश की विषय–वस्तु पर पुनर्विचार की आवश्यकता है जैसा कि विदेश यात्रा को सीमित करना कभी–कभी मानव अधिकार महत्त्व से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में एन.एच.आर.सी. की भागीदारी को प्रभावित करता है।

अध्याय - 20

प्रमुख अनुशंसाओं एवं टिप्पणियों का सारांश

20.1 वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत परिकल्पित विविध कार्यों के अनुरूप व्याधपक गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। आयोग ने देश के विभिन्न भागों में पुलिस कार्मिकों द्वारा प्रयोग किए गए अत्यधिक बल जिसके कारण कई लोगों की जान गई; पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बलात्कार और मृत्यु; जेलों में कैदियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन; अवैध रूप से बंदी बनाना और प्रताड़ना; मुठभेड़ में मौत; बिजली के करंट के कारण मृत्यु; सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान में विलम्ब; स्कूलों में शिक्षण तथा मूलभूत सुविधाओं जैसे कि पीने का पानी, शौचालय, सुरक्षित भवन एवं अवसंरचना का अभाव; स्कूलों में मिड–डे–मील खाने के बाद बच्चों का बीमार होना; आई.वी.एफ. क्लीनिक्सच की संदिग्ध गतिविधियां; बच्चों एवं महिलाओं का यौन उत्पीड़न, बलात्कार तथा अवैध व्यापार; काला जादू करने का आरोप लगाकर व्यक्तियों की हत्या; किसानों द्वारा आत्महत्या; बच्चों को भीख मांगने के लिए बाध्य् करना; आवारा कुत्तों का आतंक; सब्जियों एवं फलों में कीटनाशक; मोतियाबिंद की गलत सर्जरी; दलित बच्चों के लिए पृथक आंगनवाड़ी; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निम्न स्तरीय सुविधाएं जिनके चलते नवजात शिशुओं की मृत्यु; बच्चों के गुमशुदा होने की घटनाओं में वृद्धि; और कमजोर वर्गों जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़ा वर्ग, बच्चे, महिलाएं, अशक्तों एवं वृद्धों के प्रति क्रूरता से

संबंधित मीडिया रिपोर्टों के साथ–साथ इनके संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्वंतः संज्ञान लिया। इन सभी मामलों में संबंधित राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी करने और स्थल जांच करने के लिए अन्वेषण प्रभाग से अपनी टीम भेजने के अलावा आयोग ने अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधियों को मौद्रिक राहत का भुगतान करने और किए गए भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने की भी सिफारश की।

20.2 आयोग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी में शिविर बैठकों और खुली सुनवाई का आयोजन किया; मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग के बीच सहयोग और समन्वय के क्षेत्रों का पता लगाया; कुष्ठ रोग; बंधुआ एवं बाल श्रमिकों का बचाव, रिहाई और पुनर्वास; मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार; भोजन का अधिकार; शिक्षा का अधिकार; यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और कल्याण जैसे मुद्दों का समाधान किया और वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा शुरू किए गए भारत के सार्वभौम आवधिक समीक्षा के दूसरे चक्र में उठाए गए मुद्दों, जिनके संबंध में भारत सरकार की सहमति है, पर ध्यान केन्द्रित किया और उनका समाधान करने में लगा रहा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग महसूस करता है कि यह सब चीजें वर्ष 2017 में होने वाली आवधिक पुनरीक्षा के तीसरे चक्र के लिए स्वतंत्र रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेंगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप कार्यक्रमों, प्रकाशनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, परामर्शों तथा अन्य उपलब्ध माध्यमों से न्यायिक अधिकारियों, पुलिस कार्मिकों, सरकारी कर्मचारियों, मीडिया के लोगों, गैर–सरकारी एवं सभ्य समाज के संगठनों के प्रतिनिधियों तथा यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज के छात्रों जैसे महत्वंपूर्ण हितधारियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता के प्रसार को जारी रखा।

शिकायतों की संख्या एवं स्वरूप

20.3 आयोग को देश के विभिन्न भागों से व्यापक मामलों पर शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें लागों के अधिकारों का हनन हुआ था अथवा ऐसे हनन को रोकने में किसी लोक सेवक ने

लापरवाही दिखाई थी। इन शिकायतों में कमोबेश हिरासतीय हिंसा, यातना, फर्जी मुठभेड़ पुलिस की बर्बरता, सुरक्षा बलों द्वारा किए गए हनन जेलों से संबंधित स्थिति, महिलाओं एवं बच्चों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर किए गए अत्याचार, सांप्रदायिक हिंसा, बंधुआ एवं बाल मजदूरी, पुनः सुनवाई के लाभों का भुगतान नहीं करना, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही आदि के आरोप वाले मामले शामिल थे। आयोग ने इसके अतिरिक्त पुलिस मुठभेड़ एवं पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत तथा रक्षा/अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का संज्ञन लिया। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर कई घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया गया, जिनमें वे मामले भी शामिल थे, जो देश के विभिन्न भागों में दौरे के दौरान अध्यक्ष, सदस्यों, विशेष प्रतिवेदकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में आए।

मानव अधिकार हनन के मामले

20.4 वर्ष 2015–2016 के दौरान कुल 1,17,808 मामले आयोग में दर्ज किए गए (अनुलग्न–1)। आयोग ने 1,18,254 मामलों का निपटान किया, जिसमें पिछले वर्षों के मामले भी शामिल थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए कुल मामलों में से 65,220 मामलों को आरंभ में ही खारिज कर दिया गया जबकि 15,975 मामलों का निपटान उचित प्राधिकरणों को उपचारात्मक उपाय के निर्देश के साथ किया गया। कुल 24,622 मामलों को राज्य मानव अधिकार आयोगों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटान के लिए भेजा गया। वर्ष 2015–2016 के दौरान रा. मा.अ.आ. द्वारा निपटाए गए मामलों के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण के लिए अनुलग्नक–2 देखें। सूचना की अवधि के अंत में, अर्थात, 31 मार्च, 2016 को आयोग के पास लंबित मामलों की कुल संख्यात 40,766 थी। इन मामलों में 2,001 मामले ऐसे थे जिन पर प्रारंभिक विचार होना था तथा 38,765 मामले या तो संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट न मिलने के कारण अथवा आयोग द्वारा विचार न किए जाने के कारण लंबित थे (अनुलग्नक–3)।

हिरासतीय हिंसा की रोकथाम

20.5 रा.मा.अ.आ. को वर्ष 2015–2016 के दौरान न्यायिक हिरासत में मृत्यु से संबंधित 1,670 सूचना एवं पुलिस हिरासत में मौत से संबंधित 152 सूचना प्राप्त हुई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान अर्द्धसैनिक/रक्षा बलों की हिरासत में मौत के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। आयोग ने हिरासतीय मौत के 1,193 मामले– न्यायिक हिरासत में मौत के 1,064 मामले, पुलिस हिरासत में मौत के 129 मामले तथा अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में मौत के एक मामले का निपटान किया। इन आंकड़ों में पिछले वर्षों के मामले भी शामिल हैं।

आर्थिक राहत के लिए रा.मा.अ.आ. की सिफारिशें एवं उसका अनुपालन

20.6 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने 332 मामलों में पीड़ितों/मृतकों के निकट संबंधी को मौद्रिक राहत/मुआवजे के भुगतान के रूप में ₹ 6,05,60,000/– की सिफारिश की। इन 332 मामलों में से जितने मामलों में आर्थिक सहायता की सिफारिश की गई थी, उनमें से केवल 33 मामलों में ही अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई जबकि कुल ₹50,55,000/– की राशि का भुगतान पीड़ितों/मृतकों के निकट संबंधी को किया गया। इस मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक– 4 पर दिया गया है।

20.7 दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान रा.मा. अ.आ. को ऐसे 299 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जिनमें ₹5,55,05,000/– की मौद्रिक राहत की अनुशंसा की गई थी। इन मामलों में से आयोग ने मामला सं0 984/34/15/08–09 (अनुलग्न क–5 के क्रम सं0 94 पर उल्लिखित) में रेलवे बोर्ड से सिफारिश की थी कि वो मृतक श्री संजय कुमार अग्रवाल की विधवा श्रीमती संगीता देवी को ₹5,00,000/–(पांच लाख रु.) का भुगतान करे जिसे भारत संघ द्वारा मध्य–पूर्व रेलवे के सहायक सुरक्षा आयुक्त के माध्यम से रांची के उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) सं0 5974/2015 दर्ज करके चुनौती दी गई। मामला उच्च न्यायालय में लंबित पड़ा है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने क्रमशः मामला सं0

2214/12/28/2013 और 2838/13/28/2012 (अनुलग्नक–5 के क्रमांक 105 और 115 देखें) में पीड़ित को या मृतक के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत का भुगतान करने संबंधी आयोग की सिफारिश का अनुपालन करने में अपनी अनिच्छा जाहिर की। इसके जवाब में आयोग ने प्रेक्षण किया कि अब इन सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना पड़ेगा और इसके बाद आयोग ने मामलों को बंद कर दिया।

20.8 मौद्रिक राहत के संबंध में की गई सिफारिश के अलावा आयोग ने 30 मामलों में दोषी लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक/विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी की। श्रीमती निशा सिंह, काउंसलर, वार्ड सं. 30, गुडगांव, हरियाणा को झूठे मामले में फंसाने और हिरासत में प्रताड़ित करने संबंधी मामला सं0 5888/7/5/2015 को दोषी पुलिस अधिकारी की पत्नी रानी देवी द्वारा चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका सं. 24079/2016 दायर करके चुनौती दी गई। शेष 29 मामलों को अनुपालन संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आयोग द्वारा बंद कर दिया गया। आयोग ने एक बार फिर उन सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों, विशेषतः उत्तर प्रदेश सरकार से उनके यहां लंबित पड़े मामलों पर अनुपालन से संबंधित त्वरित कार्रवाई करने की सिफारिश की ताकि प्रत्येक मामले में पीड़ितों/निकटतम संबंधी को संस्तुत मौद्रिक राहत तत्काल ही दी जा सके। अनुलग्नक से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के पास 94, ओडिशा सरकार के पास 19 तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और झारखण्ड, दोनों के पास 17–17 मामले अनुपालन के संबंध में लंबित थे जिसमें आयोग द्वारा मौद्रिक राहत के रूप में क्रमशः ₹ 1,31,45,000/–, ₹ 30,60,000/–, ₹ 22,30,000/– और ₹ 60,30,000/– की राशि की संस्तुति की गई थी। अवरोही क्रम में बिहार (16/23,45,000), मध्य प्रदेश (14/22,70,000), हरियाणा (13/29,25,000), छत्तीसगढ़ (12/18,60,000), राजस्थान (12/14,45,000), महाराष्ट्र (10/35,00,000), मणिपुर (10/61,00,000), पश्चिम बंगाल (9/18,75,000), और तेलंगाना (8/16,00,000), आंध्र प्रदेश (7/8,30,000), तमिलनाडु (6/9,25,000), गुजरात (5/11,25,000), पंजाब (5/7,25,000), उत्तराखण्ड (5/4,35,000), त्रिपुरा (4/1,30,000), असम (3/4,50,000), कर्नाटक (3/2,50,000), पुदुचेरी (3/8,00,000), हिमाचल प्रदेश (2/2,00,000), केरल (2/1,50,000), अरुणाचल प्रदेश (1/1,00,000), जम्मू एवं कश्मीर (1/5,00,000), मेघालय (1/5,00,000) जैसे कुछ अन्य राज्य अवरोही क्रम में थे जहां पर मामले लंबित थे।

20.9 पिछले वर्ष से संबंधित मामलों की अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में 138 (66+72) मामले लंबित थे, ब्यौरे के लिए अनुलग्नक–6 और 7 देखें।

20.10 अनुलग्नक–6 में मौद्रिक राहत के भुगतान के संबंध में वर्ष 2014–15 के अनुपालन संबंधी लंबित मामलों का विवरण दिया गया है। जैसा कि स्पष्ट है इस सूची में भी उत्तर प्रदेश राज्य एक बार फिर सबसे ऊपर है क्योंकि आयोग को आज की तारीख तक 24 मामलों, जिनमें से अधिकतर सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं, में भुगतान का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जिन अन्य राज्यों को अभी इस संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट अग्रेषित करना शेष है वे इस प्रकार हैं– बिहार (6), राजस्थान (6), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (5), ओडिशा (5), केरल (3), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2), गुजरात (2), झारखंड (2), मध्य प्रदेश (2), महाराष्ट्र (2), आंध्र प्रदेश(1), असम (1), तमिलनाडु (1), तेलंगाना (1)। इन राज्यों से जुड़े हुए सभी मामले प्रमुखतः सिविल और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं, कुछेक मामले सेना/अर्द्धसैनिक बल के कार्मिकों सहित महिलाओं के यौन शोषण से, महिलाओं के अनादर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सरकारी अस्पतालों में अनियमितताओं/दुराचारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं सहित महिलाओं के अपरहरण/बलात्कार तथा पेंशन का भुगतान न किए जाने से संबंधित हैं। इन मामलों का विवरण रा.मा.अ.आ. के पहले की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है। आयोग एक बार फिर उपरोक्त सभी राज्य सरकारों का आह्वान करता है कि वे आयोग को अपनी अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए तत्काल कदम उठाएं साथ ही हिंसा की घटनाओं को रोकने तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंध रखने वाली महिलाओं सहित महिलाओं के प्रतिभेद भाव को रोकने के लिए विशेष उपाय करने सहित नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों की रक्षा एवं उसकी बहाली के लिए व्यापक कदम उठाएं।

20.11 अनुलग्नक –7 में वर्ष 2008–09 से 2013–2014 की अवधि के लिए आयोग द्वारा आर्थिक सहायता के भुगतान, अनुशासनिक कार्रवाई एवं अभियोजन के लिए की गई सिफारिशों पर लंबित अनुपालन के मामलों का विवरण दिया गया है। निर्दिष्ट अनुलग्नक

में उद्धृत 72 मामलों में से चार मामलों में संबंधित राज्य सरकारों ने अपने–अपने उच्च न्यायालायों में आयोग की सिफारिशों को चुनौती दी है तथा इनमें से अधिकांश मामलों में अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। ये राज्य हैं– जम्मू एवं कश्मीर (2), ओडिशा (1) और केरल (1)। आयोग इन सभी राज्य सरकारों से अपील करता है कि वे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इसके अतिरिक्त, आयोग को यह विश्वाम है कि अनुलग्नक –7 में सूचीबद्ध अन्य राज्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का पालन करेंगे तथा पीड़ितों एवं उनके निकट संबंधी को तत्काल राहत प्रदान करेंगे।

कारागार जनसंख्या का विश्लेषण

20.12 आयोग कारागारों और नजरबंद करने वाले अन्य संस्थानों में बहुत अधिक भीड़ जैसी समस्याओं के कारण सुविधाओं की दयनीय स्थिति के बारे में अत्यन्त चिन्तित है।

20.13 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एम.सी.आर.वी.) के सन् 2015 के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर अनेक राज्यों के कारागारों में अत्यधिक भीड़ की समस्या पाई गई। वर्ष के अंत तक कारागार में रहने वालों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में थी अर्थात् 88,747 व्यक्ति (85,214 पुरूष और 3,533 महिलाएं), इसके उपरान्त मध्य प्रदेश राज्य में 38,548 व्यक्ति (37,136 पुरुष और 1,322 महिलाएं), महाराष्ट्र में 29,657 व्यक्ति (28,321 पुरुष और 1,336 महिलाएं), बिहार में 28,418 व्यक्ति (27,527 पुरुष और 891 महिलाएं) तथा पंजाब में 23,645 व्यक्ति (22,510 पुरुष और 1,135 महिलाएं) कारागारों में थे।

20.14 देखने में आया है कि कारागारों में भीड़ अधिक होने का प्रमुख कारण विचारणाधीन कैदियों की दिन–प्रति–दिन बढ़ती संख्या और विचारण अवधि है जिसके कारण वे काफी लम्बे समय तक कारागारों में सड़ते रहते हैं। कुछेक मामलों में तो यहां तक पाया गया है कि विचारणाधीन कैदी इतने वर्षों तक कारागार में रहते हैं, जो किसी अपराध के लिए किसी दांडिक कानून के तहत निर्धारित की गई सजा से भी कहीं अधिक समय होता है। एकत्र किए गए आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि विचारणाधीन

कैदियों का सबसे अधिक प्रतिशत उत्तर प्रदेश (62,669) में है, उसके बाद बिहार (23,424), महाराष्ट्र (21,667), मध्य प्रदेश (21,300), पश्चिम बंगाल (15,342), राजस्थान (14,225), झारखंड (13,588), पंजाब (13,046), ओडिशा (12,584), दिल्ली (10,879) और हरियाणा (10,489) में विचारणाधीन कैदियों का प्रतिशत सबसे अधिक है।

20.15 कारागार सांख्यिकीय आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण से राज्यों द्वारा कारागारों में अत्यधिक भीड़ को नियन्त्रित करने के लिए गम्भीर प्रयास किए जाने की सतत् आवश्यकता का पता चलता है। कारागारों में अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिए कारागारों के सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा सांविधियों में उल्लिखित प्रावधानों (पैरोल, जमानत, फरलो, शार्ट लीव और अपील याचिकाओं इत्यांदि के रूप में) का मुक्त रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। कारागार प्राधिकारियों को ऐसी प्रक्रियाएं पूरी करने में सहायता प्रदान करने के लिए, कारागारों में रहने वालों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए, कारागार समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

सिलिकोसिस

20.16 एन.एच.आर.सी. ने 25 जुलाई 2014 को नई दिल्ली में सिलिकोसिस पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। तीन पूर्ण सत्रों में आयोजित विचार–विमर्श के आधार पर, राष्ट्रीय सम्मेलन में 20 सिफारिशें की गईं। ये सिफारिशें एन.एच.आर.सी. वार्षिक रिपोर्ट 2014–2015 के अध्याय 6 में 'स्वास्थ्य का अधिकार' में दी गई थीं। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष ने इन सिफारिशों को अक्टूबर 2014 में इस अनुरोध के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भेजा था कि संबंधित सरकारों द्वारा इनके कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जाए और आयोग को कृत कार्रवाई की जानकारी दी जाए। इसके बाद, उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक अनुस्मारक जारी किया गया, जिन्होंने इस मामले में अपनी कृत कार्रवाई की रिपोर्ट को अग्रेषित नहीं किया था। जिन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी थी, वो हैं– असम, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश,

हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, पुदुचेरी, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। शेष राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पुनः 24 फरवरी 2016 को स्मरण दिलाया गया कि वे जल्द से जल्द आयोग को अपनी कृत कार्रवाई की रिपोर्ट भेजें जिससे कि पीड़ित श्रमिकों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जा सकें।

स्वास्थ्य परिचर्या अधिकार पर एन.एच.आर.सी. की पश्चिमी क्षेत्र जनसुनवाई

20.17 एन.एच.आर.सी. द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधन सोसायटी, नई दिल्ली और सोसायटी नेटवर्क, जन स्वास्थ्य अभियान के सहयोग से 6 और 7 जनवरी, 2016 को स्वास्थ्य परिचर्या अधिकार पर दो दिवसीय पश्चिमी क्षेत्र जन सुनवाई की गई। मुम्बई में एक सिविल क्षेत्रीय सुनवाई में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य शामिल थे। पश्चिमी क्षेत्र जन सुनावाई का मुख्य उद्देश्य जन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में मानव अधिकारों के उल्लंघन का मूल्यांकन करना औश्र महत्त्वपूर्ण सुव्यवस्थित और नीतिगत मुद्दों के प्रति ध्यान आकर्षित करना था तथा इस प्रक्रिया में लोगों के स्वास्थ्य अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित सिफारिशें की गईं।

20.18 क्षेत्रीय जन सुनवाई के प्रथम दिन आयोग ने 106 मामलों में से 88 मामलों (महाराष्ट्र–38, गुजरात–30 और राजस्थान–20) पर तीन अलग–अलग बैंचों ने विचार किया। महाराष्ट्र राज्य के 18 मामलों पर समय की कमी के कारण विचार नहीं किया जा सका। आयोग ने पांच मामलों में ₹4,25,000 (चार लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) के मुआवजे की सिफारिश की। इसमें चिकित्सीय लापरवाही और उपचार में देरी के कारण अंग का अंग विच्छेदन; गलत एच. आई. वी. रिपोर्ट के कारण एक महिला और बच्चे को मानसिक पीड़ा और आघात तथा पी.एच.सी. चिकित्सक के अनुपस्थित होने के कारण एक एम्बुलेंस ड्राईवर द्वारा मरीज को सहमति के बिना निजी अस्पताल ले जाना। तीनों मामलों में राजस्थान सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और पूछा गया कि पीड़ित

अथवा उनके परिजनों को मुआवजा देने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। आयोग ने आगे कई मामलों में राज्य सरकारों को विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए।

20.19 दूसरे दिन, आयोग और राज्य अधिकारियों के समक्ष गैर सरकारी व सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए मामला अध्ययनों और विभिन्न व्यवस्थित मुद्दों के व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के दूसरे दिन हुई चर्चाओं के उपरान्त की गई सिफारिशों को बाद में आयोग ने अपनी 16 फरवरी, 2016 को आयोजित बैठक में अंतिम रूप दिया जिसमें निर्देश दिया गया कि इन्हें राज्यवार समेकित किया जाए और संबंधित राज्य को अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अग्रषित कर दिया जाए। ये सिफारिशें संलग्नक 8, 9 और 10 पर प्रस्तुत हैं। संबंधित राज्य सरकारों की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। आयोग ने एक बार पुनः अपनी सिफारिशों का अनुपालन करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य सरकारों से अनुरोध किया ताकि लोगों के स्वास्थ्य अधिकारों का ध्यान रखा जा सके।

शिक्षा का अधिकार

20.20 इसके लागू होने के छः साल के बाद आज भी उन मापदंडों के बारे में महत्वपूर्ण बहस हो रही है, जिसके माध्यम से उस वादे को पूरा किया जा सके। स्कूली शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में उल्लेखनीय प्राप्ति के बावजूद राज्यों द्वारा आर.टी.ई. के कार्यान्वयन में विशेष रूप से बुनियादी अवसंरचना आवश्यकताओं के संबंध में अभी भी बड़ी मुश्किलें जैसे कि विद्यालयों के लिए पर्याप्त कक्षा कक्ष, शौचालय और चाहर–दीवारी; पीने के पानी की उपलब्धता; प्रशिक्षित शिक्षक; शिक्षकों के खाली पदों को भरना; और छात्र–शिक्षक अनुपात हैं।

20.21 अभी भी बस्तियों सहित ऐसे अनेक स्थान हैं जंहा पर तीन किलोमीटर के भीतर एक भी स्कूल नहीं है। आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों तथा विवाद ग्रस्त क्षेत्रों के कई बच्चों के लिए आर.टी.ई. अवास्तविक है। इसके अलावा, सभी राज्यों में आर.टी.ई. के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आयोग नहीं है।

आर.टी.ई. की अधिकांश विषय–वस्तु वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25% सीटों के आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के इर्द–गिर्द घूम रही है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत में अधिकांश छात्र सरकारी स्कूलों या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्ययन करते हैं, इसलिए वंचित समूहों के बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं, शिक्षक योग्यता और लक्षित शिक्षा के मामले में आर.टी.ई. के कार्यान्वयन में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है ताकि और अधिक न्यायसंगत प्रणाली बनाई जा सके। आज भी, अधिकांश बच्चे प्राथमिक विद्यालय के पांच साल पूरे करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पूरे करने वाले बच्चों के स्कूल छोडने का प्रतिशत भी उल्लेखनीय है। स्कूल छोडने के ये रुझान समानता के बारे में परेशान करने वाले सवाल पैदा करते हैं, क्योंकि शहरी और ग्रामीण शिक्षा तथा अमीरों व गरीबों को प्राप्त शिक्षा के बीच बहुत अंतर है।

महिलाओं और बच्चों के अधिकार

20.22 प्रत्येक महिला और बच्चे को उनके अस्तित्व, विकास, संरक्षण, भागीदारी और सशक्तिकरण के लिए समान अवसर प्रदान करके उनमें समान, सतत और व्यापक आधार पर विनिवेशन से संतुलन और निष्पक्षता आ सकती है। विशेष रूप से सबसे कमजोर और हाशिए के लोगों में अपर्याप्त निवेश गरीबी और असमानता के अंतर–पीढ़ी संचरण को कायम कर सकता है, जिससे उनके समस्त विकास पर प्रतिकूल नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वास्तव में, उत्तरदायी बजट यह सुनिश्चित करेगा कि मानव अधिकार सिद्धांतों और सार्वभौमिकता के मानकों, अविभाज्यता, जवाबदेही, पारदर्शिता तथा महिलाओं और बच्चों के विधि के शासन का समर्थन किया जाए।

बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार

20.23 अन्य विकासशील देशों की तुलना में, भारत को एक युवा राष्ट्र माना जाता है। तथापि, अपेक्षाकृत युवा आबादी होने का कुछ नुकसान भी हो सकता है और वो ये कि

एक स्तर पर अंत में तेजी से बुढ़ापे की ओर बढ़ने का है। यह गहरी चिंता का एक कारण है क्योंकि भारत में पहले से ही दूसरी सबसे बड़ी आबादी बुजुर्गों की है, जो कि 60 वर्ष से अधिक आयु के रूप में परिभाषित है। एकल परिवारों की उभरती हुई प्रवृत्ति के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य के परिवर्तन सहित बुजुर्गों की जिंदगी आगे बदल रही है और आने वाले वर्षों में उनकी स्थिती के और अधिक कमजोर होने की संभावना है। यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि वे सुरक्षित, स्वस्थ और आरामदायक जीवन जीने में सक्षम हो सकें।

20.24 बुजुर्गों की संख्या में लगातार वृद्धि से मानवाधिकारों के उल्लंघन विशेष रूप से उनके खिलाफ अपराध भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या में बुजुर्ग व्यक्ति, जो अशिक्षित हैं, अपने मानवाधिकारों से अनजान हैं, जिसके कारण उन्हें गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह सब निश्चित रूप से उनके जीवन जीने के तरीके और भलाई की भावना पर असर डालता है।

मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख संस्थाओं के कार्यों में सुधार हेतु एन.एच. आर.सी. याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश

20.25 आयोग ने 27 फरवरी, 2013 को केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लिए उपयुक्त निर्देशों की मांग के उद्देश्य से 13 सकारात्मक मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय से दोबारा हस्तक्षेप (याचिका संख्या सी.आर.एल.एम.पी. संख्या 8032/2013, डब्ल्यू.पी. (सी.आर.एल.) संख्या 1900/1981, डॉ. उपेन्द्र बक्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग) की मांग की ताकि देश में विद्यमान मानसिक स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं की विद्यमान स्थिति को सुधारा जा सके।

20.26 एन.एच.आर.सी. द्वारा फाइल की गई याचिका के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं सभी राज्य सरकारों को अपने स्वास्थ्य सचिव के द्वारा राष्ट्रीय एवं जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों पर प्राप्त राशि एवं उसकी

उपयोगिता सहित स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है। केन्द्रीय मंत्रालय ने सभी 13 मुद्दों के साथ मानसिक स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र में कार्यान्वित योजनाओं अर्थात् जिला मानसिक स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम (डी.एम.एच.पी.) के तहत प्रकर्ष केन्द्रों की स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूती सहित जनशक्ति विकास अवयवों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मंत्रालय ने राज्यों को वितरित राशि एवं इस संबंध में इनके द्वारा व्यय की गई राशि के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। केन्द्र सरकार ने यह भी खुलासा किया कि राज्यों ने वितरित सभी राशि को खर्च नहीं किया है एवं न ही उनके द्वारा उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं नियमित अंतराल पर केन्द्र के पास प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। केन्द्रीय मंत्रालय ने यह अर्जी दी कि एन.एच.आर.सी. द्वारा जाहिर की गई चिंता पर स्थिति रिपोर्ट के साथ–साथ राष्ट्रीय एवं जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को उचित निर्देश दिए जाए।

20.27 इसके उत्तर में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उनके लिए निर्धारित धनराशि, उपयोग की गई राशि तथा दी गई राशि का प्रयोग न करने या आंशिक उपयोग करने के कारणों के साथ पूर्ण विवरण देते हुए जवाबी हलफनामा फाइल करने को कहा। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अस्पतालों में मानसिक बीमार लोगों की वर्तमान स्थिति, उनकी स्थिति में सुधार लाने हेतु उठाए गए कदम के साथ–साथ डी.एम.एच.पी. के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया। तदनुसार, राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तर तथा साझा की गई सूचना को सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया।

20.28 सर्वोच्च न्यायालय के पास राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों के सत्यापन हेतु आयोग ने अपने विशेष संपर्ककर्त्ताओं को राज्य द्वारा चलित मानसिक स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों सहित उनके संबंधित विभागों का दौरा कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निवेदन किया। आयोग ने यह महसूस किया कि यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के उचित अनुपालन में काफी मददगार साबित होगा। अतः आयोग विस्तृत प्रश्नावली का

एक सेट तैयार कर अपने अधिवक्ता के सहारे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके पश्चात् कथित प्रश्नावली का पुनरीक्षण कर सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के संबंधित विभागों के पास भेज दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों से इन प्रश्नावलियों के उत्तर को हलफनामें के रूप में तैयार करने का निर्देश दिया तथा राज्य अधिवक्ताओं से इस प्रक्रिया को सहूलियत देने के लिए कहा गया। प्रश्नावली के इसी सेट का प्रयोग विशेष संपर्ककर्त्ताओं द्वारा किया गया।

20.29 मार्च, 2015 में, आयोग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान संस्थान, बैंगलूरू; मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं अस्पताल, आगरा; मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली; तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से एक प्रतिनिधि के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर एक चार सदस्यीय तकनीकी समिति गठित की। इस तकनीकी समिति को गठित करने का मूल उद्देश्य एन.एच.आर.सी. की प्रश्नावली के उत्तर में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर देश में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख पर आधारभूत संरचना की जानकारी हासिल करनी चाहिए ताकि मौजूदा कमियों एवं अपर्याप्तता को दूर करने में सर्वोच्च न्यायालय की मदद की जा सके।

20.30 दिनांक 9 अप्रैल, 2015 को, सर्वोच्च न्यायालय ने भी आयोग द्वारा गठित तकनीकी समिति को राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा दिए गए सभी आंकड़ों का सत्यापन कर रिपोर्ट अग्रषित करने का निर्देश दिया। इसके पश्चात्, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित राज्य/स्वास्थ्य सेवा नेदेशक के साथ–साथ राज्य मानव अधिकार आयोग एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सहित प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से दो कुशल डॉक्टरों सहित संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगा जो संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में अवस्थित विभिन्न संस्थानों के विभिन्न मामलों का प्रत्यक्ष सत्यापन करेगी। कथित समिति विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीर्ष न्यायालय के समक्ष तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह दोहराया कि, इस समिति में जो भी हिस्सा हैं उन्हें यह आदेश संप्रेषित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी निदेश दिया कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जिन्होंने अभी

तक संबंधित हलफनामा फाइल नहीं की है, वह चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करे, ऐसा न करने पर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव/प्रशासक को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर हलफनामा फाइल न करने का कारण बताना पड़ेगा।

20.31 चार सदस्यीय तकनीकी समिति ने फरवरी, 2016 में मानसिक स्वास्थ्य पर अंतिम रिपोर्ट को दो भागों में प्रकाशित किया। इस तकनीकी रिपोर्ट को सवोच्च न्यायालय के सम्मुख रखा गया है। न्यायालय ने तकनीकी समिति के कार्यों की सराहना करते हुए यह दर्शाया कि न्यायालय इस समिति द्वारा दिए सुझावों/सिफारिशों को पढ़ने के बाद केन्द्र सरकार को छः सप्ताह के भीतर प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया एवं राज्य सरकारों को भी यह निर्देश दिया कि वे इन रिपोर्टों पर अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि समिति का कार्य विफल न हो।

20.32 एन.एच.आर.सी. तकनीकी समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर भारत सरकार द्वारा गठित जांच समिति ने सितम्बर, 2015 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। देश में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की समग्र कार्यवाही में सुधार हेतु सर्वोच्च न्यायालय के लम्बित निर्देशों के अनुसार, एन.एच.आर.सी. एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ हाथ मिलाकर भविष्य की कार्य योजना तैयार करना अच्छा ही होगा।

कुष्ठ रोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला

20.33 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2015 का विज्ञान भवन उपग्रह में कुष्ठरोग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के मुख्य उद्देश्यः i) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2012 को आयोजित कुष्ठरोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला के सुझावों/सिफारिशों का अनुसरण करना; एवं ii) कुष्ठरोग से संबंधित चिंता के मुद्दों को अभिभाषित करना। सम्मेलन में विचार–विमर्श के आधार पर कई महत्त्वपूर्ण सुझाव सामने आए। इन संस्तुतियों को सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के पास कार्यान्वयन हेतु अग्रषित कर उनसे की गई

कार्रवाई की रिपोर्ट की मांग की गई। आयोग ने अण्डमान एवं निकोबार, असम, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, नागालैण्ड, ओडिशा, सिक्किम, तेलांगाना, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। जिन राज्यों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी है उन्हें तुरन्त ही रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निवेदन किया है।

मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख पर राज्य स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक

20.34 एन.एच.आर.सी. द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2015 को इण्डिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में राज्य स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के मुख्य उद्देश्य थेः i) राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन (एन.एम.एच.पी.) मुख्यतः जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डी.एम.एच.पी.) की आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति विकास के तरीकों पर चर्चा करना; ii) एन.एम.एच.पी. के विभिन्न अवयवों के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित निधि की उपयोगिता के बेहतर उपयोग के तरीकों पर चर्चा; iii) राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों में पुनर्वास सहित मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख पर कार्य को साझा करना; एवं iv) समाज में कुष्ठ से निज़ात पाए मरीजों के उचित पुनर्वास के तरीकों पर चर्चा।

20.35 इन सिफारिशों को अनुपालन हेतु सभी स्वास्थ्य सचिवों के पास अग्रेषित कर दिया गया है। आयोग सभी राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों से उनके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट यथाशीघ्र आयोग को अग्रेषित करने का निवेदन करता है।

राज्य मानव अधिकार आयोग

20.36 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सतत रूप से प्रत्येक राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना हेतु भारत सरकार पर दवाब डाल रहा है ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को मानव अधिकारों की रक्षा आसानी से हो सके। केन्द्रशासित प्रदेशों में भी

मानव अधिकार आयोगों के गठन हेतु एन.एच.आर.सी. ने पी.एच.आर. एक्ट में संशोधन हेतु भारत सरकार को एक प्रस्ताव पेश किया है।

20.37 इसके अलावा, इसने राज्य मानव अधिकार आयोगों के सुलभ कार्य निष्पादन हेतु शिकायत निपटान की स्ट्रीमलाइनिंग सहित बुनियादी संरचना, न्यूनतम जनशक्ति एवं वित्तीय आवश्यकताओं जैसे चिंतनीय मुद्दों के निपटान हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार से गुहार लगाई है। इसके उत्तर में, भारत सरकार ने एन.एच.आर.सी. से निवेदन कर प्रत्येक एस.एच.आर.सी. के संबंध में पजीकृत शिकायतों, निपटान, लम्बित शिकायतों, विभाग–आधार पर जनशक्ति, वित्तीय आवंटन, अनुभव की गई कमियों के प्रकार एवं इसकी वृद्धि के स्पष्टीकरण के संबंध में विवरण अग्रेषित करने का निवेदन किया है। एन.एच.आर.सी. द्वारा विभिन्न एस.एच.आर.सी. से तथ्यात्मक सूचना संग्रहीत कर एन.एच.आर.सी. द्वारा वर्ष 2011 में गठित एस.एच.आर.सी. पर ''न्यायमूर्ति श्री जी.पी. माथुर समिति'' पर अपेक्षित कार्रवाई करने के निवेदन के साथ दिनांक 23 मार्च, 2015 को अग्रेषित कर दी गई। जैसा कि इस मामले पर कोई उत्तर प्राप्त न होने पर, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मानव अधिकार प्रभाग को इस मामले में कार्रवाई की स्थिति संप्रेषित करने का अनुस्मारक भेजा गया। वार्षिक रिपोर्ट लिखते वक्त, मंत्रालय को दोबारा स्मरण करवाया गया। एन.एच.आर.सी. की सोच इस बात पर सकारात्मक है कि गृह मंत्रालय एस.एच.आर.सी. के कार्यों की सराहना करेगा ताकि मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण एवं इनसे जुड़े मामलों तथा आवश्यकताओं हेतु पी.एच.आर. एक्ट का सम्मान बना रहे।

अनुलग्नक

अनुलग्नक

अनुलग्नक–1 **पैरा 2.22**

दिनांक 01/04/2015 से 31/03/2016 तक पंजीकृत मामलों की संख्या दर्शाने वाली तालिका

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शिकायतें	स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौतों/बलात्कार के संबंध में प्राप्त सूचना			मुठभेड़ में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचना	योग
			पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार	न्यायिक हिरासत में मौत/बलात्कार	अर्द्ध सैनिक बलों/रक्षा की हिरासत में मौत/बलात्कार		
संपूर्ण भारत	416	0	0	0	0	0	416
आंध्र प्रदेश	1280	3	6	41	0	5	1335
अरुणाचल प्रदेश	29	0	3	3	0	3	38
असम	284	1	9	22	1	49	366
बिहार	4019	5	8	106	0	3	4141
गोवा	66	0	1	2	0	0	69
गुजरात	1393	3	10	39	0	0	1445
हरियाणा	11518	8	6	65	0	9	11606
हिमाचल प्रदेश	216	0	0	7	0	0	223
जम्मू एवं कश्मीर	209	0	0	2	0	2	213
कर्नाटक	958	5	4	11	0	1	979
केरल	942	2	5	49	0	0	998
मध्य प्रदेश	2808	16	7	135	0	3	2969
महाराष्ट्र	2867	6	24	115	0	3	3015
मणिपुर	66	0	0	1	0	9	76
मेघालय	29	0	4	4	0	16	53
मिजोरम	13	1	2	4	0	0	20
नागालैण्ड	8	0	0	0	0	0	8

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शिकायतें	स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौतों/बलात्कार के संबंध में प्राप्त सूचना			मुठभेड़ में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचना	योग
			पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार	न्यायिक हिरासत में मौत/बलात्कार	अर्द्ध सैनिक बलों/रक्षा की हिरासत में मौत/बलात्कार		
ओडिशा	16215	4	6	45	0	8	16278
पंजाब	1249	1	3	180	0	2	1435
राजस्थान	3169	7	5	82	0	0	3263
सिक्किम	10	0	0	1	0	0	11
तमिलनाडु	3054	15	4	64	0	1	3138
त्रिपुरा	49	0	2	3	0	0	54
उत्तर प्रदेश	49323	28	15	350	0	5	49721
पश्चिम बंगाल	1995	2	10	105	0	15	2127
अंडमान निकोबार	30	0	1	1	0	0	32
चण्डीगढ़	200	0	0	6	0	0	206
दादरा एवं नगर हवेली	8	0	0	0	0	0	8
दमन एवं दीव	22	0	0	0	0	0	22
दिल्ली	7533	37	3	51	0	2	7626
लक्षद्वीप	9	0	0	0	0	0	9
पांडिचेरी	122	0	1	0	0	0	123
छत्तीसगढ़	704	4	3	61	0	50	822
झारखण्ड	1573	11	5	64	0	17	1670
उत्तराखण्ड	1799	2	1	19	0	0	1821
तेलांगना	1052	1	4	32	0	3	1092
विदेश	379	1	0	0	0	0	380
कुल योग	**115616**	**163**	**152**	**1670**	**1**	**206**	**117808**

अनुलग्नक–2 **पैरा 2.22**

वर्ष 2015–16 के दौरान निपटाए गए मामलों को दर्शाने वाली तालिका

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रारम्भ में खारिज	निर्देश सहित निपटान	राज्य मानव अधिकार आयोग को हस्तांतरित	रिपोर्ट प्राप्ति के बाद समाप्त			योग
				शिकायतें/स्वतः संज्ञान के मामले	हिरासतीय मौतें/बलात्कार	मुठभेड़ में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचना	
संपूर्ण भारत	386	18	0	0	0	0	404
आंध्र प्रदेश	785	116	209	147	48	1	1306
अरुणाचल प्रदेश	12	6	1	71	0	0	90
असम	187	26	35	141	13	31	433
बिहार	2486	394	709	474	35	2	4100
गोवा	44	11	4	7	1	0	67
गुजरात	875	87	286	222	39	1	1510
हरियाणा	9627	841	764	587	26	3	11848
हिमाचल प्रदेश	155	26	9	51	4	0	245
जम्मू एवं कश्मीर	143	16	64	64	3	0	290
कर्नाटक	674	74	161	186	18	1	1114
केरल	487	72	61	656	24	0	1300
मध्य प्रदेश	1875	236	469	420	145	6	3151
महाराष्ट्र	1880	218	447	312	183	2	3042
मणिपुर	31	8	3	28	1	2	73
मेघालय	18	3	0	7	1	5	34
मिजोरम	6	3	0	4	1	0	14
नागालैण्ड	1	3	0	3	1	0	8
ओडिशा	3326	3822	9100	555	46	3	16852

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रारम्भ में खारिज	निर्देश सहित निपटान	राज्य मानव अधिकार आयोग को हस्तांतरित	रिपोर्ट प्राप्ति के बाद समाप्त			योग
				शिकायतें/ स्वतः संज्ञान के मामले	हिरासतीय मौतें/ बलात्कार	मुठभेड़ में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचना	
पंजाब	727	113	198	182	180	2	1402
राजस्थान	1967	274	374	475	31	4	3125
सिक्किम	6	3	0	2	1	0	12
तमिलनाडु	2258	165	424	181	75	2	3105
त्रिपुरा	27	9	0	8	2	0	46
उत्तर प्रदेश	26453	7126	10601	4702	173	16	49071
पश्चिम बंगाल	1388	155	279	225	50	5	2102
अंडमान निकोबार	21	3	0	1	1	0	26
चण्डीगढ़	152	22	2	24	2	0	202
दादरा एवं नगर हवेली	6	3	0	1	0	0	10
दमन एवं दीव	16	3	0	2	0	0	21
दिल्ली	5536	1203	0	739	13	0	7491
लक्षद्वीप	6	0	0	6	0	0	12
पांडिचेरी	80	22	0	29	1	0	132
छत्तीसगढ़	416	85	103	132	23	5	764
झारखण्ड	937	193	231	230	16	5	1612
उत्तराखण्ड	1214	411	77	163	9	2	1876
तेलांगना	695	147	11	89	27	6	975
विदेश	317	58	0	14	0	0	389
कुल योग	**65220**	**15975**	**24622**	**11140**	**1193**	**104**	**118254**

अनुलग्नक–3 **पैरा 2.22**

31.03.2016 तक लंबित मामलों की संख्या को दर्शाने वाली तालिका

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रारम्भिक विचारण हेतु लंबित मामले				वे लम्बित मामले जिनकी प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है या फिर रिपोर्ट की प्रतीक्षा है				कुल योग
	शिकायतें/स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौत/बलात्कार	मुठभेड़ में मौत	योग	शिकायतें/स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौत/बलात्कार	मुठभेड़ में मौत	योग	
संपूर्ण भारत	16	0	0	16	10	0	0	10	26
आंध्र प्रदेश	52	0	0	52	539	167	15	721	773
अरुणाचल प्रदेश	2	0	0	2	34	22	16	72	74
असम	7	0	0	7	258	75	284	617	624
बिहार	99	1	0	100	1518	365	12	1895	1995
गोवा	2	0	0	2	20	5	0	25	27
गुजरात	64	0	0	64	509	152	2	663	727
हरियाणा	101	3	0	104	1556	162	16	1734	1838
हिमाचल प्रदेश	7	0	0	7	126	14	0	140	147
जम्मू एवं कश्मीर	15	1	0	16	248	3	1	252	268
कर्नाटक	30	1	0	31	321	13	7	341	372
केरल	21	2	0	23	518	109	0	627	650
मध्य प्रदेश	54	2	0	56	977	182	19	1178	1234
महाराष्ट्र	134	4	0	138	781	303	34	1118	1256
मणिपुर	1	0	0	1	187	6	48	241	242
मेघालय	0	0	0	0	74	18	54	146	146
मिजोरम	0	0	0	0	16	11	0	27	27

राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रारम्भिक विचारण हेतु लंबित मामले				वे लम्बित मामले जिनकी प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है या फिर रिपोर्ट की प्रतीक्षा है				कुल योग
	शिकायतें / स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौत / बलात्कार	मुठभेड़ में मौत	योग	शिकायतें / स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौत / बलात्कार	मुठभेड़ में मौत	योग	
नागालैण्ड	0	0	0	0	27	12	0	39	39
ओडिशा	118	1	0	119	3102	107	23	3232	3351
पंजाब	40	2	0	42	636	195	4	835	877
राजस्थान	81	3	0	84	1474	213	3	1690	1774
सिक्किम	1	0	0	1	5	2	0	7	8
तमिलनाडु	127	0	0	127	661	97	6	764	891
त्रिपुरा	4	0	0	4	49	15	2	66	70
उत्तर प्रदेश	598	14	0	612	14390	1046	96	15532	16144
पश्चिम बंगाल	58	4	0	62	718	266	31	1015	1077
अंडमान निकोबार	1	0	0	1	16	6	0	22	23
चण्डीगढ़	6	0	0	6	83	11	0	94	100
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	4	1	0	5	5
दमन एवं दीव	0	0	0	0	5	0	0	5	5
दिल्ली	148	2	0	150	2664	135	21	2820	2970
लक्षद्वीप	1	0	0	1	5	0	0	5	6
पांडिचेरी	5	0	0	5	44	4	0	48	53
छत्तीसगढ़	15	2	2	19	501	179	104	784	803
झारखण्ड	56	4	0	60	747	178	53	978	1038
उत्तराखण्ड	32	0	0	32	390	56	2	448	480
तेलांगना	45	0	0	45	372	147	9	528	573
विदेश	12	0	0	12	41	0	0	41	53
कुल योग	**1953**	**46**	**2**	**2001**	**33626**	**4277**	**862**	**38765**	**40766**

अनुलग्नक–4 **पैरा 2.25**

वर्ष 2015–16 के दौरान वित्तीय राहत के लिए रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत मामलों की कुल संख्या (दिनांक 14/03/2017 तक सी.एम.एस. डाटा के अनुसार)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उन मामलों की संख्या जिनमें मौद्रिक राहत की संस्तुति की गई	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	उन मामलों की संख्या जिनमें संस्तुति का अनुपालन हुआ	भुगतान की गई राशि	अनुपालन हेतु लंबित मामले	अनुपालन हेतु लम्बित मामलों में संस्तुत राशि
संपूर्ण भारत	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	7	830000	0	0	7	830000
अरुणाचल प्रदेश	1	100000	0	0	1	100000
असम	4	750000	1	300000	3	450000
बिहार	19	2845000	3	500000	16	2345000
गोवा	0	0	0	0	0	0
गुजरात	6	1225000	1	100000	5	1125000
हरियाणा	16	3350000	3	425000	13	2925000
हिमाचल प्रदेश	2	200000	0	0	2	200000
जम्मू एवं कश्मीर	2	900000	1	400000	1	500000
कर्नाटक	5	530000	2	280000	3	250000
केरल	2	150000	0	0	2	150000
मध्य प्रदेश	15	3170000	1	900000	14	2270000
महाराष्ट्र	13	3800000	3	300000	10	3500000
मणिपुर	10	6100000	0	0	10	6100000
मेघालय	1	500000	0	0	1	500000
मिजोरम	0	0	0	0	0	0

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उन मामलों की संख्या जिनमें मौद्रिक राहत की संस्तुति की गई	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	उन मामलों की संख्या जिनमें संस्तुति का अनुपालन हुआ	भुगतान की गई राशि	अनुपालन हेतु लंबित मामले	अनुपालन हेतु लम्बित मामलों में संस्तुत राशि
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	20	3160000	1	100000	19	3060000
पंजाब	5	725000	0	0	5	725000
राजस्थान	12	1445000	0	0	12	1445000
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	8	1025000	2	100000	6	925000
त्रिपुरा	4	130000	0	0	4	130000
उत्तर प्रदेश	103	13945000	9	800000	94	13145000
पश्चिम बंगाल	9	1875000	0	0	9	1875000
अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	0
चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	17	2230000	0	0	17	2230000
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	6	1150000	3	350000	3	800000
छत्तीसगढ़	14	2260000	2	400000	12	1860000
झारखण्ड	18	6130000	1	100000	17	6030000
उत्तराखण्ड	5	435000	0	0	5	435000
तेलांगना	8	1600000	0	0	8	1600000
विदेश	0	0	0	0	0	0
कुल योग	**332**	**60560000**	**33**	**5055000**	**299**	**55505000**

अनुलग्नक–5 **पैरा 2.26**

वर्ष 2015–16 के दौरान वित्तीय राहत के लिए रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत मामलों की कुल संख्या (दिनांक 14/03/2017 तक सी.एम.एस. डाटा के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
1	आंध्र प्रदेश	1061/1/15/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	18/08/2015
2	आंध्र प्रदेश	1065/1/19/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	10/12/2015
3	आंध्र प्रदेश	1239/1/3/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	10/12/2015
4	आंध्र प्रदेश	165/1/20/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	15/10/2015
5	आंध्र प्रदेश	251/1/10/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50,000	26/02/2016
6	आंध्र प्रदेश	414/1/11/2010-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत	80,000	23/04/2015
7	आंध्र प्रदेश	818/1/20/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	19/01/2016
8	अरुणाचल प्रदेश	2/2/1/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	17/03/2016
9	असम	141/3/17/2013-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	3,00,000	10/08/2015
10	असम	282/3/9/2013-WC	1309	महिलाओं का अपमान	50,000	29/03/2016

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
11	असम	354/3/9/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	1,00,000	29/10/2015
12	बिहार	1266/4/32/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	10/12/2015
13	बिहार	1453/4/23/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	02/06/2015
14	बिहार	1556/4/11/2013	815	झूठे आरोप में फंसाना	1,00,000	04/04/2015
15	बिहार	1679/4/37/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	01/04/2015
16	बिहार	180/4/26/2013	204	सरकारी अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	3,00,000	01/03/2016
17	बिहार	183/4/30/2013-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	1,00,000	26/11/2015
18	बिहार	1862/4/23/2013	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	25,000	06/07/2015
19	बिहार	1951/4/7/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	30/10/2015
20	बिहार	2129/4/26/08-09-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	14/05/2015
21	बिहार	2542/4/25/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	50,000	12/11/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
22	बिहार	275/4/5/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	08/07/2015
23	बिहार	2766/4/1/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	15/10/2015
24	बिहार	2801/4/21/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	09/07/2015
25	बिहार	3433/4/26/2014	815	झूठे आरोप में फंसाना	10,000	25/05/2015
26	बिहार	3555/4/19/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	60,000	18/01/2016
27	बिहार	4513/4/5/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	31/03/2016
28	छत्तीसगढ़	226/33/14/09-10-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	12/11/2015
29	छत्तीसगढ़	271/33/5/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	08/05/2015
30	छत्तीसगढ़	298/33/16/2011-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	5,00,000	08/02/2016
31	छत्तीसगढ़	590/33/5/2013-WC	1300	महिला	1,00,000	14/03/2016
32	छत्तीसगढ़	673/33/2/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	08/03/2016
33	छत्तीसगढ़	719/33/5/2014	816	गैरकानूनी हिरासत	10,000	26/02/2016
34	छत्तीसगढ़	766/33/1/2013-PF	1702	अपहरण	50,000	26/11/2015
35	छत्तीसगढ़	771/33/1/2013-WC	1311	बलात्कार	1,00,000	24/02/2016
36	छत्तीसगढ़	835/33/14/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	09/12/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
37	छत्तीसगढ़	836/33/15/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	24/09/2015
38	छत्तीसगढ़	860/33/14/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	27/07/2015
39	छत्तीसगढ़	869/33/14/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	02/07/2015
40	दिल्ली	1458/30/5/2014-WC	1311	बलात्कार	25,000	27/07/2015
41	दिल्ली	178/30/2/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	50,000	31/03/2016
42	दिल्ली	1907/30/0/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	6,00,000	05/05/2015
43	दिल्ली	2315/30/10/2013	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	75,000	04/11/2015
44	दिल्ली	2597/30/0/2012-DH	111	घर में मौत	1,00,000	17/04/2015
45	दिल्ली	2624/30/0/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	50,000	22/06/2015
46	दिल्ली	3502/30/0/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	25,000	14/03/2016
47	दिल्ली	3540/30/8/2014	104	बच्चों का शोषण	1,00,000	02/09/2015
48	दिल्ली	3925/30/7/2013-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत	5,00,000	31/03/2016
49	दिल्ली	5467/30/9/2010-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	26/11/2015
50	दिल्ली	5701/30/4/2014	100	बच्चे	10,000	12/08/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
51	दिल्ली	5755/30/6/2013	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	1,00,000	24/02/2016
52	दिल्ली	6565/30/8/2013	821	उत्पीड़न	2,50,000	27/11/2015
53	दिल्ली	7146/30/0/2012	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	25,000	10/12/2015
54	दिल्ली	764/30/9/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	21/04/2015
55	दिल्ली	7931/30/6/2012	704	उत्पीड़न	20,000	21/05/2015
56	दिल्ली	969/30/1/2014-WC	1311	बलात्कार	1,00,000	05/05/2015
57	गुजरात	1070/6/6/2014-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	25/06/2015
58	गुजरात	1512/6/23/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	16/11/2015
59	गुजरात	358/6/4/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	06/07/2015
60	गुजरात	582/6/1/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	7,25,000	19/08/2015
61	गुजरात	767/6/2/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	31/03/2016
62	हरियाणा	11927/7/15/2014	1901	अ.जा./अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	2,00,000	29/02/2016
63	हरियाणा	1195/7/3/2014	815	झूठे आरोप में फंसाना	1,00,000	24/06/2015
64	हरियाणा	1572/7/19/2014	503	असमाजिक तत्वों द्वारा मुसीबत	9,00,000	07/11/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
65	हरियाणा	2942/7/14/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	50,000	27/05/2015
66	हरियाणा	299/7/3/08-09	816	गैरकानूनी हिरासत		07/05/2015
67	हरियाणा	3267/7/0/2011-BL	601	बंधुआ मजदूर	4,00,000	14/05/2015
68	हरियाणा	4689/7/10/2013	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	6,00,000	21/05/2015
69	हरियाणा	5390/7/1/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	07/07/2015
70	हरियाणा	6029/7/1/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	1,00,000	22/01/2016
71	हरियाणा	612/7/19/2010	102	बाल विवाह	25,000	06/05/2015
72	हरियाणा	6143/7/18/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	29/10/2015
73	हरियाणा	6426/7/6/2015-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	21/01/2016
74	हरियाणा	9267/7/17/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	2,00,000	15/09/2015
75	हिमाचल प्रदेश	1/8/2/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	17/09/2015
76	हिमाचल प्रदेश	246/8/11/2014-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	07/09/2015
77	जम्मू एवं कश्मीर	35/9/13/2010-PF	1711	कथित फर्जी मुठभेड़ (अर्द्ध सैनिक बल)	5,00,000	01/04/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
78	झारखण्ड	1011/34/4/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	50,000	09/07/2015
79	झारखण्ड	1155/34/11/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	50,000	11/06/2015
80	झारखण्ड	1243/34/6/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	10/12/2015
81	झारखण्ड	1276/34/7/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	11/06/2015
82	झारखण्ड	130/34/6/2014	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	4,00,000	10/12/2015
83	झारखण्ड	1383/34/5/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	02/12/2015
84	झारखण्ड	1393/34/10/2014-WC	803	अपहरण/बलात्कार	1,00,000	09/07/2015
85	झारखण्ड	1459/34/3/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	23/06/2015
86	झारखण्ड	164/34/5/2013	305	कैदियों का उत्पीड़न	1,00,000	18/11/2015
87	झारखण्ड	165/34/14/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	9,00,000	02/07/2015
88	झारखण्ड	192/34/16/2013	821	उत्पीड़न	50,000	16/12/2015
89	झारखण्ड	287/34/6/2013	809	हिरासतीय उत्पीड़न	50,000	11/06/2015
90	झारखण्ड	345/34/9/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	24,00,000	11/06/2015
91	झारखण्ड	550/34/20/2012	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	80,000	08/03/2016
92	झारखण्ड	564/34/3/2013-WC	1307	सामूहिक बलात्कार	50,000	21/04/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
93	झारखण्ड	690/34/13/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	14/10/2015
*94	झारखण्ड	984/34/15/08-09	804	शक्ति का दुरुपयोग	5,00,000	06/05/2015
95	कर्नाटक	1022/10/33/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	50,000	09/03/2016
96	कर्नाटक	509/10/2/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	0	28/07/2015
97	कर्नाटक	7/10/13/2011-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत	2,00,000	24/02/2016
98	केरल	15/11/6/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	09/04/2015
99	केरल	432/11/13/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	50,000	09/04/2015
100	मध्य प्रदेश	1210/12/30/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	20,000	23/02/2016
101	मध्य प्रदेश	1298/12/7/2014	1904	उत्पीड़न	1,00,000	26/02/2016
102	मध्य प्रदेश	1351/12/11/09-10-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	22/07/2015
103	मध्य प्रदेश	1598/12/2002-2003	1500	विविध	3,00,000	02/07/2015
104	मध्य प्रदेश	2032/12/7/2013-WC	803	अपहरण/बलात्कार	1,00,000	03/07/2015
**105	मध्य प्रदेश	2214/12/28/2013	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	2,00,000	12/06/2015
106	मध्य प्रदेश	259/12/18/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	27/04/2015
107	मध्य प्रदेश	3446/12/8/2014	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	1,00,000	19/10/2015
108	मध्य प्रदेश	405/12/10/2014	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	3,00,000	14/07/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
109	मध्य प्रदेश	545/12/41/2014-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	25,000	24/06/2015
110	मध्य प्रदेश	554/12/15/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	25,000	24/02/2016
111	मध्य प्रदेश	629/12/8/2014	106	यौन उत्पीड़न	2,00,000	22/01/2016
112	मध्य प्रदेश	704/12/13/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	02/09/2015
113	मध्य प्रदेश	902/12/20/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	28/10/2015
114	महाराष्ट्र	2500/13/21/2013	1202	पेंशन/मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाना	25,000	30/12/2015
**115	महाराष्ट्र	2838/13/28/2012	1901	अ.जा./अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	20,00,000	06/11/2015
116	महाराष्ट्र	2839/13/23/2015	204	सरकारी अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	1,00,000	06/01/2016
117	महाराष्ट्र	2851/13/36/2015	204	सरकारी अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	2,00,000	06/01/2016
118	महाराष्ट्र	2852/13/3/2015	204	सरकारी अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	25,000	21/01/2016

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
119	महाराष्ट्र	2855/13/36/2015	204	सरकारी अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	50,000	06/01/2016
120	महाराष्ट्र	2857/13/2/2015	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	50,000	06/01/2016
121	महाराष्ट्र	415/13/24/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	14/10/2015
122	महाराष्ट्र	420/13/30/07-08-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	17/09/2015
123	महाराष्ट्र	778/13/23/2010-AF	1603	अपहरण/बलात्कार	50,000	05/06/2015
124	मणिपुर	16/14/6/2014-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत	1,00,000	22/09/2015
125	मणिपुर	17/14/4/09-10-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	5,00,000	02/12/2015
126	मणिपुर	21/14/12/08-09-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	5,00,000	02/09/2015
127	मणिपुर	22/14/4/09-10-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	20,00,000	13/04/2015
128	मणिपुर	3/14/15/2012-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	28/05/2015
129	मणिपुर	38/14/4/08-09-FE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	5,00,000	28/05/2015
130	मणिपुर	39/14/4/2011-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत	5,00,000	10/03/2016
131	मणिपुर	48/14/0/08-09-FE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	5,00,000	13/05/2015
132	मणिपुर	5/14/12/2010-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	5,00,000	02/09/2015
133	मणिपुर	9/14/4/2010-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	5,00,000	06/05/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
134	मेघालय	40/15/1/2014-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत	5,00,000	22/07/2015
135	ओडिशा	1179/18/18/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	1,00,000	10/02/2016
136	ओडिशा	1237/18/4/2014	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	1,00,000	22/07/2015
137	ओडिशा	1492/18/3/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	08/12/2015
138	ओडिशा	1760/18/24/2014	204	सरकारी अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	1,00,000	17/02/2016
139	ओडिशा	1847/18/5/2014	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	1,00,000	04/03/2016
140	ओडिशा	188/18/29/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	3,00,000	08/03/2016
141	ओडिशा	2106/18/14/2013-WC	1903	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का बलात्कार	1,00,000	31/08/2015
142	ओडिशा	228/18/12/07-08	1904	उत्पीड़न	6,00,000	13/07/2015
143	ओडिशा	2296/18/28/2013-WC	1311	बलात्कार	1,00,000	19/08/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
144	ओडिशा	2372/18/16/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	60,000	25/12/2015
145	ओडिशा	2462/18/3/2012	816	गैरकानूनी हिरासत	50,000	28/09/2015
146	ओडिशा	2522/18/5/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	2,00,000	15/02/2016
147	ओडिशा	2679/18/2/2014	809	हिरासतीय यातना	5,00,000	17/02/2016
148	ओडिशा	3016/18/3/2014-WC	1311	बलात्कार	50,000	27/07/2015
149	ओडिशा	3048/18/12/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	3,00,000	27/04/2015
150	ओडिशा	395/18/28/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	1,00,000	18/11/2015
151	ओडिशा	4369/18/3/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	50,000	10/12/2015
152	ओडिशा	4703/18/18/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	1,00,000	07/03/2016

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
153	ओडिशा	744/18/11/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	50,000	26/02/2016
154	पांडिचेरी	2/32/0/2015-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	15/09/2015
155	पांडिचेरी	56/32/4/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	3,00,000	28/04/2015
156	पांडिचेरी	67/32/0/2014-WC	1310	महिलाओं की अनैतिक तस्करी	4,00,000	28/04/2015
157	पंजाब	100/19/10/2011-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50,000	28/07/2015
158	पंजाब	1410/19/1/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	03/11/2015
159	पंजाब	250/19/0/2014	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	25,000	20/01/2016
160	पंजाब	277/19/18/2013	106	यौन उत्पीड़न	2,50,000	06/05/2015
161	पंजाब	541/19/10/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	09/06/2015
162	राजस्थान	1383/20/19/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	04/01/2016
163	राजस्थान	1617/20/26/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	28/10/2015
164	राजस्थान	1651/20/2/2012	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	1,50,000	22/07/2015

क्रम सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों / मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
165	राजस्थान	1766/20/2/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	3,00,000	16/07/2015
166	राजस्थान	1904/20/14/2011-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50,000	13/01/2016
167	राजस्थान	286/20/22/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	3,00,000	02/07/2015
168	राजस्थान	2908/20/25/2012	1203	अन्य सेवा विवाद	5,000	16/02/2016
169	राजस्थान	464/20/9/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	21/09/2015
170	राजस्थान	475/20/18/2014-WC	1311	बलात्कार	1,00,000	25/06/2015
171	राजस्थान	57/20/17/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	03/09/2015
172	राजस्थान	791/20/4/2013	204	सरकारी अस्पतालों / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	40,000	28/03/2016
173	राजस्थान	907/20/21/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	07/10/2015
174	तमिलनाडु	134/22/13/2015	106	यौन उत्पीड़न	1,00,000	13/11/2015
175	तमिलनाडु	1389/22/46/2011-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	23/07/2015
176	तमिलनाडु	3175/22/13/2012	1505	राज्य / केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	1,00,000	21/03/2016

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
177	तमिलनाडु	326/22/36/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	17/11/2015
178	तमिलनाडु	41/22/15/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	19/11/2015
179	तमिलनाडु	603/22/37/2013	1904	उत्पीड़न	25,000	16/06/2015
180	तेलांगना	1010/1/8/2013-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	3,00,000	18/11/2015
181	तेलांगना	1271/1/14/2013-WC	1311	बलात्कार	3,00,000	14/07/2015
182	तेलांगना	1493/1/7/2011-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत पुलिस हिरासत में कथित मौत	1,00,000	23/04/2015
183	तेलांगना	344/1/12/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	10/12/2015
184	तेलांगना	41/1/7/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	20/05/2015
185	तेलांगना	495/1/18/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	03/11/2015
186	तेलांगना	838/1/9/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	09/07/2015
187	तेलांगना	880/1/23/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	02/11/2015
188	त्रिपुरा	1670/23/4/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	25,000	14/03/2016

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
189	त्रिपुरा	1691/23/3/2013	204	सरकारी अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	10,000	29/03/2016
190	त्रिपुरा	4/23/0/2014	104	बच्चों का शोषण	70,000	19/05/2015
191	त्रिपुरा	8/23/5/2012	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	25,000	30/11/2015
192	उत्तर प्रदेश	10704/24/52/2013	805	हत्या का प्रयास	5,00,000	30/10/2015
193	उत्तर प्रदेश	12023/24/46/2013	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	25,000	26/10/2015
194	उत्तर प्रदेश	12025/24/69/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	1,00,000	16/02/2016
195	उत्तर प्रदेश	12165/24/36/2013-WC	1304	दहेज के लिए हत्या अथवा प्रयास		09/07/2015
196	उत्तर प्रदेश	12338/24/72/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	25/02/2016
197	उत्तर प्रदेश	13079/24/1/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	14/07/2015
198	उत्तर प्रदेश	1314/24/64/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	27/07/2015
199	उत्तर प्रदेश	13538/24/63/2013	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	1,00,000	01/10/2015
200	उत्तर प्रदेश	13652/24/36/2013-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	25,000	19/08/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
201	उत्तर प्रदेश	14292/24/34/2013-WC	1304	दहेज के लिए हत्या अथवा प्रयास	25,000	20/01/2016
202	उत्तर प्रदेश	15083/24/54/2013	817	गैरकानूनी हिरासत	25,000	17/11/2015
203	उत्तर प्रदेश	16081/24/17/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	22/07/2015
204	उत्तर प्रदेश	16187/24/57/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	04/04/2015
205	उत्तर प्रदेश	17572/24/38/2014-WC	1309	महिलाओं का अपमान	50,000	19/08/2015
206	उत्तर प्रदेश	17610/24/65/2013-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	25,000	29/02/2016
207	उत्तर प्रदेश	18355/24/68/2010-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत	5,00,000	13/05/2015
208	उत्तर प्रदेश	18400/24/1/2013	817	गैरकानूनी हिरासत	1,00,000	29/08/2015
209	उत्तर प्रदेश	18500/24/12/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	1,00,000	23/02/2016
210	उत्तर प्रदेश	18702/24/64/2012	816	गैरकानूनी हिरासत	25,000	16/02/2016
211	उत्तर प्रदेश	18844/24/3/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	03/11/2015
212	उत्तर प्रदेश	18883/24/3/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	14/10/2015
213	उत्तर प्रदेश	19165/24/44/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	10,000	17/11/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
214	उत्तर प्रदेश	19995/24/65/2014	1901	अ.जा./अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	25,000	01/04/2015
215	उत्तर प्रदेश	20006/24/60/2015	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	3,00,000	18/02/2016
216	उत्तर प्रदेश	21215/24/18/2014	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	25,000	30/09/2015
217	उत्तर प्रदेश	21267/24/32/08-09-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	02/12/2015
218	उत्तर प्रदेश	21330/24/34/2013	821	उत्पीड़न	25,000	31/08/2015
219	उत्तर प्रदेश	22385/24/34/2013	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	25,000	24/06/2015
220	उत्तर प्रदेश	225/24/52/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	29/03/2016
221	उत्तर प्रदेश	22555/24/32/08-09-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	01/06/2015
222	उत्तर प्रदेश	22934/24/46/2013-WC	1311	बलात्कार	25,000	26/10/2015
223	उत्तर प्रदेश	24179/24/13/2011-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत	5,00,000	12/01/2016
224	उत्तर प्रदेश	24558/24/31/2013	817	गैरकानूनी हिरासत	25,000	25/06/2015
225	उत्तर प्रदेश	25042/24/8/2014	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	25,000	03/07/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
226	उत्तर प्रदेश	25612/24/10/2013	204	सरकारी अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	2,00,000	31/08/2015
227	उत्तर प्रदेश	257/24/40/2014	806	अ.जा./अ.ज.जा. पर अत्याचार (पुलिस द्वारा)	1,00,000	14/07/2015
228	उत्तर प्रदेश	26047/24/7/2014	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	15,000	01/10/2015
229	उत्तर प्रदेश	26195/24/14/2014-WC	1307	सामूहिक बलात्कार	1,00,000	31/07/2015
230	उत्तर प्रदेश	26993/24/13/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	1,00,000	19/11/2015
231	उत्तर प्रदेश	27481/24/71/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	09/11/2015
232	उत्तर प्रदेश	27603/24/77/2014-WC	803	अपहरण/बलात्कार	1,00,000	13/07/2015
233	उत्तर प्रदेश	28397/24/31/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	27/04/2015
234	उत्तर प्रदेश	28980/24/56/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	23/09/2015
235	उत्तर प्रदेश	29202/24/2006-2007-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत	5,00,000	24/06/2015
236	उत्तर प्रदेश	29362/24/31/2012	816	गैरकानूनी हिरासत	25,000	03/08/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
237	उत्तर प्रदेश	32411/24/3/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50,000	24/02/2016
238	उत्तर प्रदेश	32498/24/1/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	31/03/2016
239	उत्तर प्रदेश	3323/24/4/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	31/07/2015
240	उत्तर प्रदेश	33255/24/30/2013-WC	803	अपहरण/बलात्कार	1,00,000	02/07/2015
241	उत्तर प्रदेश	3342/24/17/2014-WC	1311	बलात्कार	1,00,000	10/06/2015
242	उत्तर प्रदेश	33623/24/2005-2006	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	3,00,000	05/05/2015
243	उत्तर प्रदेश	34021/24/72/2013	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	3,00,000	26/05/2015
244	उत्तर प्रदेश	34239/24/7/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	21/12/2015
245	उत्तर प्रदेश	34734/24/21/2012	817	गैरकानूनी हिरासत	25,000	26/10/2015
246	उत्तर प्रदेश	35618/24/31/2012	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	25,000	15/10/2015
247	उत्तर प्रदेश	36038/24/14/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	13/05/2015
248	उत्तर प्रदेश	36086/24/31/2013-WC	1304	दहेज के लिए हत्या अथवा प्रयास	1,00,000	24/06/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
249	उत्तर प्रदेश	36139/24/51/08-09-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	17/09/2015
250	उत्तर प्रदेश	36211/24/72/2013	1901	अ.जा./अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	25,000	25/06/2015
251	उत्तर प्रदेश	36696/24/52/2013	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	25,000	18/08/2015
252	उत्तर प्रदेश	37566/24/1/2013	312	चिकित्सा सुविधाओं का अभाव	25,000	02/11/2015
253	उत्तर प्रदेश	39313/24/3/2014	1508	राज्य/केन्द्र सरकार के कस्टम/एक्साइज/ प्रवर्तन/वन/ आयकर विभाग आदि द्वारा अत्याचार	25,000	07/03/2016
254	उत्तर प्रदेश	39324/24/54/2012	817	गैरकानूनी हिरासत	25,000	22/05/2015
255	उत्तर प्रदेश	39349/24/51/2012	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	60,000	27/02/2016
256	उत्तर प्रदेश	39560/24/13/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	1,00,000	24/06/2015
257	उत्तर प्रदेश	39734/24/36/2013-WC	1304	दहेज के लिए हत्या अथवा प्रयास	1,00,000	19/08/2015
258	उत्तर प्रदेश	39942/24/62/2013	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	25,000	06/07/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
259	उत्तर प्रदेश	39952/24/31/2012	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	2,50,000	02/06/2015
260	उत्तर प्रदेश	40059/24/43/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	1,00,000	04/01/2016
261	उत्तर प्रदेश	40134/24/6/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	15/10/2015
262	उत्तर प्रदेश	40404/24/21/2011-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	25/06/2015
263	उत्तर प्रदेश	40572/24/14/2011	1500	विविध	50,000	05/08/2015
264	उत्तर प्रदेश	41114/24/25/2013-WC	1304	दहेज के लिए हत्या अथवा प्रयास	1,00,000	22/01/2016
265	उत्तर प्रदेश	42106/24/6/2011-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	08/10/2015
266	उत्तर प्रदेश	426/24/52/2014	1501	गुमशुदा	1,00,000	22/09/2015
267	उत्तर प्रदेश	43480/24/54/2013-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत	3,00,000	25/06/2015
268	उत्तर प्रदेश	43640/24/51/2013	817	गैरकानूनी हिरासत	30,000	08/09/2015
269	उत्तर प्रदेश	43743/24/46/2012-WC	1307	सामूहिक बलात्कार	3,00,000	06/07/2015
270	उत्तर प्रदेश	43832/24/24/2013	810	हिरासतीय हिंसा	1,00,000	03/09/2015
271	उत्तर प्रदेश	44133/24/24/2013	1202	पेंशन/मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाना	5,000	20/07/2015
272	उत्तर प्रदेश	44142/24/5/2011	1200	सेवा मामले	50,000	01/12/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
273	उत्तर प्रदेश	44241/24/72/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	50,000	20/01/2016
274	उत्तर प्रदेश	44339/24/62/2013	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	3,00,000	17/04/2015
275	उत्तर प्रदेश	45315/24/18/2013	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	25,000	15/09/2015
276	उत्तर प्रदेश	49639/24/37/2014	806	अ.जा./अ.ज.जा. पर अत्याचार (पुलिस द्वारा)	25,000	19/11/2015
277	उत्तर प्रदेश	52622/24/48/08-09-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	5,00,000	12/11/2015
278	उत्तर प्रदेश	6083/24/31/2014	816	गैरकानूनी हिरासत	1,00,000	19/08/2015
279	उत्तर प्रदेश	6294/24/57/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	24/06/2015
280	उत्तर प्रदेश	6689/24/31/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	02/12/2015
281	उत्तर प्रदेश	6973/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	23/09/2015
282	उत्तर प्रदेश	9375/24/10/2013	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	50,000	24/06/2015
283	उत्तर प्रदेश	9523/24/17/2013	817	गैरकानूनी हिरासत	25,000	01/03/2016
284	उत्तर प्रदेश	9551/24/55/2013	100	बच्चे	1,00,000	20/07/2015
285	उत्तर प्रदेश	9646/24/46/07-08-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	23/09/2015
286	उत्तराखण्ड	1020/35/8/2014-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	18/03/2016

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
287	उत्तराखण्ड	1179/35/6/2011	817	गैरकानूनी हिरासत	25,000	13/01/2016
288	उत्तराखण्ड	2003/35/13/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	1,00,000	29/02/2016
289	उत्तराखण्ड	705/35/11/2011-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत	2,00,000	12/01/2016
290	उत्तराखण्ड	842/35/6/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	10,000	18/11/2015
291	पश्चिम बंगाल	1137/25/15/2013-PF	1704	शक्ति का दुरुपयोग	25,000	30/09/2015
292	पश्चिम बंगाल	12/25/22/2014-WC	1309	महिलाओं का अपमान	25,000	25/05/2015
293	पश्चिम बंगाल	1324/25/11/2013-WC	1309	महिलाओं का अपमान	50,000	24/02/2016
294	पश्चिम बंगाल	1532/25/5/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	24/02/2016
295	पश्चिम बंगाल	437/25/22/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	25/06/2015
296	पश्चिम बंगाल	523/25/15/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	75,000	19/11/2015
297	पश्चिम बंगाल	614/25/16/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	02/12/2015
298	पश्चिम बंगाल	84/25/19/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	6,00,000	21/03/2016
299	पश्चिम बंगाल	971/25/17/2011	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	2,00,000	19/11/2015

अनुलग्नक–6 **पैरा 2.28**

वित्तीय राहत के भुगतान हेतु वर्ष 2014–15 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
1	आंध्र प्रदेश	232/1/10/2014-WC	1307	1,00,000	30/01/2015
2	असम	4/3/15/2012-JCD	301	1,00,000	22/04/2014
3	बिहार	1517/4/23/2011	100	50,000	02/09/2014
4	बिहार	1934/4/5/2013	106	1,00,000	16/12/2014
5	बिहार	2329/4/39/2011	106	25,000	20/02/2015
6	बिहार	258/4/8/2012-JCD	301	1,00,000	08/09/2014
7	बिहार	349/4/34/2013	816	90,000	24/03/2015
8	बिहार	3731/4/4/2013	804	25,000	15/01/2015
9	छत्तीसगढ़	559/33/5/2013	817	50,000	30/12/2014
10	छत्तीसगढ़	715/33/6/2013	100	3,60,000	17/07/2014
11	दिल्ली	1043/30/9/2012-JCD	301	2,00,000	05/12/2014
12	दिल्ली	252/30/8/2014	2006	3,00,000	29/09/2014
13	दिल्ली	2756/30/1/2012	1505	12,00,000	11/11/2014
14	दिल्ली	4693/30/2005-2006	812	5,00,000	08/10/2014
15	दिल्ली	6429/30/1/2012	204	3,00,000	20/10/2014

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
16	गुजरात	128/6/23/2012	205	1,00,000	22/04/2014
17	गुजरात	500/6/19/2013-JCD	301	1,00,000	03/11/2014
18	झारखण्ड	254/34/1/2010-AD	309	1,00,000	09/04/2014
19	झारखण्ड	589/34/22/2012-PF	1704	1,00,000	09/07/2014
20	केरल	354/11/13/2013-JCD	301	3,00,000	23/12/2014
21	केरल	392/11/2/2013-JCD	301	1,00,000	08/09/2014
22	केरल	763/11/13/2013-JCD	301	3,00,000	16/03/2015
23	मध्य प्रदेश	342/12/36/2013	1505	30,00,000	24/04/2014
24	मध्य प्रदेश	430/12/32/2012	604	12,00,000	11/09/2014
25	महाराष्ट्र	3622/13/33/2012	814	25,000	22/12/2014
26	महाराष्ट्र	4099/13/1/08-09-JCD	301	1,00,000	02/07/2014
27	ओडिशा	2463/18/18/2013	100	3,00,000	26/09/2014
28	ओडिशा	2482/18/7/2013	1505	1,00,000	04/03/2015
29	ओडिशा	2489/18/21/2013	1505	3,00,000	01/12/2014
30	ओडिशा	3070/18/30/2011	1505	1,50,000	04/08/2014
31	ओडिशा	3246/18/17/2012	804	25,000	16/02/2015
32	राजस्थान	1340/20/6/2012	809	25,000	14/10/2014
33	राजस्थान	142/20/14/2014-WC	1301	3,00,000	22/12/2014

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
34	राजस्थान	258/20/29/09-10-JCD	301	2,00,000	16/07/2014
35	राजस्थान	2841/20/14/2012-JCD	301	1,00,000	30/03/2015
36	राजस्थान	2997/20/5/2012-JCD	301	1,00,000	04/02/2015
37	राजस्थान	348/20/26/2013-JCD	301	3,00,000	16/02/2015
38	तमिलनाडु	101/22/13/2014-WC	2003	1,00,000	17/02/2015
39	तेलांगना	634/1/7/2012-JCD	301	1,00,000	30/06/2014
40	उत्तर प्रदेश	13267/24/56/2013	814	1,00,000	21/10/2014
41	उत्तर प्रदेश	15672/24/1/2012	817	20,000	25/08/2014
42	उत्तर प्रदेश	18450/24/51/2013	804	20,000	23/03/2015
43	उत्तर प्रदेश	19687/24/4/2013	817	1,00,000	12/02/2015
44	उत्तर प्रदेश	20381/24/72/2013	809	1,00,000	28/10/2014
45	उत्तर प्रदेश	2061/24/54/2013	804	50,000	06/08/2014
46	उत्तर प्रदेश	25380/24/31/2013-JCD	301	1,00,000	30/12/2014
47	उत्तर प्रदेश	2629/24/54/2012	817	50,000	30/01/2015
48	उत्तर प्रदेश	26885/24/48/2011	203	3,00,000	16/12/2014
49	उत्तर प्रदेश	30596/24/3/2012-JCD	301	1,00,000	02/01/2015
50	उत्तर प्रदेश	31257/24/3/2013	203	3,00,000	20/01/2015
51	उत्तर प्रदेश	33505/24/26/2012-JCD	301	3,00,000	06/06/2014

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
52	उत्तर प्रदेश	34906/24/1/2012	1505	2,00,000	04/04/2014
53	उत्तर प्रदेश	35842/24/25/2011-WC	1307	1,00,000	05/03/2015
54	उत्तर प्रदेश	35845/24/4/2012-WC	1301	1,00,000	06/08/2014
55	उत्तर प्रदेश	38710/24/79/2013-WC	1903	75,000	16/02/2015
56	उत्तर प्रदेश	39032/24/68/2012	109	3,00,000	30/03/2015
57	उत्तर प्रदेश	39182/24/1/2012-AD	309	1,00,000	16/02/2015
58	उत्तर प्रदेश	43723/24/72/2012-JCD	301	1,00,000	09/09/2014
59	उत्तर प्रदेश	5581/24/72/2010	809	25,000	25/08/2014
60	उत्तर प्रदेश	6066/24/56/2014-AD	822	5,00,000	18/03/2015
61	उत्तर प्रदेश	7081/24/26/2012-JCD	301	1,00,000	28/07/2014
62	उत्तर प्रदेश	7876/24/54/2014	800	1,00,000	12/08/2014
63	उत्तर प्रदेश	8324/24/18/08-09-ED	812	5,00,000	17/07/2014
64	पश्चिम बंगाल	1160/25/15/2011	814	10,000	22/12/2014
65	पश्चिम बंगाल	1887/25/22/2012-JCD	301	1,00,000	12/02/2015
66	पश्चिम बंगाल	370/25/10/2013-JCD	301	2,00,000	27/03/2015

अनुलग्नक–7 **पैरा 2.28**

वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन के लिए वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2013–14 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
1.	आंध्र प्रदेश	1042/1/5/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	2,00,000	25-03-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
2.	अरुणाचल प्रदेश	2/2/11/2012-AF	1611	कथित फर्जी मुठभेड़ (रक्षा)	15,00,000	01-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
3.	असम	259/3/7/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	10,00,000	05-12-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
4.	बिहार	2572/4/8/08-09-AD	1716	कथित हिरासतीय मौत	5,00,000	21-08-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
5.	बिहार	4589/4/35/2012	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	2,00,000	21-10-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
6.	दिल्ली	1631/30/3/2010-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	13-03-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
7.	दिल्ली	3500/30/0/2011	800	पुलिस	1,00,000	15-05-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
8.	दिल्ली	4883/30/9/2010	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	20,000	21-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
9.	गुजरात	1012/6/9/2011	202	लोक स्वास्थ्य जोखिम	25,00,000	22-10-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
10.	जम्मू एवं कश्मीर	370/9/3/2012	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	6,00,000	31-03-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
11.	झारखण्ड	380/34/11/2010	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	1,50,000	18-12-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
12.	केरल	191/11/13/2012	305	कैदियों का उत्पीड़न	50,000	12-07-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
13.	केरल	91/11/7/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	07-03-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
14.	मध्य प्रदेश	485/12/5/2012	104	बच्चों का शोषण	35,000	31-10-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
15.	मध्य प्रदेश	92/12/8/2013-WC	1307	सामूहिक बलात्कार	3,00,000	19-12-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
16.	महाराष्ट्र	1031/13/16/ 2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	20-02-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
17.	महाराष्ट्र	334/13/2006-2007-CD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	08-08-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
18.	महाराष्ट्र	558/13/11/08-09-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	01-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
19.	मणिपुर	108/14/4/2011-AD	309	न्यायिक हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	2,00,000	07-05-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
20.	मणिपुर	11/14/4/08-09-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	24-10-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
21.	ओडिशा	2502/18/2/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	3,00,000	26-07-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
22.	राजस्थान	1345/20/21/09-10-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	26-08-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
23.	राजस्थान	1838/20/17/2011-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	27-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
24.	राजस्थान	642/20/29/2013-WC	803	अपहरण/बलात्कार	3,00,000	07-03-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
25.	उत्तर प्रदेश	14844/24/39/2010	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	25-09-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
26.	उत्तर प्रदेश	1553/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	16-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
27.	उत्तर प्रदेश	15725/24/20/2011	816	गैरकानूनी हिरासत	50,000	12-03-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
28.	उत्तर प्रदेश	20803/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00000	16-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
29.	उत्तर प्रदेश	20804/24/24/2010	1202	पेंशन/मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाना	50,000	27-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
30.	उत्तर प्रदेश	24089/24/12/08-09-FE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	10,00,000	17-04-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
31.	उत्तर प्रदेश	2547/24/4/09-10-DH	108	न्यायिक हिरासत में मौत	300000	27-09-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
32.	उत्तर प्रदेश	2655/24/34/2012-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत	3,00,000	31-03-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
33.	उत्तर प्रदेश	2888/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	20-11-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
34.	उत्तर प्रदेश	33018/24/20/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	11-12-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
35.	उत्तर प्रदेश	34109/24/24/2011-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित मौत	1,00,000	27-06-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
36.	उत्तर प्रदेश	34188/24/72/2013	1901	अ.जा./अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	2,00,000	26-11-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
37.	उत्तर प्रदेश	3656/24/2005-2006	813	कथित फर्जी मुठभेड़	5,00,000	15-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
38.	उत्तर प्रदेश	38084/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	08-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
39.	उत्तर प्रदेश	3885/24/45/2012-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	16-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
40.	उत्तर प्रदेश	39743/24/3/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	03-04-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
41.	उत्तर प्रदेश	40795/24/31/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	11-12-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
42.	उत्तर प्रदेश	41496/24/2000-2001	816	गैरकानूनी हिरासत	10,00,000	05-12-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
43.	उत्तर प्रदेश	42032/24/27/2012-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	1,00,000	20-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
44.	उत्तर प्रदेश	43024/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	12-11-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
45.	उत्तर प्रदेश	43091/24/17/2012-WC	1311	बलात्कार	50,000	17-09-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
46.	उत्तर प्रदेश	44122/24/40/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	16-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
47.	उत्तर प्रदेश	452/24/37/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	15-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
48.	उत्तर प्रदेश	47835/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	16-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
49.	उत्तर प्रदेश	53582/24/72/07-08	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	19-12-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
50.	उत्तर प्रदेश	6855/24/56/2012	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	3,00,000	02-09-2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
51.	उत्तर प्रदेश	699/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	16-01-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
52.	उत्तर प्रदेश	8584/24/57/2012	814	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	10,00,000	12-02-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
53.	उत्तराखण्ड	1597/35/2006-2007	813	कथित फर्जी मुठभेड़	5,00,000	05-02-2014	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
54.	बिहार	1817/4/32/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	14,00,000	19/11/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
55.	बिहार	1818/4/1/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	4,00,000	30/08/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
56.	चंडीगढ़	43/27/0/2010		सरकारी अस्पतालों /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	50,000	19.03.2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
57.	दिल्ली	5494/30/0/2010	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	9,00,000	15/10/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
58.	दिल्ली	2843/30/1/2010	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रीयता	1,00,000	20.01.2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
59.	जम्मू एवं कश्मीर	55/9/2003-2004-ad	822	जम्मू पुलिस की हिरासत में कथित मौत (शिकायत)	5,00,000	19.08.2009	राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुति को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
60.	जम्मू एवं कश्मीर	206/9/2003-2004 M-4	1508		2,00,000	23.11.2009	राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुति को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी
61.	झारखण्ड	1311/34/18/2012-WC		सरकार द्वारा घर की क्षति (शिकायत)	50,000	14/02/2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
62.	केरल		301	सेना/अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों द्वारा यौन उत्पीड़न	1,50,000	12.09.2008	आयोग तथा उच्च न्यायालय द्वारा की गई संस्तुति के विरूद्ध केरल उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 21305/09 केरल सरकार द्वारा दर्ज। और उच्च न्यायालय रिट याचिका का परिणाम प्रतीक्षित है
63.	मणिपुर	8/14/2004-2005-AF		न्यायिक हिरासत में मौत	10,00,000	26/07/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
64.	ओडिशा	157/18/24/09-10	1508		4,00,000	27/12/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
65.	ओडिशा	123/18/1999-2000	809	हिरासत में मौत (पुलिस)	अनुशासनिक कार्यवाही	31.07.2000	आयोग की संस्तुति के विरुद्ध ओडिशा उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या ओ.जे.सी. नम्बर 8776/2000 राज्य सरकार द्वारा दर्ज, जो विचाराधीन लंबित है।
66.	पंजाब	377/19/8/09-10-JCD	301	राज्य/केन्द्र सरकार के कस्टम/एक्साइज/प्रवर्तन/वन/आयकर विभाग आदि द्वारा अत्याचार	1,00,000	30/11/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
67.	उत्तर प्रदेश	31558/24/56/2010-WC	1309	कथित शारीरिक यातना और पुलिस द्वारा अवैध नजरबंदी	50,000	22/05/2012	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केस नं.	घटना कोड	शिकायत की प्रकृति	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
68.	उत्तर प्रदेश	41459/24/1/2010	814	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	28/03/2013	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
69.	उत्तर प्रदेश	30217/24/2002-2003-cd	301	महिलाओं का अपमान	10,000	20.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित
70.	उत्तर प्रदेश	39058/24/2003-2004 (FC)	813	कानूनी कार्रवाई करने में असफलता	600000 (3,00,000/- प्रति दो व्यक्ति)	27.07.2009	मृतक प्रभात कुमार के संबंध में भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
71.	उत्तर प्रदेश	37802/24/2006-2007 M-5	809	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	25000	24.08.2009	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
72.	उत्तर प्रदेश	38166/24/2006-2007-cd M-5	301	फर्जी मुठभेड़ में पुलिस द्वारा हत्या (शिकायत)	100000	31.10.2009	भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
				पुलिस द्वारा कथित उत्पीड़न (शिकायत)			
				न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)			

अनुलग्नक–8 **पैरा 6.14**

स्वास्थ्य देख–रेख के अधिकार पर पश्चिम क्षेत्रीय जन सुनवाई

स्वास्थ्य देखरेख के अधिकार पर प्रणालीगत मुद्दों एवं मामला अध्ययनों के संबंध में दिनांक 7 जनवरी, 2016 को विभिन्न सत्रों से गुजरात सरकार के लिए की गई संस्तुति

क. विशिष्ट आयु समूह के लोगों के मानव अधिकारों या विभिन्न राज्यों से विशिष्ट योजनाओं के संबंध में प्रस्तुत मामला अध्ययन

I. ई.एस.आई. योजना के तहत श्रमिकों के स्वास्थ्य के अधिकार की अवहेलना

संस्तुतिः

(i) ई.एस.आई. निगम गुजरात राज्य में पर्याप्त संख्या में औषधालयों तथा संस्वीकृत पदों की तुरंत भर्ती को सुनिश्चित करें ताकि इस योजना के तहत आने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य ई.एस.आई. अस्पतालों के मुख्य शहरी केन्द्रों जैसे वड़ोदरा को अपग्रेड करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये केन्द्र वेंटिलेटर एवं अन्य आवश्यक उपकरणों से लैस हो, ताकि साधारण अस्पतालों में मरीजों के स्थानान्तरण को कम किया जा सके।

II. मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से सेवाओं की अवहेलना

संस्तुतिः

(i) गुजरात सरकार, जिला अस्पताल स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं हेतु यातायात एवं देख–रेख के साथ नैदानिक केन्द्रों की उपलब्धता को अवश्य ही सुनिश्चित करें।

(ii) गुजरात सरकार मरीजों को जेब से खर्च की प्रतिपूर्ति के प्रावधान के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.) स्तर के अस्पतालों में दवाओं की अनुपलब्धता की वजह से मुफ़्त दवा की उपलब्धता को अवश्य ही सुनिश्चित करे।

(iii) कैशलैस उपचार के लिए राज्य स्तर की योजनाओं में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया जाए एवं सामुदायिक आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित मरीजों के पुनर्वास को सामुदायिक कार्य के साथ अभिकल्प किया जाए।

ख. विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रणालीगत मुद्दों पर प्रस्तुतियां

I. स्वास्थ्य देख–रेख की महिलाओं तक पहुंच

संस्तुतिः

(i) गुजरात के संदर्भ में, सामुदायिक एवं सिविल सोसायटी की सहभागिता के साथ सामुदायिक आधारित मातृ मृत्यु दर समीक्षा (एम.डी.आर.) की शुरुआत की जानी चाहिए। जिला एम.डी.आर. समितियों में राज्यों को गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहिए एवं वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए।

(ii) राज्य स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करे कि मातृत्व स्वास्थ्य के संदर्भ में भेदभाव एवं अतिसंवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए परिधीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के क्षमता निर्माण द्वारा कौशलता एवं ज्ञान में वृद्धि हो सके। ये कारक जन्म की तैयारी की योजनाओं, स्वास्थ्य देख–रेख तथा गर्भावस्था एवं प्रसूती के दौरान महिलाओं के लिए अनुवर्ती योजनाओं में मददगार साबित होंगी।

(iii) ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में महिलाओं के लिए प्रसूती सेवा की अवहेलना को रोकने के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त खून की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। खून की उपलब्धता सुनिश्चित करना केवल परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं होनी चाहिए। सभी जन स्वास्थ्य सुविधाओं में खून की उपलब्धता के संबंध में भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों (आई.पी.एच.एस.) के कार्यान्वयन के साथ–साथ राष्ट्रीय रक्त नीति को अंगीकृत करते हुए राज्य सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। यह संस्तुति की जाती

है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग रक्त की उपलब्धता खासकर आपातकाल के दौरान बांधाबद्ध प्रत्यक्ष रक्त आधान के विकल्प का मूल्यांकन किया जा सकता है।

(iv) गुजरात में चिरंजीवी योजना के तहत मातृत्व स्वास्थ्य देख–रेख के एम्पैनल्ड अस्पताल आपातकाल के समय समयपूर्ण, सुरक्षित, मुफ्त एवं उच्च सुविधा के साथ सुनिश्चित करे जो कि वे अपने स्तर पर कर सकते हैं।

(v) लोक सुविधाओं में मातृत्व सेवाओं के इन्कार के मामले में, यदि महिला को प्रसव के लिए प्राइवेट सेवा के उपभोग हेतु बाध्य किया जाता है, तब जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) पात्रता को ध्यान में रखते हुए उन मामलों में भी मुफ्त प्रसव देख–रेख सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(vi) पश्चिम क्षेत्रीय राज्यों में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) एवं गुजरात में चिरंजीवी योजना की नियमित समीक्षा हेतु एक प्रणाली होनी चाहिए जो मातृ स्वास्थ्य देख–रेख के लिए पात्रता प्रदान करता है। राज्य को जे.एस.एस.के. एवं चिरंजीवी योजना के लिए महिलाओं के अनुकूल शिकायत निवारण तंत्र के अंगीकरण पर विचार करना चाहिए। इसके साथ संगत चिकित्सा रिकॉर्ड भी होना चाहिए।

(vii) राज्य स्वास्थ्य विभाग को प्रसव देखरेख एवं मातृ स्वास्थ्य देखरेख के संबंध में रेफरल्स की नियमित संपरीक्षा करवानी चाहिए एवं राज्य को रेफरल्स हेतु एक प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन करना चाहिए।

(viii) राज्य स्वास्थ्य विभाग को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.) एवं उप–मण्डलीय अस्पतालों स्तर पर मुफ़्त सोनोग्राफी सेवाएं सुनिश्चित करवानी चाहिए। राज्य यह भी सुनिश्चित करे कि जहां ये सेवाएं उपलब्ध न हों या जहां महिलाओं को जबरदस्ती इन सेवाओं को गैर सरकारी क्षेत्रकों से उपभोग करना पड़े, वहां उचित एवं तुरन्त हर्जाने का भुगतान हो सके। जिन लोक अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं वहां सोनोग्राफी सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्रकों में स्थानीय उपलब्ध रेडियोलॉजिस्ट के साथ संचालन व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने पर विचार करना चाहिए।

II. शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में मानव संसाधनों की कमी

संस्तुतिः

(i) सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार को यह अनिवार्य करना चाहिए कि सभी स्नातक डॉक्टरों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम से कम तीन साल तक ग्रामीण लोक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्य करना होगा।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाकर्मियों की बेहतर उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य विभाग, केरल में कार्यान्वित कर्मचारी प्लेसमेंट की वर्तमान रूपरेखा के अंगीकरण पर विचार किया जा सकता है जहां स्थानान्तरण एवं तैनाती को सुव्यवस्थित, पारदर्शी, वेब–आधारित प्रणाली से जोड़ दिया गया है।

III. निजी चिकित्सा क्षेत्रक में मरीजों के अधिकारों के खण्डन के निवारण हेतु स्थानीय निकायों की भूमिका

संस्तुतिः

(i) गैर सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा करवा रहे मरीजों के लिए शिकायत निवारण तंत्र एवं मरीजों के अधिकारों के विशिष्ट प्रावधानों के समावेश को सुनिश्चित करने हेतु गुजरात सरकार को या तो केंद्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम (सी.ई.एस.) को अंगीकृत करना चाहिए या फिर इसी तरह की राज्य सी.ई.ए. अभिनीत करनी चाहिए।

अनुलग्नक–9 **पैरा 6.14**

स्वास्थ्य देख–रेख के अधिकार पर पश्चिम क्षेत्रीय जन सुनवाई

स्वास्थ्य देखरेख के अधिकार पर प्रणालीगत मुद्दों एवं मामला अध्ययनों के संबंध में दिनांक 7 जनवरी, 2016 को विभिन्न सत्रों से महाराष्ट्र सरकार के लिए की गई संस्तुति

ग. विशिष्ट आयु समूह के लोगों के मानव अधिकारों या विभिन्न राज्यों से विशिष्ट योजनाओं के संबंध में प्रस्तुत मामला अध्ययन

III. महाराष्ट्र में ई.एस.आई. योजना के तहत श्रमिकों के स्वास्थ्य के अधिकार की अवहेलना

संस्तुतिः

(ii) सभी योग्य कर्मियों को तुरन्त एवं प्रभावी सुविधा मुहैया करवाने हेतु ई. एस.आई.सी., महाराष्ट्र द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि उन्हें सभी ई.एस.आई. स्वास्थ्य सेवाएं एवं सुविधाएं मिल सके।

IV. महाराष्ट्र में सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी

संस्तुतिः

(i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिए गए आदेश एवं समर्थन के आधार पर महाराष्ट्र में इसका विस्तार एवं मज़बूती दी जानी चाहिए। इस प्रक्रिया हेतु निर्मित राज्य स्तर की समितियों के क्रियाकलापों को नियमित रूप से प्राथमिकता देनी चाहिए।

V. एच.आई.वी. एड्स से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य देख–रेख के अधिकार की अवहेलना

संस्तुतिः

(i) महाराष्ट्र सरकार अवश्य ही एच.आई.वी. एड्स से पीड़ित लोगों के लिए चयनित हस्तक्षेप कार्यक्रमों के पर्याप्त बजटीय प्रावधान का अंगीकरण करें।

(ii) महाराष्ट्र सरकार अवश्य ही बजट का समयबद्ध एवं नियमित निस्तारण को सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में आधारभूत आपूर्तियों की कमी को टाला जा सके।

VI. धर्मार्थ ट्रस्ट अस्पताल योजना के तहत गरीब मरीजों के मुफ़्त स्वास्थ्य देख–रेख के अधिकार का खण्डन

संस्तुतिः

(i) महाराष्ट्र सरकार पूरे राज्य में धर्मार्थ ट्रस्ट अस्पताल योजना की निगरानी के लिए एक प्रभावी, जवाबदेह एवं सुगम तंत्र की स्थापना करे।

(ii) धर्मार्थ अस्पतालों द्वारा प्रदान की गई मुफ़्त/रियायती सेवाओं के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार शिकायत निगरानी के प्रावधान के साथ एक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना करे।

(iii) इस योजना के तहत जुड़े हुए प्रत्येक धर्मार्थ अस्पताल में लोगों को मुफ़्त एवं रियायती बिस्तरों की वास्तविक समय उपलब्धता के लिए एक वेबसाइट तथा कॉलसेंटर हेल्पलाइन की स्थापना करनी चाहिए।

घ. विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रणालीगत मुद्दों पर प्रस्तुतियां

IV. स्वास्थ्य देख–रेख की महिलाओं तक पहुंच

संस्तुतिः

(ix) महाराष्ट्र के संदर्भ में, सामुदायिक एवं सिविल सोसायटी की सहभागिता के साथ सामुदायिक आधारित मातृ मृत्यु दर समीक्षा (एम.डी.आर.) की शुरुआत की जानी चाहिए। जिला एम.डी.आर. समितियों में राज्यों को गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहिए एवं वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए।

(x) राज्य स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करे कि मातृत्व स्वास्थ्य के संदर्भ में भेदभाव एवं अतिसंवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए परिधीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के क्षमता निर्माण द्वारा कौशलता एवं ज्ञान में वृद्धि हो सके। ये कारक जन्म की तैयारी की योजनाओं, स्वास्थ्य देख–रेख तथा गर्भावस्था एवं प्रसूती के दौरान महिलाओं के लिए अनुवर्ती योजनाओं में मददगार साबित होंगी।

(xi) ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में महिलाओं के लिए प्रसूती सेवा की अवहेलना को रोकने के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त खून की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। खून की उपलब्धता सुनिश्चित करना केवल परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं होनी चाहिए। सभी जन स्वास्थ्य सुविधाओं में खून की उपलब्धता के संबंध में भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों (आई.पी.एच.एस.) के कार्यान्वयन के साथ–साथ राष्ट्रीय रक्त नीति को अंगीकृत करते हुए राज्य सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। यह संस्तुति की जाती है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग रक्त की उपलब्धता खासकर आपातकाल के दौरान बांधाबद्ध प्रत्यक्ष रक्त आधान के विकल्प का मूल्यांकन किया जा सकता है।

(xii) लोक सुविधाओं में मातृत्व सेवाओं के इन्कार के मामले में, यदि महिला को प्रसव के लिए प्राइवेट सेवा के उपभोग हेतु बाध्य किया जाता है, तब जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) पात्रता को ध्यान में रखते हुए उन मामलों में भी मुफ्त प्रसव देख–रेख सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(xiii) पश्चिम क्षेत्रीय राज्यों में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) एवं गुजरात में चिरंजीवी योजना की नियमित समीक्षा हेतु एक प्रणाली होनी चाहिए जो मातृ स्वास्थ्य देख–रेख के लिए पात्रता प्रदान करता है। राज्य को जे.एस.एस.के. एवं चिरंजीवी योजना के लिए महिलाओं के अनुकूल शिकायत निवारण तंत्र के अंगीकरण पर विचार करना चाहिए। इसके साथ संगत चिकित्सा रिकॉर्ड भी होना चाहिए।

(xiv) राज्य स्वास्थ्य विभाग को प्रसव देखरेख एवं मातृ स्वास्थ्य देखरेख के संबंध में रेफरल्स की नियमित संपरीक्षा करवानी चाहिए एवं राज्य को रेफरल्स हेतु एक प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन करना चाहिए।

(xv) राज्य स्वास्थ्य विभाग को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.) एवं उप–मण्डलीय अस्पतालों स्तर पर मुफ़्त सोनोग्राफी सेवाएं सुनिश्चित करवानी चाहिए। राज्य यह भी सुनिश्चित करे कि जहां ये सेवाएं उपलब्ध न हों या जहां महिलाओं को जबरदस्ती इन सेवाओं को गैर सरकारी क्षेत्रकों से उपभोग करना पड़े, वहां उचित एवं तुरन्त हर्जाने का भुगतान हो सके। जिन लोक अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं वहां सोनोग्राफी सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्रकों में स्थानीय उपलब्ध रेडियोलॉजिस्ट के साथ संचालन व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने पर विचार करना चाहिए।

V. शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में मानव संसाधनों की कमी

संस्तुतिः

(iii) सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार को यह अनिवार्य करना चाहिए कि सभी स्नातक डॉक्टरों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम से कम तीन साल तक ग्रामीण लोक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्य करना होगा।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाकर्मियों की बेहतर उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य विभाग, केरल में कार्यान्वित कर्मचारी प्लेसमेंट की वर्तमान रूपरेखा के अंगीकरण पर विचार किया जा सकता है जहां स्थानान्तरण एवं तैनाती को सुव्यवस्थित, पारदर्शी, वेब–आधारित प्रणाली से जोड़ दिया गया है।

VI. निजी चिकित्सा क्षेत्रक में मरीजों के अधिकारों की अनदेखी को खत्म करने में लोक निकायों की भूमिका

सिफारिशें:

(ii) ज्यादातर मामलों के लम्बित होने की वजह से, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद् को मरीज शिकायत रोकथाम तक की समीक्षा कर सकती है। इसके आधार पर, गैर सरकारी डॉक्टरों के संबंध में मरीजों की शिकायतों के समाधान हेतु महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद् के लिए मरीजों की शिकायतों के निपटान हेतु एक अलग अधिकरण बनाने का भी एक विकल्प है। इसी तरह के अधिकरण में उपयुक्त गैर–चिकित्सीय व्यक्तियों जैसे सेवानिवृत्त जजों को शामिल किया जा सकता है।

(iii) महाराष्ट्र में किसी गैर–सरकारी अस्पताल के खिलाफ़ एफ.आई.आर. दर्ज कराने के इच्छुक मरीजों की शिकयतों पर छानबीन हेतु जे.जे. अस्पताल द्वारा कार्यान्वित तंत्र की महाराष्ट्र शासन द्वारा एक निष्पक्ष समीक्षा की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह तंत्र पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध एवं मरीजों की शिकायत, जो गैर सरकारी अस्पतालों के खिलाफ़ एफ.आई.आर. दर्ज करने के उद्देश्य से हो, उनकी 7 दिनों के अन्दर छान–बीन की जाए। छान–बीन के दौरान निष्पक्षता तथा विभिन्न गैर–सरकारी अस्पतालों में जिम्मेदारी के रोटेशन की व्यवस्था हेतु यह संस्तुति की जाती है कि इस स्क्रीनिंग पैनल में गैर–चिकित्सीय विशेषज्ञ जैसे सेवानिवृत्त जजों को भी शामिल किया जा सकता है।

(iv) गैर सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा करवा रहे मरीजों के लिए शिकायत निवारण तंत्र एवं मरीजों के अधिकारों के विशिष्ट प्रावधानों के समावेश को सुनिश्चित करने हेतु महाराष्ट्र सरकार को या तो केंद्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम (सी.ई.एस.) को अंगीकृत करना चाहिए या फिर इसी तरह की राज्य सी.ई.ए. अभिनीत करनी चाहिए।

अनुलग्नक—10 **पैरा 6.14**

स्वास्थ्य देख—रेख के अधिकार पर पश्चिम क्षेत्रीय जन सुनवाई

स्वास्थ्य देखरेख के अधिकार पर प्रणालीगत मुद्दों एवं मामला अध्ययनों के संबंध में दिनांक 7 जनवरी, 2016 को विभिन्न सत्रों से राजस्थान सरकार के लिए की गई संस्तुति

ङ. विशिष्ट आयु समूह के लोगों के मानव अधिकारों या विभिन्न राज्यों से विशिष्ट योजनाओं के संबंध में प्रस्तुत मामला अध्ययन

VII. राजस्थान में ईंट भट्टा श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना

संस्तुतिः

(i) मां एवं बच्चों की देख—रेख को विशेष ध्यान में रखते हुए, राजस्थान के विशेष जिलों में प्रवासी ईंट भट्टा मजदूरों हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए मोबाईल चिकित्सा एकक के प्रावधान किए जाएं।

(ii) ईंट भट्टों में आवधिक रूप से आशा एवं ए.एन.एम. का दौरा, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए।

(iii) ईंट भट्टा श्रमिकों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न जिलों में एक उपयुक्त निगरानी तंत्र के कार्यान्वयन हेतु सिविल सोसायटी संगठनों को भी शामिल करें।

VIII. राजस्थान में ईंट भट्टा श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना

संस्तुतिः

(ii) राजस्थान में उपयुक्त गैर सरकारी संगठनों एवं सिविल सोसायटी संगठनों की सक्रिय भागीदारी सहित केन्द्र सरकार एवं राज्य स्वास्थ्य मिशन द्वारा सामुदायिक आधारित समीक्षा की शुरूआत की जानी चाहिए।

IX. राजस्थान में स्वास्थ्य क्षेत्रक में विद्यमान एवं उभरते पी.पी.पी. (लोक निजी साझेदारी) की वजह से संबंधित चिंताएं

संस्तुतिः

(i) राजस्थान सरकार यह सुनिश्चित करे कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार का पी.पी.पी. मॉडल (लोक निजी साझेदारी) वर्तमान में सख्त निगरानी तंत्र एवं जवाबदेही के साथ अल्पावधि एवं प्रयोगात्मक आधार पर हो तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन व्यवस्थाओं से स्वास्थ्य देख–रेख के अधिकार का उल्लंघन न हो। किन्हीं निजी निकायों को जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के संचालन का ठेका दिया गया है, साझेदार व्यवस्था में जोड़ने से पूर्व सरकार को उनकी प्रणालीगत संवीक्षा करनी चाहिए। राजस्थान सरकार के लिए, निजी प्रदाताओं द्वारा आउटसोर्सिंग को प्राथमिकता देकर, लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रथम प्राथमिकता लोक स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती, सुधार एवं वृद्धि में होनी चाहिए।

X. राजस्थान में एच.आई.वी., एड्स से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य देख–रेख के अधिकारों को अस्वीकार करना

संस्तुतिः

(iii) राजस्थान में पर्याप्त संख्या में ए.आर.टी. केन्द्रों, सैकेण्ड लाईन दवाओं मुख्य परीक्षण जैसे वायरल लोड परीक्षण को उपलब्ध कराया जाए। राज्य के सभी चिकित्सीय महाविद्यालयों में ए.आर.टी. केन्द्र एवं एच.आई.वी. संबंधी परीक्षण को उपलब्ध कराया जाए।

च. विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रणालीगत मुद्दों पर प्रस्तुतियां

VII. स्वास्थ्य देख–रेख की महिलाओं तक पहुंच

संस्तुतिः

(xvi) राज्य स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करे कि मातृत्व स्वास्थ्य के संदर्भ में भेदभाव एवं अतिसंवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए परिधीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के क्षमता निर्माण द्वारा कौशलता एवं ज्ञान में वृद्धि हो सके। ये कारक जन्म की तैयारी की योजनाओं, स्वास्थ्य देख–रेख तथा गर्भावस्था एवं प्रसूती के दौरान महिलाओं के लिए अनुवर्ती योजनाओं में मददगार साबित होंगी।

(xvii) ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में महिलाओं के लिए प्रसूती सेवा की अवहेलना को रोकने के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त खून की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। खून की उपलब्धता सुनिश्चित करना केवल परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं होनी चाहिए। सभी जन स्वास्थ्य सुविधाओं में खून की उपलब्धता के संबंध में भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों (आई.पी.एच.एस.) के कार्यान्वयन के साथ–साथ राष्ट्रीय रक्त नीति को अंगीकृत करते हुए राज्य सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। यह संस्तुति की जाती है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग रक्त की उपलब्धता खासकर आपातकाल के दौरान बांधाबद्ध प्रत्यक्ष रक्त आधान के विकल्प का मूल्यांकन किया जा सकता है।

(xviii) लोक सुविधाओं में मातृत्व सेवाओं के इन्कार के मामले में, यदि महिला को प्रसव के लिए प्राइवेट सेवा के उपभोग हेतु बाध्य किया जाता है, तब जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) पात्रता को ध्यान में रखते हुए उन मामलों में भी मुफ्त प्रसव देख–रेख सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(xix) पश्चिम क्षेत्रीय राज्यों में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) एवं गुजरात में चिरंजीवी योजना की नियमित समीक्षा हेतु एक प्रणाली होनी चाहिए जो मातृ स्वास्थ्य देख–रेख के लिए पात्रता प्रदान करता है। राज्य को जे.एस.एस.के. एवं चिरंजीवी योजना के लिए महिलाओं के अनुकूल शिकायत निवारण तंत्र के अंगीकरण पर विचार करना चाहिए। इसके साथ संगत चिकित्सा रिकॉर्ड भी होना चाहिए।

(xx) राज्य स्वास्थ्य विभाग को प्रसव देखरेख एवं मातृ स्वास्थ्य देखरेख के संबंध में रेफरल्स की नियमित संपरीक्षा करवानी चाहिए एवं राज्य को रेफरल्स हेतु एक प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन करना चाहिए।

(xxi) राज्य स्वास्थ्य विभाग को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.) एवं उप–मण्डलीय अस्पतालों स्तर पर मुफ़्त सोनोग्राफी सेवाएं सुनिश्चित करवानी चाहिए। राज्य यह भी सुनिश्चित करे कि जहां ये सेवाएं उपलब्ध न हों या जहां महिलाओं को जबरदस्ती इन सेवाओं को गैर सरकारी क्षेत्रकों से उपभोग करना पड़े, वहां उचित एवं तुरन्त हर्जाने का भुगतान हो सके। जिन लोक अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं वहां सोनोग्राफी सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्रकों में स्थानीय उपलब्ध रेडियोलॉजिस्ट के साथ संचालन व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने पर विचार करना चाहिए।

VIII. शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में मानव संसाधनों की कमी

संस्तुतिः

(v) सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार को यह अनिवार्य करना चाहिए कि सभी स्नातक डॉक्टरों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम से कम तीन साल तक ग्रामीण लोक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्य करना होगा।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाकर्मियों की बेहतर उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य विभाग, केरल में कार्यान्वित कर्मचारी प्लेसमेंट की वर्तमान रूपरेखा के अंगीकरण पर विचार किया जा सकता है जहां स्थानान्तरण एवं तैनाती को सुव्यवस्थित, पारदर्शी, वेब–आधारित प्रणाली से जोड़ दिया गया है।

IX. निजी चिकित्सा क्षेत्रक में मरीजों के अधिकारों की अनदेखी को खत्म करने में लोक निकायों की भूमिका

संस्तुतिः

(v) राजस्थान सरकार तत्काल ही राज्य में गैर सरकारी अस्पतालों को नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम (सी.ई.ए.) के तहत अस्पतालों का पंजीकरण करवाए जिनका अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि सी.ई.ए. के तहत राज्य यथाशीघ्र अनुसूचित हों।

अनुलग्नक–11 **पैरा 12.7**

एन.एच.आर.सी. ने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए उपयुक्त निर्देशों की मांग के उद्देश्य से 13 प्रमुख मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की जिससे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में मौजूदा स्थिति में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

- मानसिक स्वास्थ्य समस्या की अहमियत स्पष्ट करने के लिए महामारियों के देशव्यापी सर्वेक्षण की आवश्यकता है और इस समस्या की वर्तमान और साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य, वित्तीय प्रभाव, समय–सीमा आदि को कवर करने के लिए एक भावी योजना विकसित की जाए।

  (कार्यवाही: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

- मानसिक स्वास्थ्य संस्थान/अस्पताल गंभीर वित्तीय बाध्यताओं का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों को इन संस्थानों/अस्पतालों के रखरखाव और भौतिक ढांचे के उन्नयन दोनों के लिए वित्तीय संसाधनों के आवंटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

  (कार्यवाही: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारें)

- मानसिक अस्पतालों के निदेशकों और अधीक्षकों को पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के अभाव से उनका कार्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है, इन संस्थानों को अपने स्वयं के मामलों के प्रबंधन में पूरी तरह से स्वायत्त बनाया जाना चाहिए।

  (कार्यवाही: राज्य सरकारें)

- राज्य संचालित मौजूदा मानसिक अस्पतालों को पर्याप्त वित्तीय और जनशक्ति संसाधनों के साथ शिक्षण–सह–प्रशिक्षण संस्थानों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

  (कार्यवाही: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारें)

- संबंधित राज्य सरकारों को एन.एच.आर.सी. द्वारा अनुशंसित इन संस्थानों/अस्पतालों को बिना देरी किए चिकित्सा और अर्द्ध–चिकित्सा जनशक्ति को मंजूरी देने का निर्देश दिया जाए।

  (कार्रवाईः राज्य सरकारें)

- मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मौजूदा मानदंडों में ढील देकर मेडिकल कॉलेजों में एम.डी. मनश्चिकित्सा, क्लीनिकल मनोविज्ञान में और मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्य में पर्याप्त सीटें सृजित की जा सकती हैं।

  (कार्यवाहीः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

- देश में मानसिक अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और जिला अस्पतालों के प्रबंधन के लिए आवश्यक मनोचिकित्सकों, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक, मनश्चिकित्सीय सोशल वर्कर्स, नर्सों और अन्य कर्मियों की एक एकीकृत टीम को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

  (कार्यवाहीः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारें)

- केन्द्र और राज्य सरकारें अपने चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्थापित अस्पतालों में 3 से 12 महीने की अवधि के लिए मनोचिकित्सा में अल्पावधि कार्यक्रम शामिल करें ताकि प्रत्येक जिले में जहां कोई मनोचिकित्सक उपलब्ध नहीं है वहां प्रशिक्षित चिकित्सक उपलब्ध कराया जा सके।

  (कार्यवाहीः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारें)

- एम.बी.बी.एस. परीक्षा में मनोचिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को एक अनिवार्य स्वतंत्र विषय बनाया जाना चाहिए ताकि युवा चिकित्सक प्रारंभिक अवस्था में समस्या की पहचान करने में सक्षम हो जाएं।

  (कार्यवाहीः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

- प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल होना चाहिए जो पूरी तरह से नवीनतम उपकरणों, अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे और पर्याप्त चिकित्सा तथा पैरा मेडिकल जनशक्ति से सुसज्जित हो।

  (कार्यवाही: राज्य सरकारें)

- हर राज्य सरकार को स्थानीय भाषा में मानसिक स्वास्थ्य पर सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) के संदेश तैयार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र तैयार करना चाहिए और जनता के बीच प्रसार करना चाहिए।

  (कार्रवाई: राज्य सरकारें)

- मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों में समयबद्ध तरीके से पौष्टिक और संतुलित भोजन, पानी की आपूर्ति, सफाई और स्वच्छता, पर्यावरण, आरोग्य, मनोरंजन आदि प्रदान करने के संबंध में सभी कमियों को दूर करने के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन का शीर्ष ध्यान आकृष्ट करना चाहिए।

  (कार्यवाही: राज्य सरकारें)

- केंद्र सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और मानव संसाधन जनशक्ति का राष्ट्रीय डेटा बेस तैयार की जानी चाहिए जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए।

  (कार्यवाही: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)।

अनुलग्नक–12 **पैरा 12.26**

नई दिल्ली में 4 सितंबर 2015 को आयोजित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पर राज्य स्वास्थ्य सचिवों की बैठक की सिफारिशें

- कैंसर, मधुमेह, सेरेब्रल स्ट्रोक, कार्डियो वैस्कुलर रोग, क्रोनिक फेल्मोनरी रोग आदि जैसे गैर–संचारी रोग चिकित्सा समुदाय और मीडिया का अत्यधिक ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। साथ ही, हम पाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जो कि बड़ी चिंता का मामला है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर अधिक ध्यान देना होता है और समाज में इस पर अत्यधिक विचार विमर्श की आवश्यकता है।

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में पांच पहलुओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये हैं; (क) मानव संसाधन, वर्तमान में जिनकी महत्वपूर्ण कमी है; (ख) उपचार संपर्क, जो अन्य विशेषज्ञों जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, एनस्थेटिस्ट्स आदि के साथ संपर्क से संबन्धित है; (ग) अंतर–क्षेत्रीय कार्रवाई, जो इस तथ्य को बढ़ावा देती है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अकेले चिकित्सा समुदाय की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सामाजिक कल्याण, राजस्व, पुलिस और न्यायपालिका विभागों की भी है; (घ) केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर सिविल सोसाइटी, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एस.एल.एस.ए.), एन.एच.आर.सी., एस.एच.आर.सी. आदि में संस्थागत रूपरेखा; और (ङ) मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में भौतिक बुनियादी ढांचा। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के इन 5 स्तंभों को एक साथ सुदृढ़ और पोषित किया जाना चाहिए।

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में उपचार के मानकों पर दिशानिर्देशों के विकास की आवश्यकता है और निमहंस इस दिशा में आगे बढ़ सकता है।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा निधियों का न्यून उपयोग है, जिसमें ढांचागत और जनशक्ति विकास शामिल है। इसके लिए, सभी राज्य सरकारों को राज्य स्वास्थ्य सचिवों द्वारा एक त्रैमासिक समीक्षा शुरू करनी चाहिए ताकि जिम्मेदारी और जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय हो सके।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डी.एम.एच.पी. को न्यूनतम 10 वर्षों तक विस्तारित करने के लिए विचार करना चाहिए ताकि इस कार्यक्रम के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

- प्रचलित धारणा यह है कि राज्य निधियों का उपयोग करने में असमर्थ हैं। कुछ बाधाएं ऐसी हैं जिनका सामना राज्य कर रहे हैं, इन्हें पहचाना जाना चाहिए और इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं, जब निधियों की मंजूरी में देरी होती है और परिणामस्वरूप निधियों की निर्मुक्ति में देरी होती है, जनशक्ति भर्ती करने में देरी होती है, जिससे निधियों का कम उपयोग हो पाता है। इस प्रकार इस समस्या को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संबोधित करने की जरूरत है।

- निधियों का उपयोग करना कठिनाई भरा है और यह नौकरशाही में फंसी हुई है। इस प्रकार, निधियों का अनियमित वितरण और साथ ही अन्य प्रशासनिक बाधाओं के कारण निधियों की प्राप्ति में देरी होती है। इसे केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से सुलझाया जाना चाहिए।

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सभी सामान्य चिकित्सा चिकित्साभ्यासियों को बुनियादी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि मानसिक स्वास्थ्य उपचार की मांग से अधिक प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

- मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के दौरे के दौरान यह पाया गया है कि स्वास्थ्य देखभाल स्टाफ जैसे कि, नर्सों को सामान्य और मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों/अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा रहा है, और इन नर्सों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष प्रशिक्षण भी नहीं मिला था। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और उन चिकित्सा कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जिनकी सामान्य से मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरित होने की संभावना है।

- पूरे देश में मानसिक अस्पतालों को मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में परिवर्तित किया जाना चाहिए और अपने स्वयं के शैक्षिक पाठ्यक्रम और छात्रों तथा मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने की क्षमता विकसित करने के लिए सक्षम होना चाहिए।

- मानसिक स्वास्थ्य को सामाजिक कल्याण, पुनर्वास आदि जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ सम्मिलित करने के पहलुओं के बारे में लोक सेवकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। एन.आर.एच.एम. जैसे अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के साथ डी.एम.एच.पी. को शामिल करने को गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

- स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, शिक्षा, श्रम आदि मंत्रालयों के बीच बेहतर भागीदारी और बेहतर अंतर–मंत्रिस्तरीय समन्वय की आवश्यकता है ताकि सामान्य रूप से अधिक प्रभावी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और विशेष रूप से डी.एम.एच.पी. सुनिश्चित हो सके।

- कार्य अनुसंधान की आवश्यकता भी है, जिसका अर्थ है कि मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और अपनी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के सुधार की निरंतर प्रक्रिया के रूप में अपनी सीख को उस कार्य में ढालना चाहिए। इस प्रकार, सभी अनुसंधान कार्योन्मुख होने चाहिएं।

- इंटरनेट/ऑनलाइन माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के प्रशिक्षण, जैसा कि वर्तमान में एन.आई.एच.एच.ए.एन.एस. द्वारा दिया जा रहा है, इसको केंद्र और राज्यों द्वारा भी देखा जाना चाहिए।

- वर्तमान में, डी.एम.एच.पी. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की चार श्रेणियों जैसे मनोचिकित्सक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और मनोचिकित्सीय नर्सों पर बहुत ज्यादा ध्यान केन्द्रित करता है। सेवा वितरण और पहुंच की अधिक प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए हमें आशा कार्यकर्ताओं / ए.एन.एम. आदि जैसी अन्य श्रेणियों के पेशेवरों को प्रोत्साहन देने पर विचार करना चाहिए ताकि उन्हें डी.एम.एच.पी. के कार्यान्वयन में शामिल कर सकें।

- डी.एम.एच.पी. के पहुंच कार्यक्रम को पी.एच.सी. स्तर पर विकेन्द्रीकृत करने की तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में डी.एम.एच.पी. के पहुंच कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- भारत सरकार को जिला स्वास्थ्य समितियों को सक्रिय करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि वे डीएमएचपी के क्रियान्वयन की निगरानी के कार्य को पूरा करें।
- एन.ए.एच.आर.सी., भारत जैसे संस्थानों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तर – अर्थात नीति और कार्यक्रम स्तर से सामुदायिक स्तर तक ध्यान केन्द्रित करे।
- डी.एम.एच.पी. के वर्तमान स्वरूप में एक कमी यह है कि यह उन मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुनर्वास के पहलू पर पर्याप्त बल नहीं देता है जिनका उपचार किया गया और जो ठीक हो गए हैं। इस प्रकार, डी.एम.एच.पी. के तहत पुनर्वास के पहलू को मजबूत किया जाना चाहिए।
- आजीविका का मुद्दा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास से जुड़ा होना चाहिए।
- शहरी इलाकों में लागू करने के दौरान डी.एम.एच.पी. को नया रूप देने और परिष्कृत करने की आवश्यकता है ताकि विशिष्ट शहरी जरूरतों को पूरा किया जा सके जो ग्रामीण आवश्यकताओं से अलग हैं।
- भारत सरकार को निमहंस जैसे राष्ट्रीय संस्थान को आई.एच.बी.ए.एस. प्रदान करने पर विचार करना चाहिए, इस प्रकार, उत्तर क्षेत्र के राज्य अपनी संबंधित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों को मजबूत बनाने की दिशा में ध्यान देने, सहयोग करने और अनुकरण करने का एक उदाहरण प्रस्तुत करें।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डी.एम.एच.पी. के कार्यान्वयन के संबंध में तमिलनाडु राज्य के कुछ उत्तम अभ्यासों को अपनाने पर विचार करना चाहिए, साथ ही साथ (क) परिवार संघों की स्थापना, जो मानसिक बीमारियों से पीड़ित

उन पारिवारिक सदस्यों के समर्थन समूहों के रूप में कार्य करते हैं; (ख) माताओं सहित महिला स्व–सहायता समूह और ऐसे परिवारों के सवास्थ्य प्रदाता जो सूक्ष्म आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं जो ऐसे परिवारों को अपने परिवार के सदस्यों के इलाज की देखभाल के लिए खर्चों पूरे करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाता है; (ग) मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए नौकरी मेले; (घ) मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डी.एम.एच.पी. के कार्यान्वयन के संबंध में तमिलनाडु राज्य में कुछ अच्छे अभ्यासों को अपनाने पर विचार करना चाहिए, साथ ही साथ; (क) परिवार संघों की स्थापना, जो परिवारों के सदस्यों के समर्थन समूहों के रूप में कार्य करते हैं जो मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं; (ख) ऐसे स्वभाव परिवारों से माताओं और देखभाल करने वालों की महिला स्व–सहायता समूह, जो सूक्ष्म आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, ऐसे परिवारों को अपने परिवार के सदस्यों के इलाज खर्चों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाता है; (ग) मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए काम मेलों; (घ) मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मनरेगा के तहत रोजगार के लिए कवरेज और (ङ) वैज्ञानिक तरीके से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल उपचार के बारे में मानसिक बीमारी से पीड़ित परिवारों में जागरूकता फैलाने में धार्मिक नेताओं की सहभागिता और मानसिक स्वास्थ्य रोगियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए संभवतः उनके साथ सहयोग करना जैसा कि एरवादी दरगाह समिति, तमिलनाडु द्वारा साबित किया गया है।

- सामान्यतः मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और विशेष रूप से डी.एम.एच.पी. को प्रसारित करने के संबंध में अधिक जागरूकता के प्रसार और सृजन के लिए सभी राज्यों के उत्तम अभ्यासों को एक पुस्तिका के रूप में शामिल करने की आवश्यकता है।

- यह महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी बढ़ाई जा सके ताकि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में मौजूद उपचार के अंतराल को खत्म किया जा सके।

- मानसिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एन.जी.ओ. समर्थन आधार को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि ये गैर सरकारी संगठन सरकारी और लोगों के बीच एक प्रभावी इंटरफेस के रूप में कार्य करें और मानसिक स्वास्थ्य सेवा की समग्र सेवा वितरण को मजबूत करने में मदद करें। सरकार के साथ एन.जी.ओ. समर्थन और साझेदारी डी.एम.एच.पी. की दीर्घकालिक स्थिरता और प्रभावकारिता के लिए महत्वपूर्ण होगी।

- मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती मानसिक रूप से बीमार बेघर व्यक्तियों का मुद्दा है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के इस वर्ग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जो शायद सबसे अधिक कमजोर हैं।

- भारत सरकार को उन मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों के वेतन के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश बनाने चाहिए, जिन्हें आम तौर पर अनुबंध पर रखा जाता है और कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए निधियों का नियमित वितरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता भी है क्योंकि यह सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अधिक पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर सकता है।

- सभी राज्यों में जिले/सी.एच.सी. स्तर पर मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को मनोचिकित्सक दवाओं के निःशुल्क वितरण का प्रावधान किया जाना चाहिए।

- ब्लॉक स्तर पर मानसिक बीमारी सहित विकलांगता की पहचान के लिए एकल खिड़की योजना का प्रावधान होना चाहिए।

- निजी क्षेत्र के जनरल प्रैक्टिशनर (जी.पी.) को यथासंभव मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल किया जाना चाहिए।

- तनाव, चिंता आदि जैसे सामान्य मानसिक विकारों से संबंधित मानसिक मुद्दों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है।

अनुलग्नक–13 **पैरा 13.3**

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति

क्र. सं.	श्रेणी	संस्थान/संगठन का नाम	कार्यक्रम का विषय	कार्यक्रम तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
1	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	डी.बी.एस. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून, उत्तराखण्ड	महिलाओं के अधिकार पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	18.12.2015	100
2	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय, अभिजीत कदम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल सांइसेज, शोलापुर, महाराष्ट्र	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	21.8.2015	100
3	गैर सरकारी संगठन	एकला चलो, बालीभरा, उत्तरपारा, नबिन संघ क्लब के पास, पोस्ट नबनगर, पश्चिम बंगाल	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	04.7.2015	100
4	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	क्रिश्चन महाविद्यालय, चेंगान्नूर, केरल	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	22.7.2015	100
5	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	क्रिश्चन महाविद्यालय, तिरुवनन्तपुरम्, केरल	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	18.8.2015	100
6	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	मार बेसलियोस इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्पस, कोल्लम, केरल	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	05.8.2015	100

क्र. सं.	श्रेणी	संस्थान/संगठन का नाम	कार्यक्रम का विषय	कार्यक्रम तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
7	पी.टी.आई.	महानिदेशालय, इस्ट ब्लॉक–V सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.), आर.के. पुरम्, नई दिल्ली	मानव अधिकारों पर चार (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	20.8.2015, 26.8.2015, 17.8.2015 & 21.8.2015	50+50+50+ 50= 200
8	गैर सरकारी संगठन	तिरुमाला एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, एस. एस. फ्रंट रोड, बीजापुर, कर्नाटक	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	14.7.2015	100
9	पी.टी.आई.	सहायक प्रशिक्षण केंद्र, बी.एस.एफ., हुमहाना न्यू एयरपोर्ट रोड, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	15.01.2016	50
10	पी.टी.आई.	प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल, बी. एस.एफ., पोस्ट मेरु, जिला–हजारीबाग, झारखंड	मानव अधिकारों पर तीन (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	27.8.2015; 14.10.2015; & 09.12.2015	175+175+ 175= 525
11	पी.टी.आई.	सहायक प्रशिक्षण केंद्र, बी. एस.एफ., ऊधमपुर, जम्मू एवं कश्मीर	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	28.9.2015	50
12	पी.टी.आई.	पंजाब पुलिस अकादमी, फिलौर, जालंधर, पंजाब	मानव अधिकारों पर एक (दो दिवसीय) उच्च स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम	3-4.12.2015	50
13	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, मंडौर, जोधपुर, राजस्थान	मानव अधिकारों पर एक (दो दिवसीय) उच्च स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम	18-19.09.2015	146

क्र. सं.	श्रेणी	संस्थान/संगठन का नाम	कार्यक्रम का विषय	कार्यक्रम तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
14	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला, पंजाब	बच्चों के अधिकार पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	17.10.2015	100
15	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	महापुरुष श्रीमती शंकरदेव विश्वविद्यालय (एम.एस.एस. वी.), हलधर भूयान पथ, कालंगपुर, नागाँव, असम	मानव अधिकारों पर एक (दो दिवसीय) उच्च स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम	3-4.9.2015	100
16	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	17.2.2016	100
17	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	विधि विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू एवं कश्मीर	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	9.12.2015	200
18	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा, महाराष्ट्र	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	3.10.2015	100
19	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	वालचंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, सोलापुर यूनिवर्सिटी, सोलापुर, महाराष्ट्र	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	5.2.2016	100
20	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	भारत सेवक समाज, मणिपुर शाखा, विधानसभा रोड, इंफाल, मणिपुर	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	5.8.2016	100
21	गैर सरकारी संगठन	वेलनेस सॉल्यूशंस, थारयिल बिल्डिंग, कुंडनूर, कोच्चि, केरल	जीवन शैली के रोगों के निवारण और प्रबंधन में एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	8.8.2015	150

क्र. सं.	श्रेणी	संस्थान/संगठन का नाम	कार्यक्रम का विषय	कार्यक्रम तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
22	गैर सरकारी संगठन	अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ, "तुषाराम", सेंट विंसेंट रोड, कोच्चि, केरल	आपराधिक जांच में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	12.9.2015	100
23	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	जे.एस.एस. लॉ कॉलेज (स्वायत्त) नई कंटाराजे उर्स रोड़, कुवेम्पुनगर, मैसूर, कर्नाटक	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	07.11.2015	100
24	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय, नवानगर, हुबली, कर्नाटक	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	31.10.2015	100
25	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	राजनीति विज्ञान विभाग, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं महिलाओं के अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	31.10.2015 & 3.11.2015	100 + 185
26	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	चाणक्य नेशनल लॉ युनिवर्सिटी न्याय नगर, मिठापुर पटना, एफ.सी.जी. के.जे.	पुलिसकर्मियों के लिए मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	27.11.2015	100
27	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	विद्यावर्धक लॉ कॉलेज शेषाद्री अय्यर रोड, मैसूर कर्नाटक	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	31.10.2015	200

क्र. सं.	श्रेणी	संस्थान/संगठन का नाम	कार्यक्रम का विषय	कार्यक्रम तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
28	ए.टी.आई.	महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान, सेक्टर 26, चंडीगढ़	मानव अधिकारों पर तीन (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम; मानव अधिकारों पर एक (दो दिवसीय) उच्च स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम; और मानव अधिकारों पर एक (तीन दिवसीय) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्यक्रम	1- Day = 27.7.2016, 05.08.2016 & 26.9.2016, 2-Day = 20-21.11.2016 and 3-Day= 30.01.2017-01.02.2017	1-Day = 56+ 50 + 43, 2 Day = 51 and 3-Day = 40
29	ए.टी.आई.	डॉ. एम.सी.आर. मानव संसाधन विकास संस्थान तेलंगाना, रोड नं– 25, जुबली हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना	मानव अधिकारों पर दो (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम; मानव अधिकारों पर दो (दो दिवसीय) उच्च स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम; और मानव अधिकारों पर एक (तीन दिवसीय) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्यक्रम	18.11.2015 & 22.12.2015 to 23.12.2015	50
30	पी.टी.आई.	राजस्थान पुलिस अकादमी पानीपेच, नेहरु नगर, जयपुर, राजस्थान	एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम; एक (दो दिवसीय) उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम; और मानव अधिकारों पर एक (तीन दिवसीय) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्यक्रम	17.11.2015, 15-16.12.2015 and 19-21.01.2016	50+50+50

क्र. सं.	श्रेणी	संस्थान/संगठन का नाम	कार्यक्रम का विषय	कार्यक्रम तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
31	पी.टी.आई.	पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, पुदुचेरी	पुलिसकर्मियों के लिए मानव अधिकारों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	12.12.2015	100
32	ए.टी.आई.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई.आई.पी.ए.), पुदुचेरी स्थानीय शाखा, नंबर 3, चौथा तल, पी.डब्लू. डी. बिल्डिंग, ली एव स्ट्रीट, पुडुचेरी	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम	11.7.2016	100
33	पी.टी.आई.	शेर ए कश्मीर पुलिस अकादमी उधमपुर, जम्मू जम्मू एवं कश्मीर	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम; मानव अधिकारों पर एक (तीन दिवसीय) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्यक्रम; और मानव अधिकारों पर एक (दो दिवसीय) उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम;	01.02.2016; 08.02.2016-10.02.2016; and 23.02.2016-24.02.2016	150
34	महाविद्यालय/विश्वविद्यालय	हमीदा गर्ल्स डिग्री कॉलेज सुल्तानपुर भावा, नूरुल्ला रोड इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	28.11.2015	100

क्र. सं.	श्रेणी	संस्थान/संगठन का नाम	कार्यक्रम का विषय	कार्यक्रम तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
35	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	राजा श्रीपतराव भगवंतराव महाविद्यालय, औंध, तालुका–खातव, जिलाः सतारा, महाराष्ट्र	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम	23.12.2015	100
36	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	पेरियार ई.वी.आर. कॉलेज, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम	6.1.2016	100
37	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	महिला अध्ययन केन्द्र, विद्यासागर विश्वविद्यालय मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम	17.12.2015	100
38	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	सामाजिक कार्य संकाय, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा, फतेहगंज डाकघर के सामने, वड़ोदरा, गुजरात	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.1.2016	100
39	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	युवा सशक्तिकरण स्कूल मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, पालकलाई नगर, मदुरई, तमिलनाडु	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम	10.12.2015	100
40	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, एन.एच.–15, जैसलमेर रोड, बीकानेर, राजस्थान	महिलाओं के अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम	25.1.2016	100

क्र. सं.	श्रेणी	संस्थान/संगठन का नाम	कार्यक्रम का विषय	कार्यक्रम तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
41	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	अर्थशास्त्र विभाग, अमल कॉलेज ऑफ एडवांस्ड स्ट्डीज, मलप्पुरम, केरल	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम	16.12.2015	100
42	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	एस.बी.सी. फर्स्ट ग्रेड कॉलेज फॉर विमेन, एस.एस. लेआउट, 'ए' ब्लॉक दवणगेरे, कर्नाटक	महिलाओं के अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम	30.1.2016	100
43	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	वी.आई.टी. बिजनेस स्कूल, वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, वंदलुर, केलमबाकम रोड, चेन्नई, तमिलनाडु	महिलाओं के अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम	13.11.2015	100
44	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	डेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस मीरामर, पणजी, गोवा	मानव तस्करी पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	29.02.2016	100
45	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	गुड न्यूज वेलफेयर सोसाइटी, कला और वाणिज्य प्रथम श्रेणी कॉलेज, कलघाटगी, कर्नाटक	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम	21.01.2016	100
46	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	एम.ई.टी. आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज नडापुरम, पोस्टः कलाची कोझिकोड, केरल	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम	21.01.2016	100
47	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	सी.एस.आई. एवर्ट विमेन क्रिश्चियन कॉलेज, कंचपुरम, तमिलनाडु	महिलाओं के अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	17.12.2015	100

क्र. सं.	श्रेणी	संस्थान/संगठन का नाम	कार्यक्रम का विषय	कार्यक्रम तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
48	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	कस्तूरबाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सेठ वालचंद हिराचंद मार्ग, अशोक चौक, सोलापुर, महाराष्ट्र	बच्चों के अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	10.12 2015	100
49	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	क्राइस्ट विश्वविद्यालय, होसुर रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	10.12.2015	100
50	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, पाली, पोस्टः पाली, महेंद्रगढ़, हरियाणा	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	12.4.2016	100
51	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, सिटी कैंपस, मनसा रोड, भटिंडा, पंजाब	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम	20.12.2015	100
52	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	हेलो स्वास्ती (एन.जी.ओ.) पोस्टः निश्चिंताकोइली, कटक, ओडिशा	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम	19.12.2015	100
53	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	लॉ सेंटर –1 दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली –110 007	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रायोजित तीन दिवसीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता	18.03.2016 to 20.03.2016	48 Teams
54	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम	18.10.2016	115

क्र. सं.	श्रेणी	संस्थान / संगठन का नाम	कार्यक्रम का विषय	कार्यक्रम तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
55	महाविद्यालय / विश्वविद्यालय	तमिलनाडु खुला विश्वविद्यालय, 577, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई, तमिलनाडु	ट्रांजैण्डर एवं विद्यार्थियों के लिए मानव अधिकारों पर दो एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	28.3.2016 & 30.3.2016	200
56	महाविद्यालय / विश्वविद्यालय	श्री डी. एच. अग्रवाल आर्ट्स, श्री रंग अवधूत वाणिज्य और श्री सी.सी.शहा व एम. जी. अग्रवाल साइंस कॉलेज, नवापुर, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र	महिलाओं के अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	27.02.2016	100
57	महाविद्यालय / विश्वविद्यालय	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राणा हिल्स, पोस्टः दोइमुख, अरुणाचल प्रदेश	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	15.3.2016	151
58	महाविद्यालय / विश्वविद्यालय	शिलांग कॉलेज, पोस्टः लैटुमखाह, शिलांग, मेघालय	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	15.3.2016	100
59	महाविद्यालय / विश्वविद्यालय	लिंग्याज ललिता देवी प्रबंधन और विज्ञान संस्थान, मंडी रोड, मंडी, नई दिल्ली –47	मानव अधिकार जागरुकता पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	22.2.2016	100
60	महाविद्यालय / विश्वविद्यालय	महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बी.एस.एफ. के पास, हनुमानगढ़ रोड, अबोहर, पंजाब	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय संगोष्ठी	8.3.2016	100

क्र. सं.	श्रेणी	संस्थान/संगठन का नाम	कार्यक्रम का विषय	कार्यक्रम तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
61	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, कोंगु इंजीनियरिंग कॉलेज, इरोड, तमिलनाडु	मानव अधिकारों पर एक (एक दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	9.3.2016	100
62	गैर सरकारी संगठन	ह्यूमन राइट्स फ्रंट, गंगानगर, भुवनेश्वर, ओडिशा	स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार पर एक (एक दिवसीय) राज्य स्तरीय संगोष्ठी सह प्रशिक्षण	14.3.2016	100
63	सरकारी संगठन	विशेष अधिकारी, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए नियामक बोर्ड के संविधान पर रिपोर्ट करने के लिए विशेष अधिकारी का कार्यालय, काच्चि, केरल	वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानव अधिकार पर एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम	25.02.2016	200
64	सरकारी संगठन	सी.बी.आई. अकादमी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	एन.एच.आर.सी. के 20 अधिकारियों के लिए एक (पांच दिवसीय) बुनियादी जांच तकनीक और संबंधित विषय	28.3.2016 to 01.4.2016	20

अनुलग्नक—14 **पैरा 14.10**

मानव अधिकार समर्थकों के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करने हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र

डॉ. परविन्दर सोही बिहुरिया, आई.आर.एस.
महासचिव
Dr. Parvinder Sohi Behuria, IRS
Secretary General

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन, सी-ब्लाक, जीपीओ काम्प्लेक्स आईएनए,
नई दिल्ली-110 023 भारत
National Human Rights Commission
Manav Adhikar Bhawan, C-Block, GPO Complex,
INA, New Delhi-110023 India

LD/MISC/CD-2013 — 11th दिसम्बर 2013

प्रिय,

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा देष के विभिन्न राज्यों में किए गए दौरों के दौरान गैर सरकारी संगठनों एवं मानव अधिकार समर्थकों ने आयोग का ध्यान उनके कार्यों को करने के लिए उचित माहौल नहीं होने की ओर दिलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य प्राधिकारियों द्वारा गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्त्ताओं तथा मानव अधिकार समर्थकों को धमकाया जाता है तथा कई बार उन्हें शारीरिक रूप से पीटा भी जाता है। उनके द्वारा यह बताया गया कि वे हमेषा झूठे मामलों में फंसाए जाने के डर में जीते हैं। इन विषयों पर राज्य सरकारों के साथ आयोग की बैठकों, जनसुनवाइयों एवं षिविर बैठकों के दौरान चर्चा की गई थी।

अतः, गैर सरकारी संगठनों एवं मानव अधिकार समर्थकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के विषय में यदि राज्य सरकार के अधिकारियों का संवेदीकरण किया जाए तो यह बहुत बड़ी सहायता होगी। राज्य में मानव अधिकार का माहौल बनाने में सकारात्मक परिवर्तन के विषय में साझेदारों की तरह व्यवहार करना चाहिए।

भवदीय

हस्ता./—

(परविन्दर सोही बेहुरिया)

सेवा में,

सभी राज्यों/संघषासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव

फोन : 91-11-24663260, फैक्स : 91-11-24651329
Phone : 91-011-24663260, Fax : 91-011-24663261, E-mail : sgnhrc@nic.in, Website : www.nhrc.nic.in

अनुलग्नक—15 **पैरा 14.10**

मानव अधिकार समर्थकों के लिए सहायता जारी रखने हेतु दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 (मानव अधिकार समर्थक दिवस) को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का संदेश

Justice Cyriac Joseph
(Former Judge, Supreme Court of India)
Acting Chairperson, NHRC

National Human Rights Commission
Manav Adhikar Bhawan, C-Block,
GPO Complex, INA, New Delhi-110023
Phone : 91-11-24663203 (O), 23012076 (R)
Mob. : 09910063518
E-mail : member1.nhrc@nic.in

संदेश

संकल्प ए/आर.इ.एस./53/144, दिनांक 9 दिसम्बर, 1998 द्वारा संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने विश्व स्तर पर मान्य मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए कार्यरत व्यक्ति, समूह एवं सामाजिक अंगों के अधिकार व दायित्व के संदर्भ में एक उद्घोषणा अंगीकृत की जिसे "मानव अधिकार समर्थकों पर उद्घोषणा" के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र की 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानव अधिकार समर्थकों पर उद्घोषणा को अंगीकृत किया गया। "मानव अधिकार समर्थक" शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है, जो स्वयं या अन्य के साथ मिलकर मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए कार्य करते हैं। मानव अधिकार समर्थकों पर उद्घोषणा को अंगीकृत करने की तिथि अर्थात् '9 दिसम्बर' को परम्परागत तौर पर 'अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार समर्थक दिवस' के रूप में मनाया जाता है।' 9 दिसम्बर' को 'मानव अधिकार समर्थक दिवस' मनाने का मुख्य उद्देश्य पूरे देश भर में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए मानव अधिकार समर्थकों द्वारा निभायी जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना एवं मान्यता देना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार समर्थकों को सहयोगी, सहकर्मी एवं साझेदार के रूप में मानता है। इस संबंध

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

में, यह उद्धृत किया जा सकता है कि, मानव अधिकारों के संरक्षण का भारत में एक संवैधानिक महत्त्व एवं लक्ष्य है। भारतीय संविधान के अनुसार, मानव अधिकारों का संरक्षण करना राज्य की जिम्मेवारी है एवं मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना भी हर एक नागरिक का कर्त्तव्य है। अतः भारत में मानव अधिकारों की रक्षा केवल राज्य की ही जिम्मेवारी नहीं बल्कि यह हर एक नागरिक का भी कर्त्तव्य है।

यह गंभीर चिंता का विषय है कि अनेक देशों में मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता के संवर्द्धन एवं सरंक्षण में लगे व्यक्तियों एवं संगठनों को निरंतर धमकियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है तथा इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप असुरक्षा की भावना पैदा होती है, जिसमें सभा करने अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने के अधिकार अथवा सिविल अथवा आपराधिक कार्यवाहियों के दुरूपयोग को कम करना भी शामिल है। यह भी देखा गया है कि महिला मानव अधिकार समर्थक जोखिम में हैं तथा उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार से ग्रस्त हैं, जिसमें जानबूझ कर किया गया उत्पीड़न एवं उनके जीवन, स्वतंत्रता एवं व्यक्ति की सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक संपूर्णता, निजता एवं उनके निजी एवं पारिवारिक जीवन तथा राय एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा एवं शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का हनन एवं दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपने निजी एवं सार्वजनिक जीवन में राज्य कार्यकर्त्ताओं, जिसमें कानून प्रवर्त्तन कार्मिक एवं सुरक्षा बल तथा गैर–राज्य कार्यकर्त्ताओं जैसे परिवार एवं समाज से संबंधित व्यक्ति हैं, के द्वारा लिंग आधारित हिंसा, बलात्कार एवं यौन हिंसा के अन्य प्रकारों, शोषण एवं मौखिक दुर्व्यवहार एवं उनकी छवि पर प्रहार ऑन लाइन एवं ऑफ लाइन झेलना पड़ता है।

सर्वे भवन्तु सुखिनः

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने "महिला मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण हेतु: सार्वभौमिक रूप से मान्य मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के संवर्द्धन एवं संरक्षण के लिए व्यक्ति, समूहों एवं समाज के अवयवों को अधिकारों एवं दायित्वों संबंधी घोषणा का संवर्द्धन" के लिए 18 दिसम्बर 2013 को एक संकल्प पारित किया।

अतः मानव अधिकार समर्थक दिवस के अवसर पर मैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से भारत में महिला मानव अधिकार समर्थकों सहित सभी मानव अधिकार समर्थकों को नमन करता हूँ तथा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए उनके प्रयास में उनके साथ हूँ। साथ ही, मैं, केन्द्र एवं राज्य सरकारों से मानव अधिकार समर्थकों के मान्य अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रभावी कदम उठाने की अपील करता हूँ। मैं भारत के नागरिकों से भी अपील करता हूँ कि वे ये समझे कि मानव अधिकारों का संरक्षण उनका संवैधानिक कर्त्तव्य है तथा मानव अधिकारों का यह संरक्षण मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण के बिना असंभव है।

मैं सम्मानित मानव अधिकार समर्थकों के साथ बाइबल से लिए गए निम्नलिखित उद्धरण साझा करना चाहता हूँ :–

> "वे व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं जो न्याय के लिए भूखे एवं प्यासे हैं, उसके लिए वे संतुष्ट होंगे;
>
> वे व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं जो शांति के लिए कार्य करते हैं, उन्हें ईश्वर के बच्चे कहा जाएगा;

MANAV ADHIKAR BHAWAN, NEW DELHI-110 023

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

वे व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं जिन पर न्याय के लिए अत्याचार किया गया, स्वर्ग की बादशाहत उनकी होगीः

(सेंट मैथ्यू, अध्याय V के ईसाई धर्म सिद्धांत के अनुसार)

मानव अधिकार समर्थक वे व्यक्ति हैं जो न्याय के लिए भूखे एवं प्यासे हैं तथा जो शांति के लिए कार्य करते हैं। यहां तक कि न्याय के लिए उन पर अत्याचार होता है, आशा करते हैं कि स्वर्ग की बादशाहत उनकी होगी।

नई दिल्ली
दिसम्बर 09, 2015

(न्यायमूर्ति सिरियक जोसफ)
कार्यवाहक अध्यक्ष

MANAV ADHIKAR BHAWAN, NEW DELHI-110 023

ग्राफ एवं चार्ट

ग्राफ एवं चार्ट

ग्राफ एवं चार्ट संख्या– 1

वर्ष 2015–16 के दौरान रा.मा.अ.आ. में पंजीकृत राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार मामलों की संख्या का ग्राफ

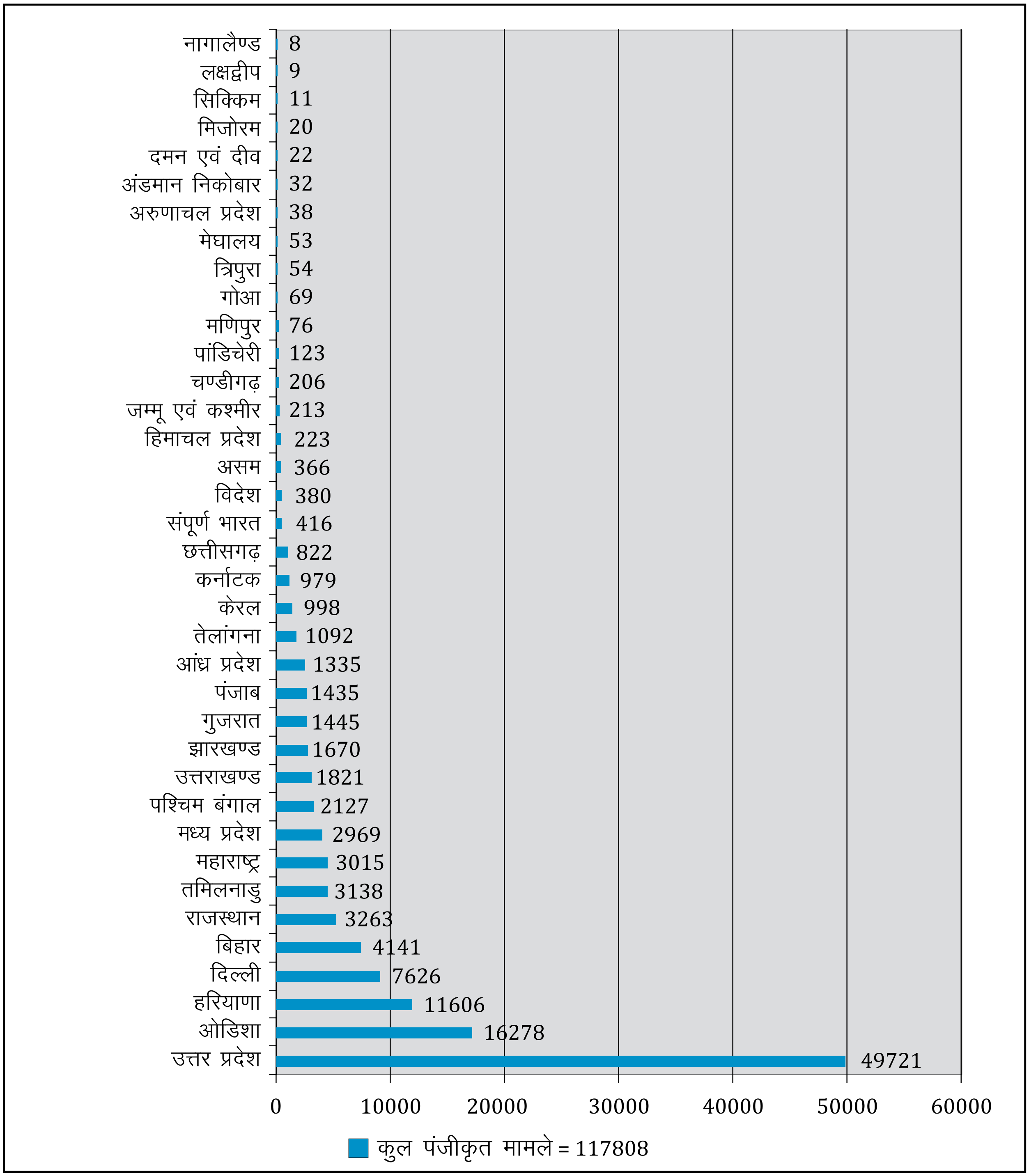

ग्राफ एवं चार्ट संख्या– 2

वर्ष 2015–16 के दौरान रा.मा.अ.आ. में पंजीकृत राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार मामलों की संख्या की सारणी

(कुल पंजीकृत मामलों की संख्या– 117808)

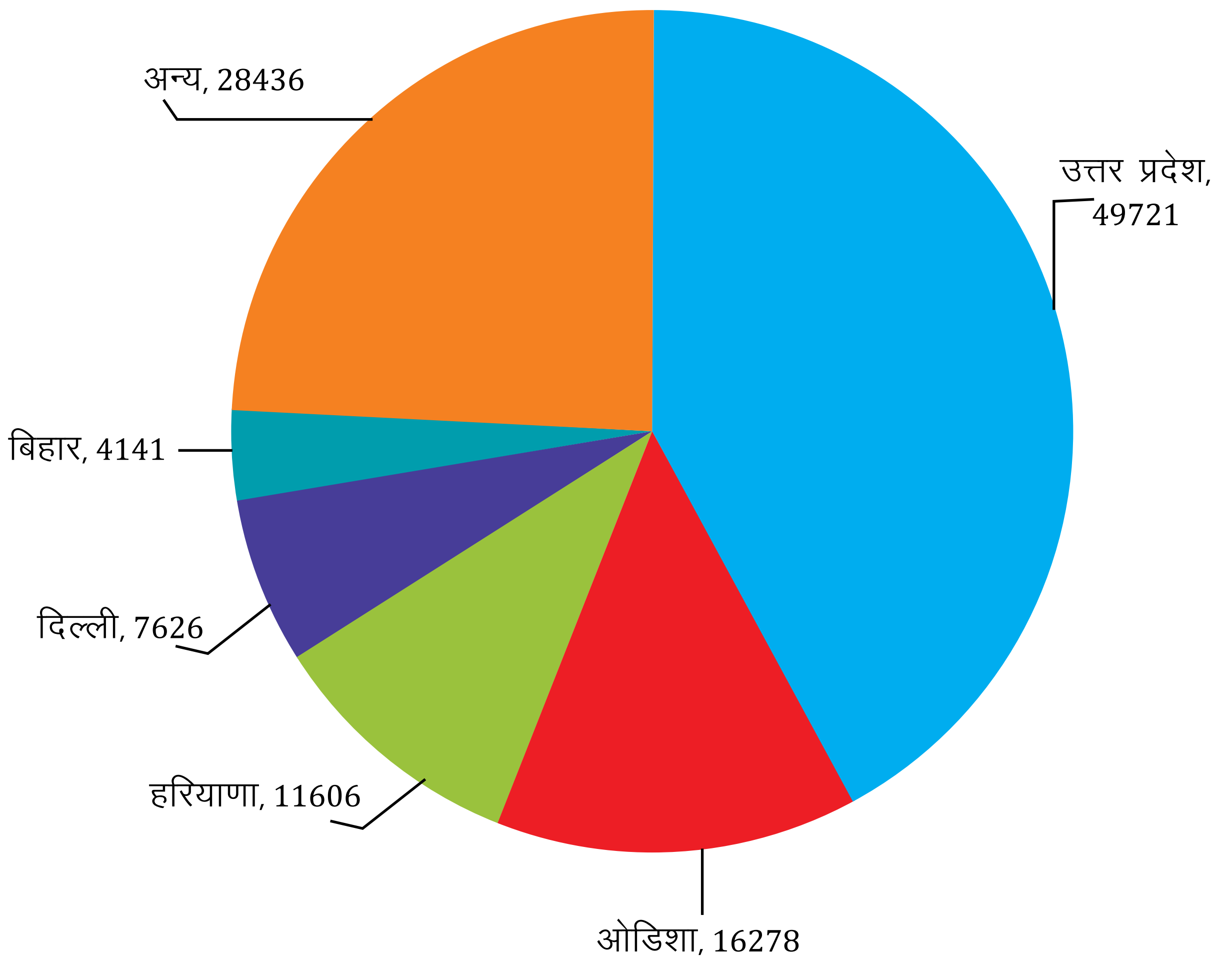

ग्राफ एवं चार्ट संख्या– 3

वर्ष 2015–16 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा स्वतः संज्ञान के रूप में राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार पंजीकृत मामलों की संख्या का ग्राफ

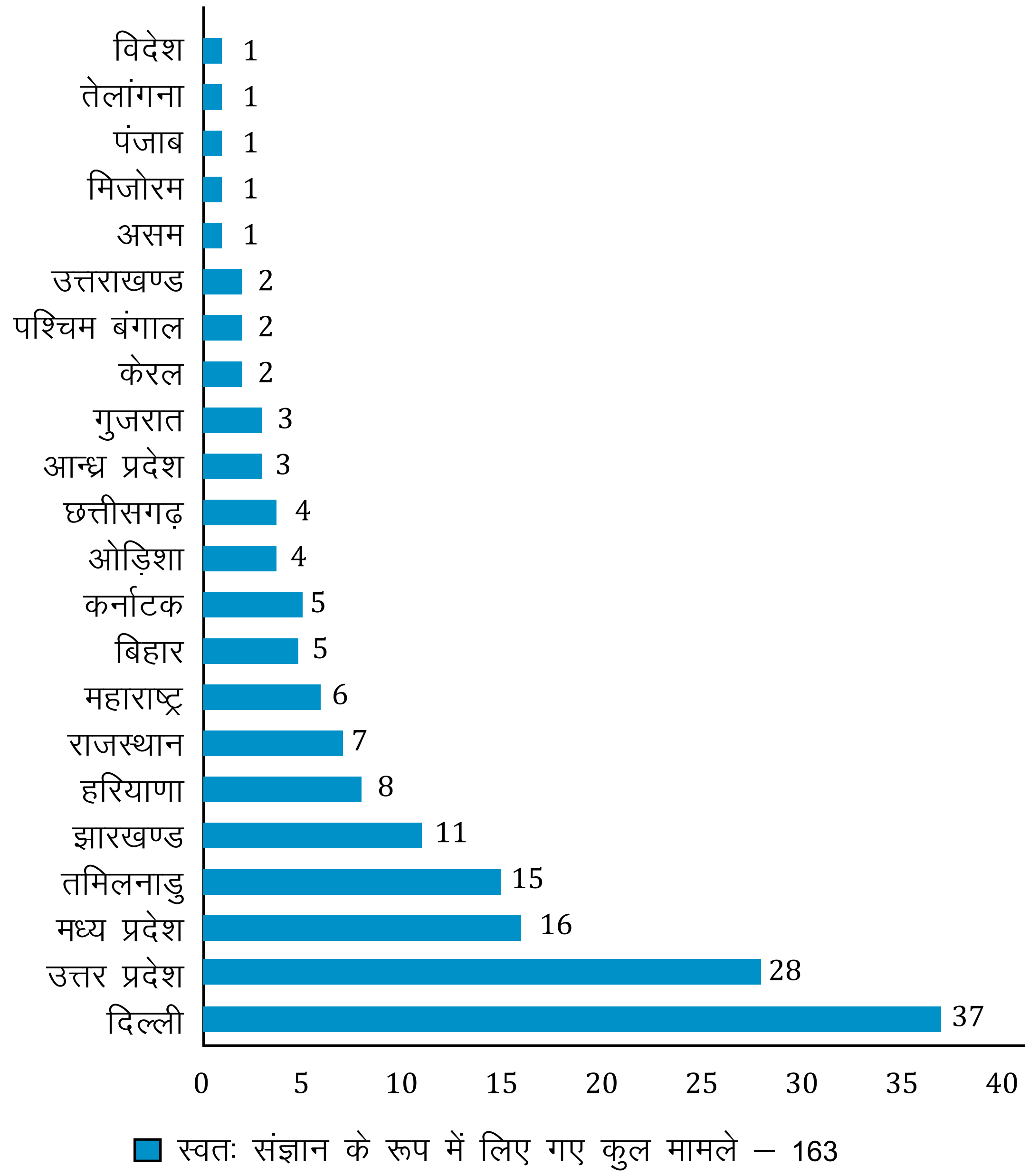

ग्राफ एवं चार्ट संख्या– 4

वर्ष 2015–16 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा स्वतः संज्ञान के रूप में राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार पंजीकृत मामलों की संख्या की तालिका
(स्वतः संज्ञान के रूप में पंजीकृत मामलों की संख्या– 163)

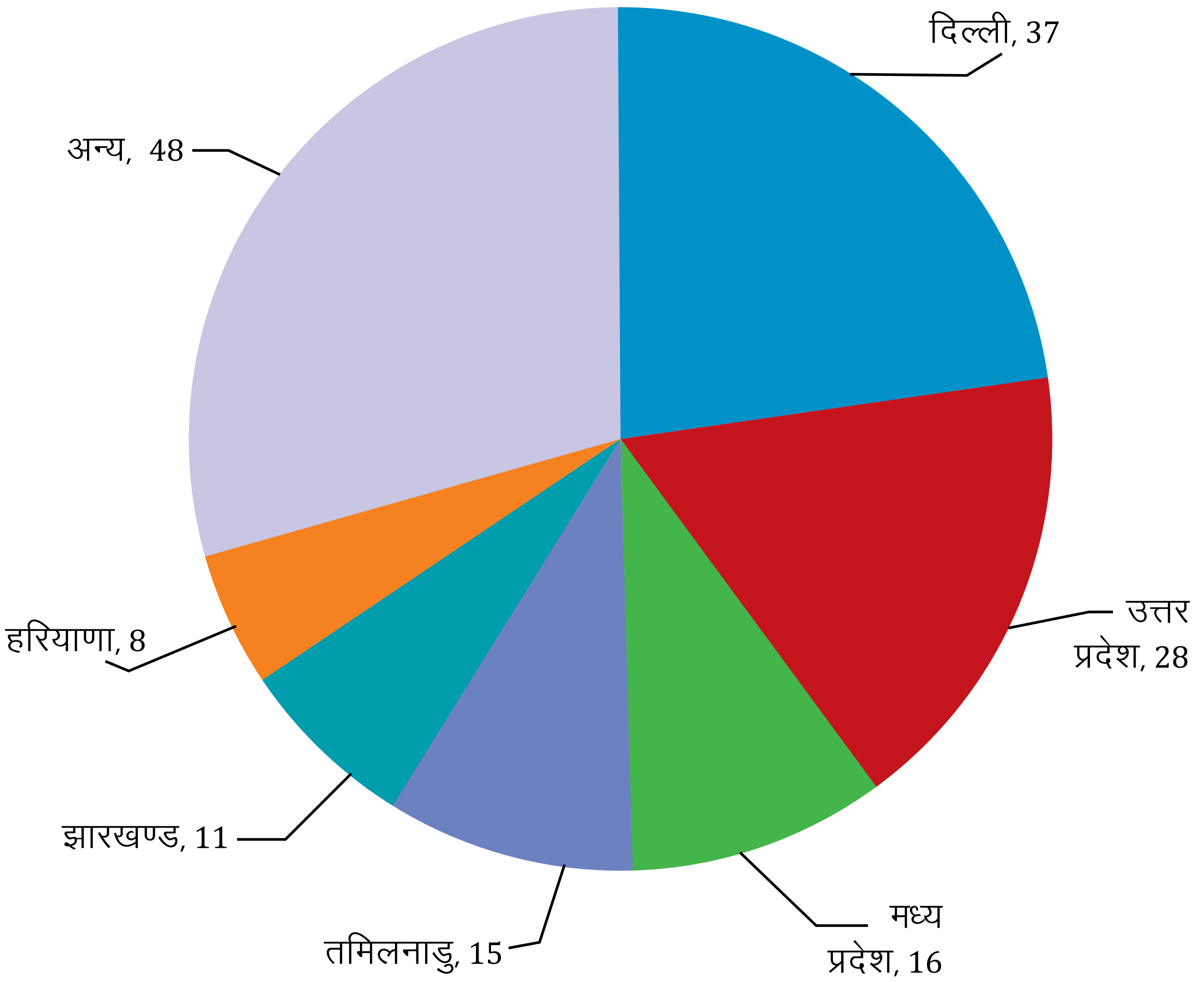

ग्राफ एवं चार्ट संख्या– 5

वर्ष 2015–16 के दौरान हिरासतीय मौत/बलात्कार के संबंध में रा.मा.अ.आ. में पंजीकृत सूचना पर राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ग्राफ (कुल मामले– 1823)

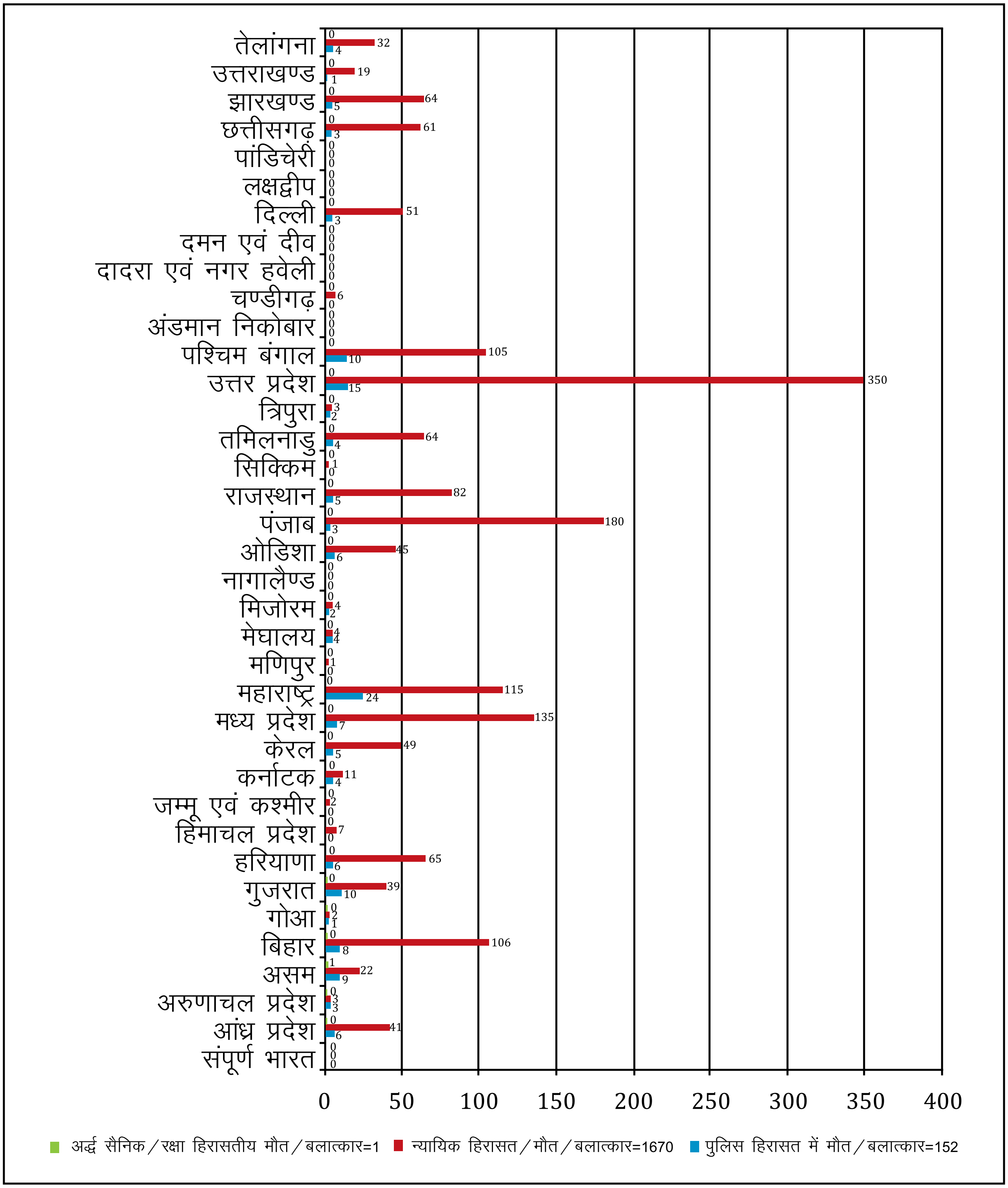

ग्राफ एवं चार्ट संख्या– 6

वर्ष 2015–16 के दौरान हिरासतीय मौत/बलात्कार (न्यायिक) के संबंध में रा.मा.अ.आ. में पंजीकृत सूचना पर राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार तालिका (हिरासतीय मौत/बलात्कार (न्यायिक) के कुल मामले– 1670)

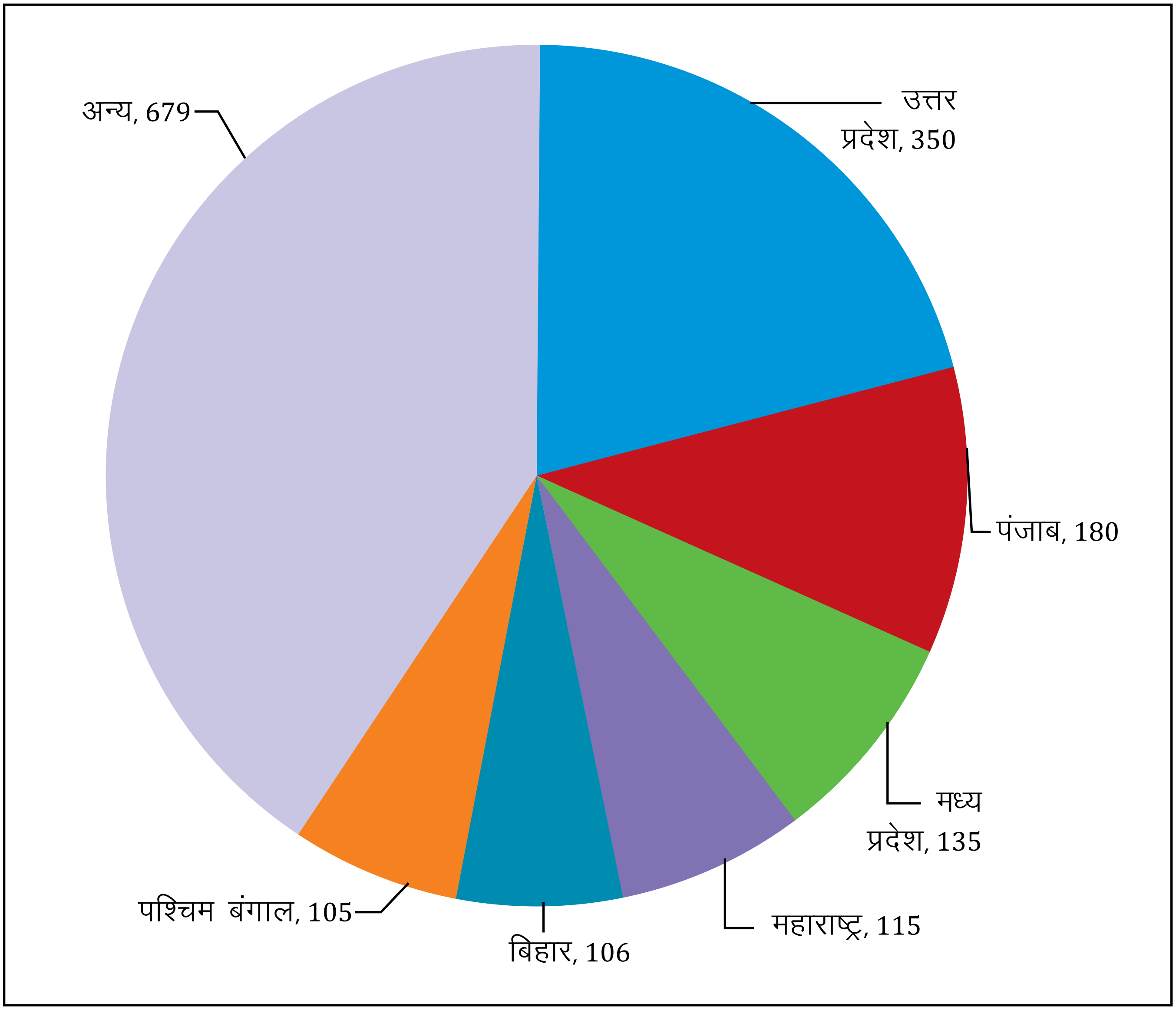

ग्राफ एवं चार्ट संख्या– 7

वर्ष 2015–16 के दौरान हिरासतीय मौत/बलात्कार (पुलिस) के संबंध में रा.मा.अ.आ. में पंजीकृत सूचना पर राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार तालिका

(हिरासतीय मौत/बलात्कार (पुलिस) के कुल मामले– 152)

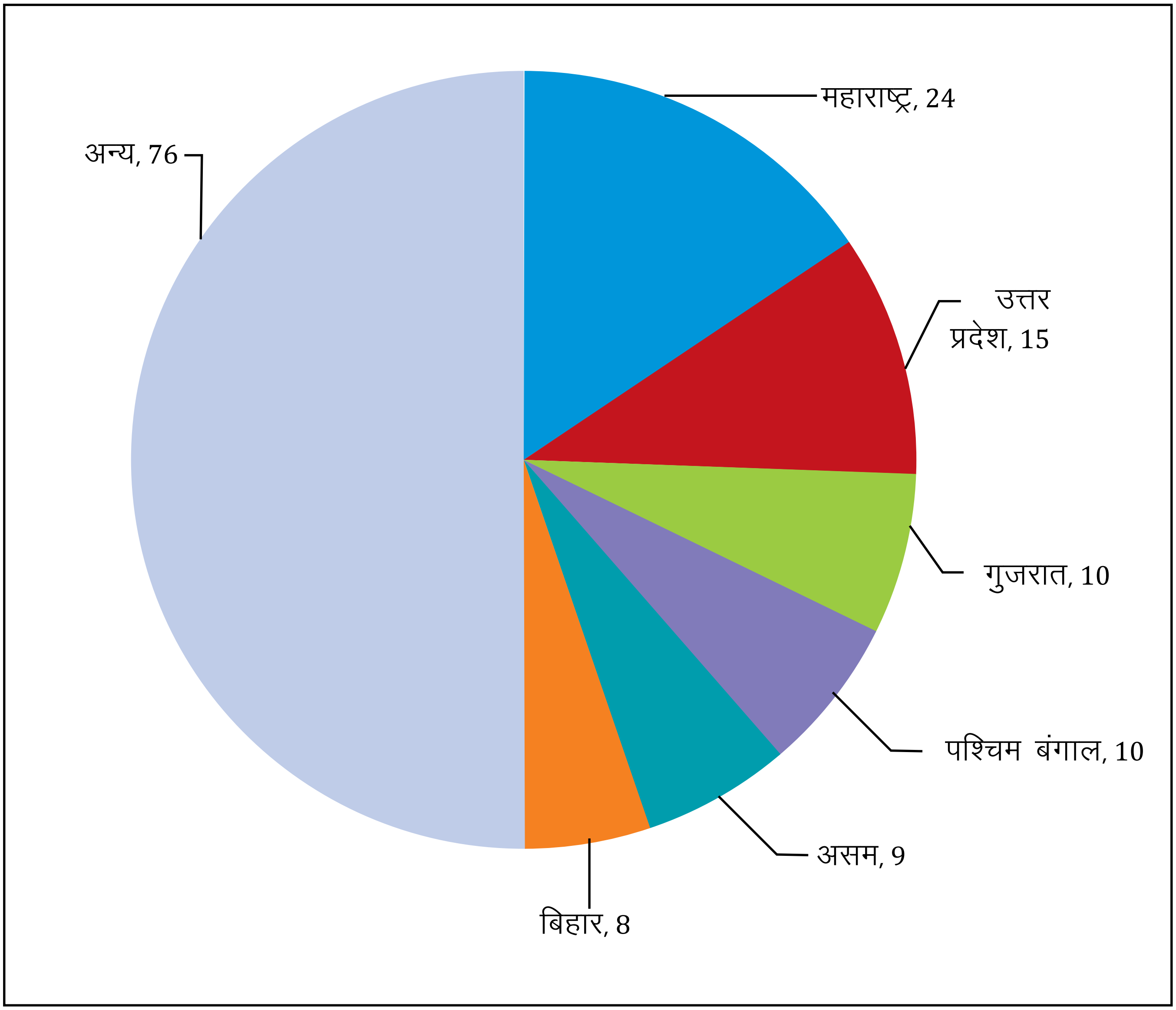

ग्राफ एवं चार्ट संख्या– 8

वर्ष 2015–16 के दौरान एन.एच.आर.सी. द्वारा एस.एच.आर.सी को हस्तांतरित मामले

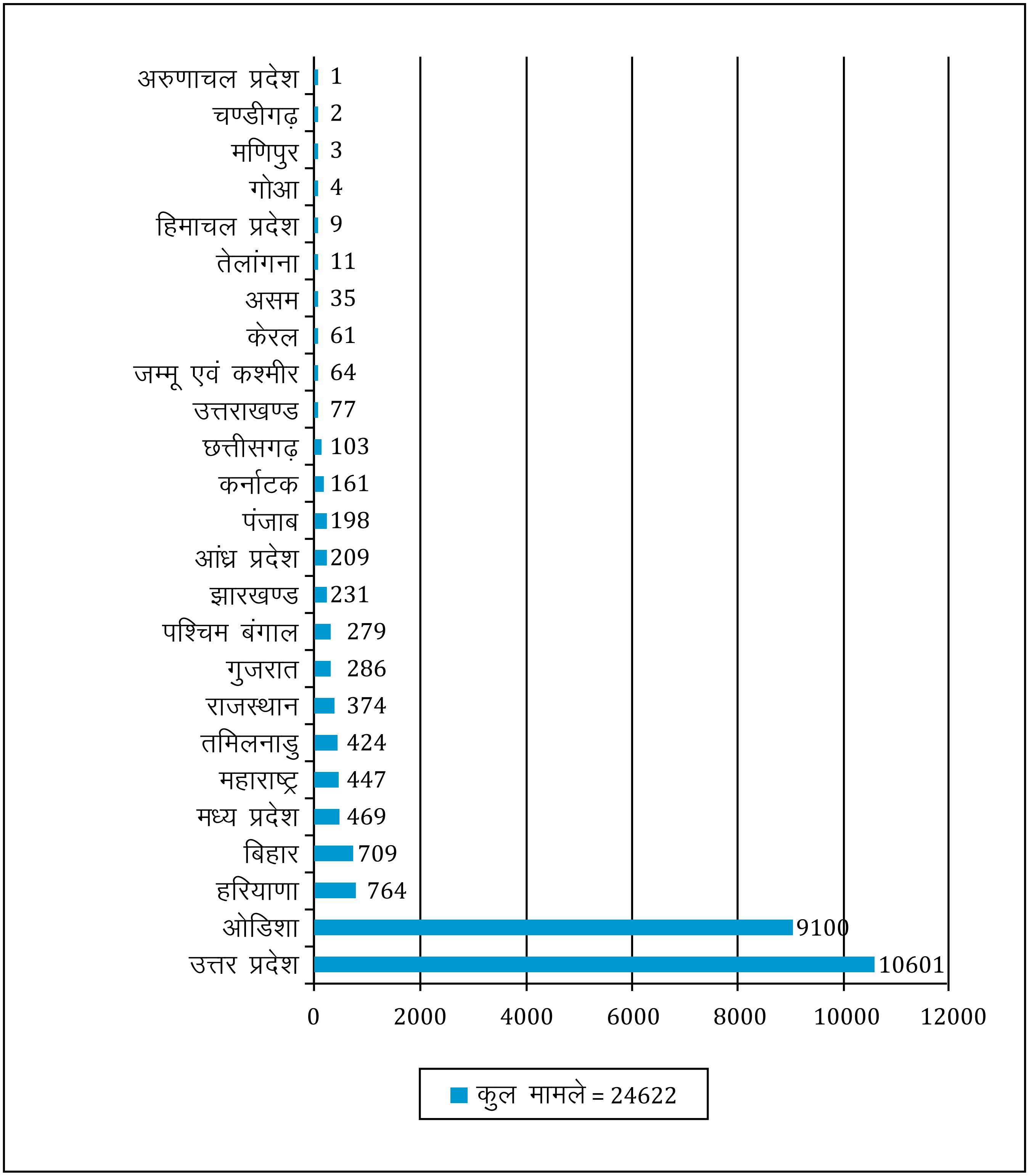

ग्राफ एवं चार्ट संख्या– 9

वर्ष 2015–16 के दौरान एन.एच.आर.सी. द्वारा निपटान किए गए मामलों की संख्या का राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रवार ग्राफ

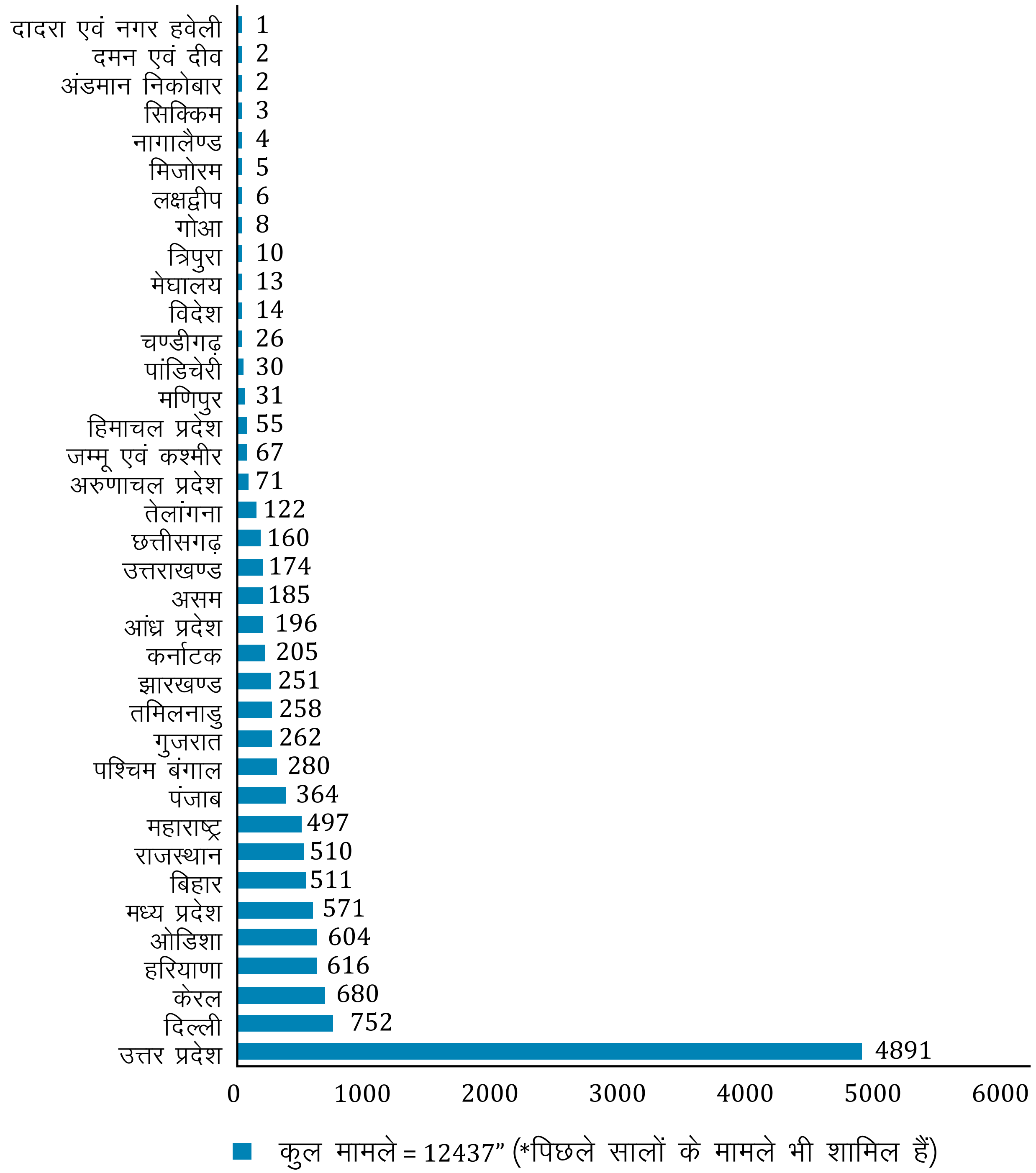

ग्राफ एवं चार्ट संख्या– 10

वर्ष 2015–16 के दौरान एन.एच.आर.सी. द्वारा प्रथम दृष्टया खारिज़ मामले

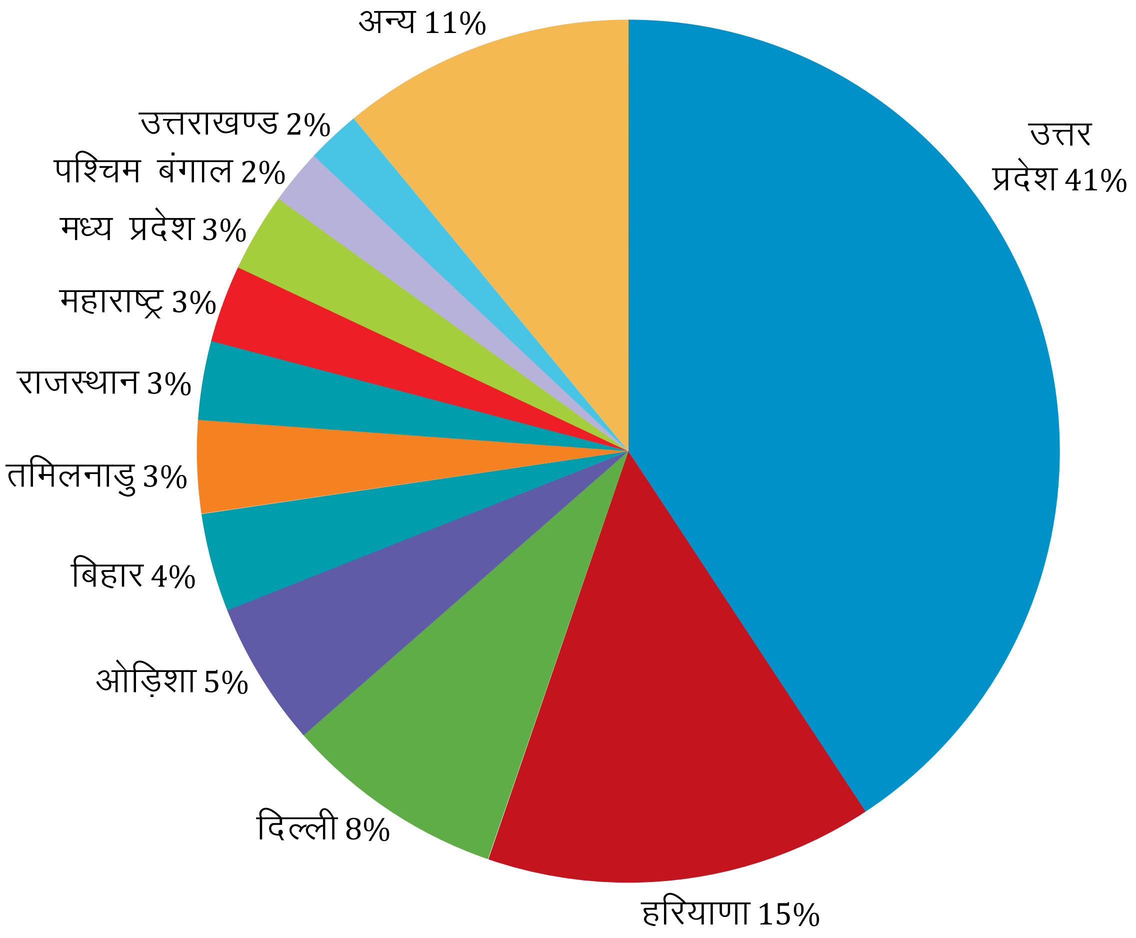

ग्राफ एवं चार्ट संख्या– 11

वर्ष 2015–16 के दौरान एन.एच.आर.सी. निर्देशों के साथ निपटान किए गए मामले

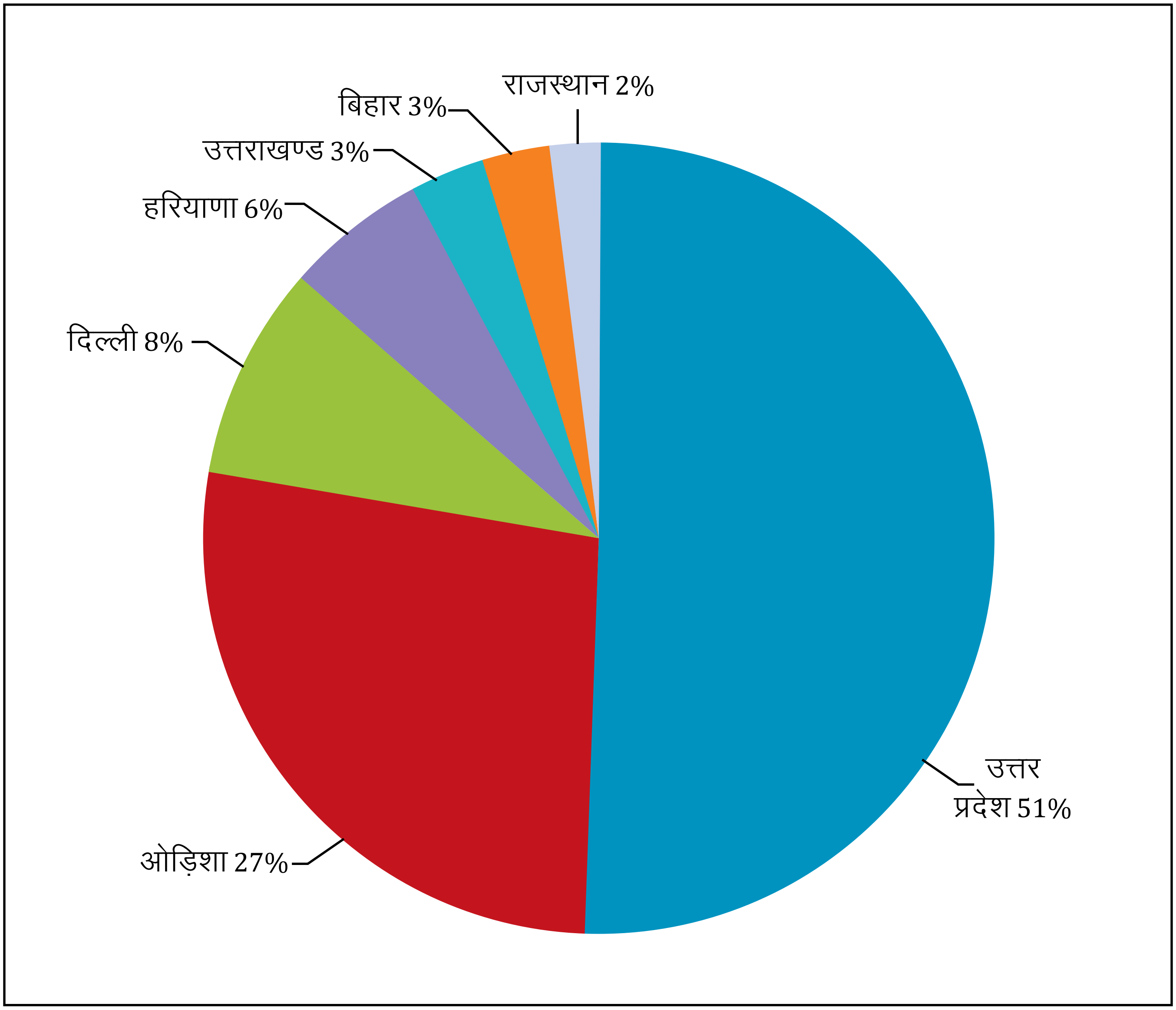

ग्राफ एवं चार्ट संख्या– 12

वर्ष 2015–16 के दौरान एन.एच.आर.सी. द्वारा एस.एच.आर.सी को हस्तांतरित मामले (कुल मामले– 24622)

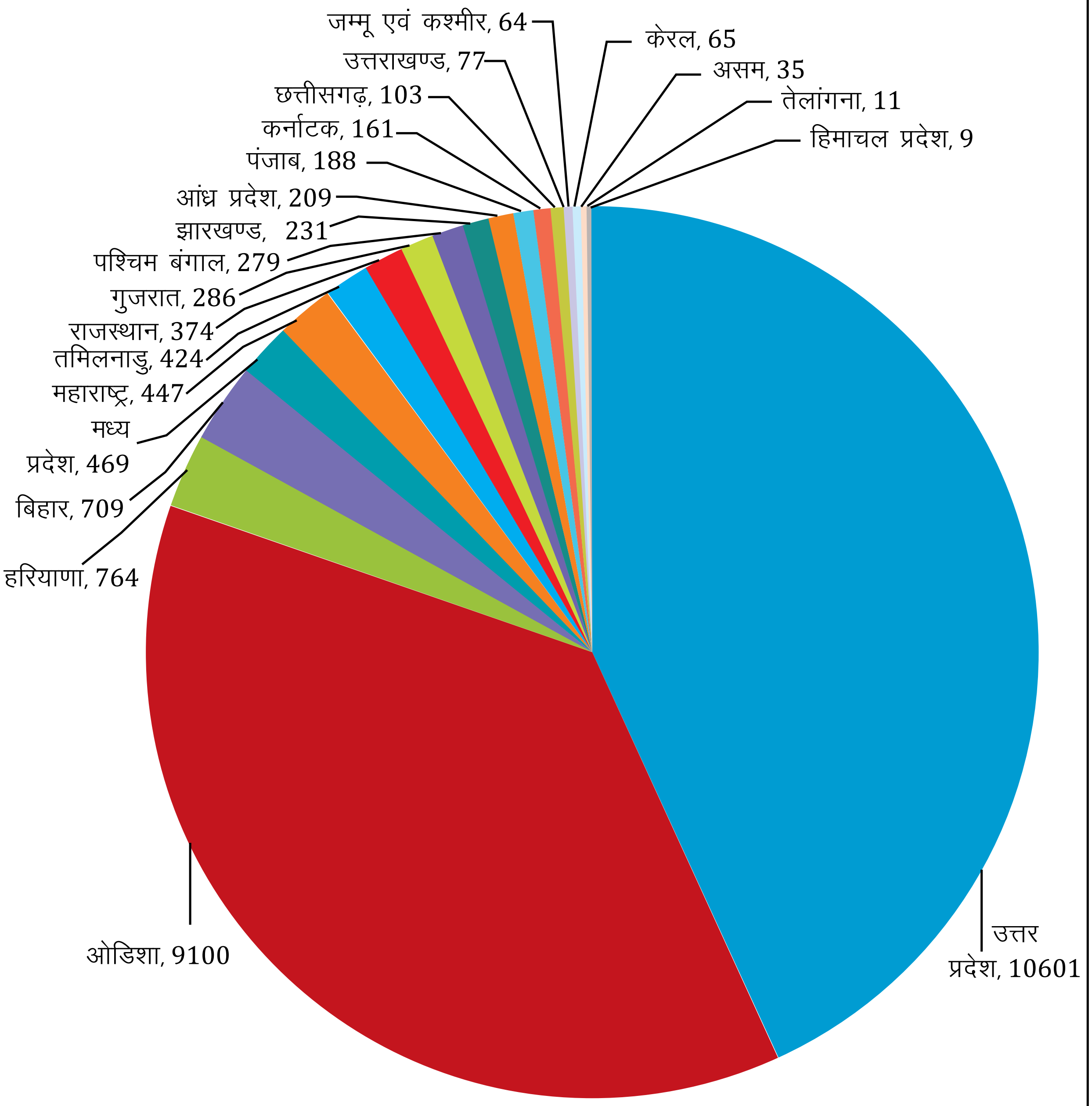

ग्राफ एवं चार्ट संख्या– 13

वर्ष 2015–16 के दौरान एन.एच.आर.सी. द्वारा निपटान किए गए मामले

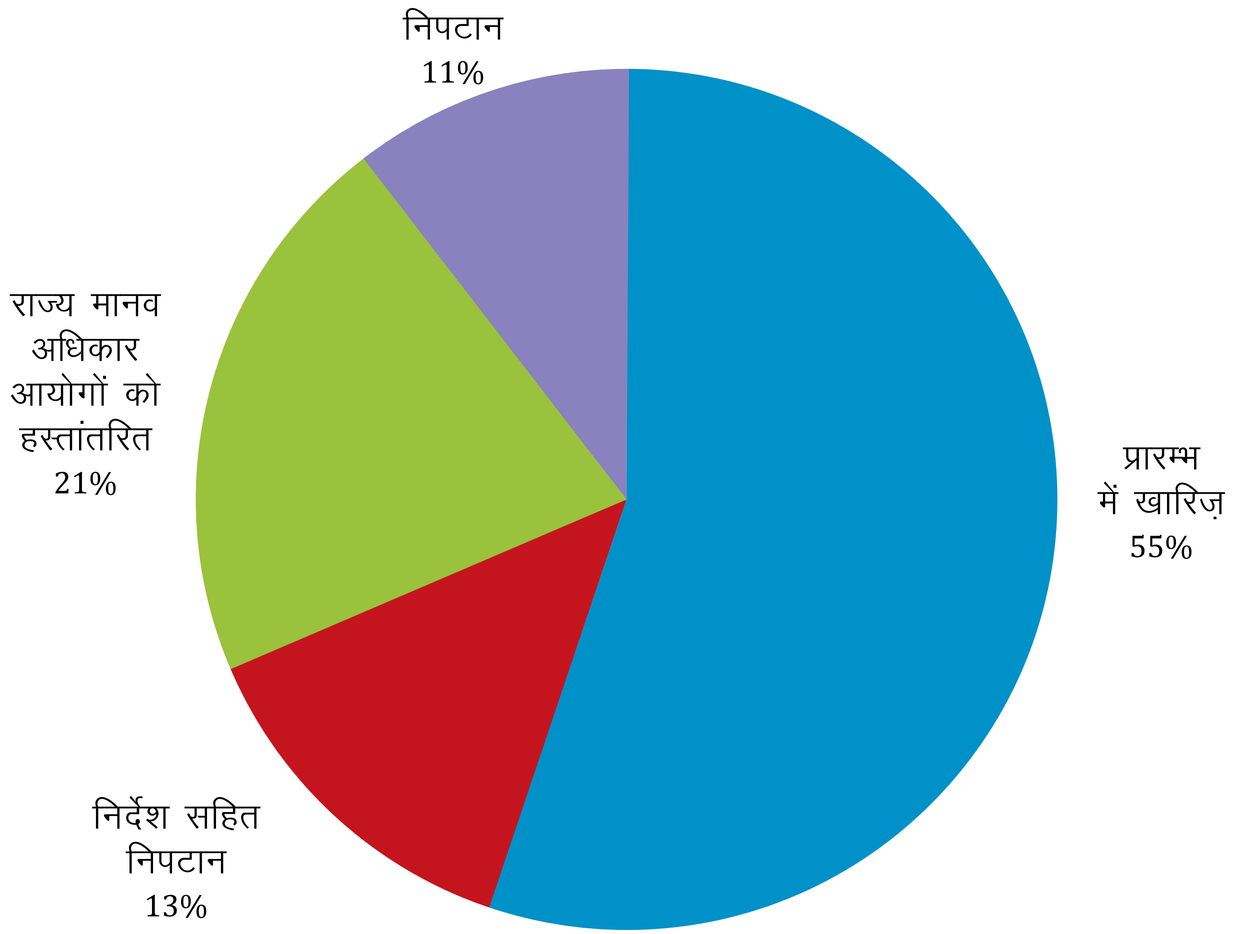

ग्राफ एवं चार्ट संख्या– 14

कुल पंजीकृत मामले
(2013–2014 से 2015–2016)

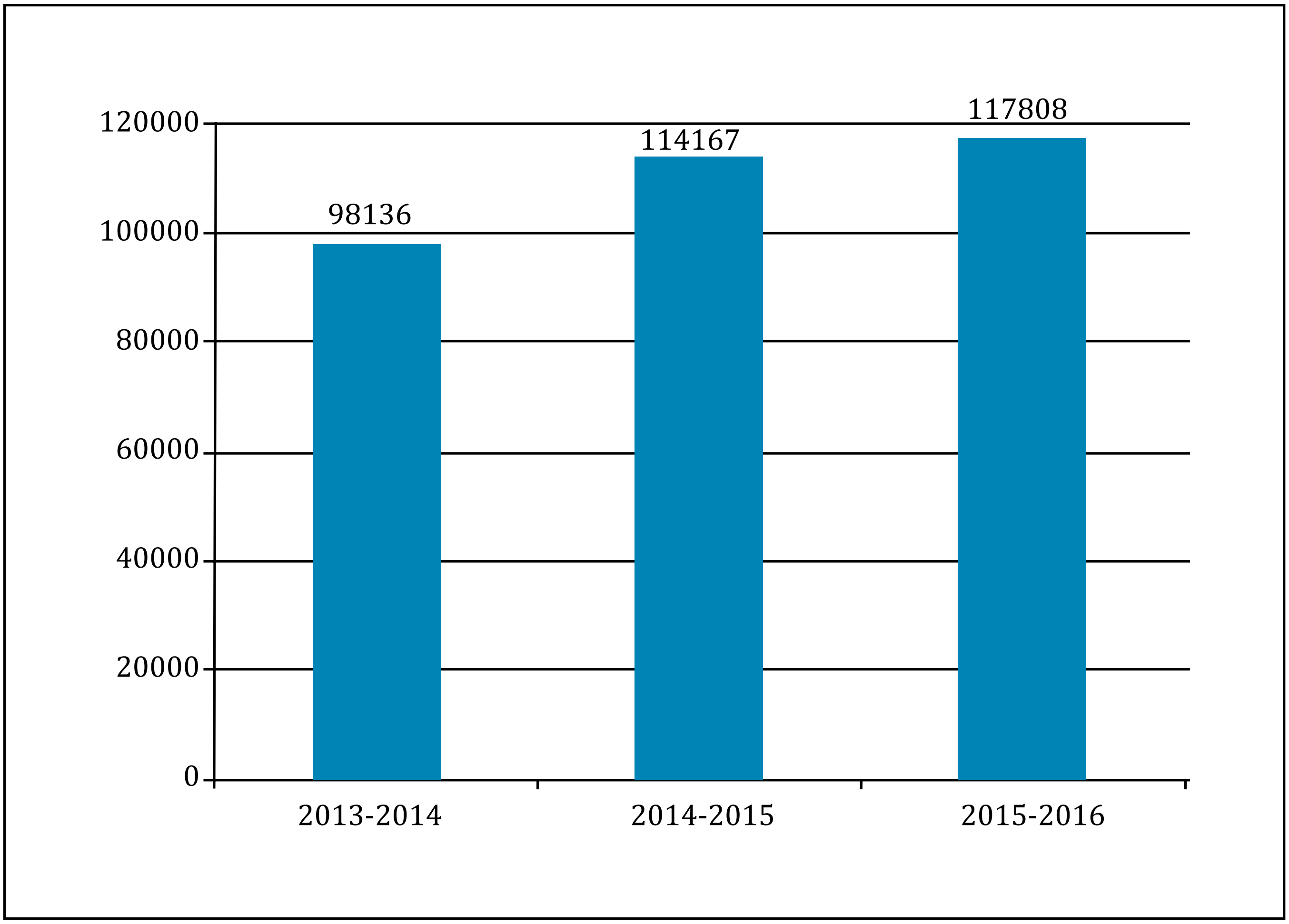

ग्राफ एवं चार्ट संख्या– 15

वर्ष 2015–16 के दौरान हिरासतीय मौत/बलात्कार (पुलिस) के संबंध में पंजीकृत और निपटाए गए मामलों की संख्या

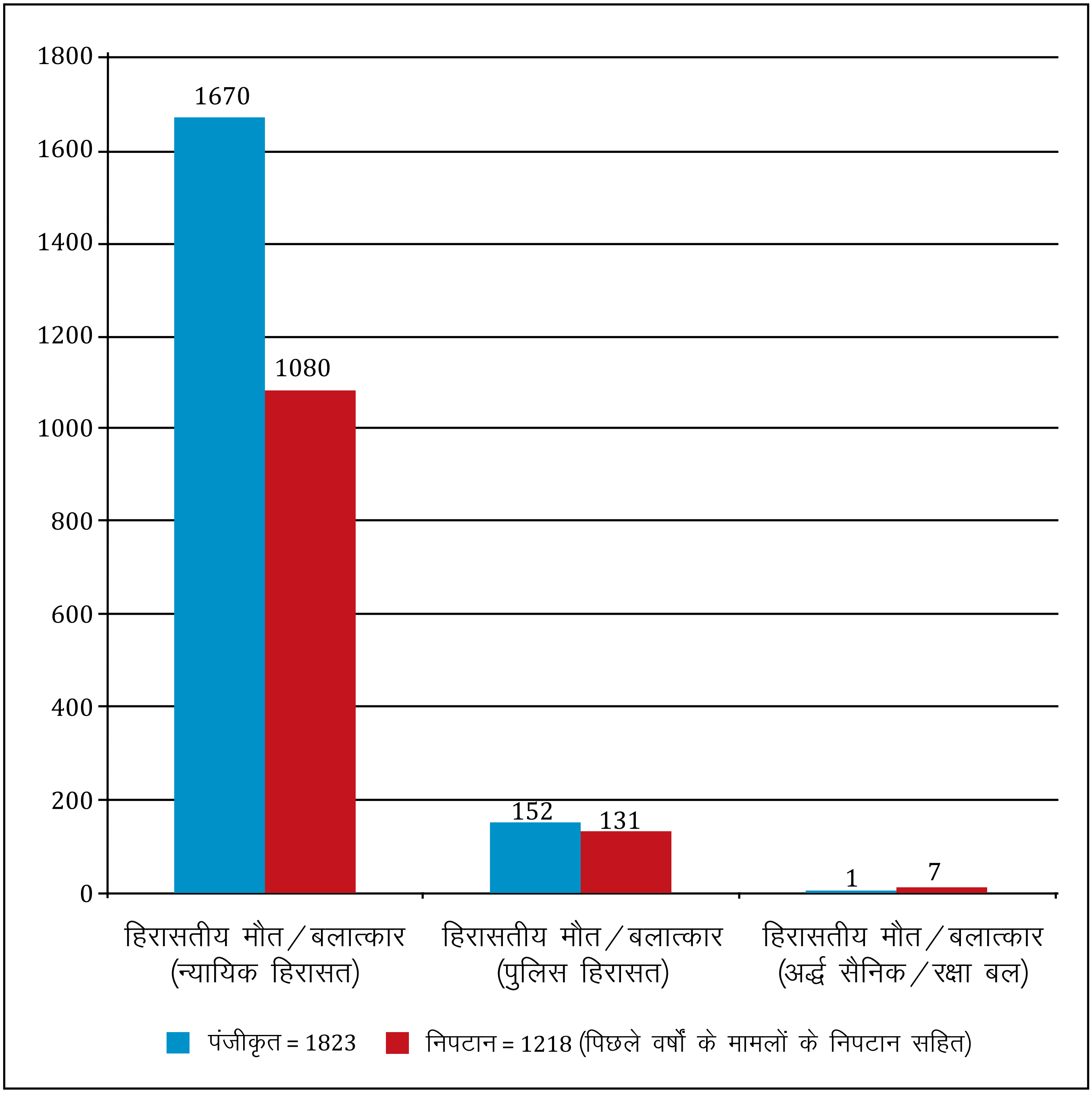

संक्षिप्तियाँ

ए ए वाई / (AAY)	: अंतोदेय अन्न योजना
ए सी जे एम / (ACJM)	: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अनु. / (Art.)	: अनुच्छेद
अनु. / (Arts.)	: अनुच्छेदों
ए टी आर / (ATR)	: की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
ए एस आई / (ASI)	: सहायक उप–निरीक्षक
बी पी एल / (BPL)	: गरीबी रेखा के नीचे
सी.एफ.एन.एच.आर.आई / CFNHRI	: राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल फोरम
सी ओ पी 21 / COP 21	: पक्षों का 21वां सम्मेलन
सी आर पी सी / (Cr. P.C.)	: दण्ड प्रक्रिया संहिता
सी आर पी एफ / CRPF	: केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल
डी.ए.पी. III बी.एन. / DAP III BN.	: दिल्ली सषस्त्र पुलिस तीसरी बटालियन
डी जी पी / (DGP)	: पुलिस महानिदेशक
डी एम / (DM)	: जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी
एफ आई आर / (FIR)	: प्रथम सूचना रिपोर्ट
एफ एस एल / (FSL)	: फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी
गनहरी / (GANHRI)	: राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का वैष्विक संघ
जी डी / (GD)	: सामान्य डायरी
जी पी एफ / (GPF)	: उपदान भविष्य निधि
जी आर पी / (GRP)	: सरकारी रेलवे सुरक्षा
एच ई पी / (HEP)	: हाइड्रो–इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
मुख्या. / (HQs.)	: मुख्यालय
आई सी सी / (ICC)	: मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति
आई ओ / (I/O)	: जांच अधिकारी
सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी (I&PRO)	: सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी
आई पी सी / (I.P.C.)	: भारतीय दण्ड संहिता
जे सी एल / (JCL)	: विधि के संघर्ष में किशोर
जे जे आर / (JJR)	: किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम
एल एफ / (LFs)	: लिंक फाइल
एम ए सी पी / (MACP)	: अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस

एम ई आर / (MER)	:	मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट
मनरेगा योजना / (MGNREG Scheme)	:	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एम ओ एस / (MOs)	:	भौतिक वस्तुएं
एन सी आर / (NCR)	:	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एन सी आर बी / (NCRB)	:	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
एन सी टी / (NCT)	:	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र
ओ बी सी / (OBC)	:	अन्य पिछड़ा वर्ग
पी सी एण्ड पीएनडीटी, एक्ट (PC & PNDT Act)	:	पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
पी डी / (PD)	:	शारीरिक ड्रिल
पी डी एस / (PDS)	:	लोक वितरण प्रणाली
पी एच आर एक्ट / (PHR Act)	:	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
पी एच आर ए / (PHRA)	:	मानव अधिकार संरक्षण (संषोधन) अधिनियम, 2006
पी एस / (P.S./PS)	:	पुलिस स्टेशन
आर / ओ / (r/o)	:	निवासी
आर / डब्ल्यू / (r/w)	:	सह–पठित
आर.टी.ई. / (RTE)	:	षिक्षा का अधिकार
एस / ओ / (s/o)	:	सुपुत्र
एस सी / (SC)	:	अनुसूचित जाति
एस डी एम / (SDM)	:	उप–मंडलीय मजिस्ट्रेट
एस एच ओ / (SHO)	:	थाना प्रभारी
एस आई जी–I / SIG-I	:	विषेष जांच समूह – I
एस एम एस / (SMS)	:	लघु संदेश सेवा
एस ओ जी / (SOG)	:	विषेष संचालन समूह
एस ओ पी एस / (SOPs)	:	मानक प्रचालन प्रक्रियाएं
एस टी / (ST)	:	अनुसूचित जनजाति
यू एस / (u/s)	:	धारा के तहत्
पी सी एण्ड पी एन डी टी ए (PC & PN DT Act)	:	गर्भधारण–पूर्व एवं प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग निर्धारण की रोकथाम) अधिनियम 1994
आर टी ई / (RTE)	:	शिक्षा का अधिकार
एस टी एफ / (STF)	:	विषेष कार्य बल
यू एस / U/S	:	धारा के अधीन
डब्ल्यू / ओ / (w/o)	:	पत्नी

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार भवन, सी–ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
www.nhrc.nic.in